

इकाई 1 वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन में अध्यापक शिक्षा (Teacher Education in Ancient, Buddhist and Medieval Period)

- 1.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 1.2 उद्देश्य (Objectives)
- 1.3 शिक्षा की संरचना एवं संगठन (Structure and Organization of Education)
 - 1.3.1 शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)
- 1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श (Aims and Ideal of Education)
 - 1.4.1 शिक्षा की पाठ्यचर्या (Curriculum of Education)
 - 1.4.2 शिक्षणविधियाँ (Teaching Methods)
 - 1.4.3 शिक्षक व छात्र (Teachers and students)
 - 1.4.4 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ (Examination and Degree)
 - 1.4.5 स्त्री शिक्षा (Women Education)
- 1.5 मुख्य शिक्षा केन्द्र
- 1.6 सारांश (Summary)
- 1.7 शब्दावली (Glossary)
- 1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)
- 1.9 संदर्भ (Reference)
- 1.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1.1 प्रस्तावना Introduction

वैदिक काल :- भारतीय वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद) संसार के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सामान्यतः वेदों को धार्मिक ग्रंथों के रूप में देखा-समझा जाता है, वेदों की रचना कब और किन विद्वानों ने की, इस विषय में भी विद्वान एक मत नहीं हैं। जर्मन विद्वान मैक्समूलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। उनके अनुसार, वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और इसकी रचना 1200 ई० पू० में हुई थी। लोकमान्य तिलक ने ऋग्वेद में वर्णित नक्षत्र स्थिति के आधार पर इसका रचना काल 4000 ई० से 2500 ई० पू० सिद्ध किया है। इतिहासकार हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई में प्राप्त अवशेषों के आधार पर हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को केवल ई० पू० 3500 वर्ष पुरानी मानते हैं। हमारे देश भारत में ई० पू० 7वीं शताब्दी में लोक भाषा प्राकृत और पाली थी। हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था वेदों की संस्कृत भाषा इतनी

समृद्ध एवं परिमार्जित है और उनकी विषय-सामग्री इतनी विविध, विस्तृत एवं उच्च कोटि की है कि उस समय इनके विकास में काफी समय अवश्य लगा होगा। भारत में 2500 ई० पू० से 500 ई० पू० तक वेदों का वर्चस्व रहा। इतिहासकार इस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ।

बौद्ध काल :- भारतीय संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन संस्कृति रही है यहाँ पर अन्यो देशो के व्यक्तियों ने आकर भारतीयों संस्कृति को नष्ट कर दिया। योरोपीय व पश्चिमी देशो से आये आर्यों ने नीग्रो व द्रविडो के साथ धोका करके उनकी सभ्यता व संस्कृति को न केवल नष्ट किया बल्कि उन्हें अपना दास बनाया। कर्म आधारित व्यवस्था को परिवर्तित कर जन्म आधारित व्यवस्था भारत में फलीभूत होने लगी। भारतीय शिक्षा पर ब्राह्मण वर्ग का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया, शुद्र वर्ग को पूर्ण रूप से शिक्षा से वंचित कर दिया गया। इस कारण वे सरकारी कार्यों व अन्य व्यवसायों से वंचित हो गये। किसी भी देश का इतिहास उठाकर देखिए जब कोई विचारधारा अति को पार करती है तो दूसरी विरोधी विचारधारा को जन्म मिलता है, हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। जब उत्तर वैदिक काल में कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड की अति हुई तो इसका विरोध प्रारम्भ हुआ। ई०पू० 563 में भारत की इस पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ। यँ तो वे राजघराने में पैदा हुए थे और उन्हें सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध थीं परन्तु उन्होंने लोगों के सांसारिक दुःखों की अनुभूति की। उन्होंने इन दुःखों से छुटकारा पाने के उपाय खोजने के लिए तपस्या की और कर्मकाण्ड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करुणाप्रधान मानवतावादी बौद्ध धर्म की स्थापना की। भारत में इस धर्म का प्रभाव 500 ई० से 1200 ई० तक रहा। इतिहासकार इस काल को बौद्ध काल कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना यह धर्मोपदेश सर्वप्रथम वाराणसी से लगभग 8 किमी० दूर सारनाथ स्थान पर दिया था। देश के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों और विहारों का निर्माण हो गया। प्रारम्भ में तो ये बौद्ध मठ एवं विहार महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के केन्द्र के रूप में विकसित हुए थे पर आगे चलकर ये जन शिक्षा की व्यवस्था भी करने लगे। वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था और कर्मकाण्ड के प्रतिकूल बौद्ध धर्म समानता, प्रेम और करुणा पर आधारित थी।

मुस्लिम काल:- हमारे देश में आज भी अन्य देशो का सम्मान उसी प्रकार से बरकरार है जैसा कि प्राचीन काल, मध्य काल में होता था। यहाँ कि भोली-भाली जनता ने दूसरों पर विश्वास किया। लेकिन अन्यो देशो ने धोखा देकर यहाँ कि अमूल्य संपत्ति सोना, चांदी, हीरा, मोती को लूटकर अपने देश में ले गये साथ ही यहाँ कि सौंदर्य कला व संस्कृति को भी नष्ट किया। उत्तरी सीमा पार के शासक इस पर सदैव आक्रमण करते रहते थे। इन आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम नाम परसिया (वर्तमान ईरान) के राज साइरस (538 ई० पू० - 530 ई० पू०) का आता है। उसने इसके उत्तरीय सीमावर्ती राज्य गांधार पर आक्रमण कर उसके एक भाग पर कब्जा भी कर लिया था। उसके बाद मैसोडोनिया (यूनान, ग्रीस) के राजा सिकन्दर ने 327 ई०पू० में आक्रमण किया। सन् 1192 में उसने 11वीं बार आक्रमण किया और सीमावर्ती राज्यों को रौंदता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली के

तत्कालीन हिन्दू राजा पृथ्वीराज चौहान से उसका तराइन के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर बन्दी बना लिया। वह स्वयं तो यहाँ से लूट का भारी माल लेकर अपने देश लौट गया परन्तु अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली को शासक बना गया। बस यहीं से भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके वंशजों को गुलाम वंश की संज्ञा दी है। गुलाम वंश के बाद भारत में क्रमशः खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मुगल वंश का शासन रहा। मुगल वंश में औरंगजेब ने 1659 से 1707 तक राज्य किया। वह बड़ा कट्टरपंथी था। उसने इस्लाम धर्म को न मानने वालों के ऊपर जजिया कर लगा दिया था, परिणामस्वरूप चारों ओर विद्रोह की आग भड़क उठी थी और औरंगजेब के शासन काल के अन्तिम चरण में ही मुगल साम्राज्य का वैभव समाप्त होने लगा था। 1200 से 1700 तक यहाँ मुसलमान बादशाहों और इस्लाम धर्म का वर्चस्व रहा। इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ई० तक के काल को मध्यकाल अथवा मुस्लिम काल की संज्ञा दी है।

1.2 उद्देश्य(Objectives)

- i. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण को जान सकेंगे।
 - ii. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा की संरचना एवं संगठन का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
 - iii. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन आदि को समझ सकेंगे।
 - iv. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में समझ सकेंगे।
 - v. वैदिक कालीन, बौद्धकालीन, मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य शिक्षा केन्द्रों के बारे में जान सकेंगे।
-

1.3 शिक्षा की संरचना एवं संगठन (Structure and Organization of Education)

1.3.1 शिक्षा का अर्थ Meaning of Education

वैदिक काल

I. प्रारम्भिक शिक्षा- वैदिक काल में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार किया जाता था। यह संस्कार परिवार

के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था। बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और कुल पुरोहित के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मन्त्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी और बच्चे की उंगली पकड़कर उसके द्वारा बिछे हुए चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। कुल पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसके बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारम्भ होती थी।

II. उच्च शिक्षा- वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुलों में प्रवेश होता था, ब्राह्मण बच्चों का 8 वर्ष की आयु पर, क्षत्रिय बच्चों का 10 वर्ष की आयु पर और वैश्य बच्चों का 12 वर्ष की आयु पर। गुरुकुलों में प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था। इस संस्कार के बाद उनकी उच्च शिक्षा प्रारम्भ होती थी।

बौद्ध शिक्षा प्रणाली

1. प्राथमिक शिक्षा- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिये खुलने पर समाज के वंचित वर्ग अपने बच्चों को शिक्षा को दिलाने को लालायित दिखे क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था में शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिये नहीं खुले थे। जिनके लिये खुले थे वे भी अपने व्यवसाय की ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शिक्षा की व्यवस्था भी बौद्ध मठों एवं विहारों में की जाती थी। यह 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक चलती थी। प्रवेश के समय बच्चों का पबज्जा संस्कार होता था। बौद्ध ग्रन्थ महावग्ग में इस विधि का सविस्तार वर्णन है।

पबज्जा का अर्थ है- बाहर जाना। क्योंकि उस समय बच्चे शिक्षा हेतु परिवार छोड़कर मठ अथवा विहार में जाते थे इसलिए प्रवेश के समय होने वाले संस्कार को पबज्जा संस्कार कहा जाता था। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुंडाया जाता था। फिर उसके घर के वस्त्र उतार कर पीले वस्त्र पहनाए जाते थे और हाथ में दण्ड दिया जाता था। अब उसे मठ अथवा विहार के प्रवेश अधिकारी भिक्षु (शिक्षक) के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह अपने मस्तक से भिक्षु के चरण स्पर्श करता था। इसके बाद उसके सम्मुख पालथी मारकर जमीन पर बैठता था। भिक्षु उससे निम्नलिखित तीन प्रणों को ऊँचे स्वर में उच्चारित कराता था। इन तीन प्रणों को सरणत्रय (शरणत्रयी) कहा जाता था। ये तीन प्रण थे-

बुद्धं शरणम् गच्छामि।

धम्मं शरणम् गच्छामि॥

संघं शरणम् गच्छामि॥

इसके बाद गुरु शिष्य को दस उपदेश देता था। इसे दस सिक्खा पदानि कहते थे। ये दस उपदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना, (2) शुद्ध आचरण करना, (3) सत्य न बोलना, (4) सत आहार लेना, (5) मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, (6) परनिन्दा न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर रहना, (9) पराई वस्तु ग्रहण न करना। और (10) सोना, चाँदी, हीरा-जवाहरात आदि कीमती दान न लेना।

बच्चा इनके पालन का प्रण लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था और अब उसे श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था।

2. उच्च शिक्षा- उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु एक प्रवेश परीक्षा सम्पन्न होती थी और योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु पर शुरू होती थी और 20-25 वर्ष की आयु तक चलती थी।

3. उपसम्पदा संस्कार एवं भिक्षु शिक्षा - बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र (श्रमण अथवा सामनेर) तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ भिक्षु शिक्षा में प्रवेश करते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी पुनः परीक्षा होती थी और परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्रमण को दस प्रतिज्ञाओं के अतिरिक्त आठ प्रतिज्ञाएँ और लेनी होती थीं, तब उसे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। इसे उपसम्पदा संस्कार कहा जाता था।

यह संस्कार दस भिक्षुओं (उपाध्यायों) की उपस्थिति में होता था। सर्वप्रथम श्रमण भिक्षु का वेश (हाथ में कमण्डल और कन्धे पर चीवर) धारण करता था फिर इन दस भिक्षुओं के सम्मुख उपस्थित होता था, उन्हें प्रणाम करता था और आज्ञा मिलने पर हाथ जोड़कर बैठ जाता था। एक भिक्षु श्रमण का परिचय कराता था और अन्य भिक्षु उससे प्रश्न पूछते थे। परीक्षा में सफल श्रमण अब आठ प्रतिज्ञाएँ करता था- (1) वृक्ष के नीचे निवास करना (2) भिक्षा मांगकर भिक्षा पात्र में भोजन करना (3) भिक्षा द्वारा प्राप्त साधारण वस्त्र पहनना (4) चोरी न करना (5) हत्या न करना (6) मैथुन न करना और (7) अलौकिक शक्तियों का दावा न करना।

इन प्रतिज्ञाओं के लेने के बाद श्रमण को भिक्षु शिक्षा में प्रवेश मिलता था। उस काल में भिक्षु शिक्षा का छात्र अपने गुरु का चुनाव स्वयं करता था। यह शिक्षा 8 वर्ष तक चलती थी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद भिक्षु पूर्ण भिक्षु कहलाते थे और अध्यापन एवं धर्म शिक्षा के लिए योग्य माने जाते थे। पर इन कार्यों के सम्पादन के लिए उन्हें आजीवन अविवाहित रहना होता था और संघ के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। असमर्थता प्रकट करने पर ये पूर्ण भिक्षु संघ से अलग हो सकते थे।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षण संस्थाएँ (मकतब और मदरसे)

Educational Institute (Makatab & Madarshe)

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से मकतबों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में होती थी। इनके अतिरिक्त खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी स्कूल, फारसी-कुरान स्कूल और अरबी स्कूलों की व्यवस्था भी थी।

मकतब- मकतब शब्द अरबी भाषा के 'कुतुब' शब्द से बना है जिसका अर्थ है- वह स्थान जहाँ पढ़ना-लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये मकतब प्रायः मस्जिदों से संलग्न होते थे और एक शिक्षकीय होते थे। उस समय पर्दा प्रथा थी, इसके बावजूद, मकतबों में लड़के-लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु पर बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। बच्चों को नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक (उस्ताद, मौलवी) के सामने उपस्थित किया जाता था। शिक्षक बच्चों से कुरान शरीफ की कुछ आयतें दोहराते थे और जो बच्चे कुरान शरीफ की आयतें दोहराने में असमर्थ होते थे उनसे बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करवाते थे। बिस्मिल्लाह का अर्थ है- अल्लाह के नाम पर। और इसके बाद बच्चे को मकतब में प्रवेश दिया जाता था।

मदरसा- मदरसा शब्द अरबी भाषा के 'दरस' शब्द से बना है जिसका अर्थ है- भाषण देना और चूँकि उस समय उच्च शिक्षा प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी इसलिए उन स्थानों को जहाँ भाषण द्वारा शिक्षा दी जाती थी मदरसा कहा गया। मध्यकाल में ये मदरसे प्रायः राजधानियों और मुस्लिम बाहुल्य बड़े-बड़े नगरों में स्थापित किए गए थे। इन मदरसों के भवनों, पुस्तकालयों और छात्रावासों आदि के निर्माण में उस समय मुसलमान शासकों का बड़ा योगदान रहा। ये मदरसे बहुशिक्षकीय थे। इनके शिक्षकों को उच्च वेतन दिया जाता था। वेतन आदि की व्यवस्था के लिए भी राजकोष से आर्थिक सहायता दी जाती थी।

खानकाहें- ये प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे इनमें केवल मुसलमान बच्चों ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त धनराशि से चलाया जाता था।

दरगाहें- ये भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे। इनमें भी केवल मुसलमान बच्चों को प्रवेश दिया जाता था।

कुरान स्कूल- ये धार्मिक शिक्षा केन्द्र थे। इन स्कूलों में केवल कुरान शरीफ की पढ़ाई ही की जाती थी।

फारसी स्कूल - ये उच्च शिक्षा के ऐसे केन्द्र थे जिनमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी और हिन्दू और मुसलमानों दोनों को शासन कार्य के लिए तैयार किया जाता था।

फारसी-कुरान स्कूल- ये धार्मिक शिक्षा केन्द्र थे। इन स्कूलों में फारसी भाषा और कुरान शरीफ तैयार की शिक्षा जाती थी।

अरबी स्कूल- ये ऐसे उच्च शिक्षा केन्द्र थे जिनमें केवल अरबी भाषा और उसके साहित्य की शिक्षा दी जाती थी।

1.4 शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideal of Education

वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

उस काल में शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास था। समाज एवं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पालन और राष्ट्रीय संस्कृति के संरक्षण एवं विकास पर भी उस काल में विशेष बल दिया जाता था। मोक्ष की प्राप्ति तो उस काल में मनुष्य जीवन का अन्तिम उद्देश्य माना जाता था।

इन सब उद्देश्यों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

- i. **ज्ञान का विकास-** यह वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तब ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। (ज्ञानं मनुजस्य तृतीयं नेत्रं) और यह माना जाता था कि ये दो नेत्र तो हमें केवल दृश्य जगत का ज्ञान भर कराते हैं परन्तु यह तीसरा नेत्र हमें दृश्य और सूक्ष्म दोनों जगत का ज्ञान कराता है यह हमें सत्य-असत्य का भेद स्पष्ट करता है, करणीय तथा अकरणीय कर्मों का भेद स्पष्ट करता है और भौतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का मार्ग स्पष्ट करता है।
- ii. **स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्द्धन -** ऋषि आश्रमों और गुरुकुलों में शिष्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्द्धन पर विशेष बल दिया जाता था और उन्हें उचित आहार-विहार और आचार-विचार की शिक्षा दी जाती थी। शारीरिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए शिष्यों को प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठना होता था, दाँतूँ एवं स्नान करना होता था, व्यायाम करना होता था, सादा भोजन करना होता था, नियमित दिनचर्या का पालन करना होता था और व्यसनों से दूर रहना होता था। शिष्यों के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए उन्हें उचित आचार-विचार की ओर उन्मुख किया जाता था।
- iii. **जीविकोपार्जन एवं कला-कौशल की शिक्षा-** प्रारम्भिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यतानुसार कृषि, पशुपालन एवं अन्य कला-कौशलों की शिक्षा दी जाती थी। उस समय हमारा देश धन-धान्य से सम्पन्न था, लोग बहुत अच्छा जीवन जीते थे। परन्तु उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने स्वार्थ के वशीभूत होकर कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को जन्म

आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल दिया जिसके परिणामस्वरूप लोगों को वर्णानुसार शिक्षा दी जाने लगी। वैदिक काल के इस अन्तिम चरण में शूद्रों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करना धूर्तता व स्वार्थ भरा कदम था वे शिक्षा अपने-अपने परिवारों में प्राप्त करते थे।

- iv. **संस्कृति का संरक्षण एवं विकास-** वैदिक काल में शिक्षा का एक उद्देश्य अपनी संस्कृति का संरक्षण और हस्तान्तरण था। उस काल में गुरुकुलों की सम्पूर्ण कार्य पद्धति धर्मप्रधान थी। उस काल में शिष्यों को वेद मन्त्र रटाए जाते थे, संध्या-वन्दन की विधियाँ सिखाई जाती थी और आश्रमानुसार कार्य करने का उपदेश दिया जाता था। उस पूरे काल में शिक्षा का एक ऐसा क्रम चला कि उसके प्रभाव से अनेक लोग गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और जंगलों में रहते हुए अध्ययन, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन करते थे और नए-नए तथ्यों की खोज करते थे। इनमें से कुछ लोग सन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे और ध्यान और समाधि द्वारा मोक्ष प्राप्त करते थे। इससे इस देश की संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ।
- v. **नैतिक एवं चारित्रिक विकास-** वैदिक काल में चरित्र निर्माण से तात्पर्य मनुष्य को धर्मसम्मत आचरण में प्रशिक्षित करने से लिया जाता था, उसके आहार-विहार और आचार-विचार को धर्म के आधार पर उचित दिशा देने से लिया जाता था।
- vi. **आध्यात्मिक उन्नति-** वैदिक काल में शिक्षा का अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य मनुष्य के बाह्य एवं आन्तरिक दोनों पक्षों को पवित्र बनाकर उन्हें चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर करना था।

बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श Aims and Ideals of Education

बौद्ध काल में जिस बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसके उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापक थे। यूँ तो ये सामान्यतः वही थे जो वैदिक शिक्षा प्रणाली के थे परन्तु इनका स्वरूप कुछ भिन्न था। यहाँ उन सबका, आज की भाषा में क्रमबद्ध विवेचन प्रस्तुत है।

1. मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास- बौद्ध धर्म मानव जाति विशेष की नहीं, मानवमात्र की संस्कृति के संरक्षण एवं विकास का पोषक है। यही कारण है कि बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ-साथ अन्य धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। उस काल में सैकड़ों विद्वान प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण कार्य में लगे थे। ये प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते थे और भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद करते थे।

इसके साथ-साथ कुछ विद्वान मौलिक साहित्य सृजन भी करते थे और इन सब साहित्य के संरक्षण के लिए उस काल में बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण किया गया था।

2. समाजिक आचरण की शिक्षा- बौद्ध धर्म सामाजिक कल्याण की भावना का पक्षधर रहा है उस समय व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना बहुत बलवती थी गरीब वर्गों पर अत्याचार किया जाता था। इसमें सबसे अधिक बल करुणा और दया पर दिया गया है। बिना करुणा भाव के एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुःखों को नहीं समझ सकता। यदि ईमानदारी से सोचें-समझें तो मनुष्य के दुःखों का कारण स्वयं मनुष्य ही अधिक होते हैं।

3. ज्ञान का विकास- महात्मा बुद्ध के अनुसार इस संसार के समस्त दुःखों का कारण अज्ञान है अतः उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति के लिए सच्चे ज्ञान के विकास पर बल दिया। बौद्ध शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श था। वैदिक काल में वेद ग्रन्थों के ज्ञान को सच्चा ज्ञान माना जाता था, परन्तु बौद्ध धर्म एवं दर्शन में चार सत्यों का ही वर्णन किया गया है।

4. चरित्र निर्माण- बौद्ध धर्म में आत्मसंयम, करुणा और दया का सबसे अधिक महत्त्व है। बौद्धों की दृष्टि से जो इनका पालन करता है, वही चरित्रवान है। इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्ध मठों एवं विहारों में छात्रों को प्रारम्भ से ही 10 नियमों का पालन कराया जाता था, उन्हें सादा जीवन जीने और विनयपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित किया जाता था और बुरे कर्मों से दूर रखा जाता था।

5. बौद्ध धर्म की शिक्षा- यँ तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उस समय तक विकसित समस्त मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी परन्तु सर्वाधिक बल बौद्ध धर्म की शिक्षा पर ही दिया जाता था और यह पाठ्यचर्या का अनिवार्य अंग थी। छात्रों को सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे चार सत्यों (संसार दुःखमय है, इन दुःखों से छुटकारा सम्भव है, सांसारिक दुःखों से छुटकारा ही निवारण है और विचारण प्राप्ति के लिए जप-तप नहीं, मानवमात्र के प्रति कल्याण की भावना आवश्यक है) का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद उन्हें निवारण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग (सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् वाक्, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि) में प्रशिक्षित किया जाता था।

मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श

मुस्लिम शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य एवं आदर्श इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार था। इसके साथ-साथ इसमें ज्ञान के विकास, कला-कौशल के प्रशिक्षण और सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति पर भी बल दिया गया था। मुस्लिम शिक्षा के इन सब उद्देश्यों एवं आदर्शों को हम आज की भाषा में निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

1. इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार - भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना होने पर उन्होंने भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करना शख्त से आरम्भ कर दिया। यदपि मुसलमान भारत में अपनी संस्कृति लेकर आए थे, उनकी अपनी भाषा थी, अपने रीति-रिवाज थे, अपने रहन-सहन की विधियाँ थीं और इन्हीं में उनकी आस्था थी। उन्होंने यहाँ इस्लाम शिक्षा पर बल दिया। मगतब और मदरसों में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी, शरिअत (इस्लामी धर्म एवं कानून) का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी।

2. ज्ञान का विकास- इस्लाम धर्म के प्रतिपादक हज़रत मौहम्मद साहब ज्ञान को अमृत मानते थे, निजात (मुक्ति) का साधन मानते थे। ज्ञान से उनका तात्पर्य भौतिक एवं आध्यात्मिक, दोनों प्रकार के ज्ञान से था और आध्यात्मिक ज्ञान से तात्पर्य इस्लाम के ज्ञान से था। कुरान शरीफ में कलम की स्याही को शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र बताया गया है।

3. नैतिक एवं चारित्रिक विकास- मुस्लिम शिक्षा में नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया है इस्लामी नैतिकता के आदर्श एवं मूल्य हिन्दुओं की नैतिकता के आदर्श एवं मूल्यों से कुछ भिन्न हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लामी नैतिकता के विकास पर बल दिया गया था और अन्यथा आचरण करने पर इस्लामिक मानदण्डों के आधार के पर इस्लामिक मानदण्डों के आधार पर प्रायश्चित्त करने पर बल दिया गया था।

4. शासन के प्रति वफादारी- मुसलमान बादशाह भारत के लिए विदेशी थे इसलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। यह मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य एवं आदर्श था। यही कारण है कि उन्होंने अरबी और फारसी भाषा जानने वाले और इस्लामी तहजीब को अपनाने वाले हिन्दुओं को ही शासन में ऊँचे-ऊँचे पद दिए।

5. कला-कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा - जिस समय मुसलमान बादशाह इस देश में आए यहाँ कला-कौशलों के क्षेत्र में बड़ा विकास हो चुका था। ये भी अपने साथ अनेक कला-कौशलों को लेकर आए थे। प्रायः सभी मुसलमान बादशाह कला और शिल्प प्रेमी थे इसलिए इन्होंने इनकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इस शिक्षा के परिणामस्वरूप ही उस काल में कला-कौशलों के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। साथ ही विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई थी।

6. सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति - इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता यही कारण है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले मौहम्मद साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए सांसारिक सुख की प्राप्ति के पक्षधर हैं।

1.4.1 शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या

वैदिक काल में शिक्षा की पाठ्यचर्या शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी- प्रारम्भिक और उच्च।

1. प्रारम्भिक शिक्षा की पाठ्यचर्या- वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, छन्दशास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान और सामाजिक व्यवहार एवं धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में उसमें नीतिप्रधान कहानियों को और जोड़ दिया गया। जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुलों में प्रवेश दिलाना चाहते थे वे उन्हें संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान कराते थे।

2. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या- इस काल में उच्च स्तर पर संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण तथा धर्म एवं नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। प्रारम्भिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों, कर्मकाण्ड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, राजनीतिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र और प्राणिशास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक अन्य विषय सम्मिलित किए गए, जैसे- इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या और भूत विद्या इसे विशिष्ट शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। शिष्य इनमें से अपनी रुचि के कोई भी विषय अध्ययन करने के लिए स्वतन्त्र थे।

बौद्धकाल में शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, उच्च और भिक्षु, सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी और चूँकि उस समय बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघों के नियन्त्रण में थी बौद्ध शिक्षा की पाठ्यचर्या को हम दो आधारों पर देख- समझ सकते हैं। एक उसके स्तरों (प्राथमिक, उच्च और भिक्षु) के आधार पर और दूसरे उसकी प्रकृति (लौकिक एवं धार्मिक) के आधार पर।

1. प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम सिद्धरस्त नामक पोथी के द्वारा पाली भाषा के 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और इसके बाद भाषा का पढ़ना-लिखना सिखाया जाता था। तत्पश्चात् शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, और अध्यात्म विद्या नामक 5 विज्ञान पढ़ाए जाते थे। इस स्तर पर बच्चों को बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान भी कराया जाता था। साथ ही कुछ कला-कौशलों की सामान्य शिक्षा का शुभारम्भ कर दिया जाता था।

2. उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी। इस अवधि में छात्रों को सर्वप्रथम व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। विशिष्ट शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा और इन भाषाओं के व्याकरण एवं साहित्य, खगोलशास्त्र, नक्षत्रशास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कला (चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत), कौशल (कताई, बुनाई और रंगाई आदि) व्यवसाय (कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य आदि),

भवन निर्माण विज्ञान, आयुर्विज्ञान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, ईश्वरशास्त्र, तर्क, दर्शन और ज्योतिष, इन सब विषयों एवं क्रियाओं को स्थान दिया गया था।

3. भिक्षु शिक्षा की पाठ्यचर्या- बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भिक्षु शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी, परन्तु जो भिक्षु बौद्ध धर्म-दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे अपना अध्ययन आगे भी जारी रख सकते थे। यँ तो इन्हें केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ही ज्ञान कराया जाता था और उसके लिए इनकी पाठ्यचर्या में बौद्ध साहित्य (त्रिपटक, सुवन्त, विनय और धम्म) को रखा गया था, परन्तु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता था। साथ ही उन्हें भवन निर्माण और मठों एवं विहारों की सम्पत्ति का लेखा-जोखा रखना सिखाया जाता था।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की पाठ्यचर्या Curriculum of Education

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा दो स्तरों में विभाजित थी- प्राथमिक और उच्च। प्राथमिक स्तर पर सभी विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाते थे और उच्च स्तर पर अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाए जाते थे।

प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या - इस शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक स्तर पर लिपि ज्ञान, कुरान शरीफ का 30वां भाग, लिखना, पढ़ना, अंकगणित, पत्र लेखन, बातचीत और अर्जीनवीसी पढ़ाई-सिखाई जाती थी। बच्चों को प्रारम्भ से ही कुरान शरीफ की कुछ आयतें रटाई जाती थीं और इस्लाम के पैगम्बरों और मुसलमान फकीरों की जीवनियाँ पढ़ाई जाती थीं। बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें शेरदादी की प्रसिद्ध पुस्तक गुलिस्तां और बोस्तां पढ़ाई जाती थीं। इनके अतिरिक्त अरबी-फारसी के कवियों की कविताएँ पढ़ाई जाती थीं। इस काल में प्रारम्भ से ही बच्चों के उच्चारण और लेख पर बहुत ध्यान दिया जाता था और उन्हें शुद्ध उच्चारण और सुलेख का अभ्यास कराया जाता था।

उच्च स्तर की पाठ्यचर्या- इस शिक्षा प्रणाली में उच्च स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम अति विस्तृत था। इस स्तर की पाठ्यचर्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है- लौकिक और धार्मिक। लौकिक पाठ्यचर्या में अरबी तथा फारसी भाषाएँ एवं उनके साहित्य, अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, इस्लामी कानून, यूनानी चिकित्सा और विभिन्न कला-कौशलों एवं व्यवसायों की शिक्षा को स्थान दिया गया था। धार्मिक पाठ्यचर्या में कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, इस्लामी साहित्य, सूफी साहित्य और शरिअत (इस्लामी कानून) को स्थान दिया गया था। अगबर बादशाह उदारवादी था, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी इसलिए उसने कुछ मदरसों में संस्कृत भाषा, वैदिक धर्म-दर्शन और वैदिक साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई थी।

1.4.2 शिक्षणविधियाँ Teaching Methods

वैदिक काल में शिक्षण विधियाँ

वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप से होता था और प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका-समाधान, व्याख्यान और वाद-विवाद द्वारा होता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला-कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषद्कारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का विकास किया था जिसे श्रवण, मनन और निदिध्यासन विधि कहते हैं। साफ जाहिर है कि उस समय उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था अतः यहाँ इनके प्राचीन रूप को स्पष्ट करना आवश्यक है।

- i. **अनुकरण, आवृत्ति एवं कण्ठस्थ विधि-** अनुकरण विधि सीखने की स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारम्भिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था- गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मन्त्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उनका अनुकरण करते थे, उन्हें बार-बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें कण्ठस्थ करते थे।
- ii. **व्याख्या एवं दृष्टान्त विधि-** वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मन्त्र कण्ठस्थ कराने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टान्तों का प्रयोग करते थे।
- iii. **प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधि-** उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारम्भिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और शिष्य शान्तिपूर्वक सुनते थे, उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे और गुरु उनका समाधान करते थे। उच्च शिष्या में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद-विवाद भी होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु अधिकारी विद्वानों के सम्मेलन भी बुलाए जाते थे, उनके बीच शास्त्रार्थ होता था, शिष्य इस सबको सुनते थे और अपने तत्सम्बन्धी ज्ञान में वृद्धि करते थे।
- iv. **कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि-** वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला-कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रियाप्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि से दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम सिखाए जाने वाली क्रिया के सम्पादन की विधि बताते थे और फिर उसे स्वयं करके दिखाते थे, शिष्य उनका अनुकरण कर यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे-धीरे उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।

- v. **श्रवण, मनन, निदिध्यासन विधि-** यह विधि भी उपनिषद्कारों की देन है। उस काल में गुरु जो भी व्याख्यान देते थे, वेद मन्त्रों आदि कि जो भी व्याख्या करते थे, धर्म, दर्शन एवं अन्य विषयों के सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी देते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिन्तन करते थे।
- vi. **तर्क विधि-** उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे गूढ़ विषयों के शिक्षण हेतु तर्क विधि का विकास हुआ। उस समय इस विधि के पाँच पद थे- प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगमन।
- vii. **कहानी विधि-** उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की। ये कहानियाँ पंचतन्त्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहीत हैं। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इन प्रश्नों में अन्तिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है।

बौद्ध काल में शिक्षण विधियाँ *Education Techniques/Methods*

बौद्ध काल में बोलचाल की भाषा पाली थी, बौद्धों ने इसी को शिक्षा का माध्यम बनाया। इस काल में मुद्रण कला का तो विकास नहीं हुआ था परन्तु बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्य ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार कर दी थीं। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के पाली भाषा में अनुवाद भी कर दिए थे और इन सबको पुस्तकालयों में सुरक्षित रखा था। इन परिस्थितियों में शिक्षण प्रायः मौखिक रूप (व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, तर्क, शास्त्रार्थ और सम्मेलनों) से ही होता था। प्रायोगिक विषयों के शिक्षण के लिए प्रदर्शन, अनुकरण एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था।

यहाँ इन सब विधियों के बौद्धकालीन स्वरूप का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. **प्रश्नोत्तर विधि-** प्रश्नोत्तर भी सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बच्चे प्रारम्भ से ही यह क्या है, यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हो रहा है आदि प्रश्न पूछते हैं। और बड़े उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग इसी रूप में होता था, शिष्य प्रश्न करते थे और भिक्षु (शिक्षक) उत्तर देते थे।
2. **अनुकरण विधि-** अनुकरण विधि सीखने-सिखाने की स्वाभाविक विधि है। बौद्ध काल में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था, भाषा की शिक्षा की शुरुआत तो इसी विधि से की जाती थी। शिक्षक अक्षरों का उच्चारण करते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, क्रियाप्रधान विषयों के शिक्षण में भी इसी विधि का प्रयोग किया जाता था।

3. व्याख्या विधि- चीनी यात्री हेनसांग ने अपने भारत यात्रा वर्णन में लिखा है कि शिक्षक छात्रों को पाठ्यवस्तु का अर्थ बताते थे और पाठ्यवस्तु की सविस्तार व्याख्या करते थे इस विधि का प्रयोग उच्च स्तर पर विशेष रूप से किया जाता था।

4. वाद-विवाद एवं तर्क विधियाँ- उस काल में विवादस्पद विषयों का शिक्षा वाद-विवाद और तर्क विधियों से होता था। अपने-अपने मत की पुष्टि में 8 प्रकार के प्रमाण (सिद्धान्त, हेतु, उदाहरण, साधर्म्य, वैधर्म्य, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम) प्रस्तुत किए जाते थे।

5. व्याख्यान विधि- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा केन्द्रों में विषय के अधिकारी विद्वान बुलाए जाते थे, उनके व्याख्यान कराए जाते थे, शंका समाधान होता था और इस प्रकार उच्च शिक्षा के छात्र विषयों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे।

6. सम्मेलन एवं शास्त्रार्थ- बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सम्मेलनों का आयोजन भी होता था। इन सम्मेलनों में विषय विशेषज्ञ आमन्त्रित किए जाते थे। इसे विद्वत् सभा भी कहते थे। इन सम्मेलनों में व्याख्यान होते थे और शास्त्रार्थ होता था। उच्च शिक्षा के छात्र इनको सुनते थे और अपनी शंकाओं का समाधान भी करते थे।

7. प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि- यह अनुकरण विधि का ही उच्च रूप है। उस काल में इस विधि का प्रयोग विभिन्न कलाओं, शिल्पों, व्यावसायिक विषयों और चिकित्सा विज्ञान आदि के शिक्षण के लिए किया जाता था। उपाध्याय यथा क्रिया को करके दिखाते थे, छात्र उनका अनुकरण करते थे, फिर यथा क्रिया को बार-बार करके अभ्यास करते थे और उसमें दक्षता प्राप्त करते थे।

8. देशाटन- इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से भिक्षु शिक्षा में किया जाता था। भिक्षु शिक्षा के भिक्षुओं को देशाटन के अवसर प्रदान किए जाते थे, उन्हें वास्तविकता जगत को जानने के अवसर दिए जाते थे, मानव समाज की वास्तविकता स्थिति को जानने के अवसर दिए जाते थे और धर्म प्रचार का प्रशिक्षण दिया जाता था।

मुस्लिम काल में शिक्षण विधियाँ *Methods of Teaching*

मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ उन सब विधियों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि- मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर पर किया जाता था। उस्ताद (शिक्षक) उच्च स्वर में कुरान शरीफ की आयतों, अक्षरों और पहाड़ों का उच्चारण करते थे, शागिर्द (छात्र) सामूहिक रूप में उनका अनुकरण करते थे, आवृत्ति द्वारा कण्ठस्थ करते थे और स्मरण करते थे। उच्चारण और मुलेख की शिक्षा भी इसी विधि

से दी जाती थी। आइने अकबरी में ऐसा उल्लेख है कि उस समय तख्ती, स्याही और सरकण्डे की कलम का प्रयोग होता था, शिक्षक शिक्षार्थियों को लिखकर दिखाते थे, शिक्षार्थी उनका अनुकरण करते थे और अभ्यास द्वारा अपना लेख सुधारते थे। उस समय इस स्तर पर रटने, शुद्ध उच्चारण और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था।

2. भाषण, व्याख्यान एवं व्याख्या विधि- मदरसे का अर्थ है- भाषण देना। उस समय उच्च स्तर पर प्रायः भाषण विधि से पढ़ाया जाता था इसीलिए उच्च शिक्षा की संस्थाओं को मदरसा कहा जाता था। भाषण का विकसित रूप है व्याख्यान और व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर करती है व्याख्यान में आए तथ्यों की व्याख्या पर। उस समय मदरसों में सैद्धान्तिक विषयों का शिक्षण प्रायः इन तीनों विधियों के संयुक्त रूप से ही किया जाता था।

3. तर्क विधि- इस विधि का प्रयोग दर्शन एवं तर्कशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण के लिए किया जाता था। यह तर्क विधि वैदिक कालीन तर्क विधि और बौद्ध कालीन तर्क विधि से कुछ भिन्न थी। इसमें प्रत्यक्ष उदाहरणों और इस्लामिक सिद्धान्तों का विशेष महत्त्व था।

4. स्वाध्याय विधि- मुसलमान बादशाहों ने मुख्य ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करने पर खुल कर पैसा खर्च किया और इनके रख-रखाव के लिए बड़े-बड़े पुस्तकालयों का निर्माण कराया। परिणामतः स्वाध्याय के अवसर सुलभ हुए। छात्र इन पुस्तकालयों में बैठकर इन पुस्तकों का अध्ययन करते थे।

5. प्रदर्शन, प्रयोग एवं अभ्यास विधि- यह विधि अनुकरण विधि का ही विकसित रूप है। इसका प्रयोग प्रायोगिक विषयों, कला-कौशलों और व्यवसायों की शिक्षा के लिए किया जाता था। शिक्षक सर्वप्रथम यथा वस्तु अथवा क्रिया का प्रदर्शन करते थे, शिक्षार्थी देखते थे और देखकर उसके स्वरूप को समझते थे। इसी प्रकार वे क्रियाओं को करके दिखाते थे, छात्र ठीक उसी प्रकार उन क्रियाओं को करते थे, बार-बार करते थे और उन्हें सीखते थे।

1.4.3 शिक्षक (गुरु) व शिक्षार्थी Teacher and students

शिक्षक

वैदिक काल में अति विद्वान, स्वाध्यायी, धर्मपरायण और सच्चरित व्यक्ति ही गुरु हो सकते थे। ये अतिज्ञानी के साथ-साथ अति संयमी भी होते थे। उस समय इन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये देव रूप में प्रतिष्ठित थे। इन्हें धियावसु (जिसकी बुद्धि ही धन है), सत्यजन्मा (सत्य को जानने वाला) और विश्ववेदा (सर्वज्ञ) आदि विशेषणों से सम्बोधित किया जाता था। ये अपने गुरुकुलों के पूर्ण स्वामी होते थे, पर पूर्ण स्वामित्व के साथ पूर्ण उत्तरदायित्व जुड़ा था। ये अपने गुरुकुलों की सम्पूर्ण

व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। अपने शिष्यों के आवास, भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था करते थे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करते थे और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे।

बौद्ध काल में प्राथमिक एवं उच्च, दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। उस काल में बौद्ध भिक्षु ही शिक्षण कार्य करते थे और जो बौद्ध भिक्षु शिक्षण कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय (उपाध्याय) कहा जाता था। उपाध्याय बनने के लिए पहली अनिवार्यता थी- उच्च शिक्षा के बाद 8 वर्ष तक बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त करना, दूसरी अनिवार्यता थी- बौद्ध धर्मावलम्बी होना, तीसरी अनिवार्यता थी- आजीवन अविवाहित रहना और चौथी अनिवार्यता थी- बौद्ध संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना। उस समय अति विद्वान, आत्मसंयमी और चरित्रवान भिक्षु ही उपाध्याय हो सकते थे। बौद्ध उपाध्याय अपने शिष्यों (श्रमणों) के आवास एवं भोजन की व्यवस्था करते थे, उनका ज्ञानवर्द्धन करते थे।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा में इस्लाम धर्म को मानने वाले, अरबी और फारसी के विद्वान और अपने विषय के अच्छे जानकार व्यक्ति ही शिक्षक पद पर नियुक्त किए जाते थे। नियुक्ति के बाद वे अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव सचेष्ट रहते थे। पर साथ ही ये भारी वेतन पाते थे और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे। यही कारण है कि उस समय उन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।

शिक्षार्थी (श्रमण, सामनेर) Students

वैदिक काल में गुरु और शिष्यों के बीच बहुत मधुर सम्बन्ध था। गुरु शिष्यों को पुत्रवत् मानते थे और शिष्य गुरुओं को पितातुल्य मानते थे।-उपर से प्रेम बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। वैदिक काल में गुरुकुलों की व्यवस्था गुरु और शिष्य दोनों संयुक्त रूप से करते थे। यहाँ गुरुओं के शिष्यों के प्रति और उत्तरदायित्वों एवं कार्यों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

बौद्ध काल में शिक्षार्थियों को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। इन्हें बौद्ध मठों एवं विहारों में रहना अनिवार्य था। ये बौद्ध मठों एवं विहारों के नियमों का कठोरता से पालन करते थे। इन्हें मूल रूप से दस आदेशों का पालन करना होता था। ये दस आदेश थे-

(1) अहिंसा का पालन करना, (2) निन्दा न करना, (3) सत् आहार लेना, (4) सत्य बोलना, (5) मादक पदार्थों का सेवन न करना, (6) पराई वस्तु ग्रहण न करना, (7) श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, (8) सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात आदि कीमती दान न लेना, (9) शुद्ध आचरण करना और (10) नृत्य एवं संगीत आदि से दूर करना।

मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को मकतब तथा मदरसों में शिक्षकों के कठोर अनुशासन में रहना होता था, उन्हें किसी प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। पर इस काल में वे वैदिक एवं

बौद्ध काल की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे, आरामदायक जीवन जीते थे। छात्रावासों में कालीनों पर सोते थे और भोजन में चपाती, पुलाव और विरयानी खाते थे। व अरबी फारसी का मेहनत से अध्ययन करते थे।

1.4.4 परीक्षाएँ एवं उपाधियाँ (Examination and Degree)

वैदिक काल में आज की तरह की परीक्षाएँ नहीं होती थीं। सर्वप्रथम तो गुरु ही मौखिक रूप से प्रश्न पूछ कर यह निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की सभा में उपस्थित किया जाता था। ये विद्वान इन छात्रों से प्रश्न पूछते थे और सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल घोषित करते थे। वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाणपत्र नहीं दिए जाते थे, उनकी योग्यता ही उनका प्रमाणपत्र होती थी। परन्तु जो छात्र गुरुकुलों का 12 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम अथवा किसी एक वेद का अध्ययन पूरा कर लेते थे उन्हें स्नातक, जो 24 वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं दो वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें वसु, जो 36 वर्षीय पाठ्यक्रम (किन्हीं तीन वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें रुद्र और जो 48 वर्षीय पाठ्यक्रम (चारों वेदों का अध्ययन) पूरा कर लेते थे उन्हें आदित्य कहा जाता था।

बौद्ध काल में आज की तरह परीक्षाएँ नहीं होती थीं। प्राथमिक स्तर पर तो अधिकारी शिक्षक सन्तुष्ट होने पर उन्हें सफल उद्घोषित करते थे। इस स्तर पर उत्तीर्ण छात्रों की किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था। उच्च स्तर पर भिक्षुओं (शिक्षकों) का एक पैनल छात्रों की मौखिक रूप से परीक्षा लेता था और सफल छात्रों को उपाधियाँ दी जाती थीं।

मुस्लिम काल में मदरसों में आज जैसी परीक्षाएँ नहीं होती थीं। शिक्षा पूरी करने पर शिक्षकों की संस्तुति पर ही किसी छात्र को सफल घोषित किया जाता था। इन मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को आमिल, अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को काबिल और तर्क तथा दर्शनशास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को फाजिल की उपाधियाँ दी जाती थीं। उस काल में काबिल उपाधि प्राप्त व्यक्तियों को ही शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था।

1.4.5 स्त्री शिक्षा-Women Education

वैदिक काल में स्त्रियों को किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त था परन्तु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार शिक्षा ही दी जाती थी। शूद्र वर्ण की स्त्रियों को तो ब्राह्मणीय व्यवस्था ने धूर्तता से उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। आज भी ब्राह्मणी व्यवस्था की इनके विकास को नहीं चाहती है इनके विकास में बाधक बनाती है लेकिन आज इस वर्ग की कन्या शिक्षा, मेहनत व तर्क के बल पर बड़े से बड़े मुकाम पर पहुँचकर संसार के विकास में अपना योगदान कर रही है। अल्टेकर ने एक तथ्य यह उजागर किया है कि वैदिक काल के अन्तिम

चरण (ब्राह्मण काल) में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई थी और साथ ही उनके लिए वेदों का अध्ययन निषेध कर दिया गया था। स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में एक तथ्य यह भी है कि उस काल में स्त्रियों के लिए अलग से कोई गुरुकुल नहीं थे। परिणामतः सामान्य परिवारों की बच्चियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती थीं, केवल गुरुओं की पुत्रियाँ, रजघरानों और राज्यों में ऊँच पदों पर आसीन व्यक्तियों की पुत्रियाँ और अति धनी एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की पुत्रियाँ ही इन गुरुकुलों में प्रवेश ले पाती थीं। यँ तो उस काल में विश्वारा, अपाला, होमशा, शाश्वती और घोषा आदि अनेक विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है परन्तु वास्तविकता यह है कि उस पूरे काल में स्त्री शिक्षा बहुत सीमित थी और यदि यह कहें कि उस काल में स्त्री शिक्षा उपेक्षित रही तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस काल में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगाये जाते हैं वह काल अच्छा नहीं होता है।

बौद्ध काल में यँ तो सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी परन्तु उस काल में स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप आज से कुछ भिन्न था। अतः यहाँ उन सबका **वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।**

स्त्री शिक्षा- बौद्ध काल के प्रारम्भ में तो बौद्ध मठों एवं विहारों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था परन्तु बाद में महात्मा बुद्ध ने अपनी विमाता महाप्रजामति और अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर उनके प्रवेश की अनुमति प्रदान की। उस काल में स्त्रियों को भी पुरुषों की भाँति संघ के कठोर नियमों का पालन करना होता था। यँ सहशिक्षा मठों एवं विहारों में स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी और साथ ही कुछ मठ एवं विहारों में केवल स्त्री शिक्षा की ही व्यवस्था की गई थी परन्तु फिर भी बहुत कम बालिकाएँ इनमें प्रवेश लेती थीं। सचमुच संघ के नियमों का पालन करना बालिकाओं के लिए एक कठिन कार्य था। कुछ विद्वान इस युग की कुछ विदुषी महिलाओं- शीलभट्टारिका, विजयांका और प्रभुदेवी (कवयित्री), रानी नयनिका और रानी प्रभावती गुप्त (राजनीति की विद्वान), सम्राट अशोक की बहिन (संघमित्र) (धर्म विशेषज्ञा) और सम्राट हर्षवर्धन की बहिन (शास्त्रार्थ में निपुण) के नामों का उल्लेख कर यह बताने का असफल प्रयास करते हैं कि उस युग में स्त्री शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था, इस काल में तो स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई थी।

मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा केन्द्र मकतबों में तो लड़के-लड़कियों दोनों को प्रवेश दिया जाता था परन्तु उच्च शिक्षा के मदरसों में केवल लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता था। हाँ, शहजादियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से महलों में और शासन में उच्च पदों पर कार्यरत व्यक्तियों और धनी वर्ग के लोगों की बच्चियों की शिक्षा का प्रबन्ध व्यक्तिगत रूप से उनके अपने-अपने घरों में अवश्य होता था। उस समय पर्दा प्रथा होने के कारण लोग अपनी बच्चियों

को घर से बाहर नहीं भेजते थे। इस काल में अनेक विदुषी महिलाएँ हुईं, जिनमें बाबर की बेटी गुलबदन लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुईं, हुमायूँ की भतीजी सलीमा सुल्तान कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं, नूरजहाँ, मुमताज और जहाँआरा आदि अरबी एवं फारसी की विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुईं, रजिया बेगम और चाँदबीबी कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हुईं और औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा अरबी और फारसी की अच्छी कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हुईं, परन्तु ये सब राजघरानों से सम्बन्धित शहजादियाँ थीं। आम महिलाओं को उच्च शिक्षा के अवसर विल्कुल भी प्राप्त नहीं थे। परिणामतः इस काल में स्त्री शिक्षा और अधिक पिछड़ गई। हमारे देश की इस आधी मानव शक्ति का विल्कुल भी विकास नहीं हुआ।

1.5.1 मुख्य शिक्षा केन्द्र (Main education Center)

वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र

वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी। ये गुरुकुल प्रारम्भिक वैदिक काल में तो प्रायः जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थापित होते थे परन्तु उत्तर वैदिक काल में बड़े-बड़े नगरों और तीर्थ स्थानों पर स्थापित होने लगे थे। उस काल में तीर्थ स्थान धर्म प्रचार के केन्द्र होने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के केन्द्रों के रूप में विकसित हुए। बड़े-बड़े नगरों तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला, धार, कन्नौज, नासिक, कर्नाटक और काँची उस समय के मुख्य शिक्षा केन्द्र थे।

बौद्धकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र (Main Baudh Education Center of Bodh Periods)

बौद्ध काल में प्रायः सभी मठों एवं विहारों में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, कुछ में केवल प्राथमिक शिक्षा की, कुछ में प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों की और कुछ में केवल उच्च शिक्षा की। इनमें से तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला उस समय के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे।

मध्यकालीन मुख्य शिक्षा केन्द्र Main Education Centers in Medieval Periods

मध्यकालीन में मुस्लिम बादशाहों ने अपने राज्यों के मुख्य नगरों में बड़े-बड़े मदरसे और पुस्तकालयों का निर्माण कराया और इन्हें उच्च शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। यहाँ मध्यकालीन कुछ मुख्य शिक्षा केन्द्रों का वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

1. दिल्ली- दिल्ली का सबसे प्रथम मुसलिम बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने गद्दी पर बैठते ही दिल्ली में कई मस्जिदें बनवाई और इन्हें इस्लामी शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ऐबक गद्दी पर बैठा। उसने दिल्ली में मदरसा-ए-मुअज्जी की स्थापना की। मुगल वंश के पंचम बादशाह शाहजहाँ ने भी दिल्ली की जामा मस्जिद के निकट एक बड़े मदरसे की

स्थापना की जिसमें संगीत और काव्य की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। दिल्ली उस काल में इस्लामी शिक्षा का विश्वविख्यात केन्द्र था।

2. फिरोजाबाद- खिलजी वंश के बाद भारत में 1320 में तुगलक वंश का राज्य स्थापित हुआ। फिरोज तुगलक ने अपने शासन काल में 30 मदरसे स्थापित किए थे। इन मदरसों में फिरोजाबाद का फिरोजशाही मदरसा उस समय का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। आज भी फिरोजाबाद मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

3. बदायूँ- तुगलक वंश के पतन के बाद 1441 में भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। इस वंश के अन्तिम बादशाह सैयद अलाउद्दीन ने बदायूँ में अनेक मकतब और मदरसों का निर्माण कराया और इसे दिल्ली की तरह मुस्लिम शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित किया। आज भी बदायूँ मुस्लिम शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है।

4. आगरा एवं फतेहपुर सीकरी- 1451 में भारत में लोदी वंश का शासन स्थापित हुआ। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य के तृतीय बादशाह अकबर ने भी आगरा और फतेहपुर सीकरी में बड़े-बड़े मकतब और मदरसे स्थापित किए। उसने इन मदरसों के पाठ्यक्रमों में तर्कशास्त्र, गणित, भूमिति, रेखागणित, नक्षत्र विद्या, लेखाशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और कृषि शिक्षा को सम्मिलित किया। एक मदरसे में केवल यूनानी चिकित्साशास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आगरा उस समय चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र था।

5. मालवा- मालवा राज्य के संस्थापक महमूद ने इसे मुस्लिम शिक्षा के उच्च केन्द्र के रूप में विकसित किया। मालवा में स्त्री शिक्षा के लिए एक अलग मदरसा था। यहाँ के मदरसे कला और संगीत की उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। पर राज्य संरक्षण समाप्त होते ही यहाँ के मदरसों की स्थिति बिगड़ गई।

6. बीदर- बीदर दक्षिण भारत में बहमनी राज्य का प्रमुख नगर था। महमूद गावा ने यहाँ कई बड़े-बड़े मदरसों की स्थापना की थी। उसने यहाँ एक विशाल पुस्तकालय का निर्माण भी कराया था जिसमें इस्लाम धर्म और संस्कृति, ज्योतिष, इतिहास, कृषि और यूनानी चिकित्साशास्त्र की 30 हजार पुस्तकें थीं। पर बहमनी वंश के प्रभाव के साथ-साथ इस शिक्षा केन्द्र का वैभव भी समाप्त हो गया।

अपनी उन्नति जानिए (Check your Progress)

प्रश्न 1 वेदों में सबसे प्राचीन है?

प्रश्न 2 विद्यारम्भ संस्कार कितने वर्ष की आयु पर किया जाता था?

प्रश्न 3 वैदिक कालीन में मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।?

प्रश्न 4 वैदिक कालीन में शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना कैसा कदम था?

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न 5 बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी ?

- (1) संस्कृत (2) पाली (3) प्राकृत (4) अपभ्रंश

प्रश्न 6 बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केन्द्र कौन सा था ?

- (1) तक्षशिला (2) नालन्दा (3) विक्रमशिला (4) वल्लभी

प्रश्न 7 बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिशु शिक्षा सामान्यतः कितने वर्ष की थी?

- (1) 6 वर्ष (2) 8 वर्ष (3) 12 वर्ष (4) 25 वर्ष

प्रश्न 8 संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था ?

- (1) तक्षशिला (2) नालन्दा (3) वल्लभी (4) विक्रमशिला

प्रश्न 9 मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी' रस्म किस आयु पर होती थी ?

- (a) 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन (b) 5 वर्ष, 5 माह, 5 दिन
(c) 6 वर्ष, 6 माह, 6 दिन (d) 8 वर्ष, 8 माह, 8 दिन

प्रश्न 10 मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी ?

- (a) मकतबों (b) मदरसों
(c) खानकाहों (d) दरगाहों

1.6 सारांश(Summary)

वैदिक शिक्षा प्रणाली आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का नींव का पत्थर है। उसी के आधार पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है। सच बात तो यह है कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी और संस्कृति से हम अलग हो नहीं सकते। उसके कुछ तत्व ग्रहणीय हैं और कुछ तत्व त्याज्य हैं। उसके ग्रहणीय तत्वों को ही हम उसके गुण मानते हैं और त्याज्य तत्वों को दोष। उसके ग्रहणीय तत्वों में मुख्य हैं- निःशुल्क शिक्षा, व्यापक उद्देश्य, व्यापक पाठ्यचर्या, गुरु-शिष्यों का अनुशासित जीवन, गुरु-शिष्यों के बीच मधुर सम्बन्ध और शिक्षण संस्थाओं की संस्कारप्रधान पद्धति। बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की संसार की सर्वश्रेष्ठ

शिक्षा प्रणाली थी परन्तु आज के भारतीय समाज के स्वरूप एवं उसकी भविष्य की आकांक्षाओं एवं सम्भावनाओं की दृष्टि से उसके कुछ तत्त्व ग्रहणीय हैं बौद्ध काल में एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। यह अपने कुछ अनुकरणीय पद चिह्न अवश्य छोड़ गई। बस उन्हीं को हम आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में उसका योगदान मान सकते हैं।

मध्यकालीन में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ जिसे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली कहते हैं। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली इसलिए कि यह मुस्लिम धर्म और संस्कृति पर आधारित थी। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के विकास में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का भी काफी योगदान है। आज देश भर में जो मकतब और मदरसे दिखाई दे रहे हैं, वे इसी शिक्षा प्रणाली के अवशेष हैं। आज जो देश में इस्लाम धर्म की शिक्षा के केन्द्र दिखाई दे रहे हैं, वे भी इसी शिक्षा प्रणाली की देन हैं। देवबन्द का दारुलउलम तो इस्लाम धर्म की शिक्षा का विश्वविख्यात केन्द्र है, देश-विदेश के इस्लाम धर्मावलम्बी इसमें शिक्षा प्राप्त करते हैं। अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा की व्यवस्था की निरन्तरता इसी प्रणाली का फलता-फूलता फल है। परोक्ष रूप में भी इस शिक्षा प्रणाली का अपना कुछ योगदान है। यँ उसमें कुछ बातें ऐसी थीं जो किसी भी शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में भी हमें देखने को मिल रही है जैसे- शिक्षा की व्यवस्था में राज्य और समाज का सहयोग, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था और समस्त ज्ञान-विज्ञान की उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था।

1.7 शब्दावली (Glossary)

परा (आध्यात्मिक) पाठ्यचर्या- इसके अन्तर्गत वैदिक साहित्य (वेद, वेदांग एवं उपनिषद्), धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र का अध्ययन और इन्द्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, सन्ध्यावन्दन और यज्ञादि क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था।

खानकाहें- ये प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र थे इनमें केवल मुसलमान बच्चों ही प्रवेश ले सकते थे। इनका व्यय दान से प्राप्त धनराशि से चलाया जाता था।

दरगाहें- ये भी प्राथमिक शिक्षा केन्द्र थे। इनमें भी केवल मुसलमान बच्चों को प्रवेश दिया जाता था।

1.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

उत्तर 1 वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है।

उत्तर 2 बच्चे का विद्यारम्भ संस्कार लगभग 5 वर्ष की आयु पर किसी शुभ दिन किया जाता था।

उत्तर 3 वैदिक कालीन में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था।

उत्तर 4 शूद्रों को उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना जन शिक्षा विरोधी कदम था।

उत्तर 5 पाली

उत्तर 6 तक्षशिला

उत्तर 7 8 वर्ष

उत्तर 8 तक्षशिला

उत्तर 9 (1) 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन

उत्तर 10 (b) मदरसों

1.9 सन्दर्भ पुस्तके (Book Reference)

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा।
- ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा।
- iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।
- iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

1.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay-type question)

प्रश्न 1. वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे ? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए?

प्रश्न 2. वैदिक कालीन मुख्य शिक्षा केन्द्रों का सामान्य परिचय दीजिए?

प्रश्न 3. बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 4. आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में बौद्ध शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है? सप्रमाण उत्तर दीजिए।

प्रश्न 5. मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? आज के युग में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए।

प्रश्न 6. मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी? मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच कैसे सम्बन्ध थे?

इकाई – 2 वुड के घोषणा पत्र की संस्तुति -1854 (Recommendation of Wood's Despatch 1854)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

2.2 उद्देश्य (Objectives)

2.3 वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा नीति (Education policy through Wood's Despatch)

2.3.1 शिक्षा का संगठन (Organization of Education)

2.3.2 शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Education)

2.3.3 शिक्षा की पाठ्यचर्या (Curriculum of education)

- 2.3.4 शिक्षण विधि (Teaching Method)
- 2.4 शिक्षण विधि (Teaching Method)
 - 2.4.1 शिक्षण संस्थाएँ (Educational Institutions)
 - 2.4.2 जन शिक्षा (Public Education)
 - 2.4.3 स्त्री शिक्षा (Women's Education)
 - 2.4.4 मुसलमानों की शिक्षा (Education of Muslims)
 - 2.4.5 व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)
 - 2.4.7 धार्मिक शिक्षा (Religious Education)
- 2.5 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण- दोष विवेचना
 - 2.5.1 वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियाँ (Shortcomings of Wood's Manifesto (Education Policy))
- 2.6 सारांश (summary)
- 2.7 शब्दावली (Glossary)
- 2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice question)
- 2.9 सन्दर्भ (Reference)
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay-type question)

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार व शासन को सुदृढ़ बनाने का रहा था यद्यपि कम्पनी पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण था। तथापि ब्रिटिश सरकार प्रत्येक 20 वर्ष बाद कम्पनी के लिए नया घोषणा पत्र जारी करती थी जब नया घोषणा पत्र जारी करने का अवसर आया तब ब्रिटेन के राजनीतिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जाने लगा था कि भारतीयों की शिक्षा अवेहलना अब नहीं की जा सकती है। अतः ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति की नियुक्ति की। समिति ने भारतीय शिक्षा से सम्बन्धित एक शिक्षा नीति तैयार कर संसद के सम्मुख पेश की। इस पर चर्चा हुई और उसके आधार पर भारत के लिये शिक्षा नीति निश्चित की गई। उस समय सर चार्ल्स वुड (Charl's wood) कम्पनी के बोर्ड आफ कन्ट्रोल के प्रधान के नाम पर ही वुड का

घोषणा पत्र कहा जाता है। उन्होंने 19 जुलाई 1854 को इस नीति की घोषणा की। इसलिये इसे उन्ही के नाम पर वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। यह घोषणा पत्र 100 अनुच्छेदों का एक लम्बा अभिलेख है। इस घोषणा पत्र के नाम पर लिखा है कि इतिहास में एक नये उपकाल की शुरुवात हुई यही कारण ही कि कुछ लोगो ने इस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र (Magna Carta) कहा है। इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना है

2.2 उद्देश्य Objectives

वुड घोषणा पत्र की शिक्षा नीति का ज्ञान कराना।

वुड घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट कराना।

वुड घोषणा पत्र के प्रमुख गुणों से छात्रों को लाभान्वित कराना।

वुड घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में योगदान।

2.3 वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा नीति

वुड के घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा नीति को एक नया रूप दिया गया था। उस नई तथा नीति को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं।

शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त

शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में इस नीति में 3 घोषणाएँ की गईं-

1. शिक्षा का उत्तरदायित्व कम्पनी (सरकार) पर - इस शिक्षा नीति में कम्पनी शासित भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी (सरकार) का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया। उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया कि कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा। यह हमारा एक पवित्र कर्तव्य है।

2. जन शिक्षा विभाग की स्थापना - इस शिक्षा नीति में भारत के कम्पनी शासित प्रान्तों में जन शिक्षा विभाग (Department of Public Instruction) की स्थापना घोषणा की गई। यह भी घोषणा की गई कि इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी जन निदेशक (Director of Public Instruction) होगा और इसकी सहायता के लिये उपसंचालक, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति होगी। वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रान्त को प्रान्त की शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी।

3. सहायता अनुदान प्रणाली- इस नीति में पहली बार देशी और विदेशी सभी शिक्षा संस्थाओं को बिना धार्मिक भेद-भाव के आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई और आर्थिक सहायता को विभिन्न मदों- भवन निर्माण, शिक्षकों के और छात्रवृत्तियों आदि में देने का प्रावधान किया गया।

2.3.1 शिक्षा का संगठन

शिक्षा के संगठन के विषय में इस नीति में दो घोषणाएँ की गईं-

1. शिक्षा का संगठन चार स्तरों में- इस नीति में भारतीय शिक्षा को चार स्तरों - प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल और उच्च में संगठित करने की घोषणा की गई।
2. क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना- इस शिक्षा नीति में शिक्षा के उपर्युक्त संस्थाओं के लिए क्रमबद्ध विद्यालयों- प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल, कॉलिज और विश्वविद्यालयों में स्थापना की घोषणा की गई। इस क्रमबद्ध विद्यालय योजना को प्रायः निम्नांकित रेखाचित्र दर्शाया जाता है-

प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल, कॉलिज, विश्वविद्यालय

2.3.2 शिक्षा के उद्देश्य

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट किए गए उन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं-

1. भारतीयों का मानसिक विकास करना और उनके बौद्धिक स्तर को ऊँचा उठाना।
2. भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराना और उनकी भौतिक उन्नति करना।
3. भारतीयों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना और भारत में अंग्रेजी माल की माँग बन्द करना ।
4. भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना।
5. राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।

2.3.3 शिक्षा की पाठ्यचर्या

इस घोषणापत्र (शिक्षा नीति) में पाठ्यचर्या के सन्दर्भ में निम्नलिखित घोषणा की गई -

1. प्राच्य भाषा एवं साहित्य को स्थान - इसमें भारतीयों के लिये प्राच्य भाषा एवं साहित्य के महत्व को स्वीकार किया गया और उन्हें पाठ्यचर्या में उचित स्थान देने की घोषणा की गई। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि प्राच्य भाषा और साहित्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को विशेष स्थान - इस शिक्षा नीति में भारतीयों की भौतिक उन्नति के लिये

पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान की शिक्षा को अति आवश्यक बताया गया और उसे पाठ्यचर्या में विशेष स्थान देने पर बल दिया गया। घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं। कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है - यूरोपीय ज्ञान।

3. धर्मिक शिक्षा की सीमित छूट - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में मिशन स्कूलों को धार्मिक शिक्षा की छूट दी गई और सरकारी स्कूलों में धार्मिक तथ्यस्थता की नीति का पालन किया गया। पर साथ ही इन सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाईबिल रखना अनिवार्य कर दिया गया।

2.4 शिक्षण विधि(Teaching Method)

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में निम्नलिखित नीति की घोषणा की गई-

1. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ और अंग्रेजी- इस घोषणा पत्र में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए देशी भाषाओं और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि- हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते-फूलते देखना चाहते हैं।

2. उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी- घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राच्य भाषाएँ इतनी विकसित नहीं हैं कि उनके माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा दी जा सके अतः उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी ही शिक्षा के लिये अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम होगी।

शिक्षक - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षकों के स्तर उठाने पर बल दिया गया और इसके लिये शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कही गई।

शिक्षार्थी- इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में किसी भी प्रकार के विद्यालयों में बढ़ने वाले निर्धन छात्रों के लिये छात्रवृत्तियाँ देने का प्रावधान किया गया।

2.4.1 शिक्षणसंस्थाएँ-

शिक्षण संस्थाएँ के विषय में इस नीति में निम्नलिखित घोषणाएँ की गई-

1. विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना- इस शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी (सरकार) का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया और कम्पनी से यह अपेक्षा की गई कि वह आवश्यकतानुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओं की स्थापना करे।

2. व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना - इस शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई।

3. विश्वविद्यालयों की स्थापना - उस समय हमारे में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थे। इस घोषणा की गई कि भारत में लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकता और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और इसके बाद आवश्यकतानुसार मद्रास और अन्य स्थानों पर भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया जाएगा और योग्य एवं अनुभवी कुलपती एवं प्राध्यापक नियुक्त किये जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में प्राच्य एवं पाश्चात्य भाषा एवं साहित्यों, विधि और इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही महाविद्यालयों को इनसे सम्बद्ध किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करेंगे, उन पर नियन्त्रण रखेंगे, उनके छात्रों की परीक्षा लेंगे और उत्तीर्ण छात्र को प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे।

2.4.2 जन शिक्षा –

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में जन शिक्षा के प्रसार की घोषणा की गई और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 5 निर्णयों की घोषणा की गई-

1. निष्पन्दन सिद्धान्त को निरस्त किया जाता है। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए नहीं सबके लिए सुलभ कराई जाएगी।
2. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि की जाएगी।
3. निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएगी।
4. जन शिक्षा के प्रसार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों (देशी और मिशनरी प्रयासों) को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
5. भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा, यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया जाएगा और अच्छे अनुवादको को पुरस्कृत किया जाएगा।

2.4.3 स्त्री शिक्षा-

इस घोषणा पत्र- (शिक्षा नीति) में स्वीकार किया गया कि भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने और उसकी भैतिक उन्नति करने के लिये स्त्री शिक्षा की अति आवश्यकता और इसके विकास हेतु निम्नलिखित घोषणाएँ की गई

- (1) बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान (सरकारी सहायता) दिया जाएगा।
- (2) स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने हेतु व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.4.4 मुसलमानों की शिक्षा -

इस घोषणापत्र (शिक्षा नीति) में यह स्वीकार किया गया कि भारत में हिन्दूओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार बहुत कम है और इनको शिक्षा के प्रसार के लिये निम्नलिखित घोषणाएँ की गई -

- (1) मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष स्कूल खोले जाएंगे।
- (2) मुसलमान बच्चों को स्कूलों की ओर आकर्षित किया जाएगा।

2.4.5 व्यावसायिक शिक्षा-

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। इस सम्बन्ध में दो घोषणाएँ की गई।

- (1) भारत में व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी।
- (2) शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी।

2.4.6 शिक्षक शिक्षा-

इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में शिक्षा का स्तर के लिये शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणाएँ की गई।

- (1) भारत में इंग्लैण्ड के शिक्षक प्रशिक्षण की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
- (2) यह प्रशिक्षण सामान्य शिक्षकों, विधि शिक्षकों और चिकित्सा शिक्षकों के लिये अलग-अलग होगा।
- (3) शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की जाएगी।

2.4.7 धार्मिक शिक्षा

धार्मिक शिक्षा के सम्बन्ध में इसमें एक ओर धार्मिक तटस्थता की नीति की बात कही गई और दूसरी मिशन स्कूलों को धर्म शिक्षा देने की छूट दी गई और सभी सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों में बाइबिल रखना अलिवाय किया गया।

2.5 वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष

किसी भी वस्तु, विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन किन्हीं निश्चित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्राकिया है, विकास की प्रक्रिया है। अतः किसी भी शैक्षिक विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन समाज विशेष की तत्कालीन परिस्थितियों आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और सम्भावनाओं के आधार पर किया जाना चाहिये। हम यहां वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) 1854 का मूल्यांकन अथवा गुण-दोष विवेचन भारतीय समाज के सन्दर्भ में ही करेंगे।

वुड का घोषणा पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र प्रमुख गुण

Wood's dispatch the Magnacarta of Indian Education mainmerites

वुड का घोषणा-पत्र शिक्षा का महाधिकार पत्र निम्न आधारों पर कहलाता है-

- (1) शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर (Responsibility of Education on Government) - भारत में प्रथम बार यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य (सरकार) का उत्तरदायित्व है। आज की परिस्थितियों में तो यह अति आवश्यक हो गया है।
- (2) शिक्षा विभाग की स्थापना (Establishment of education Department) - शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होने की स्थिति में इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिये राज्य में शिक्षा विभाग होना भी आवश्यक था। वुड के घोषणा पत्र में प्रत्येक प्रान्त में जन-विभाग की स्थापना की घोषणा किया जाना उसका दूसरा बड़ा गुण था। वर्तमान में शिक्षा विभाग को इतना विस्तृत किया गया है कि उसके अभाव में शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से की ही नहीं जा सकती।
- (3) सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारम्भ (Beginning of Grants in Aid System) - शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा किया जाना असम्भव ही है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं को अर्थिक सहायता देने का प्रारम्भ और वह भी नियमानुसार और कुछ शर्तें पूरी करने पर, इस घोषणा पत्र द्वारा घोषित नीति का तीसरा गुण था। उसी सहायता अनुदान प्रणाली को हम आज भी चला रहे हैं यह बात अन्य है कि थोड़े परिवर्तित रूप में यह कार्य हो रहा है।
- (4) निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान (Provision of giving scholarship to poor students)- अल्प साधन होते हुए भी निर्धन छात्रों के लिये छात्रों के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान इसका प्रशंसनीय था।
- (5) शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तरों में (Organization of Education in Physical Education)- पहले से हमारे देश में शिक्षा केवल दो ही स्तरों में विभाजित चली आ रही थी- प्राथमिक और उच्च। इस घोषणा पत्र में छात्रों की आयु अर्थात् उनकी मनोवैज्ञानिक भिन्नता के

आधार पर उसे प्राथमिक (शिशु) मीडिल (बाल), हाईस्कूल (किशोर) और उच्च (युवा) में संगठित किया गया।

(6) क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Foundation of Grade Institution) शिक्षा के विभिन्न स्तरों - मीडिल, हाई स्कूल और उच्च के लिये अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा किया जाना इसका महत्वपूर्ण गुण था।

(7) भारतीयों के नैतिक विकास पर बल (Emphasis on Moral Development of Indians) - इस घोषणा पत्र में शिक्षा के पाँच उद्देश्य निश्चित किये गये थे।

(क) भारतीयों का मानसिक विकास,

(ख) भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान से परिचित कराना।

(ग) भारतीयों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाना।

(घ) भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना,

(ङ) राज्य के लिये सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना।

यह उद्देश्य ऐसा उद्देश्य था जो हमारी संस्कृति की पहचान है। इसके विकास के कारण ही हम देश की स्वतन्त्रता के लिये आगे बढ़े।

(8) पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के ज्ञान पर बल (Emphasis on Western Knowledge) - इस घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया- 'हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह है- यूरोपीय ज्ञान'। अब इसके पीछे उनका उद्देश्य चाहें कुछ भी रहा हो पर इसके परिणाम भारत और भारतवासियों के हित में रहें। अतः इसे भी इस नीति का गुण ही मानना चाहिये।

(9) सभी प्रकार के विद्यालयों- प्राच्य और पाश्चात्य के विकास पर बल (Emphasis on the development of all kinds of school – Oriental and Occidental) घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया - 'हम भारत में देशी, मिशनरी और सरकारी सभी प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को फूलते - फलते देखना चाहते हैं। 'वर्तमान में भारतीय सरकार को तो इस नीति को हृदय में अपनाना आवश्यक है।

(10) विश्वविद्यालयों की स्थापना (Foundation of Universities)-

घोषणा पत्र में भारत में विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। उस समय केवल कलकता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आज देश भर में विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

(11) निस्पन्दन सिद्धान्त की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल (Cessation of filtration theory and Emphasis on Mass Education) - मैकाले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बैंटिक और उसके बाद लॉर्ड ऑकलैण्ड द्वारा स्थापित भेदभावपूर्ण निस्पन्दन सिद्धान्त को निरस्त कर दिया गया और शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने पर बल दिया गया। वर्तमान में भारत में तो यह प्रमुख आवश्यकता है।

(12) स्त्री शिक्षा पर बल (Emphasis on Women education) - देश की उन्नति के लिये स्त्री शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गयी और उसके लिये बालिका विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई। आज यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

(13) मुसलमानों की शिक्षा पर बल (Emphasis on muslim Education) उस समय मुसलमान बच्चे इस अंग्रेजी शिक्षा की ओर कम आकर्षित हो रहे थे। अंग्रेजी ने इस समस्या को घोषणा की कि मुसलमानों की शिक्षा के लिये अतिरिक्त प्रबन्ध किये जायेंगे। यह स्थिति आज भी बनी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये।

(14) व्यावसायिक शिक्षा पर बल (Emphasis on Vocational Education) - अंग्रेजी ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत की आर्थिक उन्नति के लिये व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है। वर्तमान में शिक्षाविद् रोजगारपरक शिक्षा पर बल दे रहे हैं।

(15) शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था (Arrangement of Teacher education) - निसन्देह उस समय तक इस देश में मिशनरियों द्वारा एक दो शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जा चुके थे परन्तु उनमें दिया जाने वाला प्रशिक्षण अपने ही प्रकार का था। इस नीति में यह घोषणा की गई कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिये इंग्लैण्ड की तरह के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायेंगे। वर्तमान में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालय आज भी उसी आधार पर चल रहे हैं।

2.5.1 वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियाँ (Shortcoming of weakness)

वुड के घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) की कमियों अथवा दोषों का वर्णन निम्न प्रकार है-

(1) शिक्षा कम्पनी (ब्रिटिश शासन) के नियन्त्रण में (Education under the control of company)- शिक्षा की व्यवस्था करना कम्पनी का उत्तरदायित्व घोषित होने पर शिक्षा पर उनका नियन्त्रण होना स्वाभाविक था। उनके द्वारा ईमानदारी से भारतीयों का हित साधा जाना तर्क संगत न था।

(2) शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का प्रारम्भ (Beginning of Red-Tapism in the field of education)- शिक्षा विभाग की स्थापना का अर्थ लाल-फीताशाही का श्रीगणेश था। उस समय

इस विभाग में ऊँचे पदों पर तो अंग्रेज ही नियुक्त होते थे और कनिष्ठ पदों पर अंग्रेजभक्त। इनसे भारतीयों के हितार्थ सामान्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी।

(3) सहायता अनुदान की कठोर शर्तें (Harsh condition of grant in Aid)- सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारम्भ एक अच्छा कदम था, परन्तु इसको प्राप्त करने के लिए विद्यालयों को अनेक शर्तें पूरी करनी होती थीं, जो इतनी अधिक और कठोर थी कि प्राच्य विद्यालय इसका कम लाभ उठा पाए।

(4) शिक्षा का उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास (The objective of education, the development of western culture and civilization)-इस नीति में शिक्षा के पाँच उद्देश्य निश्चित किए गये थे। यद्यपि उनमें यह उद्देश्य घोषित नहीं किया गया, तथापि वास्तव में इन सबके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य भारत में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास ही था।

(5) पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को अधिक महत्व (More importance of Western knowledge)- अंग्रेजों को अपनी भाषा, अपने साहित्य और अपने ज्ञान-विज्ञान को श्रेष्ठ समझना स्वाभाविक था, पर उन्होंने यह विचार कभी नहीं किया कि भारतीयों के लिए क्या श्रेष्ठ है। इसका दुर्गामी कुप्रभाव यह रहा कि भारतीयों में हीनता की भावना विकसित हुई, जिससे वे अभी तक नहीं निकल पाए हैं।

(6) उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी (Only English Medium of Higher Education) - इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में प्राच्य भाषाओं और अंग्रेजी दोनों को शिक्षा का माध्यम बनाने की घोषणा थी। इसके साथ ही पाश्चात्य ज्ञान- विज्ञान को प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के सम्बन्ध में कहा गया था परन्तु उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही रखा गया था। परिणामतः सामान्य वर्ग के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित ही रहे।

(7) सरकारी स्कूलों में बाईबिल अनिवार्य -(Bible Compulsory in government school) - शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तथ्यस्थता की नीति की घोषणा की गई थी। पर स्कूलों के पुस्तकालयों में बाईबिल की प्रतियाँ अनिवार्य रूप से रखने का आदेश दिया गया था।

(8) ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूलों में धर्म शिक्षा देने की छूट (Christian missionaries at liberty in imparting religious education in their school) ईसाई मिशनरियों की माँग पर इस शिक्षा नीति में उन्हें धार्मिक शिक्षा देने की छूट दी गई। यद्यपि किसी भी धर्म की शिक्षा जबरन न देने का सुझाव दिया गया। तथापि यह आवरण मात्र था।

(9) सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी जानना आवश्यक Knowing English essential for government service - घोषणा यह की गई थी कि यदि अभ्यर्थियों में अन्य योग्यताएँ समान हो

तो अंग्रेजी जानने वालों को सरकारी नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। वास्तव में इसका आशय अंग्रेजी के ज्ञान की अनिवार्यता से

अपनी उन्नति जानियें (check your progress)

रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-

1. वुड के घोषणा पत्र सन् 1854 को घोषित किया गया।
 2. घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकारी स्कूल में..... नामक धार्मिक पुस्तक का रखना अनिवार्य है।
 3. देशी प्राथमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूल के मध्य स्कूल रखें गये।
 4. यदि अभ्यर्थियों में अन्य योग्यतायें समान हों तो.....जानने वालों को वरियता दी जायेगी।
- ही थी।

सत्य/असत्य कथन

5. घोषणा पत्र में कहा गया कि बालिका विद्यालयों को विशेष अनुदान दिया जाएगा।
6. शिक्षण संस्थानों को आर्थिक सहायता देने हेतु सहायता अनुदान प्रणाली को प्रचालित करने का सुझाव दिया गया।
7. शिक्षा के कम्पनी का उत्तरदायित्व घोषित होने का तात्पर्य था कम्पनी का शिक्षा पर नियन्त्रण।
8. परीक्षाओं को सर्वोपरि स्थान देने से शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन न रहा।

बहुविकल्पीय प्रश्न -

सही उत्तर का चयन कीजिये

9. शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी ?
 - (1) ब्रिटिश सरकार (2) कम्पनी
 - (3) चार्ल्स वुड (4) इनमें से कोई नहीं।
10. शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी ?
 - (1) मैकाले (2) विलियम बैटिक

(3) ऑकलैण्ड (4) चार्ल्स वुड

11. भारत के सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी ?

(1) कम्पनी मुख्यालय पर (2) प्रान्तों के मुख्यालयों पर,

(3) कम्पनी शासित जिलों में (4) पूरे देश में

2.6 सारांश (summary)

वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा के प्रति योगदान (Contribution of education policy consisted in Wood's Despatch to Indian education)

वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति में भारतीय शिक्षा के विकास के योगदान को हम दो भागों में देख या समझ सकते हैं तत्कालीन प्रभाव और दीर्घकालीन प्रभाव। इनका वर्णन निम्न प्रकार है-

तत्कालीन प्रभाव- (Short term effect)

वुड के घोषणा पत्र के तत्कालीन प्रभाव को हम निम्नलिखित क्रम में देख समझ सकते हैं-

(1) **1856 तक सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना (Establishment of education department in all provinces by 1856)**- 1856 तक कम्पनी (ब्रिटिश शासित सभी प्रान्तों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई, जन शिक्षा निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ हो गईं। इन्होंने शीघ्र ही अपना कार्य करना प्रारम्भ की दिया।

(2) **सभी प्रान्तों में सहायता अनुदान प्रणाली प्रारम्भ (Beginning of grant in aid system in all the provision)**- सभी प्रान्तों के शिक्षा विभागों ने अपने-अपने क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति और आवश्यकतानुसार सहायता-अनुदान के नियम बनाए। वे विद्यालय जो उन शर्तों को पूरी करते गये उन्हें अनुदान देना शुरू कर दिया।

(3) **सभी स्तर के स्कूल और कॉलिजों की स्थापना (Establishment of school and college of all levels)**- माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं की माँग अधिक होने के कारण कम्पनी ने उसी स्तर के स्कूल कॉलिज खोलने शुरू किए।

(4) **कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना (Foundation of university in Calcutta and Bombay)**- 1857 में कलकत्ता और मुम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में ये विश्वविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाण पत्र देने तक सीमित रहे, बाद में इनमें शिक्षण कार्य भी होने लगा।

दीर्घकालीन प्रभाव (Long Term Effects)-

वुड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव यहाँ से शुरू होते हैं। उसके दीर्घकालीन प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से हैं-

(1) शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व (Education and Liability)- वुड के घोषणा पत्र में पहली बार शिक्षा राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया था। आज तक हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व माना जाता रहा है।

(2) शिक्षा राज्य के नियन्त्रण में (Education under State Control) - यह यर्वविदित है कि शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य तभी निभा सकता है जब उसका नियन्त्रण उसके हाथों में हो। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा की पूरी नीति और पूरी योजना प्रस्तुत की गई थी। आज भी यही स्थिति बनी हुई है।

(3) सहायता अनुदान प्रणाली की निरन्तरता (Continuity of Grant in Aid system)- पहले राज्य अथवा सरकार शिक्षा संस्थाओं को स्वेच्छा से आर्थिक सहायता देती थी। वुड के घोषणा पत्र में पहली बार निश्चित शर्तों को पूरी करने पर सभी प्रकार के विद्यालयों को आर्थिक अनुदान शुरू किया गया। यह व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के साथ आज भी लागू है।

(4) शिक्षा का संगठन विभिन्न स्तरों में (Organisation of Education in various stage)- वुड के घोषणा पत्र में प्रथम बार बच्चों की आयु और मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा को चार स्तरों में बाँटा गया था। वर्तमान में केवल एक स्तर पूर्व प्राथमिक स्तर और बढ़ाया गया है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को विभिन्न वर्गों में विभजित किया गया है।

(5) शिक्षा के उद्देश्य समय की माँग के अनुसार (Objectives of education according to time)- वुड के घोषणा पत्र में पहली बार भारतीय शिक्षा के उद्देश्य आधुनिक परिप्रेक्ष्य में निश्चित किए गये थे। आज भी समयानुसार शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करने का काम जारी है।

(6) शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का वर्चस्व (Survival of western knowledge in the Curriculum of education)- वुड डिस्पेच में पहली बार स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई कि भारत में यूरोपीय ज्ञान का ही वर्चस्व है। आज ते हमारी शिक्षा की पाठ्यचर्या, विशेषकर उच्च शिक्षा में कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान में पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का वर्चस्व चला आ रहा है। इसी वर्चस्व के कारण हमने इस युग में भौतिक उन्नति की है।

(7) उच्च शिक्षा जैसे- कृषि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि का माध्यम अंग्रेजी (Medium of higher education viz Agriculture, Engineering, Medical etc)- उस समय उच्च

शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना अंग्रेजों की विवशता थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 58 वर्ष बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कृषि, इंजीनियरिंग और चिकित्साशास्त्र का माध्यम अंग्रेजी ही बना हुआ है।

(8) क्रमबद्ध विद्यालयों की निरन्तरता (Continuity of graded school)- वुड डिस्पेच में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई थी, यह आज भी है। हमने उसके पूर्व में प्राथमिक और अन्त में अनेक वर्गों की शिक्षा के लिए अलग-अलग विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना करनी शुरू कर दी है।

(9) जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा (Public education, women education, Vocational education and Teacher education)- जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा का प्रारम्भ वुड डिस्पेच में ही किया गया था। इन सबके महत्व को उस समय से आज तक बराबर स्वीकार किया जाता रहा है।

2.7 शब्दावली (Glossary)

व्यावसायिक शिक्षा- इस घोषणा पत्र (शिक्षा नीति) में इस बात को स्वीकार किया गया कि भारत में बेरोजगारी दूर करने, उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की पूर्ति करने और भारतीयों की आर्थिक उन्नति करने के व्यावसायिक शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है।

क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना (Foundation of Grade Institution) शिक्षा के विभिन्न स्तरों - मिडिल, हाई स्कूल और उच्च के लिये अलग-अलग विद्यालयों की स्थापना की घोषणा किया जाना इसका महत्वपूर्ण गुण था।

2.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice question)

उत्तर 1 मेगनाकार्टा उत्तर 2 बाईविल

उत्तर 3 मिडिल

उत्तर 4 अंग्रेजी

उत्तर 5 सत्य उत्तर 6 सत्य

उत्तर 7 सत्य उत्तर 8 सत्य

उत्तर 9 कम्पनी उत्तर 10 चार्ल्स वुड

उत्तर 11 पूरे देश

2.9 सन्दर्भ (Reference) :-

- i. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा।
 - ii. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा।
 - iii. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।
 - iv. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
 - v. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।
-

2.10 निबन्धात्मक प्रश्न -

1. सन् 1854 के वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। आधुनिक भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस आदेश पत्र के स्थान का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिये।

What were the main recommendations of wood's dispatch of 1854? Give a critical estimate of the place of this dispatch in the history of modern Indian Education.

2. वुड का आदेश-पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार -पत्र कहा जाता है। समीक्षा कीजिये।

Wood dispatch is called the megnsacharta of Indian Education Discuss.

3. वुड के आदेश - पत्र की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों बताइयें, जो आधुनिक भारत में शिक्षा के लिये लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं।

Point out some of the important recommendation of Wood's despatch which can prove useful for education in Morden India.

4. वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कीजियें।

Evaluate the Wood's Despetch.

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. वुड डिस्पेच में घोषित शिक्षा नीति के मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिये।
2. वुड डिस्पेच में शिक्षक-शिक्षा के विषय में क्या घोषणा की गई थी।
3. वुड के घोषणा पत्र के गुण-दोषों का उल्लेख कीजिये।
4. आपकी सम्मति में वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहना कहाँ तक उचित है

अति लघु उत्तरीय प्रश्न-

1. किन नगरों में विश्वविद्यालय में स्थापित करने की घोषणा की गयी ?

In which city was it declared to setup University.

2. स्त्री शिक्षा के लिये क्या नीति घोषित की गई?

What policy was declared for women education.

- 3 वुड के घोषणा पत्र के निस्पन्दन सिद्धान्त के सम्बन्ध में क्या उठाया गया ?

What step was taken about filtration theory in Wood's Dispatch.

इकाई 3- **सेडलर आयोग सुझाव (कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग) 1917-19**
हन्टर आयोग व अध्यापक शिक्षा 1882 (भारतीय शिक्षा
आयोग) Recommendations of Sadler Commission (Calcutta University
Commission) 1917-19 & Hunter Commission & teacher
education 1882 (India Education Commission)

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

3.2 उद्देश्य (Objectives)

3.3 आयोग की नियुक्ति (Appointment of the Commission)

3.3.1 आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference of the Commission)

3.3.2 आयोग का प्रतिवेदन (Report of the Commission)

3.4 आयोग की सिफारिशें (Suggestion of Commission)

3.4.1 सेडलर आयोग की माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव (Suggestion of Sadler Commission for Secondary Education)

3.4.2 सेडलर आयोग की भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव (Suggestion of Sadler Commission for Indian university)

3.4.3 सेडलर आयोग की विशेष सुझाव (Special Suggestion of Sadler Commission)

3.4.4 सेडलर आयोग की मुस्लिम व स्त्रीयो के सम्बन्ध में शिक्षा अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव (Suggestion of Sadler Commission for Muslim and Women)

3.5 हन्टर आयोग की सिफारिशें और सुझाव (Suggestion of Hunter Commission)

3.5.1 हन्टर आयोग की प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for Primary Education)

3.5.2 हन्टर आयोग की माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for Secondary Education)

3.5.3 हन्टर आयोग की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for Higher Education)

3.5.4 हन्टर आयोग की स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission About Women Education)

3.5.5 हन्टर आयोग की मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission about the Education of Muslim)

3.5.6 हन्टर आयोग की अनुसूचित जाती और पिछड़ी जातियों की शिक्षा सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion of Hunter Commission for schedule Cast and Backward Cast Education)

3.5.7 हन्टर आयोग की आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा (Suggestion of Hunter Commission Education and Aboriginal and hill Tribes)

3.5.8 शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशें (Recommendations about Training of Teachers)

अपनी उन्नति जानिय (Check Your Progress)

3.6 सारांश (Summary)

3.7 शब्दावली (Glossary)

3.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)

3.9 सन्दर्भ (Reference)

3.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में शिक्षा के सुधार हेतु समय-समय पर अनेक आयोगों की नियुक्ति की गयी जिनका मूल उद्देश्य भारतीय शिक्षा पद्धति में सख्यात्मक व गुणात्मक सुधार करना था जिसका लाभ भारत के लोगों को प्राप्त हो सका। भारतीयों ने शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में अपनी भागीदारी बढ़ाकर भारत के विकास में अपना योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार ने 1854 के तहत भारतीय शिक्षा के इतिहास में क्रान्तिकारी परिवर्तन व एक नये अध्याय का आरम्भ हुआ। सन् 1855 के अन्त तक प्रत्येक प्रान्त में लोक शिक्षा आयोग की स्थापना हो गयी। तथा सहायता अनुदान प्रणाली प्रचलित की गयी।

सन् 1857 में मद्रास, मुम्बई, और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया गया किन्तु उसी वर्ष 1857 की क्रान्ति के विस्फोट ने भारतीय शिक्षा की प्रगति का मार्ग कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर दिया। परिस्थितियों में सुधार लाने हेतु सन् 1858 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कम्पनी के शासन को समाप्त करके ब्रिटिश सरकार (महारानी विक्टोरिया) ने स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथों में सम्भाल ली। तथापि कम्पनी के कर्मचारियों में परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में सम्भाला तो बोर्ड आफ कंट्रोल के स्थान पर भारत मन्त्री की नियुक्ति की गई तथा स्टैनले पहला भारत मन्त्री नियुक्त हुआ। उसने तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करके 1859 ई० में पुनः एक आज्ञा पत्र जारी किया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के अलावा बुड की सभी विषयों में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इसके बाद 1861 में ब्रिटेन सरकार ने, भारतीय ब्रिटेन सरकार ने भारतीय वैधानिक अधिनियम (Indian Legislative Act) पास किया। उसके अनुसार भारत के प्रत्येक प्रान्त में विधान परिषदों (Legislative Council) का गठन किया जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया।

1880 में लार्ड रिपन (Lord Rippan) भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इन्डिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने लार्ड रिपन से भेट की उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन किया। लार्ड रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया, अतः लार्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। शिक्षा के विकास हेतु सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। यूँ इस आयोग का गठन प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में किया था, परन्तु इसने समस्त स्तरों की शिक्षा का अध्ययन किया था और उनके सुधार के लिए सुझाव दिए थे, उच्च शिक्षा के प्रसार व उन्नयन के लिए भी। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 -पारित कर प्रकाशित किया। इस अधिनियम के लागू होने से भारतीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक ढाँचे का पुनर्गठन हुआ और कुछ विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य आरम्भ हुआ। सुधार के इसी क्रम में सरकार ने 1913 में शिक्षा नीति सम्बन्धी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक निर्णय लिए गए थे। अभी इन सुझावों पर अमल शुरू ही हुआ था कि 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हो गया। तब सरकार का ध्यान उस ओर जाना स्वाभाविक था। इस युद्ध की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया। 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन किया गया है जिसने शिक्षा में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए।

3.2 उद्देश्य (Objectives)

- i. कलकत्ता विश्वविद्यालय' आयोग की नियुक्तियों के कारणों को जान सकेगे।
- ii. सैडलर आयोग का कार्यक्षेत्र व कार्य-प्रक्रिया को समझ सकेगे।
- iii. सैडलर आयोग की सिफारिशों (कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग) को समझ सकेगे।
- iv. माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव व भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझावों को समझ सकेगे।
- v. शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशों का आज के संदर्भ में समझ सकेगे।
- vi. हण्टर कमीशन की शिक्षा नाम नीति को समझना।
- vii. हण्टर कमीशन के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को जानना।
- viii. हण्टर कमीशन के शिक्षा के सम्बन्ध में दिए सुझावों को समझना।
- ix. हण्टर कमीशन के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गए सुझावों को समझना।
- x. हण्टर कमीशन के आदिवासी व स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में दिये गये सुधारों को समझना।

3.3 आयोग की नियुक्ति (*Appointment of the Commission*)

सरकार शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा में सुधार की बात से ही रही थी कि तभी 1916 में बंगाल प्रान्त के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुखर्जी ने सरकार को कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, उसमें कुछ विषयों में स्नातक कक्षाएँ शुरू करने की बात भी सोची जा रही थी, उससे समबद्ध महाविद्यालयों पर उनकी पकड़ भी ढीली होती जा रही थी और उनका स्तर भी गिरता जा रहा था। अतः 14 सितम्बर, 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की इन सब समस्याओं का अध्ययन सरकार और उनके सम्बन्ध में अपने सुझाव देने के लिए लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकेल सैडलर (*Dr. Michael Sadler*) की अध्यक्षता में सात सदस्य कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग' की नियुक्ति की। साथ ही इस आयोग से यह अपेक्षा की कि वह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का भी अध्ययन करे और उनके समग्र रूप में सुधार के लिए सुझाव दे। चूँकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० सैडलर (*Dr. Sadler*) थे, अतः कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को उनके नाम पर सैडलर आयोग (*Sadler Commission*) भी कहते हैं।

3.3.1 आयोग का कार्यक्षेत्र Terms of Reference of the Commission

सैडलर आयोग का कार्यक्षेत्र

- i. कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करना, इसकी आवश्यकताओं और सम्भावनाओं का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना।
- ii. कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रशासनिक समस्याओं व संगठनात्मक ढाँचे का समाधान करना।
- iii. कलकत्ता विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या व अध्यापक अनुपात, परीक्षा व्यवस्था की जाँच करना।
- iv. अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव देना।

हन्टर आयोग का कार्यक्षेत्र (Terms of Reference of Commission)

कमीशन को निम्नलिखित विषयों की जाँच करने के निर्देश दिये गये थे।

- i. प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके विकास के लिए क्या उपाय अपनाये जाने चाहिए।

- ii. क्या सरकार ने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवेहना की है।
- iii. वुड डिस्पेच द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ है और उस नीति में तथा परिवर्तन आवश्यक है।
- iv. भारत की शिक्षा व्यवस्था में राजकीय स्कूलों की क्या भूमिका है इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए।
- v. भारत की शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की क्या भूमिका है।
- vi. भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों की क्या भूमिका है इस सम्बन्ध से सरकार की क्या नीति होनी चाहिए।

3.3.2 आयोग का प्रतिवेदन Report of the Commission

सेडलर आयोग ने अनुभव किया कि विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार होना पहली आवश्यकता है। अतः उसने पूरे भारत का भ्रमण कर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन किया और समस्त विश्वविद्यालयों की समस्याओं का अध्ययन किया और इसके बाद इन समस्याओं के निदान पर विचार किया। आयोग ने 17 माह के निरन्तर परिश्रम के बाद मई, 1919 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित किया। यह प्रतिवेदन एक विस्तृत अभिलेख है जो 17 भागों में विभाजित है। इसमें माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ-साथ स्त्री शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा और शिक्षक आदि के विषय में भी सुझाव दिए गए हैं।

जबकि हन्टर आयोग ने 7 सप्ताह तक कलकत्ता में शिक्षा सम्बन्धि पूर्व सरकारी दस्तावेजों, विशेषकर वुड डिस्पेच का गहराई से अध्ययन किया। इसके बाद सदस्यों ने भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया लगभग 10 माह तक उक्त क्षेत्रों की जाँच करने के उपरान्त मार्च 1883 में 600 प्रण्टों की एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार के समुख प्रस्तुत की जिसमें 220 प्रस्ताव थे।

3.4 आयोग की सिफारिशें (Suggestion of Commission)

सैडलर आयोग (कलकत्ता विश्वविद्यालय) (Calcutta University Commission)

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन मूलरूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके समाधान हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किया गया था, परन्तु साथ ही उससे यह अपेक्षा भी की गई थी कि वह समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर

उनके प्रशासनिक ढाँचे और शैक्षिक कार्यविधि में सुधार के लिए सुझाव दे। उसने ये दोनों कार्य किए क्योंकि दूसरे कार्य सम्बन्धी सुझाव कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भी लागू होते हैं इसलिए हम सर्वप्रथम भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझावों का वर्णन करेंगे और उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी विशेष सुझावों का। आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार हेतु उससे पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता बताया और उसमें सुधार के लिए भी अपने सुझाव दिए इसलिए इन सुझावों का वर्णन हम सबसे पहले करना चाहेंगे। आयोग ने मुसलमानों की शिक्षा और पर्दानसीन महिलाओं की शिक्षा आदि समस्याओं के सम्बन्ध में भी अपने सुझाव दिए थे। इनका वर्णन हम चौथे और अन्तिम पायदान पर करना उचित समझते हैं।

3.4.1 सैडलर आयोग की माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझाव Reference of Secondary Education Suggestion

आयोग की दृष्टि से उच्च शिक्षा की प्रगति और उसमें गुणात्मक सुधार लाने के लिए उसके पूर्व की माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पहली आवश्यकता है। आयोग ने अपने अध्ययन में देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा में कुछ प्रसार तो हुआ था परन्तु उसके स्तर में बड़ी गिरावट आ गई थी। माध्यमिक विद्यालयों और उसके शिक्षकों की दशा भी ठीक नहीं थी। इस सबके सुधार के लिए अग्रलिखित सुझाव दिए-

- (1) माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी और गणित को छोड़कर अन्य सभी विषय मातृभाषाओं के माध्यम से पढ़ाए जाएँ।
- (2) इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए।
- (3) इण्टर कॉलिज या तो अलग से खोले जाएँ या कक्षाओं को हाई स्कूलों में जोड़ दिया जाए।
- (4) इण्टर कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान और व्यावसायिक चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान की जाए।
- (5) प्रत्येक प्रान्त में 'माध्यमिक शिक्षा बोर्ड' 'Secondary Education Board' की स्थापना की जाए। इन बोर्डों में सरकार, हाई स्कूल, इण्टर कॉलिज और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हों। इन्हें माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उनका निरीक्षण करने और उन पर नियन्त्रण रखने का भार सौंपा जाए।
- (6) माध्यमिक शिक्षा के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आर्थिक सहायता का उचित प्रबंध किया जाना चाहिये।

(7) इंटरमीडिएट की कक्षाएँ छोटी होनी चाहियें ताकि शिक्षक और बालक एक-दूसरे के निकट संपर्क में आ सकें।

3.4.2 सैडलर आयोग की भारतीय विश्वविद्यालयों सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Indian university

आयोग ने अनुभव किया कि उस समय विश्वविद्यालय सीधे सरकार के नियन्त्रण में थे, वे न स्वयं कुछ निर्णय ले सकते थे और न कुछ परिवर्तन कर सकते थे। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय सहित समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए-

- (1) विश्वविद्यालयों को सरकारी नियन्त्रण से मुक्त किया जाए, उन्हें हर क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की जाए।
- (2) विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, उनका कार्यभार कम किया जाए।
- (3) विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट (Court) और सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) का गठन किया जाए।
- (4) विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए अध्ययन बोर्ड (Board of Studies) और विद्वत् परिषदों (Academic Councils) का गठन किया जाए।
- (5) विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाए।
- (6) विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना की जाए, और प्रत्येक विभाग में एक प्रोफेसर एवं अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए।
- (7) विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों, रीडरों और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए चयन समितियाँ बनाई जाएँ, इनमें विश्वविद्यालय से बाहर के सदस्य भी रखे जाएँ।
- (8) विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए और स्नातक पाठ्यक्रम (Degree Course) 3 वर्ष का किया जाए।
- (9) विश्वविद्यालयों में योग्य छात्रों के लिए तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के साथ ऑनर्स कोर्स शुरू किए जाएँ।

(10) विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ और भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाए।

(11) विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध कार्य की उचित व्यवस्था की जाए।

(12) मुस्लिम समुदाय शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। इसलिये मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

3.4.3 सैडलर आयोग के (कलकत्ता विश्वविद्यालय सम्बन्धी) विशेष सुझाव *Special Suggestion for Calcutta University*

आयोग ने देखा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की कुछ अपनी समस्याएँ थी, उसमें छात्र संख्या बढ़ती जा रही थी, उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही थी और इस सबके कारण उसका स्तर गिरता जा रहा था। इन समस्याओं के समाधान के लिए आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) ढाका (वर्तमान बांग्लादेश) में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय (Residential Teaching University) की स्थापना की जाए जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो। उस समय ढाका भारत के बंगाल प्रान्त का ही एक भाग था।

(2) कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से इस प्रकार जोड़ा जाए कि वे विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलिज के रूप में कार्य करें। इससे उनके स्तर में सुधार होगा।

(3) कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में उन्हें नए विश्वविद्यालयों का रूप दिया जा सके।

(4) कलकत्ता विश्वविद्यालय में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिससे महिलाएँ उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित न हों।

3.4.4 सैडलर आयोग की मुस्लिम व स्त्रीयों के सम्बन्ध में शिक्षा अन्य समस्याओं सम्बन्धी सुझाव

(1) आयोग ने देखा कि उस समय किसी भी स्तर की शिक्षण संस्थाओं में मुसलमान बच्चों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम थी इसलिए उसने सुझाव दिया कि देश में मुसलमान बच्चों और युवकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(2) आयोग ने देखा कि उस समय पढ़ने वालें बच्चों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बहुत अधिक कम थी। आयोग ने महिला शिक्षा की उचित व्यवस्था हेतु स्त्री शिक्षा का विशिष्ट बोर्ड (Special Board of women Education) की स्थापना का सुझाव दिया

(3) आयोग ने यह भी देखा कि देश में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर 'पर्दा स्कूल' खोलने का सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में पर्दानसीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

3.5 हन्टर आयोग की सिफारिशें और सुझाव (*Recommendation and Suggestion of the Hunter Commission*)

आयोग ने सामान्यतः वुड डिस्पेच घोषित शिक्षा नीति 1854 का समर्थन किया। उसने यह अनुभव किया कि इस नीति का क्रियान्वयन निष्ठा के साथ नहीं किया गया था। साथ ही उसने इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव भी दिए। इसमें मुख्य सुझाव निम्न हैं।

1. सरकार प्राथमिक शिक्षा का उत्तर दायित्व स्थानीय निकायों (नगर पालिका और जिला परिषदों) पर छोड़ दे और माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं और सगठनों पर छोड़ दें।
2. सरकार सहायता अनुदान के नियमों को अधिक उदार बनाकर, शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन दे।
 - i. सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया जाए।
 - ii. सहायता अनुदान के नियमों का प्रान्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जाए।
 - iii. सहायता अनुदान के नियमों को अलग-अलग मदों के लिए अलग-अलग बनाएं जायें।
 - iv. सहायता अनुदान के सभी नियमों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों, विशेषकर प्रधानाचार्यों को अवगत कराया जाय तथा इन नियमों का प्रकाशन कराया जायें।
 - v. किसी विद्यालय के किसी भी पद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जायें।
 - vi. विद्यालयों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए।
 - vii. विद्यालयों को सहायता अनुदान की धनराशी समय से पहुँचाई जाए।
 - viii. किसी विद्यालय को सहायता अनुदान देना अकारण बन्द न किया जाय।

- ix. विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन और छात्रों की छात्रवृत्तियों के साथ-साथ विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला और पुस्तकालय आदि के लिए भी अनुदान दिया जाये।

3.5.1 हन्टर आयोग के प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for Primary Education)

1. प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of Primary Education)- उस समय इंग्लैंड में 1876 शिक्षा अधिनियम (Education Act) के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व काउन्टी कौन्सिल (County Council) को दे दिया गया था। उसका अनुकरण कर प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त का भार जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं को सौंपने का सुझाव दिया और स्पष्ट किया कि ये संस्थाएं अपने-अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करेंगी, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति करेंगी और अन्य सब व्यय वहन करेंगी। आयोग ने इन स्थानीय निकायों की शिक्षा हेतु वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव दिया कि ये अलग से प्राथमिक शिक्षा का निर्माण करेंगी और इस कोष को केवल प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करेंगी। प्रान्तीय सरकारें उन्हें कुल व्यय का 1/2 अथवा 1/3 भाग अनुदान के रूप में देंगी।

2. प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Primary Education)- आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो मुख्य उद्देश्य बताए हैं।

- i. जन शिक्षा का प्रसार।
- ii. व्यावहारिक जीवन की शिक्षा।

3. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Primary Education)- आयोग ने सभी प्रान्तों को पाठ्यक्रम के निर्माण के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता दे दी तथा उनको इस बात के लिए निर्देश दिया कि अपने यहाँ का पाठ्यक्रम स्वयं बना दें। लेकिन उनमें भौतिक विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, वहीखाता, क्षेत्रमिति, पशुपालन, कटाई बुनाई आदि कुछ जीवनोपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में आवश्यक सम्मिलित करने की सिफारिश की है।

4. प्राथमिक शिक्षा का माध्यम (Medium of Primary Education)- आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं (प्रान्तीय भाषाएं) होनी चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को इन भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

5. शिक्षकों का प्रशिक्षण (Teacher's Training)- प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति पर बल दिया और प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों (नार्मल स्कूलों) की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। आयोग की

समिति में प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में कम से कम एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अवश्य होना चाहिए।

6. प्राथमिक देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन (*Encouragement to Primary Indigenous School*)-हन्टर कमीशन ने देशी पाठशालाओं के महत्व को खूब अच्छी तरह समझा था इनमें देश के करोड़ों बालक, बालिकाएँ, पीड़ित और मौलवियों द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आयोग ने लिखा है कि ये अत्यधिक सघर्ष होने पर भी जीवित हैं। इस प्रकार इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इनमें शक्ति एवं लोकप्रियता दोनों हैं। यदि देशी विद्यालयों को मान्यता और सहायता दे दी जाये तो यह आशा की जा सकती है कि वे अपनी शिक्षण विधि में सुधार कर लेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा की राज प्रणाली में लाभप्रद स्थान ग्रहण करेंगे।

3.5.2 हन्टर आयोग के माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (*Suggestion for Secondary Education*)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये हैं।

1. माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (*Administration and finance of Secondary Education*)-आयोग ने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। पर जिन क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल न खोले जा सकें उनमें सरकार स्वयं माध्यमिक स्कूल खोले पर ऐसा स्कूल किसी भी जिले में एक से अधिक न खोला जाए। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने में उदारता बरती जाय और किसी प्रकार का भेद भाव न किया जाए।

2. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (*Aims of Secondary Education*)- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में दो उद्देश्य बताये हैं।

- i. सामान्य जीवन की तैयारी
- ii. उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी

3. माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम (*Curriculum of Secondary Education*) - आयोग ने माध्यमिक स्तर पर दो पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव दिया

अ. पाठ्यक्रम (A-Course) और ब पाठ्यक्रम (B-Course)

अ. पाठ्यक्रम (A-Course) - यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाठ्यक्रम में साहित्यिक विषयों को स्थान दिया जायेगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

ब पाठ्यक्रम (B-Course) - यह पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम होगा। यह पाठ्यक्रम उन बच्चों के लिए होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद जीवन में प्रवेश करना चाहेंगे अपनी रोजी रोटी कमाना चाहेंगे, इस पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को स्थान दिया जायेगा और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा।

4. माध्यमिक शिक्षा का माध्यम (Medium of Secondary Education)- आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में अपना कोई सुझाव नहीं दिया इसका अर्थ है कि उसने वुड डिस्पेच में घोषित अंग्रेजी को माध्यम बनाए रखने का सुझाव दिया।

5. माध्यमिक शिक्षकों का प्रशिक्षण (Training of Secondary Education)- आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त करने पर बल दिया और प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोलने की सिफारिश की।

3.5.3 हन्टर आयोग के उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग के सुझाव (Commission's Suggestion About Higher Education)

यद्यपि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था पर उसने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव दिये हैं।

1. उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of Higher Education)- आयोग के सुझाव दिया कि सरकार को उच्च शिक्षा का भार भारतीय जनता पर छोड़ देना चाहिए। राजकीय महाविद्यालयों केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाएं जहाँ कि जनता इन्हें खोलने में असमर्थ हो और जहाँ इनकी माँग हो। गैर सरकारी महाविद्यालयों को सरकारी सभी पदों के लिए उदारतापूर्वक अनुदान दे यह अनुदान महाविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षार्थियों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर कालेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए अलग से सहायता अनुदान दिया जाए।

2. उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of higher education)- आयोग की सम्मति में उच्च शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए।

- i. शिक्षार्थियों को उच्च ज्ञान की प्राप्ति कराना।
- ii. शिक्षार्थियों को नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म और मानव धर्म का ज्ञान कराना।
- iii. शिक्षार्थियों को नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान कराना।
- iv. विशेषज्ञों का निर्माण।

3. उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम (Curriculum of Higher Education) - आयोग ने उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यापक बनाने का सुझाव दिया जिससे छात्र अपनी रुचि के विषयों का चुनाव कर सके।

दूसरा सुझाव नैतिक शिक्षा को अनिवार्य करने का दिया और इसके लिए विशेष प्रकार की पुस्तकें तैयार करने का सुझाव दिया जिनमें प्रकृति धर्म और मानव धर्म के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हो।

4. उच्च शिक्षा का माध्यम (Medium of Higher Education) - उच्च शिक्षा का माध्यम के विषय में आयोग ने कोई सुझाव नहीं दिया। इसका अर्थ यही माना गया कि उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाए रखना उचित समझा।

5. प्राध्यापकों की नियुक्ति (Appointment of Lecturer)- आयोग ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए।

3.5.4 हन्टर आयोग के स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion About Women Education)

आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सुझाव दिये हैं।

- i. स्थानीय संस्थाओं और प्रान्तीय सरकारों के पास जो भी सर्वजनिक कोष हो वह बालक बालिकाओं के स्कूलों को समान अनुपात में धन मिलना चाहिए।
- ii. बालिका विद्यालयों को अनुदान देने के नियम सरल बनाए जाएँ। उन्हें उदारता पूर्वक अनुदान दिया जाए।
- iii. बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क हो।
- iv. निर्धन छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए।
- v. बालिकाओं के लिए छात्रावासों का प्रबन्ध होना चाहिए।
- vi. बालिका विद्यालयों में यथा सम्भव महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके लिए अलग से महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जायें।
- vii. बालिका विद्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित कर देना चाहिए।
- viii. उस समय देश में पर्दा प्रथा बहुत जोर पकड़े हुए थी प्रायः पर्दा करने वाली स्त्रियाँ अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थीं। ऐसी स्त्रियों की शिक्षा के लिए आयोग का विचार है कि ऐसी अध्यापिकाएँ नियुक्त की जाएँ जो उनके घरों में जाकर अध्ययन कार्य करें।
- ix. महिलाओं के पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषयों को प्रधानता दी जानी चाहिए।

3.5.5 हन्टर आयोग के मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion about the Education of Muslim)

- i- मुस्लिम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय संस्थाओं और प्रान्तों के कोषों से सहायता ली जाये।
- ii- मुसलमान बच्चों के लिए पृथक विद्यालय खोले जाये।
- iii- मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में हिन्दुस्तानी के साथ फारसी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय।
- iv- मुसलमान बच्चों को विशेष छात्रवृत्तिया दी जाय।
- v- मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में लौकिक विषयों को स्थान दिया जाये।
- vi- मुसलमानों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
- vii- मुस्लिम शिक्षा के लिए निश्चित रकम खर्च की जाय।
- viii- मुस्लिम अध्यापकों के प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था की जाये।
- ix- शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट में मुसलमान बच्चों की शिक्षा की प्रगति को अलग से दर्शाया जाए, जिससे तत्काल तदनुकूल कदम उठाया जा सके।
- x- शिक्षित मुसलमानों एवं अन्य जातियों के पढ़े लिखे व्यक्तियों को राजकीय पदों को प्रदान करने में मुसलमानों के उचित अनुपात का ध्यान रखा जाये।

3.5.6 हन्टर आयोग के अनुसूचित और पिछड़ी जातियों की शिक्षा सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion for schedule Cast and Backward Cast Education)

- i- अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के बालकों के लिए राजकीय विद्यालयों में प्रवेश की कोई रूकावट न हो और इस बात पर पूर्ण ध्यान दिया जाये कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो।
- ii- सरकारी नगर महापालिकाओं तथा स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए खोल दिये जाये
- iii- जाति और भेद की समस्या को समाप्त करने के लिए अध्यापकों व छात्रों को आगे बढ़ना चाहिए।
- iv- इन जातियों के लिए सरकार द्वारा नये विद्यालय खोले जाने चाहिए।
- v- निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाय।

3.5.7 हन्टर आयोग के आदिवासियों और पहाड़ी जातियों की शिक्षा (Education and Aboriginal and hill Tribes)

हन्टर कमीशन ने आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

- i- सरकार आदिवासियों एवं पर्वतीय जातियों की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना करें।
- ii- उन क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करने वाले को प्रोत्साहित किया जाये।
- iii- उन क्षेत्रों के स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए।
- iv- इन क्षेत्रों में सभी स्तरों की शिक्षा निःशुल्क हो।
- v- इन क्षेत्रों में छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियाँ दी जाए।
- vi- इन्हीं जातियों के अध्यापकों को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जाए।

3.5.8 शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी सिफारिशें (Recommendations about Training of Teachers)

- (1) आयोग ने देश में शिक्षक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में शिक्षाशास्त्र (Education) विषय को सम्मिलित करने का सुझाव दिया।
- (2) कलकत्ता और ढाका के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के विभागों को स्थापित किया जाना चाहिये।
- (3) प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जाए।

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न (1) भारतीय विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद् के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग	(b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग
(c) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग	(d) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

प्रश्न (2) भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था ?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग

(c) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (d) माध्यमिक आयोग

प्रश्न (3) विश्वविद्यालयों में अध्ययन बोर्डों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था ?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

(c) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (d) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग

प्रश्न (4) विश्वविद्यालयों में विद्वत् परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग में दिया था ?

(a) भारतीय शिक्षा आयोग (b) भारतीय विश्वविद्यालय आयोग

(c) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (d) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

प्रश्न 4 मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों का शिलान्यास कब किया गया?

प्रश्न 5 इंग्लैंड में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास हुआ।

प्रश्न 6 हन्टर कमीशन की रिपोर्ट में कितने प्रस्ताव थे।

3.6 सारांश(Summary)

सैडलर आयोग की नियुक्ति मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं में हस्तक्षेप करने के लिए की गयी थी लेकिन इसने जो सिफारिशें की वे वास्तव में उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और भारतीयों विश्वविद्यालयों में सुधारों और परिवर्तनों का आरम्भ किया गया। इन परिवर्तनों के होने से विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संगठन नहीं रह गये थे। अब शिक्षण और शोध के केंद्र बन गये। आयोग ने प्रशासनिक संघटनों का निर्माण किये जाने का सुझाव दिया और ये नये विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श थे और इन्होंने विद्यमान विद्यालयों को भी नई दिशा दी अतः यह कहा जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशें तब भी समीचीन थीं और आज भी हमारी मार्गदर्शक हैं और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत रही है।

1880 में लार्ड रिपन(Lord Rippan) भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। अनुकूल अवसर पाकर जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल ने लार्ड रिपन से भेंट की उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और भारतीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करने का निवेदन किया। लार्ड रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। सहायता अनुदान के नियम सरल एवं उदार बनाया गए व सहायता अनुदान के

नियमों को प्रान्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया गया। सहायता अनुदान के नियमों को अलग-अलग मदों के लिए अलग-अलग बनाए जायें। सहायता अनुदान के सभी नियम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों, विशेषकर प्रधानाचार्यों को अवगत कराया जाय तथा इन नियमों का प्रकाशन कराया जाय। किसी विद्यालय के किसी भी पद हेतु प्राप्त सहायता अनुदान प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने से पूर्व विद्यालय का निरीक्षण किया जाय। विद्यालयों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने में किसी प्रकार का भेदभाव न बरता जाय। विद्यालयों को सहायता अनुदान की धनराशी समय से पहुँचाई जाय।

3.7 शब्दावली (Vocabulary)

पर्दानसीन युवतियों:- देश में पर्दानसीन युवतियों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसने माध्यमिक स्तर पर 'पर्दा स्कूल' खोलने का सुझाव दिया। साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में पर्दानसीन युवतियों के लिए अलग से व्यवस्था करने का सुझाव दिया।

सीनेट व सिन्डीकेट:- विश्वविद्यालयों के आन्तरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट (Court) और सिन्डीकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) का गठन किया जाय।

3.8 संदर्भ (Reference)

- I. लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा।
 - II. जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा।
 - III. शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।
 - IV. शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
 - V. शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।
-

3.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of practice Question)

उत्तर 1 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग उत्तर 2 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

उत्तर 3 (B) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग उत्तर 4 (C) कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग

उत्तर 5 1857

उत्तर 6 1880

उत्तर 7 220 प्रस्ताव

3.10 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

प्रश्न 1. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालयों के प्रशासन, संगठन और शैक्षिक कार्यक्रमों के संबंधों की विस्तृत विवेचना कीजिए।

प्रश्न 2. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए ?

प्रश्न 3. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय उच्च शिक्षा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 4. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की मुख्य सिफारिशों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 5. सैडलर कमीशन के माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी सुझावों व विश्वविद्यालयी शिक्षा सम्बन्धी सुझावों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 6. सैडलर कमीशन के सुझावों का भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न हन्टर कमीशन के उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्र को विस्तार से लिखिए।

प्रश्न हन्टर कमीशन की सिफारिशों और सुझावों का विस्तार से वर्णन कीजिए।

प्रश्न हन्टर कमीशन ने प्राथमिक व उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं।

प्रश्न अनुसूचित जाति व मुसलमानों की शिक्षा के सम्बन्ध में हन्टर कमीशन ने क्या सुझाव दिये हैं।

इकाई 4 राधाकृष्णन कमीशन व मुदालियर कमीशन (Radhakrishnan Commission 1948-49 & Mudaliar Commission 1952-53)

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

4.2 उद्देश्य (Objectives)

4.1.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य (Member of University Education Commission)

4.3.1 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)

4.3.2 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशें (Recommendation of Radhakrishnan Commission)

4.3.3 विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of University Education)

4.3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा (Organisation and structure of University Education)

4.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Higher Education)

4.4.1 पाठ्यक्रम (Curriculum)

4.4.2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान का महत्व व सुझाव (Importance and Suggestion of Post Graduate Training & Research)

4.4.3 व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा (Vocational and Higher Technical Education)

4.4.4 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)

4.5 स्त्री शिक्षा (Women Education)

4.6 माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य (Member of the Secondary Education Commission)

4.7 मुदालियर आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)

4.8 मुदालियर आयोग का प्रतिवेदन (Report of the Mudaliar Commission)

4.9 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव (Suggestion's for Administration and Finance of Secondary Education)

4.9.1 माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव (Suggestion for Organisation of Secondary Education)

4.9.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त (Principles of Curriculum Construction)

4.9.3 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव (Suggestion's for Curriculum of Secondary Education)

4.9.4 माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव (Suggestion's for Secondary Teachers)

4.9.5 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन (Evaluation and Merits & Demerits of Secondary Education Commission)

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

4.10 सारांश (Summary)

4.11 शब्दावली (Glossary)

4.12 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)

4.13 सन्दर्भ पुस्तके (Reference Book)

4.14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

एक लम्बे संघर्ष व कुर्बानी के उपरान्त 15 अगस्त 1947 को भारत विदेशी दासता से मुक्त हुआ बहुत से नये विश्वविद्यालय खुले और उनमें विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात तो विश्वविद्यालय शिक्षा का और भी अधिक विकास हुआ। देश के विभाजन के पश्चात भारत में 19 विश्वविद्यालय रह गये थे। परन्तु उसके पश्चात 14 विश्वविद्यालय और खुले। पंजाब विश्वविद्यालय, गोहाटी, कश्मीर, रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पूना, बड़ौदा, बिहार, आदि विश्वविद्यालयों का जन्म 1947 के बाद ही हुआ।

1951 ई० में विश्वभारती विश्वविद्यालय को भी भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। 1951 ई० में आंध्रप्रदेश में बैकटेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई साथ ही पूर्व स्थापित विश्वविद्यालय में नये नये विभाग भी खोले गये। पर फिर भी जिस ढंग की शिक्षा इन विश्वविद्यालयों में दी जा रही थी उससे जनता संतुष्ट नहीं है क्योंकि शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार करना ही था। इसलिए शिक्षा को देश व वातावरण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की माँग की जाने लगी। अतः अन्तर्विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद (Inter university Board of Education) और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (Central Advisory Board of Education) ने भारत सरकार को एक अखिल भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने का सुझाव दिया जो कि देश की आवश्यकताओं एवं परम्पराओं के अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के लिए समुचित सुझाव दे। डा. सर्वपल्ली को उसका अध्यक्ष बनाया। अतः उनके नाम पर यह आयोग राधाकृष्णन कमीशन भी कहलाता है।

सन् 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर ऊँचा उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचन्द समिति (Tarachand Committee) का गठन किया था। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इन सुझावों का अध्ययन किया। उसकी सम्मति में ये सुझाव अधूरे और अस्पष्ट थे। अतः उसने 1951 में केन्द्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की

अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग को अध्यक्ष के नाम मुदालियर आयोग (Mudaliar commission) भी कहते हैं।

4.2 उद्देश्य (Objectives)

1. डॉ राधाकृष्णन आयोग व माध्यमिक शिक्षा आयोग की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों को समझ सकेंगे।
2. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को समझ सकेंगे।
3. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण व सुधारों के सम्बन्ध में दिये गए सुझावों को समझ सकेंगे।
4. माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र के बारे में जान सकेंगे।
5. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में तत्कालीन दोषों को जान सकेंगे।
6. माध्यमिक शिक्षा के संगठन, प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझावों को समझ सकेंगे।
7. माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त को समझ सकेंगे।
8. माध्यमिक शिक्षकों व शिक्षण विधियों के सम्बन्ध में सिफारिशें अथवा सुझावों को समझ सकेंगे।

4.3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य (Member of University Education Commission)

इस कमीशन के कुल दस सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं।

1. President– Dr. Sarvpalli Radhakrishnan- Purvi dharm and Niti Shastra Oxford University.

2. Dr. Tarachand- M.A., Dipul, Seretary and Educational adviser to the Goverment of India.

3. Dr. James F. Duff – MA, Med, L.L.O, Vice Chancellor, University of Duran.

4. Dr. Zakir Husian – MA, Phd, D.litt, Jamia Millia Islimia Delhi.

5. Dr. Arthur E. Morgan – D.SC, D.Eng, L.L.D, D.C.L. Former President, Antioes College.

6. Dr. ALakshmana Swami Mudaliar – D.SC, L.L.D, D.CL, Vice Chancellor, University of Madras.

7. Dr. Meghna Shaha – D.SC, F.R.S, Palet Professor of Physics, University of Calcutta.

8. Dr. Karm Narayan Bahl - D.SC, D.Phil, professor of Zoology, University of Lucknow.

9. Dr. Johan J. Tigret – MA, L.L.D, Med, D.Litt Formerly Commissioner of Education of United States

10. Shree Nirmal Kumar Sidhant – Professor English Dehard and Art Lucknow University.

4.3.1 आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र (Aims and Working field of Commission)-

आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना था और देश की तात्कालीन एव भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के सम्बन्ध में सुझाव देना था।

आयोग का कार्यक्षेत्र भी भारतीय विश्वविद्यालयों की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था उसे संक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है।

1. तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना।
2. इनके प्रशासन एव वित्त के सम्बन्ध में सुझाव देना।
3. उच्च शिक्षा के पुर्नगठन के सम्बन्ध में सुझाव देना।
4. उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित करना।
5. उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार हेतु सुझाव देना।
6. उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को उठाने के लिए उपाय करना।
7. भारत में विश्वविद्यालयों शिक्षा तथा अनुबन्धन शिक्षा के उद्देश्य व समस्या पर अपनी सम्मति देना।

8. उच्च शिक्षा के प्राध्यापको की नियुक्ति वेतनमान और सेवा शर्तों मौखिक शोध के सम्बन्ध में सुझाव देना।
9. छात्रों के कल्याण के लिए योजना स्थापित करना।
10. विश्वविद्यालयों में मानवशास्त्र, विज्ञान, एवं शुद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों की अवधि निश्चित करना।
11. छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों और ट्यूटोरियल कार्य की व्यवस्था तथा कोई दूसरी बात जिसे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के सब पहलुओं की पूर्ण और व्यापक जाँच के लिए आवश्यक समझा जाये।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे उसके अध्यक्ष के नाम राधाकृष्ण कमीशन भी कहा जाता है ने विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बन्ध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं संकलित की तथा उच्च शिक्षा से जुड़े लगभग एक हजार व्यक्तियों के पास भेजा इनमें से 600 ने प्रश्नावली भर कर भेजी। तथा इनका विश्लेषण करके 25 अगस्त 1949 को अठारह भाग व 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उच्च शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे उच्च शिक्षा के उद्देश्य अध्यापकों की सेवाशर्तों, शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्रकल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में अनेक बहुमूल्य सुझाव दिये।

4.3.2 राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिशें (Recommendation of Radhaa Krishan Commission)

डा० राधाकृष्णन आयोग में उच्च शिक्षा से सम्बंधित तथ्यों पर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। इस सम्बन्ध में आयोग का कथन है। "हमारी सिफारिशें उन महत्वपूर्ण प्रमाणों और रचनात्मक सुझावों पर आधारित हैं जो हमको मिले हैं, हमने विश्वविद्यालयों के पुरुषों और स्त्रियों की आशाओं और आकांक्षाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है एवं उनकी अभिलाषाओं और आदर्शों को निश्चित रूप देने का प्रयत्न किया हो, आयोग की उच्च शिक्षा में मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं।

4.3.3 विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त (Administration and Finance of University Education)

विश्वविद्यालयी शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में आयोग ने 6 मुख्य सुझाव दिये।

1. उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाएं। इसकी व्यवस्था करना केन्द्र एवं प्रान्तीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो। उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केन्द्र सरकार करे, प्रान्तीय सरकारें उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें।

2. विश्वविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाए, उनके अधिकार एवं कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित हो।
3. सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रशासन का उत्तरदायित्व उनकी प्रबन्धकारिणी समितियों का हो।
4. उच्च शिक्षा का वित्तिय भार केन्द्र और प्रान्तीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें।
5. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न नये मदो-भवन निर्माण और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए।
6. विश्वविद्यालयों के कार्यों में एकरूपता लाने और विश्वविद्यालय एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति (University Grant Commission) के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grant Commission) का गठन किया जाए।

4.3.4 विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा (Organisation and structure of University Education)

1. उच्च शिक्षा तीन भागों संगठित हो, स्नातक, परास्नातक, एवं शोध। स्नातक वर्ष 3, परास्नातक 2 वर्ष, शोध कार्य 2 वर्ष हैं।
2. उच्च शिक्षा के तीन वर्ग- आर्ट/साइन्स, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा।
3. व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को 6 भागों में विभाजन किया जाये जैसे कृषि, कर्मस, प्रौद्योगिकी और तकनीकी, मेडिकल, कानून और अध्यापक प्रशिक्षण।
4. स्वतन्त्र सम्बन्धित कॉलेजो की स्थापना की जाए जो कृषि, कर्मस, पौद्योगिकी और तकनीकी मेडिकल और अध्यापक प्रशिक्षण विषयो का संचालन करे।
5. कृषि में उच्च शिक्षा व शोध हेतू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाये।
6. ग्रामीणो के उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतू ग्रामीण विश्वविद्यालयों व सम्बद्ध कालेजो की स्थापना हो।

प्रत्येक विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारियों को महत्व दिया जाये।

1. **विजिटर (Visitor)** - इस पद पर देश का राष्ट्रपति होगा।

2. **कुलपति (Chancellor)** - सामान्यतः राज्य का गवर्नर, विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। केन्द्र शासित विश्वविद्यालयों का कुलपति गवर्नर नहीं होगा।

3. **उपकुलपति (Vice-Chancellor)** - उपकुलपति का पद पूर्ण कालीन होगा और उसे वेतन दिया जायेगा। उपकुलपति की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफरिश पर कुलपति करेगा।

4. **सीनेट (Senate)** - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में 100 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों के कुल संख्या के आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होंगे। शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों (Teaching & Affiliating Universities) की सीनेट में 120 से अधिक शिक्षक, 40 सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक और 40 बाह्य सदस्य होंगे।

5. **कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council)** - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 20 और शिक्षण तथा सम्बद्धक विश्वविद्यालयों की परिषद में अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे।

6. **शैक्षणिक समिति (Academic Council)** - एकात्मक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक समिति में अधिक से अधिक 40, और संघात्मक तथा शिक्षण और सम्बद्धक विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक समिति में अधिक से अधिक 45 सदस्य होंगे।

7. विभाग (Faculties)

8. अध्ययन समितियां (Board of Studies)

9. वित्त समिति (Finance Committee)

10. चयन समिति (Selection Committee)

4.4 उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Higher Education)

आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया हो तथा समाज व्यवस्था के

संगठन तथा विकास पर बल देते हुए उद्देश्य निर्धारित किये।

1. **व्यक्तित्व निर्माण** - स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में भारी परिवर्तन के विश्वविद्यालयों के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ गये हैं। उन्हें ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए - जो राजनीति, प्रशासन व्यवसाय उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्रों में नेतृत्व कर सकें।

2. समाज सुधार - विश्वविद्यालय समाज सुधार में महान योग दे सकते हैं इसलिए उनका उद्देश्य ऐसे नेताओं का निर्माण करना होना चाहिए जो दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहसी हों।

3. विवेकी व्यक्तियों का निर्माण-विश्वविद्यालयों को ऐसे विवेकी व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए, जो प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार कर सके, ज्ञान की सदैव खोज कर सके, मानव जीवन का अर्थ और सार जान सके। रोजगारों का प्रबन्ध और देश तथा समाज के लिए विभिन्न भौतिक अभावों की पूर्ति के लिए साधनों को जुटा सके।

4. ज्ञान का समन्वय - शिक्षा का उद्देश्य जीवन और ज्ञान विभिन्न शाखाओं में समन्वय करना है इसलिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में जो विषय पढ़ाये जाये वे पाठ्यक्रम के अभिन अंग होने चाहिए, जिससे कि छात्रों के मस्तिष्क में विभिन्न तत्वों का संग्रह न हो। वरन् सब तत्वों का एक सॉचे में समावेश हो जाय।

5. नेतृत्व का निर्माण (Leadership Making) - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात देश की आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। अतः राजनीतिक, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए।

6. राष्ट्रीय विरासत - विश्वविद्यालयों को आधुनिक प्रगति के लिए वशीभूत होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को नहीं भूलना चाहिए यदि उन्होंने ऐसा किया, तो वे अपने दायित्वों को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि वे ऐसे युवक तैयार करें, जो अपनी राष्ट्रीय विरासत को अपनाकर अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार योगदान दें।

4.4.1 पाठ्यक्रम Curriculum –

पाठ्यक्रम की सहायता से छात्रों को न केवल विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान व अनुभव प्राप्त होता है। अपितु विधार्थियों की स्वतन्त्रता, विचार, शक्ति व रचनात्मक कार्य क्षमता भी विकसित होती है। अतः कमीशन ने पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये हैं।

1. विश्वविद्यालयों और माध्यमिक में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षण का भी प्रबन्ध होना चाहिए जिसका उद्देश्य विधार्थियों का तथ्यों व सिद्धान्तों से सम्बन्धित बुद्धिगतापूर्णक चुनी गई सूचनाएं प्राप्त करना हो।

2. माध्यमिक कक्षाओं में निम्नलिखित विषय रखे जा सकते हैं।

(1) मात्र भाषा (2) संधीय भाषा या जिनकी मातृभाषा संधीय भाषा है।

(3) अंग्रेजी (4) प्रारम्भिक गणित

(5) सामान्य विज्ञान (6) सामाजिक अध्ययन

(7) संगीत (8) शिल्पकला

(9) चित्रकला (10) गृह विज्ञान

(11) कृषि (12) बुक कीपिंग और लेखा

(13) वाणिज्य

3. स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष, स्नातकोत्तर उपधि स्नातक के बाद 2 वर्ष व आनर्स के बाद 1 वर्ष होनी चाहिए।

4. स्नातक स्तर अंग्रेजी भाषा और राष्ट्रभाषा हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है।

5. व्यावसायिक और तकनीकी वर्ग का पाठ्यक्रम, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार विशेषणों द्वारा तैयार कराया जाए, पर पूरे देश के स्नातक व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में समरूपता होनी चाहिए।

4.4.2 स्नातकोत्तर प्रशिक्षण व अनुसंधान का महत्व व सुझाव *Importance and Suggestion of Post Graduate Training & Research.*

आयोग ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा 'मानव सभ्यता ने उन विशेषज्ञों के कार्यों से बहुत अधिक लाभ उठाया है, जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों और मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहारों में गहराई तक प्रवेश किया है। वर्तमान जीवन बहुत बड़ी सीमा तक अन्वेषण और अनुसंधान का परिणाम है। आयोग के अनुसार स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालयों का प्रमुख कर्तव्य है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अन्वेषण को प्राथमिकता दी जाए। केवल तभी हमारे देश में ऐसे प्रशिक्षित अन्वेषक उत्पन्न होंगे, जो बौद्धिक जीवन के उच्च स्तरों को स्थापित करेंगे और देश की नैतिक एवं भौतिक प्रगति में योग देगे। वस्तुतः श्री आशुतोष मुकर्जी ने ही पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं की व्यवस्था कर शोधकार्य को मर्यादित करने की प्रेरणा दी थी। अतः इस सम्बन्ध में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये थे।

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक विशिष्ट विषय का उच्च अध्ययन व शोध की नवीनतम रीतियों का समावेश रहना चाहिए।

2. इन उपधियों के लिए शिक्षण की व्यवस्था नियमित व्याख्यानो, गोष्ठियों (Seminar) और प्रयोगशाला कार्य के द्वारा दी जाय।

3. परीक्षा लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की हो तथा वैज्ञानिक विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की भी व्यवस्था की जाये।
4. उन्ही विद्यार्थियों को उपाधियाँ दी जाये जिन्होंने उचित मात्रा में विद्वता प्रदर्शित की हो।
5. शोधकार्य के लिए विद्यार्थियों को अखिल भारतीय स्तर पर निर्वाचित किया जाये उनका चुनाव करते समय उनका यह आशय देख लिया जाय कि उनमें मस्तिष्क की सहज मौलिकता है या नहीं।
6. शोधकार्य के लिए विद्यार्थियों को वही विषय चुनना चाहिए जिसका वह पहले ही सफलतापूर्वक अध्ययन कर चुका हो।
7. शोध कार्य की अवधि दो वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
8. पी.एच.डी. की परीक्षा में थीसिस के साथ-साथ मौखिक परीक्षा को भी सम्मिलित किया जाय।
9. प्रत्येक विश्वविद्यालय में उतने ही शोध विभाग स्थापित करने चाहिए जितनी कि उनकी क्षमता हो।
10. पी.एच.डी. व अन्य शोधनीय करने वाले छात्रों के लिये शोध छात्रवृत्तियों Research Fellowship और अन्य प्रबन्ध किया जाय।
11. शोध कार्य चक्र शोध प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत किया जाये और दो बाहरी व एक आन्तरिक परीक्षक उनकी जाँच करे तथा साथ ही मौखिक परीक्षा का भी आयोजन हो।

4.4.3 व्यावसायिक एवं तकनीकी उच्च शिक्षा (Vocational and Higher Technical Education)

आयोग के विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके विभिन्न अंगों के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं।

कृषि - कृषि शिक्षा के सम्बन्ध में कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 वर्ष का हो किन्तु पशुपालन के आथ चार वर्ष का हो।
2. प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में कृषि की शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में नये कृषि महाविद्यालय खोले जाएँ और इन्हे यथा सम्भव ग्रामीण विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध किया जाये।

4. कृषि एवं ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान की व्यवस्था की जाए।
5. कृषि शिक्षा, कृषि शोध और कृषि नीति का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा होना चाहिए जिन्हें कृषि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव हो।
6. केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा प्रयोगात्मक कार्य प्रारम्भ किये जाये तथा प्रयोग कार्य अनिवार्य होना चाहिए। सभी क्षेत्रीय यात्राएँ (थपमसक जतपचे) भी सम्मिलित की जाए।

4.4.4 शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)

शिक्षक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाय और पुस्तकीय ज्ञान के बजाय विद्यालयों में अध्ययन के अभ्यास पर अधिक बल दिया जाय।
2. माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाये और साथ ही सम्बद्ध विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की व्यवस्था की जाय।
3. छात्र अध्यापन के अभ्यास के लिए केवल उन्हीं स्कूलों को चुना जाय, जिनमें पर्याप्त और उपयुक्त शिक्षण सामग्री हो।
4. प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिकांश अध्यापक वे रखे जाये, जो विद्यालयों में पढ़ाने का काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हो।
5. शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य, दोनों पर समान बल दिया जाय। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो।
6. एम.एड. की उपाधि के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाय जो बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हो।
7. ट्रेनिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम का पुनर्संगठन किया जाना चाहिए तथा क्रियात्मक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

4.5 स्त्री शिक्षा (Women Education)-

नारी शिक्षा का महत्व प्रतिपादित करते हुए आयोग ने अग्रांकित तथ्य व्यक्त किये।

1. यद्यपि अनेक बातों में स्त्री और पुरुष समान ही होते हैं परन्तु दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न होता है अतः शिक्षा स्त्रियों के अनुरूप हो और उन्हें ऐसे शिक्षा दी जाये जिसके किवह सभाता सुगृहणी बन सके।

2. महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा सम्बन्धि सुविधा दी जायें
3. गृह अर्थशास्त्र (Home Economic) और गृह प्रबन्ध (Home management) की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को अधिककाधिक प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।
4. महिला अध्यापकों को समान कार्य के लिए उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना की पुरुष अध्यापकों को मिलता है।
5. जिन विद्यालय में सह शिक्षा प्रचलित है वहां महिलाओं को जीवन की सामान्य सुविधाएं व शिष्टाचार आदि पर विशेष बल दिया जाये।

अपनी उन्नति जानिए (Check Your Progress)

- प्रश्न 1 देश के विभाजन के पश्चात भारत में कितने विश्वविद्यालय थे?
- प्रश्न 2 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई?
- प्रश्न 3 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शिक्षा को किस सूची में रखा था?
- प्रश्न 4 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने शोध कार्यों के कितना समय बताया था?
- प्रश्न 5 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों में कितने छात्र होने चाहिए?
- प्रश्न 6 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों की संख्या होनी चाहिए?

4.6 मुदालियर आयोग के सदस्य (Members of the Commission)

1. डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मद्रास विश्वविद्यालय के उप-कुलपति, आयोग के अध्यक्ष।
2. डॉ० ए० एन० बसु, प्रधानाध्यापक केन्द्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, आयोग के सचिव।
3. डॉ० चारी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी, आयोग के सहायक सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया।
4. श्रीमती हंसा मेहता, उप-कुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय।

5. प्रो० जॉन क्रिस्टी, प्रधानाध्यापक, जेसुइट महाविद्यालय, ऑक्सफोर्ड।
6. डॉ० केनेथ रास्ट-विलियम्स, सहायक निदेशक, दक्षिणी प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड, एटलान्टा- अमरीका।
7. श्री के० जी० सैय्यदेन,
8. श्री एम० टी० व्यास
9. श्री जे० ए० तारापोरवाला

4.7 आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र *Objectives and Areas of Commission*

इस आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध में सुझाव देना।

इस उद्देश्य की दृष्टि से आयोग का कार्यक्षेत्र अति विस्तृत हो गया-

- (1) भारत के सभी प्रान्तों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।
- (2) भारत के सभी प्रान्तों की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना।
- (3) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (4) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवाशर्तों आदि का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (5) भारत के सभी प्रान्तों के माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (6) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना।
- (7) भारत के सभी प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपाय खोजना।

4.8 आयोग का प्रतिवेदन *Reports of Commission*

आयोग ने भारत के विभिन्न प्रान्तों की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उसमें सुधार के लिए सुझाव देने के लिए दो अध्ययन प्रणालियों को अपनाया- एक प्रश्नावली और दूसरी साक्षात्कार। उसने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित एक विस्तृत प्रश्नावली (Questionnaire) तैयार की और उसकी प्रतियों को देश के विभिन्न भागों के कुछ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों और कुछ उच्च शिक्षा शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के पास भेजा। उसने प्राप्त प्रश्नावलियों के मतों और सुझावों का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया। दूसरी विधि में उसने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया कुछ माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया, उनके शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से भेंट की और जहाँ सम्भव हुआ कुछ शिक्षाविदों से भेंट की, उनके विचारों को जाना, और इस सबको लेखबद्ध किया। इसके बाद इन दोनों अध्ययनों के आधार पर विचार-विमर्श किया और अन्त में अपनी रिपोर्ट तैयार कर उसे 29 अगस्त, 1953 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। यह प्रतिवेदन 250 पृष्ठों का एक बड़ा दस्तावेज है जिसमें माध्यमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं पर 15 प्रकरणों के अन्तर्गत प्रकाश डाला गया है।

4.9 माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी सुझाव (*Suggestion's for Administration and Finance of Secondary Education*)

आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए उन्हें चार उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है-

A. प्रशासनिक ढाँचा- प्रशासनिक ढाँचे के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

- (1) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Provincial Advisory Board of Education) की स्थापना की जाए जो समय-समय पर प्रान्तीय शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने सुझाव दे।
- (2) जिन प्रान्तों में अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्डों (Board of Secondary Education) का गठन नहीं किया गया है उनमें इनका गठन किया जाए। प्रान्त का शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होगा। यह बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने, उनका निरीक्षण कराने, माध्यमिक शिक्षा के अन्तिम वर्ष में परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाणपत्र देने का कार्य करेगा।
- (3) शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मन्त्री को शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देना है इसलिए इसका पद कम से कम ज्वाइंट सैक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए।

(4) व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबन्ध कम्पनीज अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रबन्ध समितियों द्वारा ही हो। ये समितियाँ शिक्षकों की नियुक्ति में सरकार द्वारा बनाए नियमों का पालन करेंगी और विद्यालयों के आन्तरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगी।

(5) तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रत्येक प्रान्त में तकनीकी शिक्षा बोर्ड (Board of Technical Education) स्थापित किया जाए जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education) के निर्देशन में कार्य करे।

B. वित्त व्यवस्था- माध्यमिक शिक्षा की वित्त व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों पर है फिर भी केन्द्रीय सरकार को उसके विकास एवं उन्नयन के लिए प्रान्तीय सरकारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

(2) माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए।

(3) सरकार माध्यमिक स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था यथा सम्भव निःशुल्क करे।

(4) माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाया जाए।

C. विद्यालयों का निरीक्षण- आयोग ने सरकारी और मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत माध्यमिक स्कूलों के नियमित निरीक्षण पर बहुत जोर दिया और इस सम्बन्ध में चार सुझाव दिए-

(1) विद्यालयों के निरीक्षण हेतु पर्याप्त मात्रा में निरीक्षक नियुक्त किए जाएँ।

(2) निरीक्षण मण्डल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक रखे जाएँ।

(3) प्रत्येक विद्यालय का एक निश्चित समय के अन्तर से निरीक्षण कराया जाए।

(4) निरीक्षण मण्डल विद्यालयों के गुण-दोषों को उजागर करे और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सुझाव दे।

4.9.1 माध्यमिक शिक्षा के संगठन सम्बन्धी सुझाव Suggestion for Organisation of Secondary Education

(1) माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक (जूनियर बेसिक) शिक्षा के बाद शुरू हो।

- (2) यह शिक्षा 11 से 17 आयुवर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष हो।
- (3) यह दो भागों में विभाजित हो- 3 वर्षीय माध्यमिक (सीनियर बेसिक) और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक।
- (4) वर्तमान इण्टरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक की होगी और डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा।
- (5) विश्वविद्यालयों के जिन पाठ्यक्रमों (कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि) में न्यूनतम प्रवेश योग्यता इण्टरमीडिएट है उनमें प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक के बाद एक वर्ष का पूर्व व्यावहारिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाए।
- (8) ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। इनमें कृषि के साथ-साथ बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योगधंधों की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया जाए। कृषि के वैज्ञानिक पक्ष पर विशेष बल दिया जाए।
- (9) बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज (Polytechnic Colleges) खोले जाएँ जो आस-पास के उद्योगों को कुशल कर्मचारों की पूर्ति करें।
- (10) आवासीय माध्यमिक विद्यालयों को बड़ी संख्या में खोला जाए, विशेषकर उन क्षेत्रों के बच्चों के लिए जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।
- (11) विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाएँ।
- (12) बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएँ और जिन क्षेत्रों में ऐसा करना सम्भव न हो उन क्षेत्रों के सामान्य माध्यमिक विद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था की जाए।

4.9.2 पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त (Principles of Curriculum Construction)

सैकण्डरी शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित नियमों की चर्चा की है-

1. समूह-केन्द्रीयता का सिद्धान्त (Principle of community-centredness)- पाठ्यक्रम सशक्त रूप से सामूहिक जीवन के साथ सम्बन्धित होना चाहिए। इसमें समाज के महत्वपूर्ण तत्त्वों की व्याख्या होनी चाहिए और विद्यार्थियों को इसकी महत्वपूर्ण क्रियाओं के सम्पर्क में ले आना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्य को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूर्ण स्कूल प्रणाली के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये सामान्य पाठ्यक्रम में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसे स्थानीय आवश्यकताओं और स्थितियों के अनुसार ढाला जा सके।

2. विविधता एवं लचीलापन का सिद्धान्त (Principle of variety and elasticity)-

व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुकूल पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलापन होना चाहिए। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल के व्यापक क्षेत्रों के साथ सम्पर्क स्थापित होना चाहिए। विषयों का क्षेत्र न्यूनतम रखा जाना चाहिए और वह विद्यार्थियों की शक्तियों एवं योग्यता से परे न हो। दूसरे शब्दों में, हम यों कह सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि का एक ही स्तर स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

3. अनुभव की पूर्णता का सिद्धान्त (Principle of totality of experience)-

पाठ्यक्रम केवल परम्पराओं से पढ़ाये जाने वाले शैक्षणिक विषयों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि इसमें वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिसे बच्चा स्कूल की बहुमुखी क्रियाओं (स्कूल में, कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, खेल के मैदान में, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के अनौपचारिक सम्बन्धों द्वारा) में प्राप्त करता है। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम को जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करना चाहिए और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सन्तुलित विकास में सहायता देनी चाहिए।

4. समवाय का सिद्धान्त (Principle of correlation)-

पाठ्यक्रम में निश्चित किए गए विषय परस्पर अन्तर्सम्बन्धित होने चाहिए। उनकी पाठ्य-सामग्री व्यापक इकाइयों के साथ सम्बन्धित होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम को अलग-अलग, असम्बन्धित और संकीर्ण विषयों में विभाजित नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम जीवन के साथ भी सम्बन्धित होना चाहिए।

5. अवकाश का सिद्धान्त (Principle of leisure)-

पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को केवल काम के लिए ही नहीं बल्कि अवकाश के लिए भी प्रशिक्षण मिले। सामाजिक, सौन्दर्यात्मक और खेल सम्बन्धी विविध क्रियाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी के लिए केवल स्कूल का जीवन ही आनन्दपूर्ण और सार्थक नहीं बनेगा बल्कि उसमें अवकाश के समय के लिए विभिन्न रुचियों का निर्माण भी होगा।

4.9.3 माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सम्बन्धी सुझाव Suggestion's for Curriculum of Secondary Education

1. निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या- आयोग ने सुझाव दिया कि सीनियर बेसिक पाठ्यचर्या और माध्यमिक स्कूलों की निम्न माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या में समानता होनी चाहिए और यह पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए। उसने इस स्तर की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विषयों को रखने का सुझाव दिया-

(i) मातृभाषा (ii) राष्ट्रभाषा हिन्दी (जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है) अथवा कोई अन्य संघीय भाषा (जिनकी मातृभाषा हिन्दी है) (iii) अंग्रेजी (iv) सामाजिक विज्ञान (v) सामान्य विज्ञान (vi) गणित (vii) कला तथा संगीत (viii) हस्तशिल्प और (ix) शारीरिक शिक्षा।

2. उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या- आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया और सातों वर्गों के लिए अलग-अलग पाठ्यचर्या निश्चित की। इनमें कुछ विषयों एवं क्रियाओं को सभी वर्गों में समान एवं अनिवार्य रूप से रखा और कुछ को अलग-अलग एवं ऐच्छिक रूप से रखा।

सभी वर्गों के लिए अनिवार्य विषय निम्नलिखित रखे गए-

(i) मातृभाषा (ii) हिन्दी (अहिन्दी भाषा-भाषियों के लिए) अथवा प्रारम्भिक अंग्रेजी (उनके लिए जिन्होंने निम्न माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी है) अथवा उच्च अंग्रेजी अथवा कोई अन्य आधुनिक संघीय भाषा अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य विदेशी भाषा अथवा कोई शास्त्रीय भाषा (iii) समाज विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्ष हेतु) (iv) गणित तथा सामान्य विज्ञान (केवल प्रथम दो वर्ष हेतु) और (v) कोष्ठक में दिए गए शिल्पों में से कोई एक शिल्प (कताई-बुनाई, काष्ठकला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई-कढ़ाई, मुद्रण, मॉडल बनाने का काम और दस्तकारी)।

4.9.4 माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में सुझाव Suggestion's for Secondary Teachers

आयोग ने माध्यमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में जो सुझाव दिए हैं उन्हें हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं- प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव, नियुक्ति सम्बन्धी सुझाव और वेतनमान एवं सेवाशर्तों सम्बन्धी सुझाव।

A. शिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव- माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए-

(1) निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से सम्बद्ध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सैकेंडरी होनी चाहिए। ये विद्यालय शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए अलग-अलग होने चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए।

(2) माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होने चाहिए। इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए और इनका प्रशिक्षण काल अभी तो एक वर्ष रखा जाए परन्तु आगे चलकर इसे भी दो वर्ष कर दिया जाए।

- (3) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उन्हें राज्य सरकार की ओर से छात्रवृत्तियाँ दी जाएँ। और जो शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हों उन्हें प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाए।
- (4) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सिद्धान्त और प्रायोगिक प्रशिक्षण को बराबर का महत्त्व दिया जाए।
- (5) शिक्षकों को दो पाठ्य विषयों के शिक्षण और कम से कम दो सहपाठ्यचारी क्रियाओं के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाए।
- (6) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण और शोध कार्य हेतु डिमोन्स्ट्रेशन स्कूल संलग्न हों।
- (7) प्रशिक्षित शिक्षकों की पूर्ति के लिए अंशकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जाएँ।
- (8) शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय-समय पर अभिनव पाठ्यक्रम Refresher courses की व्यवस्था भी की जाए।

4.9.5 माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन एवं गुण-दोष विवेचन *Evaluation and Merits & Demerits of Secondary Education Commission*

(A) माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण (Merits of Secondary Education Commission)

- i. **व्यवस्थित प्रशासनिक ढाँचा-** आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में केन्द्र सरकार की भागीदारी पर बल दिया, केन्द्र की भाँति प्रान्तों में भी प्रान्तीय शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया, प्रत्येक प्रान्त में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया और विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर बल दिया। उसके ये सभी सुझाव अच्छे हैं। इन सुझावों को जिस प्रान्त में जिस सीमा तक लागू किया गया उस प्रान्त में उसी सीमा में लाभ हुआ।
- ii. **शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य-** इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य निश्चित किए हैं वे अति व्यापक हैं। छात्रों के व्यक्तित्व विकास से उसका तात्पर्य छात्रों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और चारित्रिक विकास से है। शिक्षा द्वारा लोकतन्त्रीय नागरिकता के विकास से उसका तात्पर्य छात्रों को लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों के

- ज्ञान और लोकतन्त्रीय जीवन शैली में प्रशिक्षित करने से है। नेतृत्व शक्ति और व्यावसायिक कुशलता का विकास तो लोकतन्त्र की सफलता का आधार है।
- iii. **पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धान्त-** आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या को चार आधारों- वास्तविकता, व्यापकता, उपयोगिता और सहसम्बन्ध पर विकसित करने का सुझाव दिया। ये आज पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धान्त माने जाते हैं। आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में सहपाठ्यचारी क्रियाओं को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया। सहपाठ्यचारी क्रियाओं के महत्त्व को आज सभी शिक्षाशास्त्री स्वीकार करते हैं।
- iv. **शिक्षा का माध्यम मातृभाषा-** आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने पर बल दिया। यह किसी भी स्वतन्त्र देश के लिए हितकर है, हमारे देश भारत के लिए भी।
- v. **स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में ठोस सुझाव-** आयोग ने बालक-बालिकाओं की शिक्षा में किसी प्रकार का भेद न करने की सिफारिश की। आयोग की दृष्टि से बालिकाओं को बालकों की भाँति किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। उसने बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान वर्ग की अतिरिक्त व्यवस्था करने की सिफारिश भी की। जिन क्षेत्रों में अलग से बालिका विद्यालय नहीं हैं उन क्षेत्रों में सहशिक्षा की स्वीकृति दी जाए।
- vi. **चरित्र निर्माण और अनुशासन पर बल-** आयोग ने चरित्र निर्माण और अनुशासन पर विशेष बल दिया और इनकी प्राप्ति के लिए ठोस सुझाव दिए। हमारे आज के भारत में चरित्र निर्माण और अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। इनके अभाव में हम क्या, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता।
- vii. **शिक्षकों की दशा में सुधार-** आयोग ने सर्वप्रथम शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया और शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए ठोस सुझाव दिए। उसने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने पर भी बल दिया। पर साथ ही उनके वेतनमान बढ़ाने और उनकी सेवाशर्तों में सुधार करने की सिफारिश भी की। इससे योग्य व्यक्तियों का अध्यापन कार्य की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है।

(B) माध्यमिक शिक्षा आयोग के दोष (Demerits of Secondary Education Commission)

आयोग के सभी सुझाव अपने में उपयुक्त थे। आज की दृष्टि से उसके कुछ सुझाव तो एकदम अनुपयुक्त थे। उन्हें ही हम उसके दोष कहते हैं।

- i. **बोझिल पाठ्यचर्या-** माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाएँ और कुल मिलाकर आठ विषयों का अध्ययन, लगता है आयोग बच्चों को माध्यमिक स्तर पर ही सबकुछ पढ़ा-लिखा देना चाहता था।
- ii. **व्ययसाध्य बहुउद्देशीय स्कूल-** आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालयों में बदलने का सुझाव दिया, सभी स्कूलों में एक साथ अनेक हस्तकौशल और व्यवसायों की शिक्षा की व्यवस्था का सुझाव दिया। आयोग ने सम्भवतः इस पर होने वाले व्यय का अनुमान नहीं लगाया था। यदि वह व्यय और लाभ का अनुमान लगाता तो शायद यह सुझाव नहीं देता।
- iii. **गैरसरकारी स्कूलों के सन्दर्भ में हवाई सुझाव-** आयोग ने गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं वे अपने में उपयुक्त होते हुए भी हवाई सुझाव हैं। जिस देश की राजधानी में तम्बुओं में विद्यालय चल रहे हों और ग्रामों में खुले आकाश के नीचे चल रहे हों, उस देश के विद्यालयों में बिना सरकारी सहायता के सब सुविधाएँ उपलब्ध कराना हवाई सुझाव नहीं तो और क्या है।
- iv. **विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम-** आयोग ने माध्यमिक स्तर पर 7 वर्गों का निर्माण किया और सातों वर्गों के लिए कुछ विषय समान रखे और भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न रखे। कुछ ऐच्छिक विषयों को दो या दो से अधिक वर्गों में भी रखा गया। इस सबके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं था। अब जब पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है, यह वर्ग विभाजन अर्थहीन हो गया है।
- v. **अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव-** आयोग ने अंग्रेजी के अध्ययन के विषय में कुछ उलझे हुए सुझाव दिए हैं। एक ओर उसे अनिवार्य विषयों की सूची में रखा है और वह भी विभिन्न रूपों में।
- vi. **धार्मिक और नैतिक शिक्षा के सम्बन्ध में अनुपयुक्त सुझाव-** आयोग का यह सुझाव की हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें धर्म विशेष की शिक्षा की नहीं, धार्मिक सहिष्णुता की शिक्षा देने की आवश्यकता है और उसे अनिवार्य रूप से देने की आवश्यकता है, तभी हमारे देश में साम्प्रदायिकता की भावना समाप्त की जा सकती है।

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न:

सही उत्तर का चयन कीजिए-

प्रश्न 7 मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था?

- (a) प्राथमिक शिक्षा (b) माध्यमिक शिक्षा
(c) उच्च शिक्षा (d) सम्पूर्ण शिक्षा

प्रश्न 8 मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था?

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

प्रश्न 9 बहुउद्देश्यीय विद्यालय खेलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था?

- (a) ताराचन्द समिति (1948-49) (b) आ.न. दे. समिति (1952-53)
(c) मुदालियर कमीशन (1952-53) (d) कोठारी कमीशन (1964-66)

प्रश्न 10 मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे थे?

- (a) 5 (b) 6
(c) 7 (d) 8

4.10 सारांश (Summary)–

हमारा देश सन् 1947 को आजाद हुआ डा0 राधाकृष्णन कमिशन स्वतन्त्र देश का प्रथम कमिशन था जिसमें भारतीयों के प्रत्येक स्तर पर स्वतन्त्रता पूर्वक विचार करते हुए शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, विधि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि विषयों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दिये हैं जिससे भारतीयों का चर्तुमुखी विकास हुआ है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के सुधारों के लिए असंख्य व्यावहारिक और उपयोगी सुझाव दिए थे (जैसे कि उद्देश्य, पुनर्गठन, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तके,

शिक्षण की विधियाँ, निर्देशन एवं परामर्श, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण प्रशासन, छात्रों का शारीरिक कल्याण, परीक्षा, अध्यापक शिक्षा, सार्वजनिक विद्यालयों का भविष्य, भाषा समस्या, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा, सह-शिक्षा, व्यावसायिक (तकनीकी शिक्षा)। स्वतन्त्र भारत की माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में आयोग की सिफारिशों का सर्वोच्च महत्व है क्योंकि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। स्वतन्त्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के इतिहास में आयोग यकीनन एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट को 'शिक्षकों के लिए बाइबल' (*Bible for Teacher*) कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति को इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और लाभों से आनन्द प्राप्त करना चाहिए।

4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (*Answer of practice question*)

उत्तर 1 (19)

उत्तर 2 (4 नवम्बर 1948)

उत्तर 3 (समवर्ती)

उत्तर 4 (दो वर्षों से अधिक)

उत्तर 5 छात्र (300 छात्र)

उत्तर 6 (100 छात्र)

उत्तर 7(b) माध्यमिक शिक्षा

उत्तर 8(c)

उत्तर 9(c) ताराचन्द समिति (1948-49)

उत्तर 10. (d) 8

4.12 शब्दावली (*Glossary*)

उपकुलपति (*Vice-Chancellor*) - उपकुलपति का पद पूर्ण कालीन होगा और उसे वेतन दिया जायेगा।

उपकुलपति की नियुक्ति कार्यकारिणी की सिफारिश पर कुलपति करेगा।

सीनेट (Senate) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की सीनेट में 100 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों के कुल संख्या के आधे सदस्य विश्वविद्यालय से बाहर के व्यक्ति होंगे। शिक्षण और सम्बद्ध विश्वविद्यालयों (Teaching & Affiliating Universities) की सीनेट में 120 से अधिक शिक्षक, 40 सम्बद्ध कालेजों के शिक्षक और 40 बाह्य सदस्य होंगे।

कार्य-कारिणी परिषद (Executive Council) - एकात्मक और संघात्मक विश्वविद्यालयों की कार्यकारिणी परिषद में अधिक से अधिक 20 और शिक्षण तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों की परिषद में अधिक से अधिक 25 सदस्य होंगे।

4.13 सन्दर्भ (Reference)

लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।
जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।
शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।

शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

4.14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Types Question)

प्रश्न1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिये?

प्रश्न2 राधाकृष्णन कमीशन की प्रमुख सिफारिशों का विस्तार से वर्णन कीजिये?

प्रश्न 3 राधाकृष्णन कमीशन ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया है उनका विस्तार से वर्णन कीजिये?

प्रश्न 4 राधाकृष्णन कमीशन ने विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन और ढाँचा किस प्रकार का वर्णन किया?

प्रश्न 5 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के उद्देश्यों और कार्य-क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दिये गये माध्यमिक शिक्षा के दोषों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 6 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों बताएं।

प्रश्न 7 माध्यमिक शिक्षा आयोग के गुण ओर दोष क्या हैं? अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का मूल्यांकन कीजिए।

प्रश्न 8 मुद्रालय आयोग का आधुनिक भारतीय शिक्षा के निर्माण एवं विकास में क्या योगदान है? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

इकाई 5 कोठारी कमीशन (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग) 1964-66 (Kothari Commission (National Education Commission) 1964-66)

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

5.2 उद्देश्य (Objectives)

5.3 आयोग के सदस्य (Member of The Commission)

5.3.1 आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन (Reasons and purposes for settling up the commission)

5.3.2 आयोग का प्रतिवेदन (Report of the commission)

5.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव (Recommendations of the National Education Commission)

5.3.4 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव (Suggestions related to the administration, finance, and planning of education)

5.4.1 शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Objective)

5.4.2 अध्यापको की स्थिति (Status of Teachers)

5.4.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher's Education)

5.4.4 अध्यापक शिक्षा के दोष (Defects of Teacher's Education)

5.4.5 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Training Facilities)

5.5 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Broad of Primary Education)

5.5.1 माध्यमिक शिक्षा का विस्तार (Expansion of Secondary Education)

5.6 सारांश (Summary)

5.7 शब्दावली (Glossary)

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of practice Questions)

5.9 सन्दर्भ पुस्तके (Reference Book)

5.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न Long Answer Types Question

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत काफी समय ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है यहाँ पर ब्रिटिश शासन की नीतियाँ ही लागू रही हैं जो भारतीयों के हित में न होकर ब्रिटिश के प्रति ज्यादा झुकी हुयी थी स्वतन्त्र भारत में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने हेतु 1948 में विश्वविद्यालय आयोग (राधाकृष्णनन कमीशन) की नियुक्ति की गयी। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासन संगठन और उसके स्तर को उचाँ उठाने सम्बन्धी अनेक ठोस सुझाव दिये। उसके कुछ सुझावों का क्रियान्वयन भी किया गया उससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ परन्तु वह सब हाथ नहीं लगा जिसे हम प्राप्त करना चाहते थे शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार का दूसरा बड़ा कदम था माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) की नियुक्ति इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोषों को उजागर किया और उसके पुनर्गठन हेतु ठोस सुझाव दिए, कुछ प्रान्तीय सरकारों ने उसके सुझावों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन किया परन्तु यह परिवर्तन हमारे उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सका अतः भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा निति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डा. डी. एस. कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया इस आयोग को इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग (Kothari Commission) भी कहते हैं। आयोग का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1964 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ।

5.2 उद्देश्य (Objectives)

- i. कोठारी कमिशन के सदस्यों के बारे में जान सकेगे।
- ii. आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन को जान सकेगे।
- iii. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव को जान सकेगे।
- iv. शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव को जान सकेगे।
- v. तत्कालीन शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्यों को समझ सकेगे।

vi. अध्यापक शिक्षा व अध्यापको की स्थिति को समझ सकेगो।

5.3 आयोग के सदस्य (Member of The Commission)

शिक्षा आयोग में कुल 17 सदस्य थे। जिनमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन निम्न प्रकार है

अध्यक्ष - प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष विश्वविधालय अनुदान आयोग।

सदस्य

1. श्री ए. आर. दाऊद - भूतपूर्व स्थानापन्न संचालन माध्यमिक शिक्षा प्रसार योजना निदेशालय नई दिल्ली।
2. श्री एच. एल. एलविन संचालक शिक्षा संस्थान, लन्दन विश्वविधालय लन्दन।
3. श्री आर. एस. गोपालस्वामी संचालक जनरल अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली।
4. प्रो. संतोषी इहारा- विज्ञान एवं अभियन्त्रण विद्यालय वसदा विश्वविधालय टोकियो।
5. डा. बी. एस. झा भूतपूर्व संचालक कामनवेल्थ शिक्षा सम्पर्क इकाई लन्दन।
6. श्री पी. एन. कृपाल शैक्षिक परामर्शदाता एवं सचिव भारत सरकार शिक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली।
7. प्रो. एम. पी. माथूर प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक प्रशासन राजस्थान विश्वविधालय (बाद में उपकुलपति राजस्थान विश्वविधालय)।
8. डा. वी. पी. पाल संचालक भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान नई दिल्ली।
9. कु० एस. पनान्दीकर अध्यक्ष शिक्षा विभाग कर्नाटक विश्वविधालय।
10. प्रो. रोगर रेवेल डाइरेक्टर, सेन्टर फॉर पापुलेषन स्टेडीज हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, हावर्ड विश्वविधालय कॅम्ब्रिज (अमेरिका)।
11. डॉ. के. जी. सैयदेन, उपकुलपति, जादवपुर विश्वविधालय कलकत्ता।
12. डा. त्रिगुण सेन, उपकुलपति जादवपुर विश्वविधालय कलकत्ता।
13. प्रो. एस. ए. षमोवस्की, प्राध्यापक भौतिक शास्त्र मास्को विश्वविधालय, मास्को।
14. श्री एम जीन थामस, शिक्षा महानिरीक्षक फ्रांस।

15. सचिव श्री जे. पी. नायक अध्यक्ष, शैक्षिक योजना प्रशासन एवं अर्थ विभाग गोखले राजनीतिक एवं अर्थशास्त्र संस्थान पूना।

16. संयुक्त सचिव श्री जे. एफ. मैक्डूगल, उप संचालक विद्यालय एवं उच्च शिक्षा विभाग, यूनस्को, पेरिस।

इस प्रकार 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया गया इस कमीशन ने अक्टूबर 1964 से देश भर का दौरा किया कमीशन ने सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में भ्रमण किया भ्रमण के दौरान कमीशन ने 9000 व्यक्तियों के इंटरव्यू लिये इन व्यक्तियों में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। कमीशन ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए 22 कार्य टोलियाँ और अध्ययन दल नियुक्त किए। इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में दो वर्ष लगे।

5.3.1 आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन (Reasons and purposes for settling up the commission)

भारत सरकार ने अपने 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव में नियुक्ति के कारण एवं प्रयोजनों को निम्नलिखित शब्दों में प्रकाशित किया

1. शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी में अनुसन्धान - शिक्षा के द्वारा ही चतुर्मुखी विकास होता है। यह विकास तभी संभव है जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी साधनों का प्रयोग करते हुए शोधकार्य किया जाये। शिक्षा और विज्ञान पर अधिक से अधिक धन अनुसन्धान करने में लगाया जाएगा।

2. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास - राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना भारत सरकार की प्रमुख आवश्यकता थी शिक्षा के द्वारा ही लोकतन्त्रीय समाज का निर्माण तथा राष्ट्रीय एकता सम्भव है शिक्षा से ही सन्तुलित एवं संगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास होगा।

3. धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र की शिक्षा - परम्परागत शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाकर एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातन्त्र के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करना होना चाहिये जैसे निर्धनता का अन्त, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, समाजवादी समाज की रचना, शिक्षा रोजगार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए समान अवसर आदि।

4. शिक्षा में गुणात्मक विकास - स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा में बहुत तेजी से विकास हुआ है परन्तु उतना विकास नहीं हुआ जितना की आवश्यकता थी शिक्षा का स्तर निम्न था संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है लेकिन गुणात्मक वृद्धि कम ही हुई।

5. शिक्षा स्तरों का विकास- शैक्षिक विकास के लिए सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है क्योंकि शिक्षा प्रणाली के विभिन्न अंग एक दूसरे पर प्रबल प्रतिक्रिया करते हैं प्राथमिक शिक्षा यदि अच्छी होगी तो माध्यमिक शिक्षा भी अच्छी होगी माध्यमिक शिक्षा उत्तम है तो उच्च शिक्षा भी उत्तम होगी अतः शिक्षा स्तरों का उन्नयन करने के लिए शिक्षा के सम्पूर्ण क्षेत्र की जाँच करना आवश्यक है।

5.3.2 आयोग का प्रतिवेदन *Report of the commission*

आयोग ने इस बड़े कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो विधियों का अनुसरण किया पहली निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली इनका विवरण निम्न प्रकार है

निरीक्षण एवं साक्षात्कार विधि (*Observation and Interview method*)- निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल (*Working Groups*) बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को देखा और उनके छात्रों शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार किया अनेक शिक्षाविदों से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया।

प्रश्नावली विधि (*Questionnaire Method*) - आयोग ने शिक्षा की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित एक लम्बी प्रश्नावली (*Questionnaire*) तैयार की और उसे शिक्षा से जुड़े विभिन्न वर्ग के लगभग 5000 व्यक्तियों के पास भेजा इनमें से 2400 व्यक्तियों ने इसे भरकर लौटाया आयोग ने इस प्रश्नावली का सांख्यिकीय विवरण तैयार किया इसके बाद आयोग ने इन दोनों विधियों से प्राप्त सुझावों पर विचार विमर्श किया अन्त में 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति (*Education and national Development*) भारत सरकार को प्रेषित किया

प्रतिवेदन (*Report*) शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 29 जून 1966 को भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री एम. सी. छागला के समक्ष प्रस्तुत किया लगभग 700 प्रश्नों का यह प्रतिवेदन 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम है

5.3.3 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझाव (*Suggestion of National Education Commission*) -

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा का समग्र रूप से अध्ययन किया और उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव दिए आयोग की मूलधारणा है कि शिक्षा राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उसने अपने प्रतिवेदन का शुभारम्भ ही इस वाक्य से किया है 'देश का उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है।' आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि भविष्य इसमें शिक्षा की कुछ समस्याओं का विवेचन तो समग्र रूप से किया गया है जैसे शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की

संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समातनता कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया गया है; जैसे विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आदि और उच्च शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ आदि में सुधार के रूप में देख सकते हैं।

5.4 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझाव *Suggestion for Administration of education, Finance and Planning*

आयोग ने इन तीनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रचनात्मक सुझाव दिए।

शिक्षा के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव-

1. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को अखिल भारतीय स्तर पर विद्यालयी शिक्षा का भार सौंपा जाए।
2. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) को और अधिक अधिकार दिए जाएँ।
3. शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए और उसकी राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए इसके लिए यदि आवश्यक हो तो केन्द्र सरकार 'नेशनल एजुकेशन एक्ट' बनाए और प्रान्तीय सरकारें 'स्टेट एजुकेशन एक्ट' बनाएँ।
4. भारतीय शिक्षा सेवा में उन व्यक्तियों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव हो।
5. केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय में शिक्षा सलाहकार और शिक्षा सचिव के पदों पर सरकारी, गैरसरकारी, भारतीय शिक्षा सेवा और विश्वविद्यालयों में से योग्यतम व्यक्तियों का चयन किया जाए।
6. शिक्षा प्रशासकों और शिक्षकों के बीच स्थानान्तरण की व्यवस्था की जाए।

शिक्षा के वित्त सम्बन्धी सुझाव

आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा 1985-86 में छात्रों की संख्या कम से कम दो गुनी हो जायेगी और प्रति छात्र व्यय 12 रु के स्थान पर 54 रु हो जाएगा इसलिए शिक्षा बजट में प्रति वर्ष वृद्धि करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उसने अग्रलिखित सुझाव दिये।

1. केन्द्र सरकार अपने बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत का प्रावधान करे।
2. राज्य सरकारें भी अपने बजटों में शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत का प्रावधान करें
3. राज्यों में स्थानीय संस्थाओं (ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं) को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं का विभिन्न भार सौंपा जाए।
4. व्यक्तिगत स्रोतों से अधिक से अधिक धन प्राप्त किया जाए।
5. शिक्षा हेतु आप के स्रोत बढ़ाने के उपायों की खोज की जाए, इस क्षेत्र में अनुसंधान किए जाए।

शिक्षा के नियोजन सम्बन्धी सुझाव

1951 में हमारे देश में पंच वर्षीय योजनाओं का श्री गणेश हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचवर्षीय नियोजन प्रारम्भ हुआ इस नियोजन में अनेक खामियाँ थी। आयोग ने इसमें सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए

1. शैक्षिक नियोजन केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर अलग अलग किया जाए
2. विद्यालय शिक्षा का नियोजन स्थानीय निकाएँ और राज्य सरकारें मिलकर करें और उच्च शिक्षा का नियोजन प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारें मिलकर करें।
3. शैक्षिक नियोजन वर्तमान और भविष्य की माँगों के आधार पर किया जाए राष्ट्रीय प्रान्तीय और उसके बाद स्थानीय आधार प्राथमिकताओं का वर्गीकरण किया जाए और उनके आधार पर सभी कार्यक्रम नियोजित किए जाएं।
4. शैक्षिक नियोजन में अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए विशेष प्रावधान किया जाए।
5. शैक्षिक नियोजन में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए व्यवसाय किया जाए।

5.4.1 शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्य (Education and National Objective)

शिक्षा द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आयोग ने निम्नांकित पंचमुखी कार्यक्रम का विचार प्रकट किया है

(1) शिक्षा व उत्पादन- आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित सुझाव दिए हैं:-

1. विद्यालयों तथा महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाये
2. कार्य- अनुभव को समस्त शिक्षा का अविभाज्य अंग स्वीकार किया जाए।

3. कृषि कार्य के विकास में तथा उत्पादन को बढ़ाने में विज्ञान से सहायता लेनी जाये
4. माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाये
5. विश्वविधालय तथा उच्च शिक्षा में कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा को भी स्थान दिया जाये।

(2) समाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास (Development of social, Moral and Spiritual Values)- इस सम्बन्ध में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं

1. समस्त शिक्षण संस्थाओं में नैतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी जाये।
2. प्राथमिक स्तर पर इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा दी जाए।
3. माध्यमिक स्तर पर इन मूल्यों के सम्बन्ध में अध्यापक तथा विद्यार्थी मिलकर विचार विमर्श करें।
4. विद्यालयों का वातावरण इन मूल्यों से ओत-प्रोत रखना चाहिए।

(3) शिक्षा और लोकतन्त्र की सुदृढ़ता (Education and Consolidation of Democracy)- आयोग ने शिक्षा द्वारा प्रजातन्त्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नांकित सुझाव दिये हैं

1. 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाये
2. बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायें
3. वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किये जायें
4. माध्यमिक तथा विश्वविधालय शिक्षा का विकास करके सुयोग्य तथा कुशल नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाये

(4) शिक्षा और आधुनिकीकरण (Education and Modernisations)- आयोग ने भारत के आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं

1. आधुनिकीकरण की दृष्टि से औद्योगिकी सहायता ली जाये
2. आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार किया जाये
3. सामान्य व्यक्ति के शिक्षा स्तर को ऊँचा किया जाये
4. शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टि कोण का विकास हो।

5.4.2 अध्यापकों की स्थिति (Status of Teachers)

आयोग ने शिक्षक की स्थिति में सुधार करने हेतु निम्न विचार व्यक्त किये हैं

वेतन (Remuneration) -आयोग ने शिक्षकों के वेतन के विषयमें अधोलिखित विचार प्रकट किये हैं।

1. भारत सरकार विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम वेतनक्रम निश्चित करे।
2. राजकीय तथा अराजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतनक्रमों में समानता के सिद्धान्त का पालन किया जाए
3. विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बन्धित कॉलेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम में पर्याप्त वृद्धि की जाए

वेतन क्रम सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Pay Scales) - आयोग ने शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में अधोलिखित सुझाव दिये

1. वेतन क्रमों को क्रियान्वित करने के साथ साथ शिक्षकों की योग्यताओं एवं नियुक्ति की विधियों में सुधार किया जाए
2. शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान महँगी भत्ता दिया जाए
3. शिक्षकों के वेतन क्रम प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् दोहराये जायें
4. शिक्षकों के वेतन क्रम के विषय में दिए सुझाव तत्काल क्रियान्वित हों।

नियुक्ति एवं पदोन्नति सम्बन्धी सुझाव (Suggestions Regarding Appointment and Promotion) –

1. किसी भी स्तर के शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता बढ़ाई जाए और उनके चयन की विधियों को सुधारा जायें
2. शिक्षकों के पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए इस हेतु अति योग्य व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धि और अतिरिक्त प्रतिभा के व्यक्तियों को उच्च वेतनमान भी दिए जा सकते हैं
3. सभी स्तरों पर महिला शिक्षकों की नियुक्ति प्रोत्साहित की जाए

4. अपने पदों पर कार्यकुशलता का परिचय देने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जाए
5. पदोन्नति का आधार वरीयता के स्थान पर योग्यता एवं कुशलता हो।

कार्य व सेवा की दशाये (Conditions of work and Service)- आयोग ने शिक्षकों के कार्य एवं सेवा की दशाओं में सुधार हेतु निम्न सुझाव दिये।

1. सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा दशाओं में समानता स्थापित की जाए।
2. शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों के कुशलतापूर्वक कार्य करने हेतु न्यूनतम सुविधायें प्रदान की जाए
3. शिक्षक को अपनी व्यावसायिक उन्नति करने हेतु उपयुक्त सुविधायें प्रदान की जायें
4. शिक्षकों के अध्यापन कार्य के घण्टों को निश्चित करते समय उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्यों को दृष्टि गत रखा जाए
5. शिक्षकों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार, देश के किसी स्थान में भ्रमण करने हेतु उनके वेतन के अनुसार रियायती दर पर रेल के टिकट दिए जायें
6. सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षकों के लिए त्रिमुखी लाभ योजना (जी. पी. एफ. बीमा और पेंशन) लागू होनी चाहिए
7. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को आवास सुविधा दी जाए और शिक्षिकाओं को आवास सुविधा के साथ साथ विशेष भत्ता भी दिया जाय।

5.4.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher's Education)

आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के सम्बन्ध में कहा है, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है

अध्यापक शिक्षा के उपर्युक्त महत्व के दृष्टि गत आयोग ने सर्वप्रथम अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया और तत्पश्चात् इस शिक्षा के सुधार के सम्बन्ध में अपने विचारों को लेखबद्ध किया गया

5.4.4 अध्यापक शिक्षा के दोष (Defects of Teacher's Education)

अध्यापक शिक्षा के दोष निम्न प्रकार पाये

1. प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का है।
2. प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापक नहीं है

3. प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है
4. प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाली प्रशिक्षण परम्परागत तथा अल्प उपयोगिता वाला है
5. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थायें इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं रखती है

अध्यापक शिक्षा के उपरोक्त दोषों का निराकरण करने के लिए आयोग ने निम्नांकित महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं

(1) अध्यापक शिक्षा की पृथक्ता का अन्त (Removal of Isolation of Teacher Education)- आयोग के अनुसार अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक ओर विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन के और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा सम्बन्धी नवीनतम विचारों के सम्पर्क में लाया जाना परम् आवश्यक है इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयोग ने निम्न सुझाव प्रस्तुत किये हैं

- a. कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु शिक्षा विभाग (Department of Education) को स्थापित किया जाए।
- b. शिक्षा विषय को विषय विद्यालयों के बी.ए. एवं एम. ए. के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाए
- c. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग (Extension Service Department) को स्थापित किया जाए।
- d. सब राज्यों में कॉम्प्रीहेन्सिव कॉलिजों (Comprehensive Colleges) को स्थापित कर उसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए
- e. प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद् (State Board of Teacher Education) स्थापित की जाए जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व हो
- f. विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की पृथक्ता का अन्त करने के लिए सबको टेनिंग कॉलिजों की संज्ञा दी जाए तथा उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाए

(2) व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति (Improvement in Professional Education)- आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति करने के लिए निम्नांकित सिफारिशें की हैं।

- a. शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किये जायें
- b. छात्राध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाए
- c. अध्यापक-शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों के दृष्टिगत दोहराया जाए, जिनके लिए छात्राध्यापकों को तैयार किया जा रहा है
- d. सब प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं विषय सामग्री में इस प्रकार रूपान्तर किया जाए जिससे छात्राध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के उद्देश्यों प्रयोजन एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो।

(3) प्रशिक्षण की अवधि (Period of Training)- आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के विषय में निम्न विचार व्यक्त किए हैं।

- a. प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए, जिन्होंने सेकेण्डरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की हो
- b. माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक है, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की हो पर कुछ समय के पश्चात् 2 वर्ष की कर दी जाए।
- c. शिक्षा में स्नातकोत्तर (M.Ed) पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष की हो।

(4) प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति (Improvement in Training Institutions)- आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हेतु निम्न सिफारिशें की हैं।

- a. ट्रेनिंग कॉलिजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि (Degree in Education) के अतिरिक्त दो स्नातकोत्तर उपाधियाँ (Post-Graduate Degrees) हो
- b. ट्रेनिंग कॉलिजों के अध्यापकों में डॉक्टर (Doctorate) की उपाधियाँ वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में हो
- c. गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र आदि विषयों को शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो

- d. प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थाओं से एक प्रयोगात्मक (Experimental) विद्यालय संलग्न हो।
- e. प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्राध्यापको से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाए
- f. विद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं (Summer Institutes) की योजना आरम्भ की जाए।

5.4.5 प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार (*Expansion of Training Facilities*)

आयोग ने प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने हेतु निम्नांकित विचार व्यक्त किये

- a. प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाए
- b. पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाए
- c. विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने कि सुविधायें प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए

आयोग के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में दो मुख्य प्रकार की व्यापक असमानतायें हैं

- (1) शिक्षा के सब पक्षों एवं स्तरों पर बालको एवं बालिकाओं की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है
- (2) उन्नत वर्गों, पिछड़े वर्गों अछूत जातियों एवं आदिवासियों की शिक्षा में व्यापक असमानता विद्यमान है।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए आयोग ने निम्न चार सुझाव दिये हैं।

- a. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
- b. शिक्षा के खर्चों में कमी की जाए
- c. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए

d. छात्रवृत्तियों की योजना हो

1. निःशुल्क शिक्षा (Free Education) -आयोग ने निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न विचार व्यक्त किये हैं

- a. चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए।
- b. पाँचवी पंचर्शीय योजना के अन्त तक या उससे पूर्व निम्न माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क किया जाए
- c. पाँचवी पंचर्शीय योजना के अन्त से 10 वर्ष की अवधि में उच्चतर माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का योग्य एवं निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क किया जाए।

2. शिक्षा के व्यय में कमी (Reduction in the Cost of Education)-शिक्षा के खर्चों में निम्न प्रकार कमी की जाए

- a. प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को पाठ्य पुस्तकें एवं लेखन सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाए
- b. माध्यमिक विद्यालयों कॉलिजों एवं विश्वविद्यालयों में पुस्तक गृहों (Book Bank)की व्यवस्था की जाए जहाँ से छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जायें
- c. छात्रों के प्रयोग हेतु माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं के पुस्तकालयों में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त संख्या में हो
- d. योग्य छात्रों को पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक पुस्तकों को खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए

3. छात्रवृत्तियों की व्यवस्था (Provision for Scholarships)-छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निम्नांकित व्यवस्था की जाए

- i. निम्न प्राथमिक स्तर के उपरान्त शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्तियों के कार्यक्रम को संगठित किया जाए
- ii. छात्र के शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पहुँचने पर इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाए कि कोई निर्धन पर योग्य विद्यार्थी छात्रवृत्ति न मिल सकने के कारण अपनी भावी शिक्षा से वंचित न रह जाय

- iii. छात्रावासों में रहकर कॉलिज या विश्वविधालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में इतना धन दिया जाए, जिससे शिक्षा से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए।
- iv. अपने घरों पर रहकर अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए केवल इतनी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे अधिकांश प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यय की पूर्ति हो जाए।

4 छात्रवृत्तियों की योजनायें (Schemes of Scholarships)- छात्रवृत्तियों की निम्न प्रकार की योजनाओं को लागू किया जाए

- i. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों की योजना की पूर्ति हेतु विश्वविधालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविधालय छात्रवृत्तियों (University Scholarships) की योजना आरम्भ की जाए
- ii. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति व्यवस्था इस प्रकार हो (विद्यालय स्तर पर 30 प्रतिशत को, कॉलिज स्तर पर 50 प्रतिशत को)
- iii. ऋण छात्रवृत्तियों (Loan Scholarships) की योजना को कुछ सीमा तक सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले योग्य छात्रों के लिए क्रियान्वित किया जाए
- iv. असाधारण प्रतिभा के विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष 500 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।
- v. कुछ छात्रों, विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी के छात्रों को ऋण छात्रवृत्तियाँ दी जायें, जो वे आगे चलकर अपने वेतन में कटौती द्वारा लौटाये।
- vi. माध्यमिक स्तर की छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार राज्य सरकारों पर हो और उच्च स्तर के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का वित्तीय भार केन्द्र सरकार पर हो।

5.5 विद्यालय-शिक्षा का विस्तार (Expansion of School –Education)

आयोग ने विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अंगों के विस्तार के विषय में अपने सुझाव निम्न प्रकार दिये हैं।

1 पूर्वप्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Expansion of pre-Primary Education)-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए निम्नांकित सुझाव हैं

- i. प्रत्येक राज्य के राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education) में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु राज्य स्तर पर केन्द्र की स्थापना की जाए।
- ii. व्यक्तिगत प्रबन्धकों को उदार आर्थिक सहायता देकर, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने हेतु प्रेरित किया जाए
- iii. पूर्व प्राथमिक शिक्षा में परीक्षण कार्यद्ध (Experimentation) को प्रोत्साहित किया जाए ताकि इस शिक्षा के विस्तार के लिए कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके।
- iv. पूर्व प्राथमिक शिशुओं के खेल केन्द्रों (Sensorial Education) को प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध किया जाए

5.5.1 प्राथमिक शिक्षा का विस्तार (Broad of Primary Education)

आयोग के प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु सुझाव निम्न प्रकार है

- a. सन् 1975-76 तक देश के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था हो।
- b. सन् 1985-86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा का योजना पूर्ण की जाए
- c. अपव्यय व अवरोधन (Wasteage and Stagnation) को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।
- d. जो बालक कक्षा 7 पास करने के समय 14 वर्ष के न हों और अपनी सामान्य शिक्षा के क्रम को जारी रखने के इच्छुक न हों उनको इस आयु तक उनकी रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए
- e. प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने हेतु प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जाए, कि लोअर प्राइमरी स्कूल किभी बालक से घर से क्रमशः 1 और 3 मील से अधिक दूर न हों
- f. पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोले जायें
- g. मन्द बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खाले जायें

5.5.1 माध्यमिक शिक्षा का विस्तार *Expansion of Secondary Education*)-

धनाभाव के कारण कुछ अंशो तक माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना सम्भव नहीं है अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्न उपायों एवं सिद्धान्तों के दृष्टिगत किया जाना चाहिए।

- माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाए।
- माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण (Vocationalization) इस प्रकार किया जाए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20 प्रतिशत छात्रों को एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके।
- माध्यमिक शिक्षा के अवसरों की समानता स्थापित की जाए।
- माध्यमिक स्तर पर होने वाले अपव्यय और अवरोधन को रोकने के उपाय किये जायें।

अपनी उन्नति जानिय (*Check Your Progress*)

प्रश्न 1 कोठारी कमिशन का गठन कब हुआ?

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे ?

प्रश्न 3 भारत में पंच वर्षीय योजना का श्री गणेश कब हुआ ?

प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के दो दोष लिखिय?

प्रश्न 5 कोठारी कमीशन ने मंद बुद्धि बालको के लिय क्या सुझाव दिया था?

5.6 सारांश (*Summary*)

भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर समग्र रूप से सोचने समझने और देश भर के लिए समान शिक्षा निति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डा. डी. एस. कोठारी (तत्कालीन अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया। आयोग ने इस बड़े कार्य को सम्पन्न करने के लिए दो विधियों का अनुसरण किया पहली निरीक्षण एवं साक्षात्कार और दूसरी प्रश्नावली, निरीक्षण एवं साक्षात्कार विधि (Observation and Interview method) निरीक्षण एवं साक्षात्कार के लिए आयोग ने कार्यकारी दल (Working Groups) बनाए। इन दलों ने देश के विभिन्न प्रान्तों का दौरा किया, उनके अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को देखा और उनके छात्रों शिक्षकों और प्रशासकों से साक्षात्कार

किया अनेक शिक्षाविदों से भेंट कर उनसे विचार विमर्श किया और मुख्य तथ्यों को लेखबद्ध किया। शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना, शिक्षकों की स्थिति, शैक्षिक अवसरों की समातनता कृषि शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा और कुछ समस्याओं का विवेचन स्तर विशेष की शिक्षा के सन्दर्भ में किया।

5.7 शब्दावली Glossary

शिक्षा और आधुनिकीकरण - आयोग ने भारत में आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिकी सहायता व शिक्षा को एक साधन के रूप में स्वीकार करने शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने तथा शिक्षा के द्वारा उचित मूल्यों और दृष्टि कोण का विकास होने की बात कही।

5.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)

उत्तर 1 14 जुलाई 1978 उत्तर 2 17 सदस्य उत्तर 3 वर्ष 1951

उत्तर 4 प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता नहीं है।

प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाली प्रशिक्षण परम्परागत तथा अल्प उपयोगिता वाला है।

उत्तर 5 मन्द बुद्धि और विकलांग बच्चों के लिए अलग से स्कूल खोले जायें।

5.9 संदर्भ पुस्तकें (Reference Book)

लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठा।

जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठा।

शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।

शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।

शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

5.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

प्रश्न 1 कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन का विस्तार से वर्णन कीजिये? (Explain in detail the Reasons and purposes for settling up the commission)

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सुझावका विस्तार से वर्णन कीजिये? Explain in detail Suggestion of National Education Commission (Kothari Commission)

प्रश्न 3 शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन सम्बन्धी सुझावसे आप क्या समझते हो। व्याख्या कीजिये। Explain in detail Suggestion for Administration of education, Finance and Planning

प्रश्न 4 अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के सुझावों का हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? What are the effect of our education's suggestion of Kothari Commission in the reference of Teacher Education.

इकाई 6 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना *National Education Policy 1986 and National Curriculum Framework Teacher Education (NCFTE) 2009*

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

6.2 उद्देश्य (Objectives)

6.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to National Education policy)

6.4 कार्य योजना 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to Plan of Action)

6.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व (Main Components of National Education Policy)

6.5.1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा (Open University and Distance Learning)

6.5.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black Board Plan)

6.6 सारांश (Summary)

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)

6.8 शब्दावली (Glossary)

6.9 संदर्भ (Reference)

6.10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों (Long Answer Type Question)

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत देश सदियों तक अधीन रहा है जिसके कारण भारत की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी थी इस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये स्वतन्त्रता के बाद अनेक नीतियों का निर्माण किया गया लेकिन समय व सरकार बदलने के साथ आधारभूत नीतियों को लागू नहीं किया जा सका। परिणाम यह रहा कि सरकार बदलते ही नीतियों में भी परिवर्तन देखा गया। 1969 में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की थी, कई प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई थी, कई प्रान्तों ने अपने-अपने ढंग से त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया था, कई प्रान्तों में कृषि, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने लगे थे, प्रायः सभी प्रान्तों में परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी और शैक्षिक

अवसरों की समानता के लिए कदम उठाये जाने लगे थे। परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता दल सत्तारूढ़ हो गया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई ने 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार प्रस्तुत किया। परिणाम यह हुआ कि तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रताप चन्द्र चन्दर ने कुछ शिक्षाविदों और सांसदों के सहयोग से एक नई शिक्षा नीति तैयार की और 1979 में उसकी घोषणा कर डाली। इसे अभी लागू भी नहीं किया जा सका था कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः प्रधानमंत्री बनीं। इन्दिरा गाँधी ने पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अनुपाल पर जोर दिया। इसी बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या कर दी गई, उनके स्थान पर राजीव गाँधी को प्रधानमंत्री बनाया गया।

युवा प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने शुरू किए, शिक्षा के क्षेत्र में भी। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा राष्ट्र की माँगों को पूरा करने में असमर्थ है, इनका पुननिरीक्षण होना चाहिए और पुनगठन होना चाहिए। पर इस बार न तो किसी आयोग का गठन किया गया और न ही किसी समिति का। सर्वप्रथम सरकार ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराया और उसे 'शिक्षा की चुनौती: नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य' (Challenge of Education: A Policy Perspective) नाम से अगस्त, 1983 में प्रकाशित किया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण और उसके गुण-दोषों का सम्यक् विवेचन किया गया है। सरकार ने इस दस्तावेज को जनता के हाथों में पहुँचाया और इस पर देशव्यापी बहस शुरू की। सभी प्रान्तों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केन्द्रीय सरकार ने इस सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद के पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद इसकी कार्य योजना ((Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति के बारे में कहा गया था कि यह आने वाले समय के लिय शिक्षा का महाधिकार-पत्र (Magna Charta) साबित होगी।

6.2 उद्देश्य (Objectives)

- i. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं उनको जान सकेगे।
- ii. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेगे।
- iii. मिड दे मिल योजना के उद्देश्यों को जान सकेगे।
- iv. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व को जान सकेगे।
- v. प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को जान सकेगे।

6.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to National Education policy 1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। यहाँ उनका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है-

प्रथम भाग- भूमिका (Introductory) -राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है सभी प्रान्तों में 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है, प्राथमिक शिक्षा 90 प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और देश की आवश्यकतानुसार जन शक्ति की पूर्ति हो रही है। पर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणित नहीं हो सके हैं। फिर इस बीच देश की परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हुआ है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ने पर लोकतन्त्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक अड़चनें आ रही हैं। इनके अतिरिक्त हमें भविष्य में अनेक समस्याओं का सामना करना होगा, अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार शिक्षा की नई नीति तैयार करे और उसे क्रियान्वित करे।

द्वितीय भाग- शिक्षा का सार और उसकी भूमिका (The Essence and Role of Education) -सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं अध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है। यह मनुष्य में स्वतन्त्र चिन्तन एवं सोच-समझ की क्षमता उत्पन्न करती है जिससे हम लोकतन्त्रीय लक्ष्य-स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश (Investment) है। सभी अभिभावकों को आज की स्थिति को देखते हुए उत्तम विद्यालयों में शिक्षा दिलानी चाहिये।

तीसरे भाग- राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National Education System) -राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा- 'एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो' को सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए। साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Level of Learning) निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए।

चौथे भाग- समानता के लिए शिक्षा (Education for Equality)-सभी वर्गों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विषमताओं को दूर कर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों और प्रौढ़ की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। क्योंकि शिक्षा के ही माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त जीवन कर सकता है अथवा न मिलने पर कानून का सहारा लेकर सम्मान से जीवित रह सकता है।

पाँचवें भाग- विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन-शिशुओं की देख-भाल और शिक्षा (Reorganization of Education at Different Stages-Early Childhood Care and Education) - पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचिपूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गति निर्धारक विद्यालयों (Pace Setting Schools) की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है कि चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार की उपाधि से विलग करने की शुरुआत की जाएगी।

छठे भाग- तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education) - इसमें तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है।

सातवें भाग- शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना (Making the System Work) -शिक्षा तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक शिक्षक शिक्षा के अन्दर शिक्षा के प्रति समर्पण न हो। प्रशासनिक तन्त्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाबदेही निश्चित करने और शिक्षार्थियों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है।

आठवें भाग- शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना (Reorienting the Content and Process of Education) - सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया है और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं-खेल-कूद आदि पर बल दिया गया है और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

नवें भाग- शिक्षक (The Teacher)- शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाने और सेवाशर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव दिए गए हैं। ताकि शिक्षा का विकास हो सके। व्यवसाय से संतुष्ट शिक्षक ही शिक्षण कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं।

दसवें भाग- शिक्षा का प्रबन्ध (The Management of Education) - शिक्षा में प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय शिक्षा सेवा', राज्य स्तर पर 'प्रान्तीय

शिक्षा सेवा' और जिले स्तर पर 'जिला शिक्षा परिषद' के गठन की बात कही गई है और शिक्षा प्रशासन को चुस्त करने की बात कही गई है। साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6 प्रतिशत धनराशि व्यय करने की घोषणा की गई है।

ग्यारहवें भाग- संसाधन तथा समीक्षा (Resources and Review) - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस भाग में इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रत्येक पाँच वर्ष बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाए। ताकि शिक्षा सभी बच्चों को आसानी से सुलभ हो सके।

बारहवें और अन्तिम भाग- भविष्य (The Future) - भारत सरकार ने सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य हेतु सभी के द्वार तक शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास किया है यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में शतप्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे।

6.4 कार्य- योजना 1986 का दस्तावेज (Documents with regard to Plan of Action)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा मई 1986 में की गई और नवम्बर 1986 में कार्य योजना (Plan of Action, POA) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है। यहाँ उसका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत है।

प्रथम भाग- पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education)- शिशुओं के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services) के पूर्व विद्यालय शिक्षा पक्ष को सुदृढ़ करने, पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा योजना में स्वास्थ्य एवं पोषण को जोड़ने, दिवस परिचर्या केन्द्रों को सुदृढ़ करने करके और इन सब कार्यों के लिए अलग से धनराशि की व्यवस्था करने की योजना की प्रस्तुत की गई है।

द्वितीय भाग-प्राथमिक शिक्षा और ब्लैक बोर्ड योजना (Elementary Education and Operation Black Board) :- प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 1 किमी⁰ की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्कूल और 3 किमी⁰ की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक स्कूल और आवश्यकतानुसार निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने की बात कही गई और प्राथमिक स्कूलों की दशा-सुधारने के लिए ब्लैक बोर्ड योजना प्रस्तुत की गई है। ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री,

पुस्तकालय सामग्री खेल सामग्री और कम से कम दो शिक्षकों) की पूर्ति करने और इन सबके लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

तृतीय भाग-माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय (Secondary Education and Navodaya Vidyalaya) - माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए आवश्यकतानुसार माध्यमिक स्कूल खोलने, सभी माध्यमिक स्कूलों की दशा सुधारने, माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा की व्यवस्था करने और गति निर्धारक-नवोदय विद्यालयों की स्थापना की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।

चतुर्थ भाग-शिक्षा का व्यावसायीकरण (Vocationalization of Education) - प्रारम्भ से ही कार्यानुभव पर बल देने, +2 के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार करने और उपेक्षित वर्गों के बच्चों के लिए अलग से विशेष व्यावसायिक संस्थान स्थापित करने पर बल दिया गया है।

पंचम भाग-उच्च शिक्षा (Higher Education) - उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को संसाधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

षष्ठ भाग-मुक्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Open University and Distance Education) - इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों को विस्तार देने और नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना सावधानी से करने का कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

सप्तम भाग-ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Rural Universities and Institutes) - केन्द्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (Central Council of Rural Institutes) का गठन करने, ग्रामीण विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं का पुनर्गठन करने और इन क्षेत्रों के कुछ संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

आठवें भाग-तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education) - अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अन्तर्सम्बन्ध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत् शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

नौवें भाग-प्रणाली को कार्यकारी बनाना (Making the System Work) - संस्थाओं के प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है।

दसवें भाग- उपाधियों की रोजगार से विलगता एवं मानव शक्ति का नियोजन (*Delinking Degrees from Jobs and Manpower Planning*) -राष्ट्रीय परीक्षण सेवा (National Test Service) शुरू करना निश्चित किया गया है। अब क्षेत्र विशेष के रोजगार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र विशेष के राष्ट्रीय परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

ग्यारहवें भाग- अनुसंधान तथा विकास (*Research and Development*) - उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को विकसित करने, अनुसंधान केन्द्रों की अधिसंरचना (Infrastructure) में सुधार करने, अनुसंधान हेतु प्रतिभाओं की खोज करने और कार्यरत शिक्षकों को अनुसंधान के अधिक अवसर सुलभ कराने की योजना प्रस्तुत की गई है।

बारहवें भाग- नारी समानता के लिए शिक्षा (*Education for Women's Equality*) - बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलिज खोलने, बालिकाओं के लिए अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं को वरीयता देने की योजना प्रस्तुत की गई है।

तेरहवें भाग-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा (*Education of SCs, STs and OBCs*) - इनके क्षेत्रों में विद्यालय खोलने को प्राथमिकता देने, इन वर्गों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दर बढ़ाने, इनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने और इन जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

चौदहवें भाग-अल्पसंख्यकों की शिक्षा (*Education of Minorities*) - अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में स्कूल और पौलिटेक्निक कॉलिज खोलने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, इनके लिए कोचिंग सेन्टर खोलने और इनकी बच्चियों की शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया गया है।

पन्द्रहवें भाग-विकलांगों की शिक्षा (*Education of the Handicapped*) -जनपद स्तर पर विकलांगता जानकारी हेतु सेवाएँ शुरू करने और इनकी शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करने की बात कही गई है।

सोलहवें भाग-प्रौढ़ शिक्षा (*Adult Education*) - प्रौढ़ शिक्षा, सतत् शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए ग्रामों में सतत् शिक्षा केन्द्र, पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित करने पर बल दिया गया है।

सत्रहवें भाग-स्कूल शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रक्रिया (*Content and Process of School Education*) - राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार पर विशेष बल दिया गया है।

अठारहवें भाग-मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार (Evaluation Process and Examination Reforms)- केवल 10 तथा 12 कक्षाओं के अन्त में सार्वजनिक परीक्षा करने सतत् मूल्यांकन करने और अक्षर ग्रेड प्रणाली अपनाने की बात कही गई है। और साथ ही राष्ट्रीय परीक्षण सेवा शुरू करने एवं नकल विरोधी कानून बनाने की बात कही गई है।

उन्नीसवें भाग-युवा तथा खेल (Youth and Sports) -शारीरिक शिक्षा एवं खेलों को सम्मिलित करने पर बल दिया गया है।

बीसवें भाग-भाषा विकास (Language Development) - आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास और हिन्दी को सर्म्पक भाषा के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता देने का वायदा किया गया है।

इक्कीसवें भाग-सांस्कृतिक परिपेक्ष्य (The Cultural Perspective)-सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पाठ्यचर्या का अंग स्वीकार किया गया है। ताकि व्यक्ति संस्कारवान बन सके।

बाईसवें भाग-संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी (Media and Educational Technology)- शिक्षा में रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर एवं ओवर हैड प्रोजेक्टर आदि के प्रयोग की संस्तुति की गई है।

तेईसवें भाग-शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण (Teacher and their Training) - शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs) स्थापित करने, कुछ अच्छे कॉलिजों को शिक्षक शिक्षा कॉलिजों (CTEs) में समुन्नत करने और कुछ बहुत अच्छे कॉलिजों को 'शिक्षा उच्च अध्ययन केन्द्रों (CASEs) में सम्मूनत करने की योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' (NCTE) को स्वायत्त दर्जा देने की बात कही है।

चौबीसवें एवं अन्तिम भाग-शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education) - मानव संसाधन मन्त्रालय को सुदृढ़ करने, प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण करने, भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने और जिला शिक्षा परिषदों का गठन करने की योजना प्रस्तुत की गई है।

6.5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल तत्व Main Components of National Education Policy

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी कार्य योजनासे जो तत्व उजागर होते हैं, उन्हें निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है-

1. शिक्षा प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के दसवें भाग में शिक्षा प्रशासन के विकेन्द्रीयकरण पर बल दिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा,

प्रान्तीय स्तर पर प्रान्तीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद के गठन की घोषणा की गई है।

2. शिक्षा की व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के तृतीय भाग में यह स्वीकार किया गया है कि शिक्षा मनुष्य का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास करती है और यह हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास, लोकतन्त्रीय मूल्यों (स्वतन्त्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय) के विकास और राष्ट्रीय लक्ष्यों (जनसंख्या नियन्त्रण, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण) की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। शिक्षा के आभाव में इन सबकी प्राप्ति नहीं की जा सकती। शिक्षा एक उत्तम निवेश है। इस शिक्षा नीति के ग्यारहवें भाग में इसे क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया है और यह घोषणा की गई है कि केन्द्र अपने बजट में शिक्षा पर 6 प्रतिशत का प्रावधान करेगा। साथ ही प्रत्येक स्तर पर जन सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाएगा।

3. सम्पूर्ण देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होगी :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तृतीय भाग में सम्पूर्ण देश के लिए 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार की गई है। प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी, इसके लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) होगी। +2 पर प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा और सामान्य छात्र-छात्राओं को विशेष की आवश्यकताओं और छात्र-छात्राओं की रुचि एवं योग्यतानुसार व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। +3 पर छात्रों को उच्च ज्ञान प्रदान किया जाएगा जो देश की सांस्कृतिक सुरक्षा और उसके आधुनिकीकरण में सहायक होगा, साथ ही चिकित्सा, न्याय, कृषि, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा समाज की मांगों की पूर्ति होगी।

4. विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में शिक्षा के सभी स्तरों का पुनर्गठन करने पर बल दिया गया है। और पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या में सुधार करने और उनके स्तर को उठाने पर बल दिया गया है। शिक्षा के सभी स्तरों पर एक तरफ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा और दूसरी तरफ गणित, विज्ञान एवं कम्प्यूटर प्रयोग आदि की शिक्षा पर बल दिया गया है, सांस्कृतिक संरक्षण एवं आधुनिकीकरण में समन्वय पर बल दिया गया है।

5. पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- इस स्तर पर शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा; उनके भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा और उनके लिए खेल-कूद एवं व्यायाम की उचित व्यवस्था की जाएगी।

6. अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त किया जाएगा:- प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा। अभी 90 प्रतिशत बच्चों को 1 किमी० की दूरी पर

प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, शेष 10 प्रतिशत को 1990 तक उपलब्ध करा दिए जाएँगे। 1995 तक 11 से 14 आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को भी उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ करा दी जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों की दशा में सुधार किया जाएगा।

7. माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया जाएगा:- इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में यह घोषणा की गई है कि माध्यमिक शिक्षा सभी इच्छुक लड़के-लड़कियों को सुलभ कराई जाएगी। इस स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा और गणित, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इतिहास, राष्ट्रीयता, संवैधानिक दायित्व, नागरिक अधिकार एवं कर्तव्य, सांस्कृतिक संस्कार और कार्यानुभवको अनिवार्य किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा जो अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय होगा। +2 पर सामान्य शिक्षा के साथ-साथ क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और यह प्रयत्न किया जाएगा कि 1995 तक इस व्यावसायिक वर्ग में 25 प्रतिशत छात्र-छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करें।

8. उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के पाँचवें भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा द्वारा छात्रों में विशिष्ट ज्ञान एवं कुशलता का विकास किया जाएगा जिससे राष्ट्र का विकास होगा। इसके मौजूदा पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाएगा और शिक्षण को चिन्तनपरक बनाया जाएगा। साथ ही शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाएगी। उच्च शिक्षा का स्तर मान बनाए रखने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होगा। उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ कराने के लिए खुले विश्वविद्यालयों (Open Universities) की स्थापना की जाएगी।

9. तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा में सुधार किया जाएगा :- इस शिक्षा नीति के छठे भाग में तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उसकी उचित व्यवस्था करने पर बल दिया गया है। यह घोषणा की गई है कि तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा को भविष्य की आवश्यकतानुसार नियोजित किया जाएगा और महिलाओं और समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को तकनीकी शिक्षा की पूरी-पूरी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। इस शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए इनके पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाया जाएगा और सैद्धान्तिक ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक दक्षता पर अधिक बल दिया जाएगा और साथ ही शोध कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस शिक्षा का स्तरमान निश्चित करने और इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं पर नियन्त्रण करने के लिए 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद' (All India Council for Technical Education) को कानूनी अधिकार दिए जाएँगे। निम्न स्तर की तकनीकी संस्थाओं को बन्द किया जाएगा और इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

10. परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के आठवें भाग के अन्त में तत्कालीन परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार

की चर्चा की गई है। यह घोषणा की गई है कि मूल्यांकन को एक सतत् प्रक्रिया बनाया जाएगा, बाह्य मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जाएगा, परीक्षाओं को वैध और विश्वसनीय बनाया जाएगा, प्रश्नपत्रों की रचना और उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ बनाया जाएगा और श्रेणी के स्थान पर ग्रेड सिस्टम लागू किया जाएगा।

11. शिक्षकों के स्तर और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा :- शिक्षकों का चयन उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा। उनके स्तर को उठाने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाए जाएंगे और सेवाशर्तों को आकर्षक बनाया जाएगा। पूरे देश में समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धान्त को लागू किया जाएगा, साथ ही सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार किया जाएगा। प्रत्येक जिले में 'जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान' (District Institute of Education and Training, DIET) की स्थापना की जाएगी जिनमें प्राथमिक शिक्षकों और निरौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी और साथ ही अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस क्षेत्र में शोध कार्य कीये जाएंगे। घटिया किस्म के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को बन्द कर दिया जाएगा। कुछ चुने हुए उच्च स्तर के माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का दर्जा बढ़ाया जाएगा, उन्हें 'शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय' (College of Teacher Education, CTE) में समोन्नत किया जाएगा जिनमें माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण और इस क्षेत्र में शोध कार्य की व्यवस्था होगी।

12. प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा :- प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा और 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए सरकारी और गैरसरकारी संगठनों का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को उनमें कार्यरत निरक्षक प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा के दूसरे पक्ष-अद्यतन जानकारी हेतु सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे और पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

13. सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- युवा वर्ग, गृहणियों, किसानों, व्यापारियों और विभिन्न उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों को उनके क्षेत्र की अद्यतन जानकारी देने हेतु सतत् शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए खुली शिक्षा और दूर शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी और जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा।

14. शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा :- किसी भी स्तर की किसी भी प्रकार की शिक्षा के लिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। जन संचार के माध्यमों से शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाएगा।

15. शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाया जाएगा :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के सातवें भाग में शिक्षा को कारगर बनाने के लिए शिक्षकों की जवाबदेही (Accountability) निश्चित करने और छात्रों को कर्तव्य बोध कराने पर बल दिया गया है। इसके तीसरे भाग में शिक्षा के प्रत्येक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum Level of Learning, MLL) निश्चित करने की बात कही गई है और उसमें गुणात्मक सुधार करने की बात कही गई है। इस दस्तावेज के दसवें भाग में प्रशासन तन्त्र को चुस्त करने पर बल दिया गया है।

16. शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे :- इस शिक्षा नीति के चौथे भाग में स्पष्ट घोषणा की गई है कि शैक्षिक विषमताओं को दूर किया जाएगा और महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और विकलांगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी और सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर सुलभ कराए जाएंगे।

17. महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा- इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:- स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में भेद नहीं किया जाएगा, लिंग मूलक अन्तर को समाप्त किया जाएगा। महिलाओं की शिक्षा के विकास हेतु प्रारम्भ से ही प्रयत्न किए जाएंगे। महिलाओं को विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएँ दी जाएंगी।

18. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी :- इस क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे- नगरों, गाँवों और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। इन विद्यालयों में यथासम्भव इन्हीं वर्गों और इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दूर-दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा। इन वर्गों के बच्चों की आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाई जाएगी।

19. पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाएगी :- इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे- पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देश के रेगिस्तानी, पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में और अधिक स्कूल खोले जाएंगे। इन क्षेत्रों के स्कूलों में इन्हीं क्षेत्रों के शिक्षित युवकों को प्रशिक्षित कर शिक्षक नियुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के बच्चों को आर्थिक सहायता जारी रहेगी, साथ ही उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी।

20. अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :- संविधान में अल्पसंख्यकों (मुसलमान एवं इसाई आदि) को अपनी भाषा, संस्कृति एवं धर्म की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। अतः- इन्हें अपनी शिक्षा संस्थाएँ चलाने का अधिकार होगा, परन्तु इनका

पाठ्यक्रम प्रान्तीय सरकारों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम ही होगा। इनके क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

21. विकलांग और मन्दबुद्धि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी :- इनकी शिक्षा की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित कदम उठाये जाएँगे। विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मामूली विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेंगे, गँगे, बहरे, अन्धे और मन्दबुद्धि बालकों के लिए अलग-अलग स्कूल खोले जाएँगे। विकलांग बच्चों को कुटीर अद्योग-धन्धों की शिक्षा दी जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। विकलांग और मन्दबुद्धि बालकों की शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

6.5.1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा Open University and Distance Learning

उच्चतर शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा शिक्षा को लोकतान्त्रिक बनाने वाले माध्यम के रूप में ओपन विश्वविद्यालय पद्धतिका आरम्भ किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिय सन 1985 में स्थापित 'इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National open university) को मजबूत बनाया जायगा। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देने के लिय भारत में आज 16 विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में अपना योगदान कर रहे है। उत्तराखंड में वर्ष 2005 में स्थापित उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी आज स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के साथ पी०एच०डी० व शोध कार्य करके राष्ट्र के विकास में अपना योगदान कर रहा है। इसके माध्यम से उन लोगो के लिय शिक्षा के द्वार खुल गये है जिनको किसी कारण से अपनी शिक्षा बीच में छोडनी पड़ी। वे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा पूरी कर रहे है।

6.5.2 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black Board Plan) :- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अनुसार कम से कम दो कमरों, एक वराण्डे और दो शौचालयों के पक्के भवन, दो शिक्षक (जिनमें यथा सम्भव एक महिला शिक्षक होगी), पुस्तकालय सामग्री, शिक्षण-अधिगम सामग्री (ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, नक्शे, विज्ञान किट), टाट-पट्टी खेल के पैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे बच्चे जो किसी कारण औपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर नहीं जा पाते हैं उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा केन्द्र (Non Formal Education Centre) खोले जाएँगे। आज शिक्षा में बढ़ावा देने के लिय बच्चों को पका भोजन प्रदान किया जा रहा है।

अपनी उन्नति जानिये (Check your progress)

प्रश्न 1 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(1) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड

(2) नवोदय विद्यालय

(3) खुले विश्वविद्यालय

(4) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

प्रश्न 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं लिखिए-

(1) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
व्यावसायीकरण

(2) माध्यमिक शिक्षा का

(3) त्रिभाषा सूत्र
बनाना

(4) शिक्षा योजना को कारगर

(5) शैक्षिक अवसरों की समानता

(6) परीक्षा एवं मूल्यांकन

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

सही उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न (प्रश्न 3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 1 से 5) को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी ?

(a) 1990

(c) 1995

(c) 2000

(d) 2002

प्रश्न (4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8) को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी ?

(a) 1990

(b) 1995

(c) 2000

(d) 2002

प्रश्न (5) प्रारम्भ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी ?

(a) प्राथमिक

(b) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक

(c) उच्च प्राथमिक

(d) माध्यमिक

प्रश्न (6) राष्ट्रीय शिक्षा योजना, 1986 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी ?

(a) 20

(b) 25

(c) 50

(d) 75

प्रश्न (7) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है।

(a) 1995

(b) 2000

(c) 2005

(d) 2010

(6) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है ?

(a) 1995

(c) 2000

(c) 2005

(d) 2010

(7) ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गा था ?

(a) 1986

(b) 1987

(c) 1992

(d) 1995

(8) वर्ष 1986 से पहले किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी।

(a) 1985

(b) 1968

(c) 1980

(d) 1969

6.6 सारांश(summary)

भारत वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ यहाँ पर अंग्रजों ने एक छत्र शासन किया। यद्यपि उन्होंने भारत में काफी सुधार कार्य किये शिक्षा को एक अनोठी दिशा प्रदान की। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार हेतु अनेक आयोग बनाये गये लेकिन शिक्षा सभी के लिये सुलभ न हो सकी क्योंकि समाज का धनाढ्य वर्ग नहीं चाहता था कि सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त हो। उन्हें भय है कि यदि वे शिक्षित हो गये तो वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे, हमारे द्वारा किये जाने वाले कार्यों में सुधार कि मांग करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने सभी के लिये शिक्षा के द्वार खोलने का प्रयास किया और वर्ष 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गयी। इसमें सरकार ने प्रयास किया कि सभी वर्गों के बच्चों को घर के पास एक किलोमीटर की दूरी पर शिक्षा प्राप्त हो। घर से एक किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय व

तीन किलोमीटर की दूरी पर जूनियर विधालय की स्थापना की गयी। जहा पर प्रशिक्षित अध्यापको की नियुक्ति भी की गयी। लेकिन सरकार के अधिकारियों ने सरकारी विधालयों के चारों ओर खुलने वाले प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देकर कुकुरमुत्तो की तरह उनको स्थापित कराकर सरकारी स्कूलों की शिक्षा को समाप्त करने का षडयंत्र किया है। क्योंकि समाज का जब जागरूक नागरिक अपने बच्चों को नहीं पढायेगे तब सरकारी विधालयों में शिक्षक की गतिविधियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज शिक्षक सरकारी कार्यों का बहाना बनाकर विधालय से गायब रहते है। जब तक इन प्राइवेट विधालयों को बंद नहीं किया जाता तब तक न तो सरकारी विधालयों को बच्चे मिलगे न ही समाज उन्नति कर सकता है यह पूंजीपति वर्ग की बहुत सोची समझी चाल है। क्योंकि शिक्षा प्राइवेट होने पर आम आदमी का बच्चा शिक्षा नहीं कर पायगा।

6.7 शब्दावली (Glossary)

शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया में नया मोड़ (Reorienting the Content and Process of Education) :- सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्यों की शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ-साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया है और स्वास्थ्यवर्द्धक क्रियाओं-खेल-कूद आदि पर बल दिया गया है और अन्त में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए हैं।

ब्लैक बोर्ड योजना :- ब्लैक बोर्ड योजना के अर्न्तगत प्राथमिक विश्वविद्यालयों की न्यूनतम आवश्यकताओं (दो कमरों का भवन, फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय सामग्री खेल सामग्री और कम से कम दो शिक्षकों) की पूर्ति करने और इन सबके लिए धनराशि जुटाने का संकल्प किया गया है।

6.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Questions)

उत्तर 3 (a) 1990 उत्तर 4 (b) 1995 उत्तर 5 (a) प्राथमिक

उत्तर 6(b) 25 उत्तर 7 (b) 2000 उत्तर 8(b) 1968

6.9 सन्दर्भ पुस्तके Reference Books

- i- लाल (डॉ) रमन बिहारी, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, राज प्रिंटर्स, मेरठ।
- ii- जे. (डॉ) एस. वालिया (2009) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, अहमपाल पब्लिशर्स, मेरठ।

- iii- शुक्ला (डॉ) सी. एस. (2008) उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठा।
- iv- शर्मा, रामनाथ व शर्मा, राजेन्द्र कुमार (2006) शैक्षिक समाजशास्त्र, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- v- शीलू मैरी (डॉ) (2008) शिक्षक के सामाजिक एवं दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, रजत प्रकाशन नई दिल्ली।

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

प्रश्न 1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना का विस्तृत वर्णन कीजिए।

प्रश्न 3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ? वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर को उठाने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किए गए हैं ? वर्णन कीजिए।

इकाई 7- अध्यापक शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और उद्देश्य, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर *Meaning, Need and Objectives of Teacher Education at Various Stages of Education*

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

7.2 उद्देश्य (Objectives)

7.3 अध्यापक शिक्षा (Teacher Education)

7.3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

7.3.2 अध्यापक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Teacher Education)

7.3.3 अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of Teacher Education)

7.3.4 अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Teacher Education)

7.4 अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर (Various Stages of Teacher Education)

7.5 अध्यापक शिक्षा की समस्याएं (Teacher education and Problems)

- 7.6 शारांश (summary)
- 7.7 शब्दावली (Glossary)
- 7.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)
- 7.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Reference)
- 7.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Reference Book)
- 7.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापकशिक्षा क्या है? अध्यापकशिक्षा के विद्यार्थियों की विशेषताएं व समस्याओं का अध्ययन इस इकाई में प्रस्तुत है अध्यापकशिक्षा की सहायक प्रणाली का सामान्य स्वरूप कैसा है ? इसका विश्लेषण इस इकाई में कर सकेंगे।

7.2 उद्देश्य (Objectives)

1. अध्यापकशिक्षा के विद्यार्थियों की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
2. अध्यापकशिक्षा के विद्यार्थियों की समस्याओं की व्याख्या कर सकेंगे।
3. अध्यापकशिक्षा की विद्यार्थी सहायक प्रणाली का विश्लेषण कर सकेंगे।

7.3 अध्यापकशिक्षा (Teacher Education)

शिक्षा प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंगों-अध्यापक, छात्र व पाठ्यवस्तु में अध्यापक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ अध्यापकों के अभाव में सुयोग्य छात्र गण भी वांछित ज्ञानार्जन में सफल नहीं हो सकते हैं। अच्छी से अच्छी पाठ्यवस्तु भी निपुण अध्यापकों की अनुपस्थिति में प्राणहीन हो जाती है। अध्यापक गण शिक्षा प्रक्रिया को उचित दिशा प्रदान करते हैं। अच्छे अध्यापक छात्रों को वांछित व्यवहार परिवर्तन में सहायता प्रदान करते हैं तथा उनको सर्वांगीण विकास के पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। शिक्षा व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों न हो उसमें अध्यापक की भूमिका स

वर्षोंपरिहोतीहै।अध्यापकशिक्षाप्रणालीकाकेन्द्रहोताहै।तथासमस्तशिक्षाव्यवस्थाउसकेचहुँओरविचरण करतीहै।अध्यापककोशिक्षाव्यवस्थाकाप्राणकहनाभीअनुचितनहींहोगाक्योंकिअध्यापकहीशिक्षाव्यवस्थाकोजीवन्तबनाताहै।

हमारावर्तमानसमाजवराष्ट्रपरिवर्तनविकासकेएकनाजुकपरन्तुअत्यन्तमहत्वपूर्णदौरसेगुजर रहाहै।ऐसीपरिस्थितिमेंअध्यापककाउत्तरदायित्वऔरभीअधिकबढ़जाताहै।अध्यापकहीदेशकेभावीनागरिकोंअर्थात्युवावर्गकेछात्र-छात्राओंकेवास्तविकसम्पर्कमेंआताहैतथाउन्हेंअपनेआचार-विचारतथाज्ञानकेअवबोधसेप्रभावितकरताहै।अध्यापकोंकेऊपरहीराष्ट्रकेभावीनिर्माताओंकोतैयारकरनेकादायित्वहोताहै।सामाजिकतथाराष्ट्रीयविकासकासूत्रधारअध्यापकहीहोताहै।समाजकीआवश्यकताओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, आदर्शों, मूल्योंआदिकोवास्तविकरूपदेनेकीजिम्मेदारीभीअध्यापकोंकोवहनकरनीहोतीहै।वास्तवमेंअध्यापकगणअपनेप्रयासोंसेभावीसमाजकीसंरचनाकरतेहैं।इसलियेअध्यापकोंकोसामाजिकअभियन्ताकेनामसेभीसम्बोधितकियाजाताहै।राष्ट्रीयविकासमेंअध्यापकोंकेयोगदानकोदेखतेहुयंअध्यापककोराष्ट्रनिर्माताभीकहाजाताहै।

प्राचीनकालसेहीसमाजमेंअपनेभावीनागरिकोंकेशारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिकतथाअन्यसभीप्रकारकेविकासकरनेकाकार्यअध्यापकोंकोसौंपनेकीपरम्पराहीहै।अध्यापककाकार्यज्ञानवसंस्कृतिकेसंरक्षणतथाहस्तान्तरणतकहीसीमितनहींहैबल्किअनुरूपआवश्यकसामाजिकपरिवर्तनभीलानाहै।राष्ट्रीयआवश्यकताओंकोध्यानमेंरखकरविभिन्नक्षेत्रोंकेलियेसृजनशीलनेतृत्वकोविकसितकरनातथासमानता, स्वायत्तता, वन्यायपरआधारितनवीनसामाजिकव्यवस्थाकोस्थापितकरनेकालक्ष्यप्राप्तकरनेमेंसहायताप्रदानकरनाभीअध्यापकसमुदायकाउत्तरदायित्वहै।डा॰सर्वपल्लीराधाकृष्णनकेअनुसार “समाजमेंअध्यापककास्थानअत्यन्तमहत्वपूर्णहै।वहएकपीढ़ीसेदूसरीपीढ़ीकीबौद्धिकपरम्पराओंवतक

नीकीकौशलकेहस्तान्तरणकेसाधनकेरूपमेंतथासभ्यताकीज्योतिकोप्रज्जवलितरखनेमेंसहायताप्रदान करताहै।” मुदालियरआयोग (1952-53) नेभीशैक्षिकपुनर्निर्माणमेंअध्यापक, उसकेव्यक्तिगणगुणों, उसकेव्यावसायिकप्रशिक्षणतथाउसकेद्वाराविद्यालयवसमाजमेंप्राप्तस्थानकोसर्वाधिकमहत्वपूर्णस्वीकार कियाथा।कोठारीआयोग (1964-66) नेअपनेप्रतिवेदन “शिक्षातथाराष्ट्रीयविकास” मेंस्पष्टकियाहैशिक्षाकेस्तरतथाराष्ट्रीयविकासमेंशिक्षाकेयोगदानकाजितनीभीबातेंप्रभावितकरतीहैंउनमें अध्यापककेगुण, क्षमतावचरित्रसर्वाधिकमहत्वपूर्णहै।पंडितजवाहरलालनेहरूनेअध्यापकोंकीभूमिकाकेसम्बन्धमेंकहाथा कि “अध्यापकोंकोअपनेव्यक्तिगतमूल्योंवसंस्कृति, जोउसकेसाधनहै; केद्वाराअपनेछात्रोंकोउच्चमूल्योंकेहस्तान्तरणमेंसहायताकरनीचाहिए।अध्यापकोंकोअंकुरपूर्णरूपसेखिलनेमेंसहायताकरनीचाहियेनकिअपनीसनककीपूर्तिकेलिएकृत्रिमपुष्पतैयारकरनेचाहिये।

7.3.1 ऐतिहासिकपृष्ठभूमि (Historical Background)

वैदिककालमेंअध्यापनकार्यकाआध्यात्मिककार्यमानाजाताथातथाउससमयकीसामाजिकव्यवस्थामेंसभीआदर्शयथासामाजिक, व्यक्तिगत, राजनैतिक, नैतिकवधार्मिकआदर्शअध्यापककेचारोंओरकेन्द्रितरहतेथे।अध्यापककोसभीआदर्शोंकाजनकमानाजाताथा।इसलिएजहांएकओरअध्यापककाज्ञानकेकिसीएकविशिष्टक्षेत्रअथवाअनेकोंक्षेत्रोंमेंनिपुणतमहोनेकीअपेक्षाकीजातीथी, वहींदूसरीओरउसेअत्यन्तउच्चनैतिकचरित्रकास्वामीभीमानाजाताथा।ऋग्वेदमेचर्चामिलतीहैकिउससमयकाअध्यापनबौद्धिकरूझानवश्रेष्ठबुद्धिसेयुक्त, अपनेविषयमेंनिपुणताकेप्रतिसमर्पित, सद्आचरणकरनेवाला, ब्रह्मचर्यकापालकतथासर्वोच्चसत्ताकेज्ञानकेप्रतिलालायितरहतारहताथा।उससमयअध्यापककेलिएकिसीभीप्रकारकेऔपचारिकप्रशिक्षणकीव्यवस्थानहींहोतीथीतथानहींअध्यापकबननेवालेव्यक्तिकोकिसी

औपचारिक प्रमाणपत्र देने की प्रथा थी। अच्छे अध्यापकों के सम्पर्क में रहकर छात्र अध्यापन कला का अनौपचारिक ढंग से व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते थे तथा अपने अनुभवों के आधार पर स्वतन्त्र रूप से अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर देते थे। वैदिक काल के अन्तिम चरण में अध्यापन व्यवसाय पैतृक कार्य बनने लगा तथा उसके बाद वंश परम्परागत व्यवसाय के रूप में अनेक सदियों तक ब्राह्मण समुदाय अध्यापन कार्य को करतार रहा। परन्तु बुद्ध काल में गैर ब्राह्मण के द्वारा अध्यापन कार्य करने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है।

मध्य काल में भी अध्यापक प्रशिक्षण लगभग उपेक्षित ही रहा। इस काल में मकतब तथा मदरसों में मुल्लाव मौलवी अध्यापन का कार्य करते रहे। ये मुल्लाव मौलवी भी अध्ययन के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण का प्राप्त नहीं करते थे।

14 वीं शताब्दी में कक्षानायकीय प्रणाली अधिक प्रचलित थी। कक्षानायकीय प्रणाली की प्रारम्भिक चर्चा वैदिक काल में तथा जातकों में भी मिलती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत अध्यापक अपने प्रिय वयोग्य छात्रों को, जिन्हें कक्षानायक कहते थे,

अपनी अनुपस्थिति में कक्षा को पढ़ाने का उत्तरदायित्व देता था। ये छात्र अध्यापक की भांतिक क्षा पर नियन्त्रण रखते थे तथा अपने से कम योग्य छात्रों को पढ़ाने से सहायता करते थे। इस प्रकार से कक्षानायकीय प्रणाली में श्रेष्ठ छात्रों को अध्यापन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है। अध्यापक बड़ी कक्षाओं के छात्रों को छोटी कक्षाओं में अध्यापन करने का कार्य भी अपने निर्देशन में देते थे।

ब्रिटिश काल में अध्यापन एक वृत्तिके रूप में विकसित होने लगा था। शिक्षा के प्रसार के साथ सुयोग्य अध्यापकों की मांग बढ़ने लगी तथा अध्यापन कार्य में संलग्न व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। सन् 1819

में कलकत्ता विद्यालय समाज ने प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया। इसके बाद सन् 1924

में बम्बई में देशी विद्यालय समाज ने तथा सन् 1926

में मद्रास शिक्षा समाज ने भी प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की। इसके उपरान्त देश में

अनेक स्थानों पर प्राथमिक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए। सन् 1854

मेघोषितबुडकेघोषणापत्रमेंभारतमेंप्रत्येकप्रान्तमेंइंग्लैडकीभांतिप्रशिक्षणविद्यालयखोलने, प्रशिक्षणकेलिएछात्रवृत्तियां देने तथा प्रशिक्षित अध्यापकों को अधिक वेतन देने जैसी सिफारिशों की गई। सन् 1882 तक भारत में कुल 106 प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र तथा मद्रास व लाहौर में स्थित दो माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र थे।	
सन् 1882	
मेहन्टर आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये जिनके फलस्वरूप 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में अनेक प्रशिक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय खुले। सन् 1904	
में लार्ड कर्जन ने अपने प्रस्ताव में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने, स्नातक से कम योग्यता वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो वर्षीय तथा स्नातकों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्य क्रम प्रारम्भ करने, प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अभ्यासात्मक विद्यालय सम्बन्धित करने तथा प्रशिक्षण के दौरान सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों पक्षों का ज्ञान देने जैसे सुझाव भी रखे। इन सुझावों का अध्यापक प्रशिक्षण के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा अध्यापक प्रशिक्षण के आन्दोलन का एक नवीन शक्ति मिली। बीसवीं शताब्दी के प्रथम कुछ दशकों में प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई तथा स्नातकों व पूर्व स्नातकों के लिए अलग- अलग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये। सन् 1917	
में गठित सैंडलर आयोग ने इन्टर तथा बी. ए. में शिक्षा को एक ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ करने तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में	
विषय वस्तु एवं शिक्षण के सैद्धान्तिक व व्यावहारिक ज्ञान पर बल देने की अनुशंसा की। सन् 1929	
में हर्टोर्समिति ने प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर अधिक बल देने, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने, अध्यापकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने तथा अध्यापकों की सेवा शर्तों सुधारने जैसे सुझाव दिये। इस समय तक कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाठ्यक्रम खोले जा चुके थे। सन् 1936	

मेंबम्बई विश्वविद्यालय ने एम. एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया। सन् 1937 में बुड-ऐक्ट प्रतिवेदन तथा सन् 1944 में सार्जेन्ट रिपोर्ट में भी अध्यापक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये गये। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व भारत में तीन प्रकार की अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ प्रचलित थी- (1)
दीक्षा विद्यालय जो मिडिल शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते थे, (2)
माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय जो हाई स्कूल/इन्टर शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए दो/वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान पाठ्यक्रम आयोजित करते थे, तथा (3)
प्रशिक्षण महाविद्यालय जो स्नातकों को एक वर्षीय प्रशिक्षण करते थे। सन् 1947 में ईदिल्ली में केन्द्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई।

सन् 1982 भारतीय शिक्षकों एवं अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में सदैव स्मरणीय रहेगा। इस वर्ष 5 सितम्बर अर्थात् अध्यापक दिवस पर भारत सरकार ने अध्यापक व्यवसायक उद्देश्यों, अध्यापकों की भूमिका, अध्यापकों के प्रशिक्षण, अध्यापक कल्याण, अध्यापकों के लिए आचारसंहिता, अध्यापकों की स्थिति आदि के सम्बन्ध में अध्ययन करने तथा परामर्श देने के लिए दो आयोगों- अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय आयोग- प्रथम व द्वितीय का गठन किया। प्रथम आयोग के अध्यक्ष डी. पी. चट्टोपाध्याय थे तथा इस स्कूल स्तर के अध्यापकों के सम्बन्ध में कार्य करना था। दूसरा आयोग उच्च शिक्षा स्तर के लिए था। इसके अध्यक्ष प्रो. रईस अहमद थे। दोनों आयोगों के अध्यक्ष श्री किरीट जोशी थे। भारत के शैक्षिक इतिहास में यह पहला अवसर था जब पूर्ण रूप से अध्यापकों के लिए समर्पित किसी आयोग का गठन किया गया हो। सन् 1962 में डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत सरकार द्वारा सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीतिके प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्राविधान किया।

या है। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों का सुदृढ़ करके उनमें से कुछ को शिक्षामें उच्च अध्ययन संस्थान के रूप में विकसित करने का विचार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शत प्रतिशत आर्थिक सहायता से

48

विश्वविद्यालयों में ऐकेडेमिक स्टाफ कालेज की स्थापना की जा चुकी है जो महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों में नव नियुक्त अध्यापकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा विरिष्ठ अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।

संसद के द्वारा सन्

1993

में पारित अधिनियम के आधार पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने की दिशा में यह सार्थक प्रयास सिद्ध हो सकता है। अब माध्यमिक स्तर तक के अध्यापकों की शिक्षा, प्रशिक्षण व अनुसंधान इस परिषद् के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। निःसन्देह स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत वर्ष में अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है।

7.3.2 अध्यापक शिक्षा का अर्थ (Meaning of Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्तिको अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वह करने में समर्थ बनाते हैं। पहले अध्यापक शिक्षा को अध्यापक प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था परन्तु अब अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित दृष्टिकोण में व्यापकता आ गई है तथा अध्यापकों की तैयारी को एक व्यापक अर्थों में स्वीकार करके इसे अध्यापक शिक्षा का नाम दे दिया गया है। अध्यापक प्रशिक्षण शब्द से एक संकुचित व सीमित दृष्टिकोण प्रतीत होता था। प्रशिक्षण शब्द से का

र्य करने की कुछ युक्तियों को नीरस व यान्त्रिक ढंग से अभ्यास कराये जाने का अहसास होता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी भयंकर लालच के द्वारा पशुओं को कुछ कार्यों को यान्त्रिक ढंग से करने का अभ्यास कराया जाता है। अध्यापक शिक्षा के सन्दर्भ में प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग अध्यापकों की तैयारी के कार्य की गरिमा को समाप्त कर देता है तथा इसे रूढ़िवादी, परम्परागत, सैद्धान्तिक व कृत्रिम दृष्टिकोण दे देता है। इसी कारण से अध्यापक प्रशिक्षण के स्थान पर अध्यापक शिक्षा जैसे व्यापक शब्द को प्रतिष्ठित किया गया। अब अध्यापक शिक्षा के अभिप्राय भावी वर्तमान अध्यापकों के सर्वांगीण विकास से है। अभिप्राय है कि अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम अध्यापकों तथा सेवारत अध्यापकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक विकास करके उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के योग्य बनाता है। स्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा की अवधारणा प्रशिक्षण से अधिक व्यापक है। अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत न केवल शिक्षण कला में निपुण बनाया जाता है बल्कि अध्यापकों को शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि विकसित करने योग्य भी बनाया जाता है। अब विश्व विद्यालय के द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रथम शिक्षा उपाधिकानाम शिक्षा स्नातक तथा अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिक्षामहाविद्यालय अथवा अध्यापक शिक्षामहाविद्यालय कहते हैं।

7.3.3 अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need for Teacher Education)

प्राचीन काल में अध्यापन योग्यता को एक जन्मजात प्रकृति प्रदत्त योग्यता स्वीकार किया जाता था। उस समय की मान्यता थी कि अध्यापक बनने वाला व्यक्ति जन्म से ही अध्यापन सम्बन्धी प्रतिभा से सम्पन्न होता है। उसे किसी भी प्रकार के औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ ही कहा जाता था कि किसी प्रकार के प्रशिक्षण को देकर अच्छे अध्यापक तैयार करना संभव नहीं है अर्थात् अध्यापक पैदा होते हैं, न कि तैयार किये जाते हैं परन्तु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध व 20 वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में विश्व के लगभग सभी देशों में अध्यापक के जन्मजात होने सम्बन्धी मान्यता का खण्डन

किया जाने लगा तथा धीरे-

धीरे सभी देशों में स्वीकार किया जाने लगा कि प्रशिक्षण देकर श्रेष्ठ व सुयोग्य अध्यापक तैयार किये जा सकते हैं। दूसरे अर्थों में अध्यापकों के शिक्षण व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जाने लगा। पहले विषय वस्तु में निपुणता ही अध्यापक बनने के लिए आवश्यक थी,

परन्तु बाद में शिक्षण योग्यता को भी आवश्यक माना जाने लगा। वास्तव में बाल मनोविज्ञान तथा अध्यापन विज्ञान के विकास में साथ-साथ अध्यापकों के सम्बन्ध में

पुरानी धारणा परिवर्तित होने लगी तथा ज्ञानार्जन व ज्ञान प्रदान करने की योग्यता को भिन्न-

भिन्न स्वीकार किया जाने लगा। अब यह स्वीकार करना गलत होगा कि विषय विशेष में निपुण व्यक्ति उस विषय का शिक्षण भी प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। अब शिक्षण को ऐसा कार्य माना जाता है जिसको करने के लिए शिक्षण कला का सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अभ्यास आवश्यक है।

किसी भी अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि उन बालकों

को अच्छी तरह से समझता हो जिन्हें वह पढ़ा रहा है। शिक्षा का बाल केन्द्रित मानने के कारण यह आवश्यक है कि अध्यापक पाठ्यवस्तु के साथ-

साथ बालकों की प्रकृति को भी अच्छी तरह से समझे। विभिन्न आयु वर्गों के बालकों में विकास व वृद्धि किस प्रकार से होती है, बालकों की आवश्यकताये क्या हैं, बालक किस प्रकार से सीखते हैं, बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहित कैसे किया जा सकता है,

बालकों में वांछित अभिवृत्ति व मूल्य कैसे विकसित किये जा सकते हैं, बालकों के संवेगों को कैसे नियन्त्रित, परिवर्तित व संशोधित किया जा सकता है,

बालकों में हीन ग्रन्थियों के विकास पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है,

बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सकता है-

जैसे अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर बाल मनोविज्ञान व शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को उपरान्त ही अध्यापक जान सकता है। एक शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक इन प्रश्नों का उत्तर खोज कर बालक के विकास को सरलता व सुगमता

तथा द्विगुणित गति से सम्भव बना सकता है जबकि एक अप्रशिक्षित अध्यापक मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह भली प्रकार से करने में स्वयं को असमर्थ पाता है।

शिक्षित व प्रशिक्षित अध्यापक कक्षा शिक्षण को रोचक, जीवन्त व प्रभावशाली बनाने में समर्थ होता है। वह मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों तथा शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करके अपने छात्रों को सहजता,

सरलता व सुगमता से स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकता है। इसके विपरीत अप्रशिक्षित अध्यापक अपने शिक्षण को नीरस, कृत्रिम व अरुचिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करके छात्रों को शिक्षा के प्रति विरक्त कर देता है।

एक अच्छे अध्यापक के लिए इनकेवल कक्षा शिक्षण में प्रवीण होना आवश्यक है वरन् उसे अध्यापक के रूप में अन्य अनेक दायित्वों का पालन करना होता है। परीक्षा व मूल्यांकन, अनुशासन, विद्यालय प्रशासन, पाठ्यसहगामी क्रियाओं का संचालन,

समाज में शिक्षा की महत्ता की स्थापना जैसे कार्य भी अध्यापक को करने होते हैं। इसके लिए शिक्षा के उद्देश्यों व राष्ट्री निर्माण में शिक्षा का योगदान, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों, मूल्यांकन विधियों, प्रशासन की तकनीकों, आदिका ज्ञान भी अध्यापक के लिए आवश्यक है। सेवामे आने के उपरान्त भी समय-

समय पर नवीन तकनीकों का ज्ञान अध्यापकों के लिए आवश्यक होता है। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में से वापूर्व सेवा कालीनों में क्रमशः भावी अध्यापकों व कार्यरत अध्यापकों को उपरोक्ता वर्णित बातों का विशद ज्ञान व अभ्यास कराया जाता है। स्पष्ट है कि अध्यापकों के लिए सेवा पूर्व सेवा कालीन अध्यापक शिक्षा की महती आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा प्राप्त करके ही वे अपने गुरुत्तर दायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो सकेंगे।

7.3.4 अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives)

अध्यापकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यो तथा शिक्षा प्रक्रिया एवं सामाजिक व राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में उसकी भूमि का का ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के निम्न उद्देश्य होने चाहिए:

1. शिक्षा की दार्शनिक, समाजशास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से अवगत कराना।

2. राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान करना।
3. विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना।
4. शिक्षण तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना।
5. अधिगम मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदान करना।
6. शैक्षिक मापन व मूल्यांकन की विभिन्न विधियों व तकनीकों का ज्ञान करना।
7. छात्र निर्देशन व परामर्श की क्षमता विकसित करना।
8. पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजना की योग्यता विकसित करना।
9. विद्यालय व कक्षा प्रबन्ध के विभिन्न सिद्धान्तों से अवगत करना।
10. शिक्षा की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रोत्साहित करना।

7.4 अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तर (Various Stages of Teacher Education)

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययनरत छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं, शिक्षा के उद्देश्यों में वैभिन्नता, पाठ्य वस्तु की प्रकृति आदिके अनुरूप इन स्तरों के अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में कुछ भिन्नता का होना स्वाभाविक ही है। अतः अध्यापक शिक्षा को निम्न स्तरों में बांटा जा सकता है।

1. पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,
2. प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,
3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा,

4. उच्चस्तरके अध्यापकों की शिक्षा,
5. अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान।

उपरोक्त पांचों स्तरों की अध्यापक शिक्षा की संक्षिप्त चर्चा की जा रही है:

1. पूर्व प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at pre-primary stage)-

पूर्व प्राथमिक स्तर पर अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापकों की शिक्षा की सुविधाएँ हमारे देश में अत्यन्त कम हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों का एवं विश्वविद्यालयों का इस स्तर की अध्यापक शिक्षा में लगभग नगण्य योगदान है। पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के शिक्षण प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व अधिकांशतः निजी संस्थाओं के द्वारा तथा कहीं-कहीं राज्यों के शिक्षा विभागों व डेक्का-

दुक्का विश्वविद्यालयों के द्वारा वहन किया जा रहा है। ये सभी भिन्न-

भिन्न प्रकार की पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा जैसे नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण,

किन्डरगार्टन अध्यापक प्रशिक्षण,

मॉन्टेसरी अध्यापक प्रशिक्षण,

पूर्व बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण आदि का आयोजन करती हैं। यद्यपि ये भिन्न-

भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएँ शिशुओं की देखभाल व शिक्षा सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव प्रदान करती हैं। इस स्तर की अध्यापक शिक्षा प्राप्त करने वाली अधिकांश प्रशिक्षणार्थी महिलाएँ होती हैं। इस स्तर की अध्यापक शिक्षा प्राप्त करने वालों को प्रायः प्रमाणपत्र अथवा प्रदान किया जाता है।

2. प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at primary stage)-

प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने तथा जनसाधारण में

अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति जागरूकता के बढ़ते जाने के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। इस स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण की अधिकांश संस्थाएँ राज्य सरकारों के द्वारा संचालित की जा रही हैं। व्यक्तिगत प्रबन्ध तंत्रों

के द्वारा भी इस कार्य में काफी सहयोग मिल रहा है। सामान्यतः हाईस्कूल/इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्राथमिक स्तर की अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। इस स्तर पर प्रशिक्षण की अवधि एक या दो वर्ष रहती है तथा प्रशिक्षणार्थियों को बाल मनोविज्ञान, शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षण विधियां, शिल्पकला, विद्यालय प्रबंध, स्वास्थ्य सेवा, समाज सेवा आदि का अध्ययन कराया जाता है एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न राज्यों/संस्थाओं के पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण अवधि, न्यूनतम प्रवेश अर्हता तथा पाठ्यक्रम के नाम में भी थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। जे.टी.सी. या एबी.टी.सी. या एच.टी.सी. एपी.टी.सी. एजे.बी.टी.सी. एवी.टी.सी. एडिलोमा इन टीचिंग एंसेटि फिकेट इन टीचिंग जैसे अनेक नाम प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं।

3. माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at secondary stage)-

माध्यमिक स्तर के अध्यापक प्रायः स्नातक शिक्षा प्राप्त होते हैं तथा इनमें बी.टी.एबी.एड. अथवा एल.टी. प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है। उच्च माध्यमिक स्तर के अध्यापक स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त होते हैं परन्तु इनके लिए प्रायः किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बी.एड. पाठ्यक्रम विश्व विद्यालयों के द्वारा संचालित किया जाता है तथा इसकी कक्षाएं विश्व विद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षा विभागों तथा शिक्षा महाविद्यालयों में आयोजित की जाती हैं। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है। विभिन्न विश्व विद्यालयों के बी.एड. पाठ्यक्रमों में प्रश्नपत्रों की संख्या प्रकृति विषय वस्तु के सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, फिर भी मोटे तौर पर शिक्षा के दार्शनिक व समाजशास्त्रीय आधार, मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, मापन व मूल्यांकन, विषय शिक्षण विधि, विद्यालय प्रशासन, स्वास्थ्य शिक्षा का सैद्धान्तिक ज्ञान तथा शिक्षण अभ्यास कराया जाता है। देश के कई विश्व विद्यालय पत्राचार भी।

एड. तथा ग्रीष्मकालीन बी. एड. जैसे पाठ्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं। सेवारत अध्यापकों के लिए एबी. एड. के कुछ विशेष पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं। एल. टी. पाठ्यक्रम राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। यह भी बी. एड. के समकक्ष होता है।

4. उच्च शिक्षा स्तर के अध्यापकों की शिक्षा (Teacher education at higher education stage)-

महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा कार्य करने वाले अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नाकोत्तर उपाधि होती है। पी-

एच. डी. या एम. फिल. इस स्तर के अध्यापकों की वांछनीय अतिरिक्त योग्यता मानी जाती है। पहले इस स्तर के अध्यापकों के लिये किसी भी प्रकार की अध्यापक शिक्षा की औपचारिक आवश्यकता नहीं होती थी। समय-समय पर अपने ज्ञान के अभिवननीकरण के लिये अध्यापक गण गोष्ठियों, कार्यशाला से ग्रीष्म सत्रों अभिनव पाठ्यक्रमों आदि में स्वेच्छा से भाग लेते रहते थे। परन्तु अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय

में कार्यरत अध्यापकों के लिये अनुस्थापन तथा अभिनव पाठ्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है। आयोग के विचार में नव नियुक्त अध्यापकों को राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षण कला, व्यक्तित्व विकास व प्रबन्ध का ज्ञान कराना जरूरी है तथा वरिष्ठ अध्यापकों को भी समय-

समय पर अपने ज्ञान को अद्यतन करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 48

विश्वविद्यालयों में एकेडेमिक स्टाफ कालेज खोले हैं जो सम्पूर्ण देश में स्थित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में

नव नियुक्त अध्यापकों के लिये अनुस्थापन पाठ्यक्रम तथा वरिष्ठ अध्यापकों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, शिक्षा व समाज व संस्कृति में परस्पर सम्बन्ध, भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा दर्शन, शिक्षण कला,

शिक्षा का इतिहास, विषय उन्नयन, व्यक्तित्व विकास तथा प्रबन्ध के ऊपर व्याख्यान, सेमीनार, कार्यशाला व स्व-अध्ययन की व्यवस्था की जाती है।

5. अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान (Teacher education and Research in post graduation)-

विश्व विद्यालयों में अध्यापक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधिकी शिक्षा तथा अनुसंधान कार्य का आयोजन भी किया जाता है। स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा निष्णात की उपाधि प्रदान की जाती है। यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। तथा इसमें प्रायः शिक्षा दर्शन, शिक्षामनोविज्ञान, शिक्षा अनुसंधान, के अनिवार्य प्रश्नपत्र तथा शैक्षिक मापन व मूल्यांकन, शैक्षिक व्यवसायिक निर्देशन, विशिष्ट बाल की शिक्षा, शिक्षा तकनीकी, प्रयोगात्मक अनुसंधान जैसे ऐच्छिक प्रश्नपत्र होते हैं। विगत कुछ वर्षों से कुछ विश्व विद्यालयों के द्वारा विशिष्ट करण पर अधिक बल देने के लिए एम. एड. (विशिष्ट शिक्षा), एम. एड. (निर्देशन), एम. एड. (तकनीकी), जैसे पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य करता है। व्यक्तिगत प्रयासों तथा संस्थाओं की वित्तीय सहायता से अनुसंधान प्रोजेक्टों के द्वारा भी शैक्षिक अनुसंधान में योगदान मिलता है।

7.5 अध्यापक शिक्षा की समस्याएं (Teacher education and Problems)

भारत वर्ष में अध्यापक शिक्षा की वर्तमान स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। अध्यापक शिक्षा के कार्य में संलग्न शिक्षा संस्थायें भावी कार्यरत अध्यापकों को पुरानी घिसी - पिटी शिक्षण कला की शिक्षा प्रदान करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेती हैं। इन संस्थाओं का एक मात्र लक्ष्य किसी प्रकार से विभिन्न प्रमाणपत्रों, डिप्लोमा या उपाधियों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति कराकर प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित बनाने का तमगा प्रदान कराना मात्र बन गया है। ये संस्थाएं योग्य तथा शिक्षण कला में निपुण अध्यापकों को तैयार कर

नेमें पूर्णरूपेण असफल रही हैं। हमारा वर्तमान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापन व्यवसाय की तत्कालीन व भावी आवश्यकताओं के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ रहा है। विषय विशेष में विकसित हो रहे नवीनतम ज्ञान तथा शिक्षण तकनीकों से अध्यापकों को अवगत कराने पर हमारे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः किसी भी प्रकार के शैक्षिक सुधार की सफलता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं पर सावधानीपूर्वक ढंग से विचार किया जाये तथा उनका समाधान खोजकर अध्यापक शिक्षा को पुष्ट किया जाये।

अध्यापक शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का संक्षिप्त विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. प्रवेश की समस्या-

अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की समस्या एक विकट समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है। अध्यापन व्यवसाय को वर्तमान समाज में सम्मानजनक स्थान व धनार्जन में अनुपयुक्त होने के कारण प्रतिभाशाली व योग्य तथा अध्यापन के प्रति समर्पित व निष्ठावान व्यक्तियों का अभाव रहता है। यद्यपि बेरोजगारी के वर्तमान युग में अध्यापन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदन-

पत्रों का अम्बार लग रहा है परन्तु इनमें से अधिकांश आवेदन-

पत्र शैक्षिक दृष्टि से अयोग्य तथा अध्यापन अभिवृत्ति की दृष्टि से हीन व्यक्तियों के होते हैं। श्रेष्ठ व योग्य व्यक्तियों प्रशासनिक सेवाओं,

चिकित्सा व अभियान्त्रिकी के व्यवसायों में अथवा अतिरिक्त धन प्राप्ति वाले लिपिकीय कार्यों में

लग कर धन सम्पदा व अधिकारों से परिपूर्ण व्यावसायिक जीवन व्यतीत करने लगते हैं। विगत कुछ वर्षों से कुछरा ज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा है। परन्तु इन प्रवेश परीक्षाओं की वैधता व विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है। इन प्रवेश परीक्षाओं में एन.सी.सी.,

राष्ट्रीय सेवा योजना व खेल कूद में भाग लेने वाले छात्रों तथा स्वतन्त्रता सेनानी, प्रतिरक्षा कर्मचारी, अध्यापकों आदिके आश्रितों को अतिरिक्त अंक भी दिये जाने का प्राविधान रहता है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित

जाति,

जनजाति,

पिछड़े वर्ग व विकलांगों के लिए कुछ स्थान आरक्षित रहते हैं। इस सब से योग्यता के आधार पर प्रवेश का होना वांछित होता है। अध्यापक जैसे गरिमापूर्ण, समर्पित व महत्वपूर्ण व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए छात्रों का चयन योग्यता व केवल योग्यता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अतः प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण या कृपांक का प्राविधान नहीं होना चाहिए। प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता तथा वैधता को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए। शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, अभिरूचि आदि से सम्बन्धित प्रश्नों को प्रवेश परीक्षा में रखना चाहिए। प्रवेश परीक्षाएं मानकीकृत ढंग से बनाई जानी चाहिए। इनकी विश्वनीयता व वैधता सुनिश्चित होत तथा इनकी सहायता से ऐसे प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जा सके जो भविष्य में श्रेष्ठ व निपुण अध्यापक के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित कर सकें।

2. प्रदर्शनात्मक विद्यालयों

का अभाव-

अध्यापक शिक्षा के शिक्षण अभ्यासात्मक पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण व आवश्यक है। इस पक्ष के कम जोर होने अर्थात् शिक्षण अभ्यास के उपयुक्त होने से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तथा यह औपचारिकता मात्र रह जाती है। शिक्षण अभ्यास की वांछित व्यवस्था के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के साथ प्रदर्शनात्मक विद्यालय का जुड़े रहना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान में अधिकांश अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से प्रदर्शनात्मक विद्यालय सम्बन्धित नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षक संस्थाओं का शिक्षण अभ्यास के लिए शहर में स्थित प्राथमिक विद्यालयों/ जूनियर हाई स्कूलों/ हाई स्कूलों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय अपनी इच्छानुसार कक्षाओं को प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में शिक्षण अभ्यास एक औपचारिकता बन जाता है तथा इसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। परिणामस्वरूप छात्राध्यापकों को वांछित सघन प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है। इस बात की महती आवश्यकता है कि सभी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के पास अपना प्रदर्शनात्मक विद्यालय हो जिससे एक ओर जहां छात्रों को सघन शिक्षण अभ्यास कराया जा सके वही शैक्षिक अनुसंधान व विकास के कार्यों के द्वारा नवाचार व प्रयोगों को बढ़ावा दिया जा सके।

3. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम- अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का पाठ्यक्रम अत्यन्त संकुचित,

निर्जीव व पुराना है। प्रशिक्षण की अवधि में सैद्धान्तिक पक्ष पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अभ्यासात्मक पक्ष उपेक्षित रहता है। पाठ योजना की घिसी पिटी परिपाटी अपनाई जाती है तथा उसके अक्षरशः पालन करने की अपेक्षा की जाती है। प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान अध्यापक गण वास्तविक परिस्थितियों में प्रयोग नहीं लाते हैं। इससे प्रशिक्षण की उपयोगिता ही संदिग्ध हो जाती है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होती है जिससे प्रशिक्षण काल में प्राप्त ज्ञान का अध्यापक गण वास्तविक जीवन में प्रयोग करें तथा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनायें।

4. दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली-

अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्राध्यापकों के द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल के मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली परीक्षा प्रणाली भी उचित नहीं कही जा सकती है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली भावी अध्यापकों के अध्यापक चितगुणों का मापन व मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं है। सतत आन्तरिक मूल्यांकन का अभाव है। लिखित परीक्षा प्रणाली छात्रों के द्वारा रटन्ट स्मरण के रूप में अर्जित ज्ञान का मापन कर पाती है। प्रयोगात्मक परीक्षा में शिक्षण के कृत्रिम माहौल में छात्राध्यापकों के द्वारा अपने अध्यापकों के सहयोग से निर्मित पाठ योजना पर श्रव्य दृश्य सामग्री के अत्यधिक प्रयोग से बोझिल शिक्षण के कुछ तथा कथित अनुष्ठानों को कुछ क्षणों तक सम्पन्न करते देख कर छात्राध्यापकों का मूल्यांकन कर दिया जाता है। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वनीयता व वैधता की सैद्धान्तिक विवेचना की बात तो दूर है,

स्वयं नियुक्ति पाकर प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान अर्जित सैद्धान्तिक ज्ञान व अभ्यास को सर्प के केचुल की तरह से उतार कर फेंक देता है तथा परम्परागत शिक्षण-

शैली को अपनाकर शिक्षण कार्य करता है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए परम आवश्यक है कि परीक्षा प्रणाली को सार्थक बनाया जाये जिससे यह छात्राध्यापकों के अध्यापक चितगुणों व कौशलों का मापन व मूल्यांकन कर सके तथा वास्तविक जीवन में सफल होने वाले भावी अध्यापकों का संकेत दे सकें।

5. अच्छे शोध कार्य का अभाव-

वैसे तो अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र भारत में किये गये अनुसंधान कार्य की विशाल श्रृंखला है परन्तु अच्छे अनुसंधान कार्य का अभाव सा प्रतीत होता है। भारत वर्ष में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने वाला शोध कार्य अभी भी अपनी शैशवावस्था में प्रतीत होता है। विदेशों विशेषकर ब्रिटेन व अमेरिका में किये जाने वाले अनुसंधानों को भारतीय परिस्थितियों में दोहराना भारतीय शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं का प्रिय विषय रहा है। नितान्त मौलिक अनुसंधानों का तो भारत में अभाव रहा है। खेद का विषय है कि शिक्षा की स्नातकोत्तर व अनुसंधान उपाधियों से युक्त तथाकथित महान प्रोफेसर गण शिक्षा का कोई नितान्त मौलिक बात नहीं दे पाये हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर शिक्षा व अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान किये जायें सामान्य शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा दोनों की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

6. छात्राध्यापकों का नकारात्मक दृष्टिकोण-

अध्यापक शिक्षा की एक अन्य प्रमुख समस्या छात्राध्यापकों में अध्यापन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का होना है। अध्यापन को अन्तिम विकल्प के रूप में स्वीकार करने वालों में अध्यापन के प्रति समर्पण, लगाव व निष्ठा की आशा करना व्यर्थ ही होता है। ऐसे छात्राध्यापकों में अध्यापन व्यवसाय से सम्बन्धित बातों को सीखने के प्रति कोई रुचि नहीं होती है। वे किसी प्रकार से प्रशिक्षण पूरा करके उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं जिससे रोजगार प्राप्ति में सहायता मिल सके। ऐसी परिस्थिति में अध्यापन व्यवसाय को आकर्षित बनाने की आवश्यकता है, जिससे योग्य, समर्पित व निष्ठावान नवयुवक तथारन व युवितियों अध्यापक बनने के इच्छुक हो सकें। सेवा कालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले अध्यापक गण भी प्रशिक्षण में सीखने के लिए नहीं वरन विभागीय औपचारिकता की पूर्ति या पदोन्नतिकी बाध्यता के लिए आते हैं। प्रशिक्षण को उन के लिए उपयोगी, आकर्षक व जीवन्त बनाकर उन के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। जब तक छात्राध्यापकों व अध्यापकों के दृष्टिकोण में वांछित परिवर्तन नहीं आयेगा तथा वे नवीन ज्ञान व तकनीकों का सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक अध्यापक शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता है।

7. सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की उपेक्षा-

सेवारत प्रशिक्षण में अर्जित ज्ञान व कौशलों की सहायता से कोई भी अध्यापक अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में उत्कृष्ट अध्यापक बनाने में असमर्थ रह सकता है। आज के युग में ज्ञान के भंडार में अत्यन्त तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। नई-नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र भी ज्ञान व तकनीकों के विकास से अछूता नहीं है। श्रेष्ठ अध्यापक बने रहने के लिए सतत अध्ययन की आवश्यकता होती है। जो अध्यापक अपने ज्ञान का नवीनीकरण तथा शिक्षण कौशलों में परिवर्तन व परिमार्जन नहीं करता है वह पुराना हो जाता है तथा श्रेष्ठता की दौड़ में पिछड़ जाता है। अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा उन्हें समय-

समय पर विकसित हो रहे नवीनतम ज्ञान व कौशलों से अवगत कराती हैं। परन्तु हमारे यहां एक बार प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक के आगे प्रशिक्षण पाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है तथा इस प्रकार के सेवाकालीन प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि एन.सी.ई.ओ. तथा एस.सी.ई.ओ.टी. इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं फिर भी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा को सुधारने तथा अधिक उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। सेमीनार, कार्यशाला, अभिनव पाठ्यक्रमों आदिके द्वारा अध्यापकों को समय-समय पर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

8. अध्यापक शिक्षा में अलगाव- अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम भले ही वे किसी भी स्तर के क्यों न हों,

एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा सामान्य शिक्षा व्यवस्था से भी पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र नहीं हो सकती है। अध्यापक शिक्षा का सामान्य शिक्षा से परस्पर घनिष्ठ सम्पर्क होना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु वर्तमान में अध्यापक शिक्षा की विभिन्न संस्थाएं वायु रूद्ध कोष्ठों में बन्द हो गई हैं। इनका न तो परस्पर सम्पर्क है और न ही ये शिक्षा के वास्तविक जगत के सम्पर्क में रहती हैं। अध्यापक शिक्षा में अलगाव की यह समस्या तीन रूपों में दृष्टिगोचर होती है

- (1) अध्यापक शिक्षा का विद्यालयी जीवन से अलगाव
- (2) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों में परस्पर अलगाव

(3) अध्यापक शिक्षा का विश्वविद्यालयों की मुख्य शैक्षिक धारा से अलगाव।

अध्यापक शिक्षा की संस्थाओं का प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के वास्तविक जीवन से लगभग नहीं के बराबर सम्पर्क रहता है। प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों तथा वास्तविक शिक्षण, परिस्थितियों से परिचित नहीं होते हैं। वे केवल सैद्धान्तिक तथा परम्परागत शिक्षण व प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वास्तव में अध्यापक शिक्षा की समस्त संस्थाओं को विद्यालयों के सम्पर्क में रहना चाहिए जिससे विद्यालयों की वास्तविक परिस्थिति व आवश्यकता को समझकर छात्राध्यापकों को उसी के अनुरूप तैयार किया जा सके।

विभिन्न स्तरों के अध्यापकों की शिक्षा के कार्य में संलग्न संस्थाओं में भी परस्पर सम्पर्क व सहयोग का अभाव पाया जाता है। पूर्व प्राथमिक अध्यापकों की संस्था प्राथमिक अध्यापकों की संस्था से तथा प्राथमिक अध्यापकों की संस्था माध्यमिक की संस्था माध्यमिक अध्यापकों की संस्था से विरत रहती है। एक शरीर के विभिन्न अंग होते हुए भी ये एक दूसरे से विचार-विमर्श, सहयोग व परामर्श नहीं करते हैं। अध्यापक शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं के एक दूसरे के सम्पर्क में रहकर परस्पर सहयोग व समन्वयन से कार्य करना चाहिए। इससे अध्यापक शिक्षा की अनके समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता मिलेगी।

अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं विश्वविद्यालयों की मुख्य शैक्षिक धारा से भी अलग दिखाई प्रतीत होती हैं। शिक्षा शास्त्र विभागों तक का शेष विश्वविद्यालय से सम्पर्क कम रहता है। शिक्षा सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए विभिन्न विषयों में हो रही खोजों व परिवर्तनों का ज्ञान तथा स्कूल स्तर पर इनके प्रभाव की जानकारी भावी अध्यापकों, कार्यरत अध्यापकों तथा प्रशिक्षकों के लिए आवश्यक है। यह तभी सम्भव है जब अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की मुख्य धारा से जुड़ी रहें।

अध्यापक शिक्षा में अलगाव की समस्या पर विचार-विमर्श करते हुए कोठारी आयोग ने कहा था कि

“हम प्रशिक्षण संस्थाओं में लगाव को समाप्त करने के प्रस्ताव का अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। हमारी राय में यह एक ऐसा सुधार होगा जो अध्यापक शिक्षा को नया जीवन प्रदान कर सकेगा”। आयोग ने अलगाव को समाप्त करने के लिए अनेक सुझाव भी दिये। इनमें से कुछ प्रमुख सुझाव निम्नवत थे।

1. शिक्षा को सामाजिक विज्ञान का स्तर मिलना चाहिए।
2. बी.ए. तथा एम.ए. में शिक्षा शास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
3. प्रशिक्षण संस्थाओं में पुरातन छात्र संघों का गठन किया जाये।
- 4.

प्रशिक्षण संस्थाओं का अपने समीप के स्कूलों तथा उनके अध्यापकों को अध्यापन कार्य में मार्गनिर्देश प्रदान करना चाहिए।

5. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग खोले जाने चाहिए।
6. शिक्षण अभ्यास के लिए पूर्णकालिक छात्रत्व की व्यवस्था होनी चाहिए।
7. प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को कुछ समय के लिए विद्यालयों में शिक्षण कार्य करना चाहिये।
8. शिक्षा के व्यापक महाविद्यालय खोले जाने चाहिये जिसमें सभी स्तर की अध्यापक शिक्षा दी जाये।

अभ्यास प्रश्नों के उत्तर Check your progress

- 1) अध्यापक शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है।
- 2) अध्यापक शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिय।

7.6 सारांश (Conclusion)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं कि अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्तिको अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वह करने में समर्थ बनाते हैं। अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय है कि अध्यापक शिक्षा का कार्यक्रम अध्यापकों तथा सेवारत अध्यापकों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक विकास करके उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के योग्य बनाता है। स्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा की अवधारणा प्रशिक्षण से अधिक व्यापक है। अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत न केवल शिक्षण कला में निपुण बनाया जाता है बल्कि अध्यापकों को शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित अन्तर्दृष्टि विकसित करने योग्य भी बनाया जाता है।

7.7 शब्दावली (Glossary)

1. अध्यापक शिक्षा: अध्यापक शिक्षा से अभिप्राय उन सभी औपचारिक क्रियाओं तथा अनुभवों का ज्ञान प्रदान करने से है जो किसी व्यक्तिको अध्यापक के उत्तरदायित्वों को प्रभावशाली ढंग से निर्वह करने में समर्थ बनाते हैं।

7.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

उत्तर 1) अध्यापक शिक्षा को दो स्तरों में बांटा जा सकता है।

उत्तर 2) अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना।

II अध्यापकों को प्रशिक्षित करना।

7.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Reference)

वालिया, जे. एस. (2009) शिक्षा तकनीकी, अहमपाल पब्लिशर्स, जालन्धर शहर (पंजाब)

शर्मा, आर. ए. (2004) शिक्षा तकनीकी के तत्त्व एवं प्रबन्धन आर. लाल बुक डिपो, मेरठ-2500

सक्सेना, एन.आर.स्वरूप (1994) शिक्षणकला एवं पद्धतियाँ (शिक्षण एवं परीक्षण के सिद्धान्त, लापलबुक डिपो, मेरठ।

वालिया जे.एस (1998) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पालपब्लिशर्स, जालन्धर (पंजाब)

गुप्ता एस.पी (1992) आधुनिक मापन तथा मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद

शर्मा आर.ए. (2011) अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी आर.लाल.बुक, डिपो, मेरठ-25000

7.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Reference Book)

1. शिक्षा तकनीकी - डॉ. जे.एस. वालिया
2. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ. आर.ए. शर्मा
3. भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं - डॉ. एस.पी. गुप्ता
4. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ. सुरेन्द्र शर्मा एवं कमलेश परवारी

7.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

1. अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए?
2. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए?
3. अध्यापक शिक्षा की समस्याएं क्या हैं?

इकाई 8 - शिक्षक व्यवहार में सुधार (सूक्ष्म शिक्षण, एवं यथार्थ वत सामाजिक कौशल प्रशिक्षण) *Modification of Teacher Behaviour: Micro Teaching and Simulated Social Skill Training*

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

8.2 उद्देश्य (Objectives)

8.3 सूक्ष्म-शिक्षण का विकास (Development of Micro-Teaching)

8.3.1 सूक्ष्म अध्यापन की परिभाषा (Definition of Micro teaching)

8.3.2 सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणाएँ (Assumptions of Micro Teaching)

8.3.3 शिक्षण-कौशल (Teaching skill)

8.3.4 सूक्ष्म-शिक्षण चक्र (Cycle of Micro Teaching)

8.4 सूक्ष्म-शिक्षण की विशेषताएँ (Merits of Micro-teaching)

8.4.1 सूक्ष्म-शिक्षण का प्रमुख उपयोग Uses of Micro Teaching)

8.4.2 सूक्ष्म-शिक्षण प्रयोग में सावधानियाँ (Precautions in Using Micro-Teaching)

8.5 अनुकरणीय शिक्षण (simulated Teaching)

8.5.1 अनुकरणीय शिक्षण के प्राचल (Pillars of simulated teaching)

8.5.2 अनुकरणीय शिक्षण का गठन (Development of Simulated teaching)

8.5.3 अनुकरणीय शिक्षण में क्रियाओं के प्रकार (Types of Activities in Simulated Teaching)

8.5.4 अनुकरणीय तकनीक की मान्यताएँ (Principles of Simulated technology)

8.5.5 अनुकरणीय शिक्षण में प्रस्तुतीकरण की विधियाँ (Methods of Presentation in Simulated Teaching)

8.5.6 अनुकरणीय शिक्षण के लाभ (Merits of Simulated Teaching)

8.5.7 अनुकरणीय सामाजिक कौशल शिक्षण (Stimulated Social Skill Teaching)

अपनी उन्नति जनियें (Check Your progress)

8.6 सारांश (Summary)

- 8.7 शब्दावली (Glossary)
 - 8.8 अभ्यासके प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)
 - 8.9 सन्दर्भग्रंथसूची (Reference)
 - 8.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री (Reference Book)
 - 8.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)
-

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

पृष्ठपोषण प्रविधियाँ शिक्षाशास्त्र में नवीन प्रवर्तन माने जाते हैं। अध्यापक-शिक्षा में अब तक शिक्षण-अभ्यास के लिये जो प्रविधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं उनसे शिक्षण कौशलों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता है। अतः पिछले तीन दशकों से पृष्ठपोषण की प्रविधियों का प्रयोग किया जाने लगा है। पृष्ठपोषण प्रविधियों से प्रशिक्षण के लिये अपेक्षित अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं। शिक्षकों के कौशल एवं व्यवहारों में अपेक्षित सुधार एवं परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षक-व्यवहार में सुधार के लिये अनेक पृष्ठपोषण की प्रविधियाँ का प्रयोग किया जाने लगा है। उनमें से प्रमुख प्रविधियाँ निम्नांकित हैं-

- (1) सूक्ष्म-शिक्षण (Micro Teaching)
 - (2) अनुकरणीय शिक्षण (Simulated Social Skill Teaching)
-

8.2 उद्देश्य (Objectives)

- i. सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे।
- ii. सूक्ष्म शिक्षण प्रयोग में सावधानियों की व्याख्या कर सकेंगे।
- iii. सूक्ष्म शिक्षण चक्र का वर्णन कर सकेंगे।

8.3 सूक्ष्म-शिक्षणका विकास (Development of Micro-Teaching)

अमेरिका के स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध हेतु (1961)

में अध्ययन प्रत्याशी की एक ही सनने समाचार पत्र में एक जर्मन वैज्ञानिक द्वारा छोटे वीडियो टेप रेकार्डर (दृश्य-ध्वनि टेप रेकार्डर)

के आविष्कार का समाचार पढ़ा। एचीसन उस समय राबर्ट एन. बुश और डवाइट डब्ल्यू. ऐलन के साथ कार्यरत थे जिन्होंने फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान मिला था कि वे खोज करें कि छात्राध्यापकों के लिये प्रवर्तन अध्ययन शिक्षा कार्यक्रम में कौन-

कौन से अनुभव वांछित होंगे जिन से आगे चल कर अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न हो।

अध्यापन शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत इन्होंने सूक्ष्म अध्यापन अभ्यासक्रम प्रारम्भ किये और इन्हें प्रद

र्शन अध्यापन संज्ञा दी। प्रत्येक छात्राध्यापक 5 अथवा 6

विद्यार्थियों को संक्षिप्त पाठ पढ़ाता था और छात्रों को अलग-

अलग प्रकार की भूमिका निर्वाह करनी होती थी। एक छात्र अच्छे विद्यार्थी की,

दूसरा ऐसे विद्यार्थी की जिसे पढ़ने में रुचि न हो,

तीसरा केवल ध्यानाकर्षण में लगी छात्र का अभिनय करते हैं। चौथा छात्र या छात्रा सर्वज्ञानी विद्यार्थी बन जाती

और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देती थी चाहे उस का उत्तर आता हो, यान आता हो,

ठीक हो या गलत। इस प्रकार की गतिविधियों के उपरान्त प्राध्यापकों एवं छात्राध्यापकों ने अनुभव किया कि इन

कार्यक्रमों में बहुत अधिक नाट्यकरण होता है और अनेक बार उत्सुकता उत्पन्न होती है। पर्यवेक्षक जब पृष्ठपोष

ण हेतु छात्राध्यापक से चर्चा करता है तो छात्राध्यापक यह मानने को तैयार हीन होता कि उसने कोई गलत बात कही

या कि है क्योंकि उसे याद हीन होता था। इस प्रकार जो लाभदायी अनुभव होना चाहिये था,

वह मात्र बहस बन कर ही रह जाता था।

एचीसनकामतथाकियदिछात्राध्यापकद्वारापढ़ायेपाठकोविडियोटेपरिकार्डकेसहारेउसेदिखायाजासकेकिउसनेक्याकियाहैतोपर्यवेक्षकऔरछात्राध्यापकदोनोंकोप्रतिपुष्टिमेंबहुतसहयोगप्राप्तहोगा।प्रोफेसरबुशऔरएल्सननेइससुझावकास्वागतकिया।एचीसनऔरस्टेनफोर्डविश्वविद्यालयकेउसकेअन्यसहयोगीवीडियोटेपरिकार्डकेविभिन्नप्रकारकेउपयोगएवंउसकेसहारेअनेकप्रयोगकरनेमेंलगगये।उन्होंनेछात्राध्यापकोंकेअध्ययनव्यवहारमेंवंचितपरिवर्तनलानेवनिश्चितउद्देश्योंकीसम्पूर्तिएवंअध्यापनप्रक्रियाकेविकल्पखोजनेमेंइसकाप्रयोगकिया।

अध्यापकोंकोजोसेवापूर्वअथवाप्रशिक्षणहेतुआतेहैं, इसप्रक्रियाद्वाराकमसमयमेंअध्यापनकौशलकाप्रशिक्षणदियाजासकताहै।सेवारतअध्यापकोंकीअध्यापनप्रक्रियाओंमेंसुधारभीइसीप्रणालीद्वारालानासम्भवहै।उनसेलम्बे (40-45) मिनटकेपाठपढ़वानाअस्वाभाविकएवंसमयकादुरुपयोगहै।इसकार्यमेंसूक्ष्मअध्यापनबहुतहीसुविधाजनकएवंसफलप्रणालीहै।

8.3.1 सूक्ष्मअध्यापनकीपरिभाषा (Definition of Micoteaching)

सूक्ष्मअध्यापनअध्यापकोंकोकक्षाअध्यापनप्रक्रियाओंकीशिक्षादेनेहेतुनवीनप्रशिक्षणप्रणालीहै।भारतऔरविश्वकेअनेकभागोंमेंइसपरअभीशोधकार्यचलरहाहै।पिछलेएकदशकमेंइतनातोस्पष्टहोहीगयाहैकिअध्यापकोंकेप्रशिक्षणमेंइसप्रणालीकोकमसमयमेंअधिकउपयोगीपायागयाहै।

एलिनएंगरेअनकेविचार (1968) मेंस्टेनफोर्डविश्वविद्यालयमेंजहाँइसप्रणालीकाजन्महुआएलननेबतायाकि, 'सूक्ष्म-शिक्षणशिक्षणक्रियाकावहसरलीकृतलघुरूपहैजिसेथोड़ेछात्रोंवालीकक्षाकेसामने, अल्पसमयमेंसम्पन्नकियाजाताहै।'

बुशकाविचार (1968) नेअध्यापनकीपरिभाषादेतेहुएकहाकि, सूक्ष्म-शिक्षणअध्यापकशिक्षाकीऐसीतकनीकहैजिसमेंअध्यापकध्यान-

पूर्वकतैयार किये गये नियोजित पाठों के द्वारा,

पांच से दस मिनट तक वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे से समूह के साथ,

स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है और इसके परिणाम वीडियो टेप पर प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त करता है।

मैक्लीज,

अनुविन

(1970)

का कहना था कि सूक्ष्म अध्यापन का साधारणतया प्रयोग संवृत दूरदर्शन के द्वारा छात्रा अध्यापक को सरलीकृत वातावरण में उसके निष्पादन सम्बन्धी प्रतिपुष्टि तुरन्त उपलब्ध करने की प्रक्रिया के लिये किया जाता है। आगे उन का कहना है कि सूक्ष्म अध्यापन को साधारणतया अभिरूमित अध्यापन का स्वरूप की अमूर्त परिकल्पना अथवा वास्तविक कक्षा अध्यापन की प्रक्रिया के आधार पर उपलब्ध की जाती है।

क्लिफ्ट तथा दूसरों के विचार सन्

1976

में क्लिफ्ट तथा अन्य विद्वानों ने सूक्ष्म-

शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार की थी,

‘सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण स्थिति को सरल तथा अधिक नियन्त्रित प्रतिक्रमण में न्यूनीकृत कर देती है। यह शिक्षण अभ्यास को विशिष्ट कौशल में सीमित कर देती है और शिक्षण समय तथा कक्षा के आकार को घटा देती है।

8.3.2 सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणाएँ (Assumptions of Micro Teaching)

सूक्ष्म-

शिक्षण की प्रमुख धारणा ये हैं कि प्रभावशाली शिक्षण के लिये शिक्षण व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। पृष्ठपोषण के द्वारा अपेक्षित व्यवहार के प्रारूपों का विकास किया जा सकता है। यह एक उपचारी कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक को कक्षा में एक छोटे से प्रकरण का शिक्षण करना पड़ता है। शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ रूप में निरीक्षण किया जाता है और उनका निदान करके सुधार के लिए सुझाव दिये जाते हैं। यह व्यक्तिगत क्षमताओं के विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करती है।

8.3.3 शिक्षण-कौशल (Teaching skill)

सूक्ष्म-

शिक्षण का प्रयोग विशिष्ट शिक्षण कौशलों के विकास के लिये किया जाता है। शिक्षण से तात्पर्य सुनिश्चित शिक्षक

-

व्यवहार स्वरूपों से होता है जो छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिये प्रभावशाली होते हैं। शिक्षण के अनेक

कौशलों का उल्लेख किया जाता है। एलन तथा रायन (1969)

ने चौदह शिक्षण कौशल की व्याख्या की है। वह इस प्रकार हैं-

1. उद्दीपन विषमता (Stimulus Variation)

छात्रों को एक प्रचित करने के लिये उद्दीपन को बदलते रहने की क्षमता होती है।

2. भूमिका निर्वाहदृ (Set Induction) छात्रों से मानसिक स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता होती है।

3. समीपतादृ (Closure)

भूमिका निर्वाह क्षमता की पूर्वक मानी जाती है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से सम्बन्धित करने की क्षमता होती है।

4. मौन तथा अशाब्दिक संकेत (Silence and Non-verbal cuse)

छात्रों को शिक्षण की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है।

5. पुनर्बलन को कौशल (Skill of Reinforcement)-.

शाब्दिक प्रशंसा द्वारा छात्रों की क्रियाओं को प्रोत्साहित करने की क्षमता होती है।

6. प्रश्न पूछने में प्रवाह (Fluency in Questioning)

7. गहन प्रश्न पूछना उदाहरणों को प्रयोग (probing Question)

8. उद्देश्यों को लिखने का कौशल (Skill of writing objective)

9. श्यामपटके प्रयोग का कौशल (Skill of using Blackboard)

10. दृश्य-श्रव्य सामग्री प्रयोग का कौशल (Using Audio-visual Aides)

11. प्रवचन का कौशल (lecturing)

12. पाठ के अनुसरण का कौशल Skill of Paching Lesson)

13. सम्प्रेषण की पूर्णता (Operations in Micro-teaching) विदेशों में सूक्ष्म-

शिक्षण की प्रक्रिया को वीडियो टेप कर लिया जाता है। छात्राध्यापक अपने द्वारा किये गये शिक्षक-

कार्य को ज्यों त्यों टेलिविजन पर देखते हैं। और आत्म-

विश्लेषण के द्वारा पृष्ठ पोषण प्राप्त करते हैं। किन्तु भारत में अभी ऐसी सुविधा प्रशिक्षण-

विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। अतः प्रतिपुष्टि के लिये सामान्यतः निम्न लिखित विधियों का प्रयोग किया जा रहा है-

(क) प्रशिक्षण-

विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पाठ का निरीक्षण करने के पश्चात् प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसे पर्यवेक्षक पृष्ठ पोषण कहते हैं।

(ख) सहपाठी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पृष्ठ पोषण का दिया जाना। इसे सहपाठी प्रतिपुष्टि कहते हैं।

(ग) सम्पूर्ण सूक्ष्म पाठ को टेपरिकार्ड पर टेप कर लिया जाता है और टेप पुनः सुनकर छात्र-अध्यापक पृष्ठ पोषण प्राप्त करता है। इसे स्व-पृष्ठ पोषण कहते हैं।

14. मूलतः सूक्ष्म-शिक्षण की प्रविधि में निम्न लिखित पाँच पदक्रम सन्निहित हैं- (i) शिक्षण (ii) प्रतिपुष्टि

(iii) पुनः पाठ नियोजन (iv) पुनः शिक्षण (v)

पुनः प्रतिपुष्टि। इन पाँच पदक्रमों को मिलाकर एक सूक्ष्म शिक्षण चक्र बनता है।

8.3.4 सूक्ष्म-शिक्षण चक्र (Cycle of Micro Teaching)

श्री एल. सी. सिंह द्वारा प्रस्तुत सूक्ष्म-शिक्षण के भारतीय मॉडल की मानकीय क्रियाविधि:

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षा विभाग के रीडर डा० एल० सी० सिंह ने अपनी पुस्तक में

भारत की सैकेण्डरी अध्यापक शिक्षा के लिये सूक्ष्म-

शिक्षण के हेतु निम्नलिखित क्रियाविधिका सुझाव दिया है:-

1. सैद्धान्तिक सिद्धान्त - अध्यापक-शिक्षकों तथा छात्राध्यापकों को सूक्ष्म-शिक्षण की अवधारणा से अवगत कराने के लिए सूक्ष्म-शिक्षण पर सैद्धान्तिक विचार-विमर्श गठित करना चाहिए। इसके गुणों एवं दोषों की व्याख्या करनी चाहिए।
2. शिक्षण कौशलों पर विचार-विमर्श - सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की अवधारणा स्पष्ट करनी चाहिए। कम से कम पांच शिक्षण कौशलों का चयन करके उनकी विस्तृत व्याख्या करनी चाहिए। अभ्यास से पहले एक समय में एक ही कौशल पर विचार-विमर्श होना चाहिए। शिक्षण कौशल के निरीक्षण के लिये कुछ चुने हुये छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए।
3. आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण - तत्पश्चात् अध्यापक-शिक्षण द्वारा सम्बन्धित कौशल के आदर्श पाठ को प्रस्तुत किया जाता है। यह आदर्श-पाठ छात्राध्यापकों द्वारा लिये गये लगभग सभी शिक्षण-विषयों से सम्बन्धित होने चाहिए।
4. सूक्ष्म-पाठ की तैयारी - छात्राध्यापक को सूक्ष्म-पाठ की तैयारी के लिये 'एक इकाई' की अवधारणा का चयन करना चाहिए।
5. सूक्ष्म-शिक्षण व्यवस्था - सूक्ष्म-शिक्षण युक्ति के लिये निम्नलिखित व्यवस्था उपयोगी हो सकती है।

(क) समय	
शिक्षण	6 मिनट
पृष्ठपोषण	6 मिनट
पुनःनियोजन	12 मिनट
पुनःशिक्षण	6 मिनट
पुनःपृष्ठपोषण	6 मिनट
(ख) विद्यार्थियों की संख्या	10
(ग) निरीक्षक	1 या 2
(घ) निरीक्षकों का पृष्ठपोषण	

6. यथार्थवत्स्थिति
सहवर्गी छात्राध्यापकों को विद्यार्थियों की भूमिका निभानी चाहिए। कॉलेज में ही सूक्ष्म-शिक्षण का संचालन होना चाहिए।
7. शिक्षण कौशलों का अभ्यास-
एक छात्राध्यापक को कम से कम पांच शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना चाहिए।
8. शिक्षण कौशलों का निरीक्षण - सूक्ष्म-
शिक्षण में अभ्यास किये जा रहे शिक्षण कौशलों का निरीक्षण सहवर्गी छात्राध्यापकों और कॉलेज के निरीक्षक द्वारा किया जाता है।

9. पृष्ठपोषण

छात्राध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से तत्काल पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए। पृष्ठपोषण प्रदान करते समय निरीक्षण सूची में टैलियों एवं रेटिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए और आदर्श पाठों के प्रकाश में छात्राध्यापक के कार्य निष्पादन की व्याख्या की जानी चाहिए।

10. शिक्षण समय - पांच कौशल में से प्रत्येक कौशल के सूक्ष्म-पाठ का सम्पूर्ण चक्र होगा-

शिक्षण → पृष्ठपोषण → पुनः नियोजन → पुनः शिक्षण → पुनः पृष्ठपोषण।

एक चक्र को पूरा करने में सामान्यतः एक छात्राध्यापक को 35 मिनट लगते हैं।

8.4 सूक्ष्म-शिक्षण की विशेषताएं (Merits of Microteaching)

सूक्ष्म-

शिक्षण के अभ्यास में शिक्षण कौशल के विकास के मूल्यांकन के लिये अनेक मानदण्डों का प्रयोग किया जाता है।

पर्यवेक्षक तथा सहयोगियों द्वारा रेटिंग का प्रयोग किया जाता है। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में

“शिक्षण योग्यता मूल्यांकन सूची का निर्माण किया जिसका प्रयोग सूक्ष्म-

शिक्षण की प्रभावशीलता के लिये किया जाता है।

शिक्षक-प्रशिक्षक भी इस नवीन विद्या का जन्म प्रशिक्षण-

व्यवस्था की कमियों को दूर करने तथा और संगठित करवांछित शिक्षण-

कौशल में दक्षता उत्पन्न करने के लिये हुआ है। इस विधि में निम्न लिखित गुण विद्यमान हैं।

1. यह सरलीकृत प्रशिक्षण-पृष्ठभूमि प्रदान करता है क्योंकि शिक्षण-कौशल, पाठ्यस्तु तथा कक्षा-अनुशासन आदि शिक्षण-

कौशल में दक्षता उत्पन्न करने के लिये हुआ है। इस विधि में निम्न लिखित गुण विद्यमान हैं।

2. स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवहारों पर ही छात्राध्यापक अपना ध्यान केन्द्रित रखता है, अतः वांछित परिवर्तन तक वह शीघ्र ही पहुँच सकता है।

3. छात्राध्यापक अपनी न्यूनताओं को दूर करने के लिये किसी एक विशिष्ट शिक्षण-कौशल के बार-बार अभ्यास करने की सुविधा प्राप्त करता है।
4. विभिन्न विकल्पों के प्रयोग करने की सुविधा इस विधि में आसानी से उपलब्ध होती है।
5. पाठ का समुचित निरीक्षण द्वारा सम्भव है।
6. पाठ के तुरन्त बाद ही छात्राध्यापक को समुचित प्रतिपुष्टि मिलती है।
7. प्रतिपुष्टित्वासा मालोचलना के आधार पर छात्राध्यापक को अपने पाठ को पुनर्नियोजित करने, सुधारने और पढ़ाने का तुरन्त अवसर मिलता है।
8. इसमें एक ही प्रशिक्षणार्थी के दो या दो से अधिक शिक्षण-व्यवहारों (पाठ-पुनःपाठ) की तुलना करने का अवसर मिलता है।
9.

शिक्षण और शिक्षण की परिस्थितियों पर इसमें अधिक प्रभावशाली नियन्त्रण जासकता है। शिक्षण के निरीक्षण पर अपेक्षित अच्छे रिकार्ड तैयार किये जासकते हैं तथा प्रशिक्षणार्थियों के शिक्षण-कार्यभार में समतार खी जासकती है।
10. एक बार व्यवस्थित ढंग से प्रशिक्षण-विद्यालयों में सूक्ष्म-शिक्षण की प्रक्रिया चला देने पर प्रशिक्षकों के लिये यह समय की दृष्टि से मितव्ययी सिद्ध होती है।

8.4.1 सूक्ष्म-शिक्षण का प्रमुख उपयोग *Uses of Micro Teaching*

1. शिक्षण सम्बन्धी विशिष्ट शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। शिक्षण-कौशल विकास की प्रभावशाली प्रविधि है।

2. अध्यापक शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए छात्र-
अध्यापकों की व्यक्तिगत एवं क्षमताओं के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रविधि है। शिक्षण कौशल के विकास व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार अवसर दिया जाता है।
3. इस प्रविधि के उपयोग से पाठ्य-वस्तु को बड़े प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
4. पूर्व-सेवा तथा सेवा रत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए यह एक उपयोगी प्रविधि है।
5. इसको अन्य प्रविधियों के साथ भी प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे - अन्तः प्रक्रिया विश्लेषण, अनुकरणीय शिक्षण आदि के साथ इसका उपयोग हो सकता है।

8.4.2 सूक्ष्म-शिक्षण प्रयोग में सावधानियां (Precautions in Using Micro-Teaching)

1. शिक्षण उद्देश्य का विशिष्टीकरण स्पष्ट होना चाहिए।
2. इस प्रविधि के अभ्यास से पहले अनुकरणीय शिक्षण का अभ्यास देना आवश्यक है अन्यथा प्रत्यक्ष कक्षा की उपस्थिति में छात्राध्यापक आत्मविश्वास खो बैठेंगे और घबरा जायेंगे।
3. वाद-
विवाद के समय आलोचना नहीं करनी चाहिए अपितु सुझाव के रूप में कमजोरियों को बतलाना चाहिए।
योजना कुछ क्रियाओं की प्रशंसा भी करनी चाहिए।
4. एक समय में केवल एक ही शिक्षण-
कौशल का विकास करना चाहिए और उसी से सम्बन्धित सुझाव देना चाहिए।
5. एक ही विषय के छात्राध्यापक को वाद-
विवाद से सम्मिलित करना चाहिए और उन्हीं को निरीक्षण का अवसर देना चाहिए।

6. अभ्यास से पूर्व छात्राध्यापक को अपनी पाठ-

योजना बनाने की चाहिये और शिक्षण युक्तियों का निर्धारण कर लेना चाहिए।

8.5 यथार्थवत् शिक्षण (Simulated Teaching)

थॉमस एवं म्डीमर का विचार- 'यथार्थ के बिना यथार्थ का सार प्राप्त करना 'यथार्थवत् शिक्षण' है।

मेगरी का विचार -

‘यथार्थवत् शिक्षण शिक्षण एवं अधिगम की ऐसी तकनीक है जिसमें विद्यार्थियों को यथार्थ जीवन की कुछ घटनायें,

प्रक्रियाएं अथवा स्थितियां प्रदान की जाती हैं और अभिनय के लिए कुछ भूमिकाएं प्रदान की जाती हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है। विशिष्ट आवश्यकताओं एवं रुचियों को प्रभावित करने के लिए यथार्थवत् शिक्षण का प्रयोग अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों को बहुत अभिप्रेणा प्रदान कर सकता है’।

फिंक का विचार- ‘यथार्थवत् शिक्षण यथार्थ का नियन्त्रित निरूपण है।

हॉरमन का विचार . ‘यथार्थवत् में यथार्थ के सभी अंश तो नहीं, परन्तु महत्वपूर्ण अंश अवश्य होते हैं। यथार्थवत् को वास्तविक जीवन के सदृश नहीं दिखाई देना चाहिए किन्तु उन्हें वास्तविक वस्तु की भान्ति कार्य करना होता है।’

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि यथार्थवत् शिक्षण में यथार्थ के महत्वपूर्ण अंश तो सम्मिलित होते हैं परन्तु यथार्थ के कुछ अंश निकाल दिये जाते हैं। जब यथार्थवत् शिक्षण का निर्माण किया जाता है उसमें यथार्थ जीवन के अनावश्यक तत्वों को निकाल दिया जाता है। यथार्थवत् को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है-

यथार्थवत् = यथार्थ जीवन - असम्बन्धित तत्व

यथार्थवत् शिक्षण ऐसी अधिगमया प्रशिक्षण तकनीक है जो शिक्षार्थी को किसी विधिवत् एवं संगठित अधिगम अनुभव द्वारा अपने व्यवहार के वांछित परिवर्तन में सहायता प्रदान करती है। यह अधिगम अनुभव प्रयोगशाला की स्थितियों के समान यथार्थवत् स्थिति में गठित किया जाता है।

यथार्थवत् शिक्षण को 'अभिनय' विधिया 'भूमिकानिर्वाह' विधि भी कहा जाता है जिसमें शिक्षण प्रक्रिया को अभिनीत किया जाता है और इसके द्वारा सम्प्रेषण के महत्वपूर्ण कौशल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसमें विद्यार्थी-अध्यापक तथा विद्यार्थी-एक विशिष्ट भूमिकानिभाते हैं और वास्तविक कक्षीय पर्यावरण जैसी स्थिति विकसित करते हैं। इस प्रकार समूचा यथार्थवत् शिक्षण भूमिका को समझने तथा भूमिकानिर्वाह करने का प्रशिक्षण बन जाता है। यथार्थवत् शिक्षण संवेदनशीलता में प्रशिक्षण, सामाजिक-नाटक भूमिका-निर्वाह तथा मनो-नाटक का आधार है।

8.5.1 यथार्थवत् के प्राचल

प्रो. टैनसेने यथार्थवत् शिक्षण के तीन प्राचल बताये हैं।

1. चित्रित यथार्थवत् - उपर्युक्त त्रिकोण का उपरि भाग चित्रित यथार्थवत् के प्रकारों के साथ सम्बन्धित है। इनका सम्भवतः व्यापक प्रयोग किया जाता है। चित्रित यथार्थवत् में सहभागिता की मात्रा को प्रस्तुत किया जाता है। सड़क मानचित्र, एमौसम मानचित्र, रेखा-चित्र आदि चित्रित-यथार्थवत् स्थितिके उदाहरण हैं। ये भौतिक तत्त्वों के बिना वास्तविक स्थितिके यथार्थ रूप को प्रकट करते हैं। ऐसी यथार्थवत् स्थिति में कुछ भी गतिमान नहीं होता। ये केवल व्यावहारिक होते हैं, वास्तविक को प्रस्तुत नहीं करते।
2. खेल - त्रिकोण का निचला बाईं ओर का भाग खेलों को प्रस्तुत करता है। इनमें प्रतियोगिता की मात्रा दिखाई गई है।

कुछ सीमा तक ये इन नियमों

द्वारा शासित होती हैं जिनका सुधार या पूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। इनमें प्रायः यथार्थवत्स्थिति प्र

तियोगितात्मक तत्त्वों में निर्मित की जाती है और कभी-

कभी अकादमिक खेलों तथा यथार्थवत्को एक ही समय प्रयोग किया जाता है। इस भाग में जो खेलें दि

खाई गई हैं उनके नियम कठोर एवं औपचारिक हैं- जैसे ताश, शतरंज।

3. स्वतन्त्र नाटक

त्रिकोण का अन्तिम भाग स्वतन्त्र नाटक प्रस्तुत करता है। स्वतन्त्र नाटक में संरचना की मात्रा पर ध्यान दि

या गया है। किसी भी यथार्थवत्स्थिति में नाटक का तत्त्व बड़ा होता है। स्वतन्त्र नाटक ऐसी यथार्थवत्स्थि

ति है जिसे कक्षा में नैतिक शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यह यथार्थवत् शिक्षण तथ्यों का शिक्ष

ण नहीं देता बल्कि दृष्टिकोणों पर ध्यान आकृष्ट करता है।

8.5.2 यथार्थवत् शिक्षण का गठन (Development of Simulated teaching)

यथार्थवत् शिक्षण के गठन में 5 से 7 तक छात्र-

अध्यापक सम्मिलित होते हैं जिन्हें सामाजिक कौशल का अभ्यास करना होता है। उनमें से एक 'अध्यापक'

की भूमिका निभाता है। उसे 'अभिनेता' कहा जाता है। दो छात्र-अध्यापक 'निरीक्षक'

की भूमिका निभाते हैं। जो विद्यार्थी-अध्यापक 'विद्यार्थी'

की भूमिका निभाते हैं उन्हें अवरोधक कहा जाता है। इनकी संख्या दो से चार तक होती है।

यथार्थवत् शिक्षण अथवा यथार्थवत् सामाजिक कौशल प्रशिक्षण की विशेषतायें ; यथार्थवत् शिक्षण (यथार्थवत् सामाजिक कौशल प्रशिक्षण) की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

1. नियोजन-

यथार्थवत् शिक्षण पहले से ही विधिवत् नियोजन की मांग करता है ताकि विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने के

वांछित व्यवहार (कौशल) का प्रदर्शन कर सकें। नियोजन लक्षित समूह की आवश्यकताओं, रुचियों तथा अभिवृत्तियों को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। शिक्षण के प्रकरण समूह के निर्माण, भूमिकाएँ देने आदि का निर्णय पहले से ही कर लिया जाता है। पृष्ठपोषण तथा मूल्यांकन की तकनीकें भी पहले से ही निश्चित कर ली जाती हैं।

2. संलग्नता-

विद्यार्थियों को सभी क्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता होती है। यथार्थ व त्शिक्षण विद्यार्थियों से दृढ़ प्रतिबद्धता तथा पुष्टि की मांग करता है।

3. पृष्ठपोषण-

यथार्थ व त्शिक्षण में पृष्ठपोषण की गुणवत्ता तथा बारम्बारता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इससे मानवीय व्यवहार में परिवर्तन लाने में बहुत सहायता मिलती है। यथार्थ व त्शिक्षण में विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन स्थितियों की अपेक्षा जल्दी अपनी क्रियाओं के परिणाम अनुभव होते हैं। तात्कालिक पृष्ठपोषण उनके अधिगम का अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण स्वरूप जो छात्र-

अध्यापक पाठ पढ़ाता है उसे उसी समय अपने सहपाठियों तथा अध्यापकों की समीक्षा प्राप्त हो जाती है। यह समीक्षा उसे भावी निर्णयों के सुधार में सहायक सिद्ध होती है। अर्थात् वह इस पृष्ठपोषण के विकास में अपना व्यवहार सुधारने का प्रयास करता है।

4. नियन्त्रण-

यथार्थ व त्शिक्षण प्रणाली उपागम पर आधारित है जिसका प्रयोजन विद्यार्थियों के सम्मुख हे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। यथार्थ व त्शिक्षण में अध्यापक/प्रशिक्षणार्थी इस बात का निर्णय लेते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सीखना है, किस क्रम में सीखना है और किन स्थितियों में सीखना है। अधिगम पर पूर्ण नियन्त्रण को सुनिश्चित बनाने के लिये यथार्थ व त्शिक्षण इस प्रकार आयोजित करना चाहिए कि विद्यार्थी गम्भीर समस्याओं से पहले

छोटी समस्याओं का सामना करें क्योंकि गम्भीर समस्याओं के समाधान के लिये अधिक कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है।

5. समय-यथार्थ वृत्ति शिक्षण लक्ष्य-

उन्मुख एवं चली शि्षण विधि है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समय से घटाया- बढ़ाया जा सकता है। यदि निर्धारित लक्ष्य जटिल हों तो यथार्थ वृत्ति शिक्षण की अवधि कई सत्रों तक बढ़ाई जा सकती है। अतः किसी शैक्षिक स्थिति में यथार्थ वृत्ति शिक्षण का कई प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है।

6. सुरक्षा - यथार्थ वृत्ति शिक्षण में क्रिया कृत्रिम अथवा प्रयोगशाला जैसी स्थिति में होती है, इस लिये उसे में किसी खतरे की सम्भावना कम होती है। किसी रोगी का आप्रेशन करने का अनुभव, हवाई जहाज उड़ाने का अनुभव, युद्ध करने का अनुभव आदि संकटमय अनुभव प्रदान करने के लिये विद्यार्थियों को कृत्रिम स्थितियां तथा नाटकीय परीक्षण प्रदान किये जाते हैं।

8.5.3 यथार्थ वृत्ति शिक्षण में क्रियाओं के प्रकार

यथार्थ वृत्ति शिक्षण में तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं।

1. भूमिका निभाना अथवा अभिनय करना - यथार्थ वृत्ति शिक्षण में ‘भूमिका-निभाना’ सबसे आसान क्रिया है। इसका सम्बन्ध निम्नलिखित दो क्रियाओं में से किसी एक के साथ होता है:
 - i. किसी अन्य का रूप धारण करना या
 - ii. एक क्रिया-
- समूह में अनुभव प्राप्त करना जिस प्रकार एक अभिनेता एक क्रिया समूह में अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता है।

2. सामाजिक-नाटक -

सामाजिक नाटक भी एक प्रकार की भूमिका निभाने की क्रिया है जिसमें भूमिका निभाने वाले किसी सामाजिक समस्या का समाधान ढूँढने का प्रयास करते हैं। यह समस्या वास्तविक जीवन से भी ली जा सकती है। और समाधान के लिए निर्धारित स्थिति को प्रस्तुत करने के लिये समस्या का निर्माण भी किया जा सकता है। परन्तु भूमिका निभाने वालों अर्थात् अभिनेता को ऐसे समाधान को ढूँढना होता है जो, प्रस्तुत स्थिति में स्वीकार्य हो।

3. खेल खेलना - 'खेल खेलना'

सामाजिक नाटक की तकनीक में वृद्धि है जो नीतियों अर्थात् निर्णय लेने में चयन एवं विकास की मांग करता है और संयोगानीतियों के चयन के परिणामस्वरूप पुरस्कारों की व्यवस्था करता है। ये निर्णय और पुरस्कार कुछ नियमों के अधीन होते हैं जिनका खिलाड़ियों को ज्ञान होता है। 'खेल' के निर्माण में संयोग का स्थान रखा जा सकता है, और नहीं भी रखा जा सकता अर्थात् परिणाम पर 'संयोग' का प्रभाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।

8.5.4 यथार्थवत्तकनीक की मान्यताएं

यथार्थवत्त सामाजिक कौशल प्रशिक्षण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है:

1. अध्यापक के व्यवहार में सुधार हो सकता है -
पृष्ठपोषण द्वारा अध्यापक के व्यवहार को सुधारा जा सकता है।
2. अध्यापक व्यवहार के प्रतिरूप आवश्यक है -
दूसरी मुख्य मान्यता है कि निपुण शिक्षण के लिए अध्यापक व्यवहार के कुछ प्रतिरूप प्रस्तुत करना आवश्यक है। निरीक्षक ऐसे व्यवहार प्रतिरूप को पहचानता है और अध्यापक उनका अभ्यास करते हैं।
3. अध्यापक व्यवहार की अपनी व्यवहार संरचना है - अध्यापक-व्यवहार-
संरचना है। कार्ल ओपनशॉ तथा अन्य विद्वानों ने अध्यापक-

व्यवहार की संरचना को यथार्थ वक्तव्य की कक्षा द्वारा इस प्रकार विकसित किया है- (1) स्रोत आयाम

(2) निदेशन आयाम (3) कार्य आयाम (4) चिन्ह आयाम।

यथार्थ वक्तव्य अथवा अनुरूपित शिक्षण

4. सामाजिक कौशलों का विकास होता है -

चौथी तथा अन्तिम मान्यता है कि समूह में अनुकरण तथा अभ्यास द्वारा सामाजिक कौशलों को विकसित किया जा सकता है समूह के सभी सदस्यों को शिक्षण-

उद्देश्य के लिए अपने व्यवहार पर नियन्त्रण रखने तथा उसे विकसित करने का अवसर मिलता है।

यथार्थ वृत्ति शिक्षण में सोपान अर्थात् यथार्थ वृत्ति शिक्षण की क्रिया-विधि

8.5.5 यथार्थ वृत्ति शिक्षण में प्रस्तुतीकरण की विधियां

क्रुक शैक का विचार है कि यथार्थ वृत्ति शिक्षण में निरूपण की तीन बुनियादी विधियों में से किसी एक या अधिक विधियों का प्रयोग किया जाता है:-

1. वृत्तान्त अध्ययन- वृत्तान्त अध्ययन में किसी व्यक्ति,

संगठन अथवा स्थिति की पृष्ठभूमि यथार्थ वृत्तपत्र में बताई जाती है। वृत्तान्त अध्ययन यथार्थ वृत्ति स्थितियों में मनः

स्थिति तथा सूचना प्रस्तुत करने की विधि है। पृष्ठभूमि की सूचना यथार्थ वक्तव्य अनुकरण का अनिवार्य भाग है।

2. भूमिका निर्वाह-

भूमिका निर्वाह एक और तकनीक है जिसका प्रयोग यथार्थ वृत्ति शिक्षण में किया जाता है। भूमिका निर्वाह की दो विशेषताएं होती हैं-

(क) स्वाभाविकता भूमिका निर्वाह में स्थितिके अनुकूल स्वाभाविक अभिनय करना होता है।

(ख) आविष्कार -

भूमिकानिर्वाह एक प्रकार का काल्पनिक आविष्कार है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति दूसरों का रूप धारण करके विशिष्ट स्थिति में उन जैसे व्यवहार करते हैं।

भूमिकानिर्वाह की ये विशेषतायें (स्वाभाविकता एवं आविष्कार)
व्यक्तिगत अभिनय तथा भूमिका दोनों पर बल देती हैं।

3. **इन-बॉस्किट प्रस्तुतीकरण-**

यथार्थ वस्तुस्थिति में समस्याओं को प्रस्तावित करने की विधि को दर्शाने के लिए 'इन-बॉस्किट निरूपण' का प्रयोग किया जाता है। 'इन-बॉस्किट प्रस्तुतीकरण'

को लिखा जा सकता है या जन माध्यम की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए चलचित्र, अन्य बहुप्रेक्षण विधियों 16 मी.मी. फिल्मों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। 'इन-बॉस्किट प्रस्तुतीकरण' में नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य निहित होता है। इसमें नियंत्रणकर्ता की इच्छा के अनुरूप भाग लेने वाले को सूचना प्रदान की जाती है। इसमें निहित धारणा के अनुसार भाग लेने वालों को आरम्भ में ही एक बार समूची सूचना प्रदान नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें खण्डों में सूचना प्रदान करनी चाहिए। कुछ भाग लेने वालों को गुप्त रूप से पृथक् सूचनायें भी प्रदान की जा सकती हैं।

8.5.6 यथार्थ वृत्ति शिक्षण के लाभ (Merits of Simulated Teaching)

1. **विद्यार्थियों को प्रेरित करने का साधन-**

यथार्थ वृत्ति शिक्षण विद्यार्थियों को प्रेरित करने का साधन है। क्रूक शैंक के विचारानुसार, 'यह तकनीक विद्यार्थियों को वास्तविक कक्षीय-प्रतिक्रमण के खतरे उठाये बिना शिक्षण-कौशलों में पुनर्बलन प्रदान करती है।' शिक्षण-समस्याओं का विश्लेषण यथार्थ वृत्ति शिक्षण विद्यार्थी-अध्यापकों को शिक्षण समस्याओं के अध्ययन तथा विश्लेषण के अवसर प्रदान करता है।

2. **व्यवहार-समस्याओंमें अन्तर्दृष्टि** -
यथार्थवत् शिक्षणविद्यार्थियों को कक्षा से सम्बन्धित व्यवहार-
समस्याओं का बोध कराता है और उनका सामना करने के लिए अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।
3. **कक्षीय-व्यवहार को अपनाना** -यथार्थवत् शिक्षणविद्यार्थियों को कक्षीय-
व्यवहार अपनाने में प्रदान करता है। यह विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल के विकास में सहायता प्रदान
न करता है और उनमें कौशल के प्रयोग के लिए विश्वास उत्पन्न करता है।
4. **सिद्धान्त और व्यवहार में सम्पर्क** -
यथार्थवत् शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से हम सिद्धान्त और व्यवहार में सम्पर्क
स्थापित करते हैं।
5. **वास्तविक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान** -
यथार्थवत् शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी वास्तविक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।
6. **प्रयोगशालीय अनुभव प्राप्त करने का साधन** -
यथार्थवत् शिक्षण सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। यह विद्यार्थियों को सामाजिक-
कौशल के प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। इसके द्वारा वह अपने पूर्व ज्ञान को कृत्रिम वातावरण में प्रयु-
क्त कराता है और सामाजिक प्रक्रियाओं की जटिलताओं का अधिक ज्ञान प्राप्त करता है।
7. **रोचक एवं आनन्दपूर्ण** -यथार्थवत् शिक्षण विद्यार्थियों के लिए रोचक आनन्दपूर्ण होता है।

8.5.7 अनुकरणीय सामाजिक कौशल शिक्षण (Stimulated Social Skill Teaching)

इस प्रविधि को छात्राध्यापकों के शिक्षण के प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कक्षा शिक्षण अभ्यास से पूर्व अनुकरणीय-
शिक्षण का अभ्यास कराया जाता है। यह एक भूमिका निर्वाह या नाटकीय प्रविधि मानी गयी है। छात्राध्यापक इस

के अभ्यास में शिक्षक तथा छात्र दोनों का कार्य करते हैं एक छात्राध्यापक शिक्षक का कार्य करता है और अन्य छात्राध्यापक उस स्तर के छात्रों का कार्य करते हैं। एक छोटे प्रकरण का शिक्षण किया जाता है। अन्य छात्राध्यापक छात्रों के समान ही व्यवहार करते हैं। शिक्षक कालांश दस अथवा पन्द्रह मिनट का होता है। इसके बाद पांच मिनट शिक्षण युक्तियों के सम्बन्ध में वाद-विवाद होता है, प्रशंसा भी करते हैं, सुझाव भी दिये जाते हैं। इसके बाद एक अन्य छात्राध्यापक शिक्षक का कार्य करता है। पहले जिसने शिक्षक का कार्य किया है वह शेष के साथ बैठकर छात्रों के समान व्यवहार करता है। वाद-विवाद छात्राध्यापक को उसके शिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी देता है। जो पृष्ठ पोषण का कार्य करता है और जिस से अपेक्षित व्यवहार का अनुसरण किया जाता है। कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया जाता है।

1.

छात्राध्यापकों को शिक्षक के पद का कार्य एक क्रम में सौंपा जाता है और शेष अवसरों पर छात्र तथा निरीक्षक का कार्य सौंपा जाता है।

2. उस शिक्षण-

कौशल को निर्धारित किया जाता है जिसका अभ्यास करना और विकास के लिए सुझाव दिये जाते हैं। छात्राध्यापक अपने शिक्षण के प्रकरण का चयन करते हैं और पाठ का नियोजन करते हैं।

3. शिक्षण के आरम्भ करने तथा अन्त करने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा निश्चित की जाती है।

4. शिक्षक-व्यवहार की क्रियाओं के मापन की विधायों को निश्चित किया जाता है।

5.

अनुकरणीय शिक्षण का अभ्यास किया जाता है और उन्हें पृष्ठ पोषण दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अभ्यास की विधि को दूसरे सूत्र में बदल लिया जाता है।

6.

शिक्षण की विधियों को बदल लिया जाता है जिससे शिक्षण के आगामी कौशल का अभ्यास किया जा सके। परिवर्तन आवश्यक समझा जाता है जिससे छात्राध्यापक की शिक्षण के प्रति रुचि बनी रहे।

अपनी उन्नति जनियें (Check Your Progress)

सत्य/असत्य बताइए

1. सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार छोटा होता है।
2. सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है।
3. यथार्थ वृत्ति शिक्षण के पांच प्रकार हैं।

8.6 सारांश (Summary)

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यथार्थ वृत्ति शिक्षण उन समस्याओं के समाधान का सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है जो कुशल-

शिक्षण में बाधक बनती हैं। यह प्रभावशाली शिक्षण के लिए कुछ अनिवार्य शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। यथार्थ वृत्ति अभ्यासों में विधिवत् प्रयोगों से आवश्यक सुधार भी किये जा सकते हैं। यथार्थ वृत्ति सांजिक कौशल प्रशिक्षण का न्याय संगत प्रयोग किया जाना चाहिए।

8.7 शब्दावली (Glossary)

1. सूक्ष्म शिक्षण: सूक्ष्म-शिक्षण अध्यापक शिक्षा की ऐसी तकनीक है जिसमें अध्यापक ध्यान-पूर्वक तैयार किये गये नियोजित पाठों के द्वारा, पांच से दस मिनट तक वास्तविक विद्यार्थियों के छोटे से समूह के साथ,

स्पष्टरूपसे परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है और इसके परिणाम वीडियो टेप पर प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त करता है।

2. यथार्थवत् शिक्षण: यथार्थवत् शिक्षण एवं अधिगम की ऐसी तकनीक है जिसमें विद्यार्थियों को यथार्थ जीवन की कुछ घटनायें, प्रक्रियाएं अथवा स्थितियां प्रदान की जाती हैं और अभिनय के लिए कुछ भूमिकाएं प्रदान की जाती हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना होता है।

8.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर Answer of practice Question

सत्य/असत्य बताइए

- 1) सत्य
- 2) सत्य
- 3) सत्य

8.9 सन्दर्भ ग्रंथ सूची (Reference Books)

वालिया, जे. एस. (2009) शिक्षा तकनीकी, अहमपाल पब्लिशर्स, जालन्धर शहर (पंजाब)

शर्मा, आर. ए. (2004) शिक्षा तकनीकी के तत्त्व एवं प्रबन्धन आर. लाल बुक डिपो, मेरठ-2500

सक्सैना, एन. आर. स्वरूप (1994) शिक्षण कला एवं पद्धतियाँ (शिक्षण एवं परीक्षण के सिद्धान्त, लापल बुक डिपो, मेरठ।

वालिया, जे. एस. (1998) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, पाल पब्लिशर्स, जालन्धर (पंजाब)

गुप्ता एस.पी (1992) आधुनिक मापन तथा मूल्यांकन, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद

शर्मा आर.ए. (2011) अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी आर.लाल बुक, डिपो, मेरठ-25000

8.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री Useful Books

1. शिक्षा तकनीकी - डॉ. जे. एस. वालिया
2. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ. आर. ए. शर्मा
3. भारतीय शिक्षा का इतिहास विकास एवं समस्याएं - डॉ. एस. पी. गुप्ता
4. शिक्षा तकनीकी के आधार - डॉ. सुरेन्द्र शर्मा एवं कमलेश परवारी

8.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Types Question)

1. सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए?
2. सूक्ष्म शिक्षण के सम्पूर्ण चक्र का वर्णन कीजिए?
3. यथार्थ व शिक्षण से आप क्या समझते हैं?
4. यथार्थ व शिक्षण के लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए?

इकाई 9 -सक्षमता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता *Competency Based Teacher Education, Quality in Teacher Education*

- 9.1 प्रस्तावना (Introduction)
- 9.2 उद्देश्य (Objectives)
- 9.3 सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा (Competency Based Teacher Education)
 - 9.3.1 सक्षमता आधारित शैक्षिक कार्यक्रम (Competency Based Educational Programmes)
 - 9.3.2 प्रभावशाली अध्यापक की सक्षमताएँ (Competencies of a effective teacher)
- 9.4 शिक्षक प्रभावशीलता (Teacher Effectiveness)
 - 9.4.1 प्रभावशाली शिक्षक के गुण (Qualities of an effective teacher)
 - 9.4.2 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणात्मकता में सुधार (Qualitative reforms in teacher training programme)
- 9.5 अध्यापक सक्षमता शिक्षा पर आयोगों के सुझाव (Recommendations of commissions on competency of teacher education)
 - 9.5.1 अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता (Quality in Teacher Education)
 - 9.5.2 अध्यापक की जवाबदेही (Accountability of a teacher)
- अपनी उन्नति जनिय Check your Progress
- 9.6 सारांश (Summary)
- 9.7 शब्दावली (Glossary)
- 9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Questions)
- 9.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)
- 9.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 9.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Long answer Questions)

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

सक्षमता आधारित शिक्षा प्रदर्शन आधारित शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। यह शिक्षण में अपनी जवाबदेही के रूप में भी जाना जाता है। यह शिक्षण में अपनी जवाबदेही एक नये कठोर विचार के रूप में कर रहा है। सक्षमता आधारित शिक्षा (Competency Based Education) के सन्दर्भ में यह तर्क प्रेषित किया जा रहा कि अपने उत्पादों के लिए अध्यापक को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सक्षमता आधारित शिक्षा में दक्षता, छात्र के व्यवहार व अवलोकन पर आधारित होनी चाहिए। विद्यार्थी के लिए सीखने के उद्देश्य, व्यवहार, (Learning objective and behavior) अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी प्रगति दर प्रदर्शन क्षमताओं पर निर्भर करती है। सक्षमता आधारित शिक्षक - शिक्षा एक शिक्षक तैयारी का कार्यक्रम है। यह महारत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान, कौशल, योग्यता (Knowledge, skill and ability) पर आधारित है। सक्षमता एक विशेष परिस्थितियों में एक विशिष्ट मानक प्रदर्शन कौशल है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता व सक्षमता (Quality and Competency in teacher education) आधारित शिक्षा का विश्लेषण कर सकेंगे।

9.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के पश्चात आप निम्न उद्देश्यों को भली भांति समझ सकेंगे।

1. सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा को जान सकेंगे
2. अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता को समझ सकेंगे।
3. प्रभावशाली शिक्षक के गुणों को जान सकेंगे।
4. अध्यापक शिक्षा की जवाबदेही को समझ सकेंगे।

9.3 सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा (Competency Based Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा में आवश्यक है कि शिक्षार्थियों एवं शिक्षक -व्यवहार (Teacher -behavior) का बोध होना चाहिए। शिक्षक की अवधारणा की परिभाषा तीन रूपों में की गई है:

- (क) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से
- (ख) शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से
- (ग) शिक्षक एक भूमिका के रूप से

शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से (Professional aspect of a teacher)

शिक्षक-व्यवसाय को कुछ लक्ष्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जैसे; एक किसान का व्यवसाय (Profession of farmer) का लक्ष्य होता है कृषि की विभिन्न क्रियाओं का सम्पादन करना। इसी प्रकार शिक्षक-व्यवसाय में शिक्षक का उद्देश्य के अनुसार विभिन्न क्रियाएँ करनी होती हैं। एक डाक्टर का मुख्य लक्ष्य बीमार को स्वस्थ करने के लिये निदान करना तथा उसके उपचार हेतु दवा देना होता है। व्यवसाय के लक्ष्य का तात्पर्य कुछ उद्देश्य अथवा अन्तिम परिणाम से होता है, जो तार्किक रूप से परस्पर सम्बन्धित होते हैं।

आर० एस० डाउनी के अनुसार (According to R.S. Dayuni) : शिक्षक का कोई एक लक्ष्य नहीं होता है। विभिन्न शिक्षकों के अलग-अलग लक्ष्य होते हैं। इतना ही नहीं एक ही शिक्षक के अनेक लक्ष्य होते हैं। व्यवसाय लक्ष्य (Profession aim) का तात्पर्य शिक्षक के व्यवसाय से होता है।

शिक्षक एक कौशल के लक्ष्य से (Teacher's as a skill objectives)

एक शिक्षक केवल ऐसा व्यक्ति ही नहीं होता कि वह दूसरों की शिक्षा हेतु परिस्थिति उत्पन्न कर सके, अपितु अपने शिक्षण कार्य कुशलता एवं दक्षता (Efficiency and proficiency) भी विकसित करता है। वह सीखता ही नहीं, अपितु स्वयं भी अभ्यास से व्यवसाय-कौशल को विकसित कर लेता है। अनुभव की परिस्थिति सीखने का मुख्य आधार होता है। एक शिक्षक को अनेक कौशलों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक को शिक्षण-कौशल का सामाजिक कौशलों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक का उत्तरदायित्व अपने छात्रों के प्रति ही नहीं होता, अपितु प्रशासक के प्रति भी होता है। यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षण की भूमिका-निर्वाह का व्यवसाय क्यों माना जाता है। एक शिक्षक के उत्तरदायित्व एवं अधिकार (Responsibility and rights) होते हैं तथा प्रशासक से भी सम्बन्ध रखने पड़ते हैं।

रवीन्द्र नाथ टैगोर के अनुसार (According to Ravinder Nath Tagore): “एक शिक्षक जीवन-पर्यन्त छात्र ही रहता है, उसे अपने विषय की पूर्ण जानकारी नहीं रहती है। शिक्षक को अपने छात्रों तथा अपने विषय की पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। उन्होंने शिक्षक को एक दीपक की उपमा दी है”। उपरोक्त परिभाषा का सारांश है- दीप से दीप जले। शिक्षक को जॉन लेटिन (John Latin) से भी सम्बोधित किया जाता है, जिसमें जॉन का अर्थ छात्र तथा लैटिन का अर्थ विषय होता है। इस प्रकार शिक्षक को अपने विषय तथा छात्रों की पूर्ण होना जानकारी होनी चाहिए तभी वह प्रभावशाली या आदर्श शिक्षक (Ideal Teacher) माना जा सकता है।

आज शिक्षण में नैतिक मूल्यों और सामाजिक आदर्शों (Moral Values and Social Ideals) को महत्व नहीं जाता, अपितु शिक्षण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रभावशाली शिक्षण

शिक्षक एक भूमिका के रूप से-

शिक्षा के कार्यक्रमों का लक्ष्य प्रभावशाली अध्यापक (Effective teacher) तैयार करना है। प्रभावशाली अध्यापक जन्मजात होते हैं तथा प्रशिक्षण द्वारा तैयार भी किये जाते हैं। अध्यापक-शिक्षा एवं विकास प्रणाली है जिससे प्रभावशाली अध्यापक तैयार किये जाते हैं। अध्यापक तैयार करने की प्रयोगशाला विद्यालय को माना जाता है और विद्यालय की कक्षा कार्यशाला है। इस कार्यशाला (कक्षा) (Workshop) में विकास की क्रियाओं का संचालन किया जाता है। इन कक्षाओं की प्रमुख क्रिया शिक्षण होती है। जब छात्र-अध्यापकों को मुख्य शिक्षण अभ्यास (Exercise) का अवसर दिया जाता है तब उसे 'छात्र- शिक्षण' कहते हैं। छात्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण कौशल एवं सक्षमताओं का विकास करना है।

स्कैनक के अनुसार (According to Scanak) -सक्षमता आधारित शिक्षा परिणाम पर आधारित है। यह विद्यार्थी, अध्यापक व समुदाय की बदलती आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा है जिसमें विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमताएँ व स्थितियों का वर्णन है।

सैवेज के अनुसार (According to Savage, 1978) -सक्षमता आधारित शिक्षा, के लिए कार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसमें जीवन के कौशल (Skills of life) पर बल दिया जाता है। जीवन में व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

अतः हम कह सकते हैं कि दक्षता या सक्षमता, आवश्यक कौशल, ज्ञान के वर्णन से मिलकर निर्मित होती है। वास्तविक संसार में दृष्टिकोण और व्यवहार में प्रभाव प्रदर्शन अत्यावश्यक है। यह कार्य के क्षेत्र तथा सामाजिक अस्तित्व के लिए जोड़ा गया है। सक्षमता आधारित शिक्षा परिवार, समुदाय, व्यक्तियों व कार्यस्थल के लिए आवश्यक है।

9.3.1 सक्षमता आधारित शैक्षिक कार्यक्रम (Competency Based Educational Programmes)

1. विशिष्ट, मापित योग्यता।
2. विद्यार्थी लक्ष्य आधारित सामग्री (परिणामों/दक्षताओं) के आधार पर।
3. शिक्षण तकनीकों और समूह की गतिविधियों का प्रयोग करना।
4. शिक्षार्थी अधिगम की किन आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना।
5. जीवन कौशल के सन्दर्भित बुनियादी कौशल का प्रयोग करना।
6. ग्रन्थ, मीडिया और वास्तविक सामग्री को लक्षित करने वाली दक्षताओं का प्रयोग करना।

7. शिक्षार्थियों को निष्पादन करना।
8. सीखने की जरूरत के लिए निर्देश प्रदान करना।

9.3.2 प्रभावशाली अध्यापक की सक्षमताएँ (Competencies of an effective teacher)

1. अध्यापक को अपने विषय का स्वामित्व होना चाहिए तथा अपने छात्र की पूर्ण-जानकारी रखना भी आवश्यक है।
2. अध्यापक का प्रभाव उसके वस्त्रों तथा छात्रों के सम्बोधन का पड़ता है। अध्यापक- संस्थाओं में यूनीफ़ॉर्म को अनिवार्य किया गया है। इसका अर्थ होता है कि देखने में अध्यापक जैसा लगे और अध्यापक जैसा व्यवहार करें।
3. अध्यापक का अपने सम्बन्धों एवं भूमिकाओं (Roles and relations) का समझना चाहिए तथा उनका समुचित रूप में निर्वाह करना चाहिए।
4. अध्यापक को शिक्षण, आयामों, विधियों, एवं सूत्रों (Methods and formulas) का ज्ञान और कौशल होना आवश्यक है।
5. अध्यापक को शिक्षण कौशल, भाषायी कौशल (Language Skill) तथा सामाजिक कौशल का ज्ञान होना और उनका उपयोग करना आना चाहिए।
6. अध्यापक का सम्प्रेषण (Communication) की विधियों का प्रस्तुतीकरण का बोध एवं कौशल होना चाहिए।
7. शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री (Audio-visual aids) का ज्ञान एवं कौशल होना आवश्यक है।
8. शिक्षण की क्रिया में निदान एवं सुधार (Diagnosis and Reform) भी प्रस्तुतीकरण के साथ होना आवश्यक होता है।
9. शिक्षण के समय कक्षागत समस्याओं (Classroom Problems) का समाधान करने की सक्षमता आवश्यक है।
10. अध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों को पुनर्बलन तथा अभिप्रेरणा (Reinforcement and Motivation) भी देनी चाहिए। अध्यापक को हास्य-विनोद भी करना आवश्यक होता है जिससे कक्षा का वातावरण अच्छा होता है।

9.4 शिक्षक प्रभावशीलता (Teacher Effectiveness)

वर्षों से प्रभावशाली शिक्षक अथवा शिक्षक-कुशलता का समझने व परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षक प्रभावशीलता की परिभाषा अपने-अपने दृष्टिकोण से दी है। शिक्षक-प्रभाव सम्बन्धी यह भिन्नता तथा अस्पष्टता स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण निःसन्देह एक सापेक्षिक विषय है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छे या कुशल शिक्षक का विचार उसके पूर्व अनुभव, मूल्य, अभिवृत्ति तथा समाज की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। शिक्षक का मुख्य लक्ष्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। छात्रों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि (Knowledge, skill, and interest) आदि के विकास के फलस्वरूप ही छात्रों में विकास सम्भव है। शिक्षक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ाता है तो उसका सम्मुख कुछ उद्देश्य व लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास वह निरन्तर करता रहता है। जिस सीमा तक वह अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, उसकी कुशलता व प्रभावशीलता का परिचायक है।

क्रेन्ज तथा बिडाल (Kreng and Bidal, 1964) के अनुसार

1. शिक्षा के लक्ष्यों का प्राप्त करने की शिक्षा की योग्यता ही शिक्षक क्षमता या कुशलता कहलाती है। इसका मापन शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, पूर्व अनुभव, शैक्षिक निष्पत्ति (Educational performance) से किया जाता है।
2. शिक्षा के कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक क्रियाये व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएं (Personality related characteristics) ही शिक्षक क्षमता है। इसका मापन व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा अच्छी तरह से किया जाता है।
3. दिये हुए शैक्षिक लक्ष्यों (Educational objectives) को प्राप्त करने में सहायक शिक्षक कुशलता का परिचायक है।

9.4.1 प्रभावशाली शिक्षक के गुण (Qualities of an effective teacher)

इस पक्ष में शिक्षक की मानसिक क्षमता, शिक्षा, विषय सम्बन्धी ज्ञान, शिक्षण अनुभव (Mental Efficiency, education, subject related knowledge and teaching experience) आदि पर चर सम्मिलित होते हैं। प्रभावशाली शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो तथा उसकी उच्च शैक्षिक निष्पत्ति हो। ए.एस.बार (1967) ने अनेक अध्ययनों के निष्कर्ष के फलस्वरूप शिक्षक की निर्णय लेने की क्षमता, विचार शक्ति तथा मानसिक जागरूकता का उसकी शिक्षण कुशलता से गहरा सम्बन्ध बताया।

1. ज्ञानात्मक विशेषताएं (Cognitive characteristics)

प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश देते समय इस बात का भी विशेष महत्व दिया जाता है कि जो छात्र इस व्यवसाय में सम्मिलित हो वह कम से कम औसत शैक्षिक निष्पत्ति वाले हों। यह सत्य है कि किस प्रकार संवेगात्मक (Emotional) दृष्टि से अस्थिर व्यक्ति शिक्षा व्यवसाय में सफल नहीं होता, उसी प्रकार निम्न शैक्षिक स्तर वाला व्यक्ति प्रभावशाली शिक्षण (Effective teaching) नहीं कर पाता है। यह देखा गया है कि उच्च स्तरीय ग्रेड बिन्दु का श्रेष्ठ शिक्षण से घनात्मक सह-सम्बन्ध है।

प्रशिक्षण काल में शिक्षक के अध्यापन- अभ्यास की निष्पत्ति का भी शिक्षण कुशलता के साथ घनात्मक सम्बन्ध होता है। साठमन तथा एशर (1964) ने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक के शैक्षिक स्तर तथा शिक्षण -अभ्यास प्रोग्राम (Teaching Exercise Programme) का कक्षा अनुशासन तथा विषय की तैयारी के साथ गहरा सम्बन्ध है। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कितना है ? तथा विषय की तैयारी व किस प्रकार करता है? इसका प्रभाव भी उसकी शिक्षण कुशलता पर पड़ता है।

2. भावनात्मक विशेषताएं (Emotional characteristics)

भावनात्मक विशेषताओं के अन्तर्गत शिक्षक के संवेग, रुचियां, अभिवृत्ति मूल्य तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी विशेषताएं आती हैं।

एन्डरसन (Anderson) का कहना था कि प्रभुत्ववादी शिक्षक कक्षा पर अच्छा व वांछित प्रभाव चक्र को उत्पन्न करने वाले होते हैं। समन्वयी शिक्षक से पढ़ने वाले छात्र भी समन्वयी मनोवृत्ति वाले हो जाते हैं तथा इन छात्रों में अधिक स्वभाविकता व अच्छा संवेगात्मक व सामाजिक (Emotional and social) समायोजन पाया जाता है।

एन्डरसन (Anderson) ने निष्कर्ष निकाला कि समन्वयी शिक्षक सभी प्रकार के छात्रों के साथ अधिक प्रभावशाली होते हैं, जबकि कम समन्वयी शिक्षक कक्षा में कम प्रभावशाली होते हैं तथा कक्षा में भय की स्थिति अधिक होती है। जैसे कम प्रवीण शिक्षकों के छात्रों में उत्साह व प्रेरणा का अभाव होता है। शिक्षक के व्यक्तिगत के साथ छात्र की निष्पत्ति का गहरा सम्बन्ध होता है।

3) गतिशील एवं कौशल सम्बन्धी विशेषताएं (Dynamic and Skill based characteristics) शिक्षक छात्रों के समझ एक आदर्श प्रतिमान होता है, जिसका अनुकरण छात्र करते हैं। अतः शिक्षक में पूर्ण कौशल नितान्त आवश्यक है, ताकि वह छात्रों की त्रुटियों को शुद्ध कर सकें तथा उन्हें सही क्रिया करने का निर्देश दे सकें। छात्रों को सही शिक्षा स्वयं शिक्षक भी दे सकता है अथवा फिल्म या अन्य दृश्य-श्रव्य (Audio visual or film) अन्य साधन की सहायता भी ले सकता है।

9.4.2 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणात्मकता में सुधार (*Qualitative reforms in teacher training programme*)

अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सार है - गुणात्मकता' (Qualitative) और इसके न रहने पर अध्यापक शिक्षा ने केवल आर्थिक तौर पर बेकार है बल्कि शिक्षा स्तर के सम्पूर्ण स्रोत का हास है। इसलिए अध्यापक शिक्षा ने केवल सुधार के लिये निम्न संस्तुतियां दी गयी है।

1. प्रशिक्षण कॉलेजों के स्टाफ के लिए एक प्रकार से योजनाबद्ध विषय के अनुरूप मुख्य अभिविन्यास पाठ्यक्रम का संगठन है।
2. सामान्य और व्यवसायिक शिक्षा में संगठित एकीकरण पाठ्यक्रम को प्रस्तावित किया जिससे कि शिक्षकों के पाठ्यक्रम संकुचित (Narrow Curriculum) न हो जाए।
3. परिशोधित शिक्षण की विधियां जोकि स्वयं अध्ययन और विचार विमर्श का व्यापक स्रोत रखती है और परिशोधित मूल्यांकन (Evaluation) करती हो तथा शिक्षण अभ्यास का भी प्रयोग किया जाए।
4. सभी स्तरों पर पाठ्यक्रमों का दोहराया जाये। प्रशिक्षण कॉलेजों (Training colleges) का पाठ्यक्रम उत्थान व विकास होना चाहिए।
5. छात्राध्यापकों की फीस माफ हो और उन्हें छात्रवृत्ति तथा ऋण उपलब्ध हो।
6. हॉस्टल तथा प्रयोगात्मक स्कूलों की सुविधाएं उपलब्ध हो जहां कि Staff के लोग सिद्धान्त को पुष्टि करने के लिए प्रयोग कर सके। छात्राध्यापकों को भी यह अवसर उपलब्ध हो कि वह एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर सके जोकि उन्हें प्रशिक्षण कॉलेजों में पढ़ाया गया है।
7. विषय विशेषीकरण को प्रस्तावित करने की संस्तुति तथा यह विशेषीकरण करने की अनुमति उस छात्रा को होनी चाहिए जिसने स्नातक स्तर पर विषय का अध्ययन किया है।
8. प्रशिक्षण कॉलेजों में केवल प्रथम और द्वितीय श्रेणी के छात्रों को ही चयनित किया जाए किसी भी तृतीय श्रेणी के छात्र को प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला न दिया जाए।
9. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप इत्यादि की सुविधाओं में सुधार होना चाहिए।

9.5 अध्यापक सक्षमता शिक्षा पर आयोगों के सुझाव (*Recommendations of commissions on competency of teacher education*)

(i) भारतीय शिक्षा आयोग (Indian Education Commission, 1882)

सन् 1882 में भारतीय शिक्षा की अनियमितताओं की जांच के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, कमीशन ने जांच करने के पश्चात् भारतीय शिक्षा में कुछ सुधार भी स्वीकृत किये। पूर्णतः अपने अनियमितताओं को दूर करने के निम्न सुझाव दिये

1. आयोग ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण संस्थायें भी विस्तृत की जानी चाहिए व स्कूलों का विकास किया जाए।
2. शिक्षक प्रशिक्षण की गुणात्मकता को बढ़ाने के लिए कमीशन ने एक परीक्षा कार्यान्वित वाले ही शिक्षकों के लिए योग्य होने चाहिए।
3. स्नातक के लिए अलग प्रशिक्षण स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए और अस्नातक के लिए स्कूलों की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। स्नातकों के लिए तथा उच्च स्तर के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार इनके कार्यक्रम भिन्न होने चाहिए।

इस सन्दर्भ में एस.एन. मुखर्जी लिखते हैं कि “आयोग कहता है कि अस्नातक तथा स्नातकों को अलग-अलग प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को पहचाना जाना चाहिए और इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम के आधार भी अलग-अलग होने चाहिए।”

(II) भारत सरकार 1904 की नीति (Govt of India 1904 Policy)

भारतीय सरकार के 1904 के पुनर्समाधान में शैक्षिक नीति में अध्यापक प्रशिक्षण की समस्या पर बल दिया गया और घोषणा की गई कि “यदि उच्च स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन का कार्य बढ़ाना है, यदि विद्यार्थियों में पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होने की प्रवृत्ति एवं रटने की प्रवृत्ति बढ़ानी है तो यूरोपीय ज्ञान का प्रसार (Propagation of knowledge) उपयुक्त विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। तब यह आवश्यक है कि शिक्षण की कला (Art of teaching) में शिक्षकों को प्रशिक्षित होना चाहिए।

(III) सैडलर आयोग (Sadler Commission, 1919)

सैडलर आयोग -सन् 1919 में सैडलर आयोग(Sadler Commission) ने कलकता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए संस्तुतियों के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण (Vocational training) में विश्वविद्यालय की भूमिका पर बल दिया। इस आयोग ने कई संस्तुतियां दी

1. प्रत्येक विश्वविद्यालय में शिक्षा के एक विभाग की स्थापना हो
2. शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) की उपाधि को रखने का प्रस्ताव दिया।

3. इसने सलाह दी की शिक्षा को इण्टरमीडिएट स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।
4. इन विश्वविद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (Physical facilities) आयात की जानी चाहिए।

(IV) कोठारी आयोग के अनुसार (Kothari Commission, 1964-66)

भारत के भविष्य को कक्षाओं में निर्मित किया जा रहा है। अब हम यह समझते हैं कि यह केवल प्रभावशाली व्याख्यान नहीं है। आज का संसार जो कि विज्ञान तथा तकनीक पर आधारित है यहाँ केवल शिक्षा ही लोगों में उन्नति तथा कल्याण (Development and welfare) के लिये कार्य कर सकती है। इसके बाद आयोग यह स्वीकार करता है कि शिक्षा ही राष्ट्र को भोजन के प्रति आत्मनिर्भर, आर्थिक विकास पूर्ण रोजगार राजनैतिक विकास, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकीकरण (Political development, social and national integrity) की ओर ले जा सकती है। आयोग यह अनुभव करता है कि शैक्षिक क्रांति को लोगों की जिन्दगी, आवश्यकताओं तथा आशाओं को शिक्षा से जोड़ा जाय। कोठारी आयोग का मानना है कि इस कार्य में शिक्षकों का स्थान अत्याधिक महत्वपूर्ण है।

“ शिक्षा के स्तर को जो बातें प्रभावित करती हैं तथा इसका जो योगदान राष्ट्र के विकास में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात शिक्षक के गुण योग्यता तथा चरित्र है।”

9.5.1 अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता (Quality in Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा (Teacher Education) के क्षेत्र में गुणवत्ता का माहौल तैयार करने में अध्ययन की शैली, प्रेरणा, माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, घर का वातावरण, इत्यादि कारक निर्भर करते हैं शिक्षा का उद्देश्य मात्र उनमें निश्चित कौशल एवं योग्यताओं का विकास करना नहीं है वरन् शिक्षण में रुचि उत्पन्न करें यह आवश्यक है, क्योंकि यदि एक अध्यापक शिक्षण में रुचि रखता है तो वह नवीन ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा व निरन्तर आगे बढ़ते हुए अच्छे से अच्छे प्रयास करेगा। अध्यापक कक्षा में इस उद्देश्य से प्रवेश करता है कि विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे। इस उद्देश्य के लिए योजना की आवश्यकता होती है, इसमें छात्र के मस्तिष्क की सहायता से की जाती है। योजना कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती है जैसे-योजना का उद्देश्य, विषय वस्तु विश्लेषण (Content analysis) अधिगम क्रिया एवं मूल्यांकन। अध्यापक प्रारूप तैयार करता है, जिसे शिक्षा में क्रियान्वित करता है। प्रेरणात्मक क्रियाएं कक्षा में की जाती हैं। अब शिष्य का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, अब यदि विद्यार्थी ने सीख लिया है तो वहाँ उसे पुनर्बलन मिलना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के सभी के सिद्धान्तों के पाठ्यक्रमों के साथ-साथ प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम (Experimental curriculum) के लिए कुछ निश्चित कार्यक्रम है। अध्यापक को कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए दिया जाता है, गतिविधियों के लिए सूची तैयार की जाती है। योजना में विद्यार्थी-

अध्यापक को अपने पाठ्य-योजना (Lesson planning) बनाने में सहायता प्रदान करना ही नहीं अपितु उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया जाये कि वे एक अच्छे शिक्षक बन सकें। निश्चित अनुभवों के द्वारा छात्र-अध्यापक (Student – teacher) को कार्य को समझाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसी प्रकरण पर विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। 'अध्यापक- शिक्षा की गुणवत्ता' पर विचार-विमर्श में विषय विशेषज्ञ तथा अध्यापक- शिक्षा के प्रवक्ताओं की भागीदारी रहती है। अध्यापक- शिक्षा की गुणवत्ता का विवेचन कक्षा से बाहरी पक्षों पर किया जाता है। कक्षा आन्तरिक पक्षों को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि कोठारी आयोग ने आरम्भ में ही कथन दिया है कि “भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है”। स्वतन्त्रता के बाद से अध्यापक- शिक्षा संस्थाओं का विकास अधिक हुआ है, परन्तु प्रभावशाली अध्यापक तैयार नहीं हो रहे हैं। इसलिये अध्यापक- शिक्षा परिषद् की स्थापना इसी उद्देश्य से ही गई। राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक- शिक्षा में गुणवत्ता का विकास किया जाये, परन्तु यह परिषद् इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर पा रही है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक वृत्ति हेतु अध्यापकों के लिए मानक तथा आचरण सम्बन्धी नियमावली का निर्माण नहीं किया है, अपितु नई संस्थाओं (अध्यापक- शिक्षा) को मान्यता हेतु परिनियमावली का निर्माण किया है, जिसका अध्यापक वृत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है, यहाँ तक बिना शैक्षिक अहिताओं के प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्यापक कार्य पर रहे हैं।

‘ शिक्षा में गुणवत्ता ’ का प्रकरण अर्थ ऐसा है; जैसे सूर्य में प्रकाश, चन्द्रमा में शीतलता, शहद में मिठास, जल में निर्मलता, पुष्प में सुगन्ध आदि। इन प्रकरणों के प्रथम शब्द से ही उसकी विशेषता का बोध होता है। सूर्य शब्द ही प्रकाश विशेषता (गुण) को प्रकट करता है। इसी प्रकार शिक्षा मानव की उत्कृष्टता तथा नैतिकता की अभिव्यक्ति करती है। शिक्षा के पवित्र तथा उत्कृष्ट कोई भी प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, विनम्र बनाती है तथा मुक्ति प्रदान करती है। शिक्षा अनुभूतियों तथा संवेदनाओं की जाग्रत करती है, जिनकी शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति करना सम्भव नहीं है। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता प्रकरण की चर्चा अर्थहीन है।

9.5.2 अध्यापक की जवाबदेही (Accountability of a teacher)

शिक्षा के राष्ट्रीय आयोगों, शिक्षा समितियों तथा शिक्षाविदों ने विद्यालय की शिक्षा हेतु कार्यक्रमों, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा जवाबदेही के सम्बन्ध में सुझाव तथा संस्तुतियाँ दी हैं। विद्यालय शिक्षा में जवाबदेही से और उत्तरदायित्व की भूमिका से शिक्षण कार्यों का संचालन किया जाता है और विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। विद्यालय की शिक्षा में प्राचार्य एवं अध्यापकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व (Role and responsibility) होता है। विद्यालय के संचालन की जवाबदेही प्राचार्य तथा अध्यापकों की होती है। जवाबदेही का अर्थ होता है

उत्तरदायित्व का निर्वाह करना। कर्तव्यों की पूर्ति की समीक्षा करने को जवाबदेही कहते हैं। यहाँ जवाबदेही की परिभाषायें भी दी गई हैं।

जाकिर हुसैन के शब्दों में, **(In words Zakir Hussain)** “हमारे सभी विद्यालय का कार्य क्षेत्र समुदाय होंगे। इस शैक्षणिक संस्थाओं में, छात्रों को प्रयोग करने, खोज करने, कार्य करने, रहने की सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए, जहाँ कार्य चरित्र का निर्माण करेगा, जहाँ रहना जीवन का निर्माण करेगा, सभी स्वस्थ कार्यों और अच्छे जीवन की तरह वे उन सहयोगी सामुदायिक घरों की तरह बन जायेंगे जो अपने आन्तरिक स्वःअनुशासन (Self-discipline), स्वःअनुभव और आपसी सहायता से सहयोग एवं आत्मबल की वृद्धि, उत्तरदायित्वों की स्वीकृति के कार्यों में लगे रहेंगे।” इस प्रकार लक्ष्य तभी पूरा हो सकेगा जब विद्यालय की क्रियाओं के प्रति उसके कर्मचारियों की कार्य सम्बन्धी जवाबदेही पर विशेष बल दिया जाए। सभी को अपने को अपनी वृत्ति में प्रतिबद्धता होनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) के अनुसार, (According to Secondary Education Commission) “जीवन जीने की कला” एक विस्तृत धारणा है, जिसमें विद्यालय के द्वारा सामाजिक जीवन की लोकाचार, शिष्टता, सामायिक जीवन हेतु काग्र करने की क्षमता, धैर्य, निष्कपटता, निर्भिकता, अच्छा स्वभाव एवं सरलता, सेवा-भाव, साथी को सहयोग, अनुशासन आदि सम्मिलित होते हैं। यह कार्य पूर्ण निष्ठा, आस्था एवं उत्तरदायित्व के रूप में सम्पन्न किए जाने चाहिए। इन कार्यों के प्रति जवाबदेही भी एक समुचित रूप में मार्गदर्शन प्रदान करती है। वस्तुतः जवाबदेही में ही विद्यालय कार्यों का समावेश होता है। इस के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी अपनी संस्था के प्रति समर्पित होता है। यह कर्मचारी को अपने उत्तरदायित्व की ओर सचेत करती है। साथ ही प्रत्येक कार्य को बहुत सजगता तथा क्रमबद्ध रूप में करने पर बल देता है।

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

- क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए।
- ख) अपने उत्तर को इकाई के अन्त में दिए उत्तर के साथ मिलाइये।
1. (i) सक्षमता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा क्या है?
(ii) शिक्षक एक व्यवसाय के उद्देश्य से कैसे है?
 2. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए **(Fill in blanks questions)**
 - (i) शिक्षक प्रभावशीलता में अहम भूमिका ----- पक्ष की होती है।
 - (ii) शिक्षक को जलते हुए दीपक की संज्ञा ----- ने दी।

(iii) अध्यापक गुणवता (Teacher quality) में ----- को महत्व दिया जाता है।

(iv) अध्यापक की गुणवता का सम्बन्ध ----- पक्ष से होता है।

3. सत्य/असत्य प्रश्न (True / False Question)

(i) अध्यापक प्रभावशीलता के तीन पक्ष-योग्यता, प्रक्रिया तथा उपलब्धियां (उत्पादन) होते हैं। सत्य/असत्य

(ii) अध्यापक प्रभावशीलता में व्यावहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। सत्य/असत्य

(iii) अध्यापक क्या कहता है और क्या करता है इसमें करता पक्ष प्रभावशाली होता है। सत्य/असत्य

4. बहु-विकल्पीय प्रश्न (*Multiple choice questions*)

(i) अध्यापक की आचार संहिता की प्रकृति होती है:-

(क) ज्ञानात्मक	(ख) भावात्मक
(ग) क्रियात्मक	(घ) उपरोक्त सभी

(ii) अध्यापक प्रत्यय का पक्ष होता है:-

(क) उद्देश्य	(ख) कौशल
(ग) भूमिका	(घ) उपरोक्त सभी

(iii) अध्यापक गुणवता का मूल तत्व है:-

(क) मूल्य	(ख) विश्वास
(ग) आस्था	(घ) उपरोक्त सभी

9.6 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके हैं कि अध्यापक शिक्षा में प्रभावशीलता का मानदण्ड अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सक्षमता पर आधारित अध्यापक- शिक्षा में शिक्षक -व्यवसाय, शिक्षक -कौशल (Teacher skill) व शिक्षक एक महत्वपूर्ण अभिकरण का कार्य करता है। एक-

अध्यापक शिक्षण में कार्य-कुशलता एवं दक्षता विकसित करता है। वह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रभावशाली अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह बुद्धिमान हो। अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कार्यक्रमों में सुधार अनुभवों तथा परिस्थितियों के आधार पर करना चाहिए।

9.7 शब्दावली (Glossary)

1. सक्षमता(Competency): यह कार्यात्मक दृष्टिकोण है। इसमें जीवन के कौशल पर बल दिया जाता है। जीवन में व्यक्ति के लिए आवश्यक कौशल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।
2. गुणवत्ता(Quality): योग्यता, प्रक्रिया व उत्पादन का मिश्रण गुणवत्ता है। किसी वस्तु को कोई कितना महत्व देता है यह उस वस्तु को कोई कितना महत्व देता है यह उस वस्तु की गुणवत्ता मानी जाती है।

9.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answers of Questions)

1. (i) अध्यापक- शिक्षा (Teacher Education) में आवश्यक है कि शिक्षक व्यवहार का बोध होना चाहिए। सक्षमता आधारित शिक्षा परिणाम पर आधारित है। यह विद्यार्थी, अध्यापक व समुदाय की बदलती आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा है। यह कार्यात्मक दृष्टिकोण है।
(ii) शिक्षक व्यवसाय (Teacher Profession) के शिक्षक को उद्देश्य के अनुसार विभिन्न क्रियाएँ करनी होती हैं। एक शिक्षक का जो लक्ष्य होता है उसे शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षण के अन्तिम लक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. (i) भावात्मक
(ii) रविन्द्रनाथ टैगोर
(iii) आचार संहिता
(iv) भाव
3. (i) सत्य (ii) सत्य (iii) सत्य
4. (i) (घ) (ii) (घ) (iii) (घ)

9.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (Bibliography)

1. शर्मा, आर. ए. (2011) अध्यापक- शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ-250001
2. सक्षमता आधारित शिक्षा और मानक सामग्री, परिभाषाएं एवं अवयव, (2006), कैथलेन सेंटपितरौ वैडल, उत्तरी कोलारडो, साक्षरता संसाधन केन्द्र।
3. वॉल, एफ. डगलस, सक्षमता आधारित अध्यापक शिक्षा, आचार्य (शिक्षा), राज्य विश्वविद्यालय कॉलेज, ऑनीयटां, न्यूयार्क।
4. Singh, R.P. (2011) Teacher Education Today, Shipra Publication, New Delhi ISBN-978817541531
5. Sharma, T.C. (2005): Teaching Learning Theory and Teacher's Education, Sarup and Sons, ISBN-No: 9788176255707.

9.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री (Useful Books)

1. Sharma, T.C. (2005): Teaching Learning Theory and Teacher's Education, Sarup and Sons, ISBN-No: 9788176255707.
2. Townsend, Tony, Richard, Handbook of Teacher Education, Published by Springer, ISBN: 978-1-4020-4773-22.
3. Singh, R.P. (2011): Teacher Education Today, Shipra Publication, New Delhi, ISBN No: 978817541531.
4. मंहन्त, जे अध्यापक शिक्षा, दीप एंड दीप प्रकाशन, ISBN: 8176294640
5. ए शर्मा, आर. ए. (2011): अध्यापक- शिक्षा, एवं प्रशिक्षण तकनीकी आर. लाल. बुक डिपोट, मेरठ।
6. सक्षमता आधारित शिक्षा और मानक सामग्री परिभाषाएं एवं अवयव, (2006), कैथलेन सेंटपितरौ, वैडल उत्तरी कोलारजे, साक्षरता संसाधन केन्द्र।
7. गुप्ता, ए एस. पी. 'अध्यापक- शिक्षा '

9.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Long answer Questions)

1. सक्षमता पर आधारित शिक्षा से क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।
2. शिक्षक प्रभावशीलता एवं शिक्षण प्रभावशीलता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. अध्यापक व्यवसाय की आचार संहिता की विवेचना कीजिए।
4. अध्यापक शिक्षण की गुणवत्ता का प्रबन्धन का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
5. अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अनुदेशनात्मक प्रक्रिया की उपादेयता का विवेचन कीजिए।
6. अध्यापक सक्षमता का अर्थ समझाइए। अध्यापक प्रभावशीलता के आयामों की विस्तृत में विवेचना कीजिए।
7. अध्यापक शिक्षण की गुणवत्ता का प्रबन्धन का अर्थ बताइये तथा इसका विवेचन कीजिए।

इकाई 10 -सेवारत अध्यापक शिक्षा (In Service Teacher Education)

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

10.2 उद्देश्य (Objectives)

10.3 सेवारत अध्यापक शिक्षा (In-Service Teacher Education)

10.3.1 सेवारत अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of In-Service Teacher Education)

10.3.2 सेवारत अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of In-Service Teacher Education)

10.3.3 सेवारत अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of In-Service Teacher Education)

10.4 सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य (Goals of In-Service Teacher Education)

10.4.1 सेवारत अध्यापक शिक्षा के लिये कार्यक्रम (Programmes for In-Service Teacher Education)

10.5 सेवारत अध्यापक शिक्षा के विकास के लिये सुझाव (Suggestion for Development of In-Service Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

10.6 सारांश (Summary)

10.7 शब्दावली (Glossary)

10.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

10.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

10.10 सहायक उपयोगी पाठ्यक्रम(Reference Book)

10.11 निबन्धात्मक प्रश्न(Essay Type Question)

10.1 प्रस्तावना(Introduction)

शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं इसलिये हम सभी शिक्षार्थी और शिक्षक हैं परन्तु शिक्षा के संकुचित अर्थ में कुछ विशेष व्यक्ति, जो जानबूझकर दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनके आचार विचार में परिवर्तन करते हैं वे ही शिक्षक कहे जाते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का स्थान मुख्य था। लोगो का विश्वास था कि योग्य गुरु के चरणों में बैठकर कोई भी व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है परन्तु मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से अब हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि बच्चे का विकास अध्यापक की अपेक्षा उसके अपने ऊपर अधिक निर्भर करता है। प्रत्येक बच्चा कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, अध्यापक तो इन शक्तियों के आधार पर उसके विकास में सहायक का कार्य करता है।

परन्तु अध्यापक के अभाव में नियोजित शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक कभी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है तो कभी लेखक के रूप में या शिक्षण मशीन एवं कम्प्यूटर में शिक्षण सामग्री के रूप में या रेडियों एवं टेलीविजन पर अपने विस्तार के रूप में उपस्थित होता है। इस शताब्दी में इस विषय पर पर्याप्त शोध कार्य हुआ है कि अध्यापकों की सफलता किस बात पर निर्भर करती है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अध्यापक अपने ऊपर बढ़ते हुये उत्तरदायित्व का निर्वाह तभी कर सकते हैं जब उनमें उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, उच्च सामाजिकता, उच्च सांस्कृतिक दृष्टिकोण, स्पष्ट जीवन दर्शन, नैतिकता एवं चरित्रबल, अपने विषय का स्पष्ट ज्ञान, विभिन्न विषयों का सामान्य ज्ञान, शिक्षण कौशलों में दक्षता तथा संगठन शक्ति आदि गुण हों। सेवारत अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण या पुनश्चर्या कार्यक्रमों को संचालित एवं व्यवस्थित करते हुये उनकी कार्यक्षमता और कुशलता में वृद्धि हेतु प्रयत्न किया जाता है।

चूँकि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक शिक्षा को भी शिक्षा के समान एवं जीवनव्यापी प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया, अतः सेवारत अध्यापक शिक्षा को भी अपरिहार्य एवं सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के अविच्छेद्य अंग के रूप में देखा जाने लगा। इस हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय और शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान आदि की स्थापना को आवश्यक माना गया।

10.2 उद्देश्य(Objectives)

1. सेवारत् अध्यापकों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये नये-नये उद्दीपनों का ज्ञान प्राप्त कराना।
2. सेवारत् अध्यापकों के सामने आने वाली शिक्षण समस्याओं का अध्ययन कराना।
3. सेवारत् अध्यापकों के लिये प्रभावशाली शिक्षण प्रविधियों की जानकारी प्राप्त कराना।
4. अध्यापकों के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि करना।
5. सेवारत् अध्यापकों को मूल्यांकन प्रविधियों एवं पाठ्यक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करना।
6. अध्यापकों के मानसिक दृष्टिकोण में विस्तार करना।
7. शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नयी शिक्षण प्रविधियों एवं आविष्कारों से सेवारत् अध्यापकों को अवगत करना।

10.3 सेवारत् अध्यापक शिक्षा(In-Service Teacher Education)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा, सेवारत् अध्यापकों के लिये आयोजित की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह व्यवस्थित, सतर्क ध्यानस्थ, आवश्यकतापरकता और विज्ञान सम्मत प्रक्रिया है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिये सेवारत् अध्यापकों को प्रदान की जाती है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा से अध्यापकों का दृष्टिकोण व्यापक बनता है। यह प्रक्रिया सेवारत् अध्यापकों में व्यवहारिक परिवर्तन उत्पन्न करती है और अध्यापकों को विविध प्रकार के अनुभव प्रदान करती है जिससे उन्हें शिक्षा तथा शिक्षण की नवीन आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त होता है और परिणामस्वरूप उनमें शिक्षण कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से करने की योग्यता का विकास होता है।

अतः सेवारत् अध्यापक शिक्षा, अध्यापक की शिक्षण योग्यता के सतत् विकास का साधन है।

डा० अल्लेकर के अनुसार, "कोई भी कालेज या कोर्स एक डाक्टर को वह सब कुछ नहीं सिखा सकता जो उसे सीखना है। उसके अभ्यास से उसके ज्ञान क्षेत्र का विकास होता रहता है। जो बात एक डाक्टर के लिये सत्य है, वह एक अध्यापक के लिये भी सत्य है।"

10.3.1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning & Definition of In-Service Teacher Education)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा में व्यावसायिक अध्यापकों एवं अन्य अध्यापकों को उनके व्यवसाय से सम्बन्धित निरन्तर जानकारी प्रदान करना एवं उनके व्यावसायिक गुणों तथा कौशलों में सुधार एवं विकास करना सम्मिलित है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था, अध्यापक को शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात उनके लगातार विकास के लिये उचित अनुदेशन को सुनिश्चित करने के लिये की जाती है। सेवारत् अध्यापक शिक्षा द्वारा अध्यापकों के अन्दर व्यावसायिक गुणों का विकास किया जाता है।

एम0 बी0 बुच (1968) “ सेवारत् अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है, जिसका उद्देश्य शिक्षक और शैक्षिक सेवा कर्मचारियों का निरन्तर विकास है।”

केन (1969) “वे समस्त क्रियायें एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत् अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उनमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, सेवारत् अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है।”

10.3.2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की समस्यायें (Problems of In-Service Teacher Education)

राष्ट्रीय अध्यापक आयोग (1983-84) ने सेवारत् अध्यापक शिक्षा के बारे में इस प्रकार टिप्पणी की, “सेवारत् अध्यापक शिक्षा की वर्तमान सुविधायें प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों स्तर के अध्यापकों के लिये मात्रा की दृष्टि से दुर्भाग्यवश अपर्याप्त है तथा प्रासंगिक व महत्त्व की दृष्टि से बहुत खराब है।” सेवारत् अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित दोष हैं-

1. उद्दीपकों की कमी,
2. प्रेरणा की कमी,
3. अनुपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाना,
4. अनुपयुक्त पाठ्यक्रम,
5. समस्या स्रोत के अध्ययन का अभाव,
6. अध्यापकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण,
7. प्रशासकीय समस्यायें,

8. संस्थागत समस्याएँ,
9. वित्तीय कठिनाई,
10. अनुवर्ती कार्यक्रमों की कमी।

10.3.3 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता (Need of In-Service Teacher Education)

इंग्लैण्ड के विख्यात स्कूल रग्बी (Rugby) के प्रसिद्ध प्राध्यापक थॉमस आरनाल्ड ने सेवारत् अध्यापक शिक्षा के बारे में लिखा है, “मैं इस बात को पसन्द करता हूँ कि मेरे छात्र खड़े पानी को पीने के बजाय बहती नदी से पानी पीयें।”

भारत के प्रसिद्ध विचारक एवं शिक्षाविद् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में सेवारत् शिक्षा का महत्त्व इस प्रकार बताया, “एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती न रहें। एक अध्यापक कभी भी वास्तविक अर्थों में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं न सीखता रहे।”

इसी संदर्भ में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने कहा, “यह एक अनोखी बात है कि हमारे स्कूल अध्यापक जो कुछ भी सीखते हैं वह 24 या 25 वर्ष की आयु तक सीखते हैं और इसके पश्चात् भावी शिक्षा को अनुभव पर छोड़ देते हैं, जिसका दूसरा नाम स्थिरता है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि अनुभव तभी पूर्ण होता है, जब उसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसलिये अध्यापक को सचेत रहने के लिये समय-समय पर सीखने की क्रिया में भाग लेना चाहिये। सीखने और सिखाने की क्रिया से ही अनुभव होता है और पुरानी क्रियाओं का नई क्रियाओं द्वारा परीक्षण करना चाहिये।”

कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार, “शिक्षा के सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रही उन्नति के कारण और अध्यापन के सिद्धान्तों और प्रयोगों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण सेवारत् अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है।”

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1983-85) ने सेवारत् अध्यापक शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुये कहा है, “ज्ञान के विस्फोट हो जाने, संचार के क्षेत्र में क्रान्ति आ जाने, समसामयिक घटनाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पैदा होने, मूल्यों में गिरावट आ जाने के कारण अध्यापकों को वर्तमान परिस्थितियों की पूरी जानकारी होनी चाहिये, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।”

वर्तमान में जब पाठ्यक्रम निरन्तर बदल रहे हैं, मूल्यांकन पद्धति, श्रव्य-दृश्य अनुदेशनात्मक सामग्रियों के प्रयोग, संगणक तथा मल्टी मीडिया आदि का उपयोग, दूर-सम्प्रेषण तकनीकों का प्रचलन भी अधिक होता जा रहा है, अतः अध्यापकों का इन समस्त पद्धति एवं प्रयोजनों से

व्यावहारिक परिचय का होना अपरिहार्य बन जाता है। बिना उपयुक्त दिशा-निर्देशन प्राप्त किये वे स्वयं इन समस्त आधुनिक पद्धति और तकनीकी कुशलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नवाचारिक अनुप्रयोगों को सफल बनाना अध्यापक का ही दायित्व होता है और बिना उनसे भली-भाँति परिचित हुये उनके लिये इस दायित्व का अनुपालन करना पाना कठिन हो सकता है।

10.4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लक्ष्य (Goals of In-Service Teacher Education)

सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय हैं-

1. अध्यापक की अपूर्णता सम्बन्धी कमियों को बाहर निकालकर जो उसके सेवा-पूर्व काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई, उपचार करना।
2. नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वहन करने हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षाशास्त्र की ज्ञान विधा को उन्नति की ओर अग्रसारित करना जिसकी आवश्यकता है।
3. अध्यापक के विषय और विषयवस्तु ज्ञान को उन्नत एवं पूर्णता प्रदान करना।
4. परिवर्तन के एजेण्ट के रूप में उन्हें प्रशिक्षित करना।
5. बदलते हुये संसार के तीव्रतर एवं स्वयं ज्ञापित अनुकूलन हेतु शिक्षा प्रदान करना।
6. स्वाध्याय और ज्ञान पिपासु छात्र के रूप में अध्यापकों को तैयार करना।
7. जीवनपर्यन्त शिक्षा प्राप्त करने हेतु अध्यापकों को तैयार करना।
8. सम्पूर्ण औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अभिकरणों के प्रयोग हेतु सक्षम बनाना।
9. अध्यापकों को नवीन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों को समझने, सहन करने और समाज में नवीन परिस्थितियों को प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाना।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्यकाल था?

(अ) 1983-85 (ब) 1964-66 (स) 1948-49 (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के किन्ही दो दोषों को बताईये?

प्र. 3 ''एक दीपक दूसरे दीपक को कभी भी प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी ज्योति जलती न रहें'' यह किसने कहा है?

प्र. 4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के कोई दो लक्ष्य बताईये?

10.4.1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम (Programmes of In-Service Teacher Education)

हर्टाग कमेटी (1929) तथा सार्जेण्ट रिपोर्ट (1944) की सिफारिशों के बावजूद भी स्वतन्त्रता से पूर्व इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया। विश्वविद्यालय आयोग (1949) तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) द्वारा भी अध्यापकों की व्यावसायिक अभिवृद्धि के लिये सेवारत् अध्यापक शिक्षा के लिये प्रबन्ध किये जाने का समर्थन किया गया परन्तु 1955 से पूर्व ऐसा न हो सका। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई जिसने कुछ चुने हुये ट्रेनिंग कॉलेजों में प्रसारण सेवा विभागों की स्थापना की गयी। 1961 में इस परिषद् को राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् का नाम दिया गया जिसने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा देने के लिये माध्यमिक शिक्षण प्रसारण कार्यक्रम निदेशालय की स्थापना की। अब इस विभाग को क्षेत्र सेवाओं का विभाग कहते हैं।

देश में प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रसारण सेवा विभागों के अतिरिक्त प्राइमरी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा देने के लिये कुछ प्रशिक्षण स्कूलों में भी प्रसारण सेवा विभाग हैं। सेवारत् अध्यापक शिक्षा के निम्नलिखित विभिन्न कार्यक्रम हैं-

1. कार्यगोष्ठी (Seminar)- कार्यगोष्ठियों का आयोजन शिक्षा के किसी भी रूप से सम्बन्धित अनेक शैक्षिक समस्याओं पर किया जा सकता है। पहले से ही एक कार्यपत्र तैयार कर लिया जाता है और इसमें भाग लेने वालों को भेज दिया जाना चाहिये। इसे खुले अधिवेशन में पढ़ा जाता है और इस पर विवेचन किया जाता है। समस्या के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिये अनेक कमेटियाँ बना दी जाती हैं। कमेटियों की रिपोर्ट आम सभा में पढ़ी जाती है और सुधार आदि के सुझाव के लिये उन पर विवेचन किया जाता है। वाचन के रूप में भी कार्य गोष्ठियों का प्रबन्ध किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्यों के पुनःनिर्धारण, पाठ्यक्रम सुधार, नयी शिक्षण विधियाँ, प्रशासन, पर्यवेक्षण तथा वित्तीय सहायता और शिक्षा के अन्य पक्षों पर भी कार्य गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। कार्य गोष्ठियाँ किसी विशिष्ट समस्या के गहन विचार के लिये अवसर प्रदान करती हैं। भाग लेने वाले व्यक्ति मिलकर रहते हैं और इकट्ठे खाते हैं जो अनौपचारिक सम्बन्धों को प्रेरित करते हैं और मैत्रीपूर्ण विवेचन तथा विचारों को विनिमय का अवसर प्रदान करते हैं।

2. कार्यशालायें (Workshops) - कार्यशालायें कार्यगोष्ठियों से भिन्न होती हैं। कार्यशालाओं में क्रियात्मक मार्ग अपनाया जाता है। सभी भाग लेने वाले सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कार्यशालाओं का आयोजन कक्षा भवन शिक्षण की क्रियात्मक समस्याओं पर गहन रूप से विचार करने के लिये किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन तथा कार्य के लिये स्वतन्त्र समय दिया जाता है। कार्यशालाओं का आयोजन पाठ योजना, पाठ्यक्रम के निर्माण तथा परीक्षणों के निर्माण पर किया जा सकता है। प्रत्येक भाग लेने वाले को कुछ कार्य करने के लिये दिया जाता है। कार्यशाला की प्रमुख उपयोगिता एक या दो पाठ-योजनाएँ बनाने या किसी विशिष्ट विषय अथवा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिये पाठ्यक्रम बनाने में या किसी स्कूल के विषय में उपलब्धि परीक्षण बनाने में उल्लेखनीय है।

3. रिफ्रेशर कोर्स (Refresher Course)- रिफ्रेशर कोर्स बड़े प्रभावशाली ढंग से अध्यापकों को अन्तः सेवा शिक्षा प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य अध्यापकों को अपने विषय तथा शिक्षा के सिद्धान्त एवं प्रयोग में नये परीक्षणों के साथ-साथ चलने के योग्य बनाना है। इनका आयोजन स्कूल विषयों तथा नयी शिक्षण प्रणालियों के सन्दर्भ में किया जा सकता है। विशेषज्ञ, अध्यापकों के लाभ के लिये अपनी सेवाएँ अर्पित करते हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से उन अध्यापकों की कार्यक्षमता बढ़ती है जो अपने विषयों तथा शिक्षण विधियों में हुये सुधारों से अनभिज्ञ रहते हैं।

4. सम्मेलन (Conferences)- अध्यापकों के सम्मेलनों का संगठन व्यावहारिक रुचि वाले विषयों के लिये किया जा सकता है। ये विषय हैं- पाठ्यक्रम का संशोधन, पाठ्य-पुस्तकों का चुनाव, सफल शैक्षिक परीक्षणों के परिणाम, पिछड़े हुये बालकों का निर्देशन तथा दैनिक शिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित इसी प्रकार की समस्याएँ। विशिष्ट विषयों के अध्यापन पर विचार करने के लिये भी सम्मेलन बुलाया जा सकता है। कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं- सामाजिक अध्ययन, सामान्य विज्ञान और भाषाएँ।

ये सम्मेलन प्रान्त, जिला अथवा क्षेत्र स्तर पर आयोजित किये जा सकते हैं।

5. विस्तार सेवा कार्यक्रम (Extension Service Programme)- इस वर्ग के कार्यक्रम में विद्यालय प्रशिक्षण महाविद्यालय अन्तर्सम्बन्ध विकास हेतु कार्यक्रम, विद्यालय उन्नयन योजना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विकास योजना, गहन कार्यशाला एवं अधिगम सामग्री प्रकाशन कार्यक्रम आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। विस्तार सेवा का लक्ष्य सुधारात्मक और उन्नयनमूलक कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना होता है।

6. अध्ययन समूह (Study Groups) - विभिन्न विषयों के अध्यापक एक अध्ययन समूह बना सकते हैं जिसकी बैठक सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में एक बार हो सकती है। विचार-विमर्श के लिये कुछ सामान्य रुचि वाले विषयों को लिया जा सकता है। उप-विषय का चुनाव यथासम्भव इस

अध्ययन समूह के अध्यापकों की व्यावहारिक आवश्यकताओं तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाये। विचार-विमर्श व्यावहारिक क्रिया की ओर अग्रसर होना चाहिये। अध्ययन समूह शैक्षिक योजनाओं के बनाने में सहायता कर सकते हैं।

7. स्कूल कार्यक्रम (School Programmes) - क्लब मीटिंग, अलग विषयों की मीटिंग (सभायें), अध्ययन मण्डल स्कूल में प्रदर्शनियाँ, प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट फिल्म शो, प्रदर्शन पाठ, प्रसार-भाषण तथा पुस्तकालय सेवायें भी अध्यापकों को सेवाकालीन शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

8. विविध कार्यक्रम (Miscellaneous Programmes) - अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिये शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक महत्त्व के स्थानों को देखना, अध्यापक विनिमय कार्यक्रम आदि का संगठन किया जा सकता है।

9. अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिये विभिन्न अभिकरण (Various Agencies for In-Service Teacher Education) - अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा के लिये विभिन्न संस्थान निम्न प्रकार हैं-

(i) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institutes of Education)- बहुउद्देशीय विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा, वाणिज्य, ललित कलायें, ग्रह विज्ञान, कृषि आदि विषयों के अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये चार क्षेत्रीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई जो अलग-अलग प्रदेशों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये संस्थान निम्न हैं-

(अ) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर (Regional Institutes of Education, Ajmer) - उत्तरी प्रदेशों अर्थात् जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के लिये।

(ब) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर (Regional Institutes of Education, Bhubaneswar) - पूर्वी प्रदेशों अर्थात् बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिये।

(स) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल (Regional Institutes of Education, Bhopal) - पश्चिमी प्रदेशों अर्थात् महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लिये।

(द) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, मैसूर (Regional Institutes of Education, Mysore) - दक्षिणी प्रदेशों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिये।

(ii) राजकीय विज्ञान संस्थान (State Institutes of Science Education)- माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिये विज्ञान शिक्षा कार्यक्रमों को विकसित करने

के लिये कुछ प्रान्तों में राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थायें स्थापित की गई हैं। इन संस्थाओं का मुख्य कार्य अध्यापकों के लिये कार्यशालाओं, कार्यगोष्ठियों, और अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त यह संस्थायें विज्ञान के पाठ्यक्रम का निरीक्षण करती हैं और विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की जाँच करती हैं। कई राज्यों ने अपनी विज्ञान शिक्षण संस्थाओं को राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के साथ सम्बन्धित कर दिया है।

(iii) शिक्षा की राज्य संस्थायें (State Institutes of Education)- इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत् अध्यापकों की शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के लिये की गई है। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकाशनों की सहायता से सूचनायें प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों जैसे- पाठ्यक्रम, विधियों, प्रविधियों पर शोध कार्य का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, गोष्ठियों, पाठ्यक्रमों एवं वाद विवादों का आयोजन किया जाता है। राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं अध्यापक शिक्षा परिषद्, राज्य शिक्षा संस्थान और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान आदि शिक्षा की राज्य संस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं।

(iv) राजकीय अंग्रेजी संस्थायें (State Institutes of English)- विदेशी भाषा होने के कारण अंग्रेजी की शिक्षा देना कठिन है। विद्यालयों के अध्यापकों को प्रभावशाली ढंग से अंग्रेजी की शिक्षा देने में सहायता करने के लिये विभिन्न प्रदेशों में राजकीय अंग्रेजी संस्थायें स्थापित की गई हैं इनके मुख्य कार्य हैं- अध्यापकों को अंग्रेजी शिक्षण की नवीन धारणाओं और प्रवृत्तियों से परिचित कराना तथा उन्हें शिक्षण की नवीनतम विधियों का प्रशिक्षण देना। इन संस्थाओं के प्रयत्नों से विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने की नई विधियों को प्रचलित किया जा रहा है।

10. राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का अध्यापक शिक्षा विभाग (Teacher Education Department of N.C.E.R.T) - यह विभाग समय-समय पर अध्यापकों के व्यावसायिक विकास के लिये विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- (i) राज्य शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये गये अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना और उन्हें सहयोग देना।
- (ii) अध्यापक शिक्षा की उत्तम विधियों का विकास करने के लिये शोध कार्यों की व्यवस्था करना।
- (iii) शिक्षात्मक विषयों पर अध्यापकों और अध्यापक शिक्षकों के लिये आवश्यक साहित्य का निर्माण करना।

(iv) राज्य शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण, नवीनीकरण और अभिनव कोर्सों की व्यवस्था करना।

(v) अन्तर्राज्य आधार पर प्रशिक्षित संस्थाओं के प्रधानाचार्यों के लिये कार्यगोष्ठियों, कार्यशालाओं और अभिनव कोर्सों की व्यवस्था करना।

(vi) प्रशिक्षण संस्थाओं में अपनायी जाने वाली शिक्षण विधियों और अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम के विकास के लिये नये प्रयोग करना।

11. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (National Council of Teacher Education) -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यायित करने तथा पाठ्यचर्या व पद्धतियों के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिये आवश्यक संसाधन तथा क्षमता उपलब्ध करायेगी एवं अन्य निम्न कार्य भी करेगी-

(i) अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पक्षों का सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना।

(ii) देश में अध्यापक शिक्षा का विकास, नियन्त्रण एवं समन्वय करना।

(iii) स्वीकृत संस्थाओं की जवाबदेही के लिये मानकों, मूल्यांकन पद्धति आदि का निर्धारण करना तथा उन्हें लागू करना।

(iv) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान एवं नवाचारों को प्रोत्साहित करना।

(v) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्वीकृति या सम्बद्धीकरण से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण करना।

(vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू0जी0सी0 तथा अन्य शैक्षिक संगठनों में तालमेल स्थापित करना।

12. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विभाग (Departments of District Institute of Education & Training)-

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवारत् कार्यक्रम, क्षेत्रीय अन्तःक्रिया एवं नवाचार समन्वय नामक विभाग का कार्य सेवारत् अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना एवं नवाचार हेतु अभिनव कार्यक्रम चलाना है। साथ ही यह विभाग जिला शिक्षा प्रशासन को जिले की शैक्षिक योजना बनाने में सहयोग प्रदान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा शैक्षिक समस्याओं के समाधान खोजना एवं नवीन शिक्षण तकनीक का प्रभावी उपयोग करना भी इसके कार्यों में शामिल है।

13. पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिये संस्थायें (Institution for Correspondence Course)-

हमारे देश में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत यूँ तो बी०बी०सी० लन्दन से प्रसारित अंग्रेजी भाषा शिक्षण के पाठों के प्रसारण से हो गयी थी परन्तु 1959 में हमने स्वयं दूरदर्शन पर प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। 1961 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) ने देश में पत्राचार शिक्षा शुरू करने की संस्तुति की और 1962 में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की गई। कोठारी कमीशन 1964-66 ने भारत में पत्राचार शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद 1968 में पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किये। इसके बाद 1969 में मैसूर विश्वविद्यालय, और मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ने स्नातक स्तर पर पत्राचार शुरू किये। इसके बाद तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने भी पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये।

भारतवर्ष में अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर और भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में सन 1966 से ग्रीष्मकालीन तथा पत्राचार कोर्स आरम्भ किया गया। इस नये कार्यक्रम का उद्देश्य अप्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षित करना है। इस कोर्स की अवधि 14 महीने है जिनमें 2-2 मास के दो ग्रीष्मावकाश भी सम्मिलित है। इन दिनों छात्रों को गहन शिक्षा कार्य के लिये क्षेत्रीय महाविद्यालयों के कैम्पस में रहना पड़ता है। इन दो ग्रीष्मावकाश के बीच पड़ने वाले 10 महीने क्षेत्रीय अनुभवों के लिये प्रयोग किये जाते हैं।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय में पत्राचार के माध्यम से बी०एड० और एम०एड० के पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। जम्मू विश्वविद्यालय में भी पत्राचार द्वारा बी०एड० के कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा अनेक परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा कोर्स और सर्टिफिकेट कोर्स पत्राचार माध्यम द्वारा कराये जा रहे हैं।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 5 अध्ययन समूह (Study Groups) की बैठक होती है?

(अ) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में एक बार (ब) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में दो बार (स) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में तीन बार (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 6 नयी शिक्षण विधियों (New Teaching Methods) पर विचार किया जाता है?

(अ) कार्यगोष्ठियों में (ब) कार्यशालाओं में (स) सम्मेलनों में (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 7 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का नियन्त्रण किया जाता है-

(अ) राज्य सरकार द्वारा (ब) केन्द्रीय सरकार द्वारा (स) एन0सी0टी0ई0 द्वारा (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 8 उत्तराखण्ड राज्य किस क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अन्तर्गत आता है?

10.5 सेवार्त् अध्यापक शिक्षा के विकास के लिये सुझाव (*Suggestion for Development of In-Service Teacher Education*)

(अ) शिक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

1. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक स्तर पर सतत् अध्यापक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। विश्वविद्यालय के सहयोग से संस्था से पूर्व की शिक्षा एवं संघ से पूर्व की शिक्षा लम्बे पैमाने पर नियोजित की जानी चाहिये।
2. साधनो की कमियों को ध्यान में रखते हुये अध्यापकों के लिये प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जिसकी अवधि प्रत्येक पाँच वर्ष के बाद निरन्तर तीन माह के लिये होनी चाहिये। यह कार्य उनके सेवाकाल में ही होना चाहिये।
3. राष्ट्रीय स्तर पर एक मूलभूत नीति का प्रयोग करके प्रत्येक सेवार्त् अध्यापक के व्यावसायिक गुणों में वृद्धि की जानी चाहिये। भारत में प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को उनके व्यावसायिक गुणों के विकास के लिये इस प्रकार की सुविधा नहीं है।
4. राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने प्रत्येक राज्य को कुछ वैधानिक सुझाव दिये हैं जिनके अनुसार सतत् शिक्षा के लिये तीन श्रेणियों में व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रथम श्रेणी में प्राथमिक अध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये, द्वितीय श्रेणी में माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये जबकि तृतीय एवं अन्तिम श्रेणी में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा प्रधानाध्यापकों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। प्रथम श्रेणी में रखे गये प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वितीय और तृतीय श्रेणी में रखे गये प्रशिक्षणार्थियों द्वारा होनी चाहियें।
5. विभिन्न वर्गों से सम्बन्धित अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का स्वरूप भिन्न होना चाहिये। इन सबके लिये सतत् शिक्षा का कार्यक्रम परिवर्तित होना चाहिये।
6. सतत् शिक्षा का नियोजन एक व्यापक रूप में होना चाहिये, जिसका आधार विद्यालय की आवश्यकता, अध्यापकों की आवश्यकता, निकटतम भविष्य में सम्भावित विकास होना चाहिये। व्यवस्थापक को सतत् शिक्षा में भाग ले रहे अध्यापकों में धीरे-धीरे सुधार एवं विकास की प्रक्रिया को संचालित करना चाहिये।

7. सतत् शिक्षा में गहराई से चिन्तन करने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। वर्तमान समय में सतत् शिक्षा का एक आत्म-निर्भर केन्द्र खोलने का प्रयास हो रहा है।

8. पूर्व सेवारत् अध्यापक एवं सेवारत् अध्यापक के मध्य सम्बन्ध स्थापित होने चाहिये उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

9. सतत् अध्यापक शिक्षा की सफलता विशेषज्ञों की योग्यता एवं गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अध्यापकों में व्यावसायिक ज्ञान की वृद्धि के लिये उनको अनेकों प्रकार के उद्दीपकों एवं अवसरों को प्रदान करना चाहिये।

10. अध्यापकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये एक नीति तैयार की जा सकती है, जिससे कि उनके अन्दर बुनियादी प्रेरणा एवं उद्दीपक के द्वारा उनको प्रेरित किया जा सकता है। आन्तरिक उद्दीपकों में पुरस्कार, स्तर में विकास एवं लिखित प्रोत्साहन आदि आते हैं।

11. इस प्रकार के आयोजनों का मूल्यांकन दो स्तर पर किया जा सकता है। प्रथम अवस्था वह है जब सतत् शिक्षा का नियोजन किया गया हो और दूसरी अवस्था वह है जब सेवारत् अध्यापक अपनी शिक्षण अवधि समाप्त करके वापस जा रहे हों। इन दोनों स्तरों पर शिक्षा का मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

12. इस प्रकार के कार्यक्रम में सहायक वातावरण को तैयार करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अध्यापकों में इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिये कि यह एक व्यर्थ क्रिया है। उनके अन्दर इस प्रत्यय के लिये सृजनात्मक चिन्तन करने की भावना का विकास किया जाना चाहिये।

13. सतत् शिक्षा के लिये धन मानव शक्ति एवं समय की आवश्यकता होती है। इसलिये सतत् शिक्षा हेतु प्राथमिकता का निर्धारण राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहिये। इससे सतत् शिक्षा का प्रभावी रूप में क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

14. विस्तार सेवा विभाग को प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं से सम्बन्धित कर दिया जाना चाहिये। विस्तार सेवा प्रशिक्षण विभागों को महाविद्यालयों के मध्य अपना निजी अस्तित्व बनाये रखना चाहिये।

(ब) अन्य सुझाव

1. प्रसार की आवश्यकता- अपर्याप्त सुविधा होने के कारण ऐसे अध्यापक प्रसार सेवा की व्यवस्था से वंचित रह जाते हैं जोकि व्यक्तिगत संस्थाओं से सम्बन्धित होते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रसार सेवा का विस्तार किया जाये तथा इसमें अधिकतम अध्यापकों को सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाये। शिक्षा विद्यालयों में प्रसार सेवा के विभाग खोले जायें। सेवारत् अध्यापकों की सुविधा के लिये जिला एवं उपजिला स्तर पर कार्यालयों की सुविधा प्रदान की जायें।

2. विभिन्न एजेन्सियों का सहयोग- प्रसार सेवा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य स्तर के शिक्षा विभाग और राजकीय महाविद्यालयों के परिषदों आदि शिक्षा की विभिन्न एजेंसियों को आपस में सहयोग करने की आवश्यकता है जिससे कि उनके कार्यक्रमों में अंशाच्छादन न हो।

3. निरीक्षकों की भूमिका- शैक्षिक संस्थाओं के अध्यापकों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपने अध्यापकों को सेवारत् अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये उत्साहित करें। शिक्षा अधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अध्यापकों को उत्साहित करें तथा उनके ज्ञानोपार्जन की इस प्रक्रिया का विवरण उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दें।

4. सुनियोजित कार्यक्रम- सेवारत् अध्यापक शिक्षा का नियोजन सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से करना चाहिये। इस कार्यक्रम की निश्चित रूपरेखा होनी चाहिये। संस्थागत आवश्यकता के अनुरूप ही इस कार्यक्रम में वृद्धि करनी चाहिये।

5. साधन व्यक्ति या रिसोर्स पर्सन- सब प्रकार से योग्य अध्यापक ही इस कार्यक्रम के लिये अनुकूल रिसोर्स पर्सन की तरह कार्य कर सकते हैं। इनका चयन विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों, महाविद्यालय के प्रोफेसरों तथा राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षाविदों में से किया जाना चाहिये, जिनके पास सिखाने के लिये कुछ नया ज्ञान हो।

6. अनुवर्ती कार्यक्रम- प्रसार सेवा कार्यक्रम द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रम को उचित ढंग से लागू करने के लिये कुछ ऐसे साधनों का उपयोग किया जाना चाहिये, जिससे कि इस कार्यक्रम का उपयोग हो सके।

7. अनुसन्धान- इन कार्यक्रमों की उपयोगिता अनुसंधान के निष्कर्षों द्वारा देखी जा सकती है। अध्यापकों को उसके निष्कर्षों को अन्य तक पहुंचाने के लिये प्रेरित करना चाहिये। अध्यापकों के लिये सूचना तथा उनके विचारों के प्रकाशन के लिये प्रत्येक तीन माह बाद विस्तार सेवा द्वारा पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करनी चाहियें।

8. अध्यापकों के लिये प्रलोभन- वर्तमान समय में इस प्रकार के प्रलोभनों की आवश्यकता है जोकि अध्यापकों का ध्यान इस प्रकार के कार्यक्रम की ओर आकर्षित कर सकें। अवकाश के दिनों में इस कार्यक्रम में आने वाले अध्यापकों को किसी न किसी प्रकार व्यावसायिक सुविधा से लाभान्वित करना चाहिये।

9. विषयगत अध्यापकों का संघ- कोठारी आयोग ने सुझाव दिया है कि विषय से सम्बन्धित अध्यापकों के संघों की स्थापना नगर जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहियें। इसमें विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों के विभिन्न विषय होने चाहिये। इस प्रकार का नियोजन प्रयोगों के आरम्भ के लिये प्रलोभन का कार्य करेगा। राज्य स्तर के शिक्षा विभागों को इस प्रकार के संघों को सहायता प्रदान करनी चाहियें, जिससे कि ये लोग समय समय पर गोष्ठियों का आयोजन करके अपने निजी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर सकें।

10. विषय विशेषज्ञ- विभिन्न विषयों की शिक्षण प्रविधियों के निर्देशन एवं ज्ञान के लिये जिला स्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्तियां की जानी चाहिये जो अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की जानकारी प्रदान करें।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 9 राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने सतत् शिक्षा के लिये कितनी श्रेणियों की बात कही है-

(अ) एक (ब) दो (स) तीन (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 10 सेवारत अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण में रिसोर्स पर्सन के रूप में कौन व्यक्ति कार्य कर सकते है?

प्र. 11 अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन का मूल्यांकन कितने स्तरों पर किया जाता है।

प्र. 12 विषयगत अध्यापकों के संघ के गठन की बात किसने कही है?

10.6 सारांश (Summery)

सेवाकालीन शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यतः अध्यापकों के मानवीकरण एवं मानविकी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिये। इसके अतिरिक्त इसमें अध्यापक की व्यावहारिक कुशलता संघटनात्मक व्यवस्थापन जिसमें अध्यापक की भूमिका कालेज एवं स्कूल के सम्बन्धों को व्यापकता प्रदान करती है, को स्वामित्व प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत अध्यापकों को अपनी प्रवृत्ति, ध्येय व्यवहार, मनोवृत्ति, खोज, मूल्य और विश्वास अल्प परामर्श समूह द्वारा सहायता की जाती है। एक बार तो अध्यापक कक्षा पद्धति व्यवहार को प्रमाणित करता है। इस प्रकार वह अनेकानेक प्रकार की अध्यापन प्रणालियों को आसानी से ग्रहण कर लेता है जो उसे विभिन्न शिक्षाशास्त्रीय उपागमों की आवश्यकताओं को स्वीकृति देती है।

10.7 शब्दावली (Glossary)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्- इस परिषद् की स्थापना केन्द्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 1961 को पूर्व स्थापित राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य साधन संस्थान एवं पाठ्यपुस्तक ब्यूरो को मिलाकर, उनके स्थान पर की थी और इसे स्कूली शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन का कार्य भार सौंपा था। इसे संक्षेप में एन0सी0ई0आर0टी0 कहते हैं। इसका कार्यालय श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्- इस परिषद् की स्थापना 1973 में की गई थी। दिसम्बर 1993 में संसद में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एक्ट, 1993 पास कर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार इस परिषद् का पुनर्गठन किया गया।

विस्तार सेवा कार्यक्रम- इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यालय-प्रशिक्षण, महाविद्यालय अन्तर्सम्बन्ध विकास हेतु कार्यक्रम, विद्यालय उन्नयन योजना, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम विकास योजना, गहन कार्यशाला एवं अधिगम सामग्री प्रकाशन कार्यक्रम आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं।

10.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

उत्तर (1) 1948-49

(2) अध्यापकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं प्रशासकीय समस्याएँ।

(3) डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर

(4) पहला, शिक्षक की अपूर्णता सम्बन्धी कमियों को बाहर निकालकर जो उसके सेवा-पूर्व काल की शिक्षा के कारण उत्पन्न हुई, उपचार करना और दूसरा नवीन शिक्षण की भूमिका निर्वहन करने हेतु अध्यापक की दक्षता और शिक्षाशास्त्र की ज्ञान विधा को उन्नति की ओर अग्रसारित करना जिसकी आवश्यकता है।

उत्तर (5) सप्ताह अथवा पन्द्रह दिन में एक बार।

(6) कार्यगोष्ठियों में।

(7) एन0सी0टी0ई0 द्वारा।

(8) क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेरा।

उत्तर (9) तीन।

(10) विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, महाविद्यालय के प्रोफेसर तथा राज्य स्तर के विद्यालयों के शिक्षाविद्।

(11) दो स्तरों पर।

(12) कोठारी आयोग ने।

10.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची(Reference)

अग्रवाल जे0सी0 (2007) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन: विकासमार्ग शकरपुर दिल्ली

शुक्ला (डा0) सी0एस0 (2011) भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

शर्मा (डा0) आर0ए0, चतुर्वेदी (डा0) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा0) जी0सी0 (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

जैन (श्रीमती) स्वाति, तायल वर्षा, डालचन्द (2008) भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार: मेरठ

सक्सेना एन0आर0, मिश्रा बी0के0, मोहन्ती आर0के0 (2008) अध्यापक शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

लाल (प्रो0) रमन बिहारी, कान्त (डा0) कृष्ण (2013) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

10.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम(Reference Book)

शर्मा (डा0) आर0ए0, चतुर्वेदी (डा0) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा0) जी0सी0 (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

सक्सेना एन0आर0, मिश्रा बी0के0, मोहन्ती आर0के0 (2008) अध्यापक शिक्षा, आर0 लाल बुक डिपो: मेरठ

10.11 निबन्धात्मक प्रश्न(Essay Type Question)

- प्र. 1 सेवारत् अध्यापक शिक्षा की मुख्य समस्याओं को बताइये।
- प्र. 2 सेवारत् अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिये।
- प्र. 3 भारत में कुल कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान या महाविद्यालय हैं? विस्तृत वर्णन कीजिये।
- प्र. 4 सेवारत् अध्यापक शिक्षा को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिये।

इकाई 11 - सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा(Pre-Service Teacher Education)

- 11.1 प्रस्तावना(Introduction)
- 11.2 उद्देश्य(Objectives)
- 11.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा(Teacher Education for Pre-Primary Education)
- 11.3.1 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ(Problems of Pre-Primary Teacher Education)

11.3.2 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Pre-Primary Teacher Education)

11.3.3 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus for Pre-Primary Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

11.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Primary/Upper Primary (Elementary) Education)

11.4.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा की समस्यायें (Problems of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

11.4.2 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

11.4.3 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus for Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

11.5 माध्यमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Secondary Education)

11.5.1 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की समस्यायें (Problems of Secondary Teacher Education)

11.5.2 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Secondary Teacher Education)

11.5.3 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus for Secondary Teacher Education)

अपनी उन्नति जानियें (Check your Progress)

11.6 सारांश (Summery)

11.7 शब्दावली (Glossary)

11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

11.10 सहायक उपयोगी पाठ्यक्रम(Reference Book)

11.11 निबन्धात्मक प्रश्न(Essay Type Question)

11.1 प्रस्तावना(Introduction)

सेवा से पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम अध्यापक की व्यावसायिक तैयारी हेतु ऐसे कार्यक्रम है, जो न केवल सामान्य वरन् गहन अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। अतः ये कार्यक्रम व्यावसायिक ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्तियों, अभिरूचियों तथा मूल्यों का आवृत करने के साथ-साथ अध्यापक को कार्याभिमुख भी बनाते हैं। व्यक्तिशः नियत कार्य आवंटन के प्रायोजनों द्वारा अधिकतर वृद्धि करने के उद्देश्य से तथा प्रशिक्षकों को आवश्यक कौशलों तथा आत्मनिर्देशित अधिगम तथा खुले तौर पर स्वप्रेरणा के पोषण हेतु यह आगमित तथा आमन्त्रित करने की एक प्रक्रिया है।

11.2 उद्देश्य(Objectives)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा सेवापूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जिन अध्यापकीय गुणावलियों को समृद्ध कराना आवश्यक माना गया है वे हैं-

1. भारतीय संविधान में जिन राष्ट्रीय मूल्यों और लक्ष्यों के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है, भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में सेवापूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें समृद्ध किये जाने की क्षमता का विकास करना।
2. भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को आधुनिकरण और सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्मक के रूप में कार्य करने के लिये सक्षम बनाना।
3. सामाजिक दृढ़त्व, अन्तर्राष्ट्रीय अवबोध तथा मानवाधिकार एवं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को अनुभूतिप्रवण बनाना।
4. निर्धारित और पहचाने गये अध्यापकीय कार्यों को सम्पन्न करने के लिये दक्ष तथा प्रतिबद्ध शिक्षण उद्यमी के रूप में भावी अध्यापकों का विकास करना।
5. प्रभावकारी अध्यापक और अध्यापिका बनने के लिये आवश्यक दक्षता एवं कौशल आदि को विकसित करना।
6. भावी अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में अधिगमकर्ताओं की प्रगति का व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन करने की तकनीक के कौशल का विकास करना।

7. छात्रों के विशेष वर्गों (प्रतिभाशाली, मन्दबुद्धि तथा विकलांग) की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबन्ध करना।
8. छात्रों के सर्वांगीण विकास के उत्थान हेतु विभिन्न प्रकार की सहपाठ्यचारी गतिविधियों की व्यवस्था करना।
9. छात्रों की व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन प्रस्तुत करना।
10. अध्यापक और अध्यापिकाओं में समाज के विकास सम्बन्धी कार्यविधियाँ, प्रसार सेवायें तथा समाज सेवा की भावना का विकास करना।
11. अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा कार्मिक शिक्षा के समान क्षतिपूर्तिपरक तथा समान्तर शैक्षिक सेवा कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योग्यता का विकास करना।
12. आधुनिक उभरती हुई चुनौतियों जैसे- पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, लिंग, साम्य कानूनी साक्षरता आदि के प्रति अध्यापक और अध्यापिकाओं को अनुभूतिप्रवण तैयार करना।
13. सामाजिक यथार्थता के प्रति भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में जागरूकता उत्पन्न करना।
14. भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में प्रबन्धनात्मक तथा संगठनात्मक कौशलों को विकसित करना।
15. भारतीय सामाजिक-आर्थिक सन्दर्भ तथा शिक्षा की राष्ट्रीय विकास में भूमिका का निर्वाह करने की योग्यता का विकास करना।

11.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Pre-Primary Education)

भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा (6 से 9 आयुवर्ग के बच्चों की कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा) से पूर्व की शिक्षा से है, परन्तु अभी तक इसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं बन सका है, यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम पर किण्डर गार्टन (फ्रोबेल द्वारा स्थापित), नर्सरी और माण्टेसरी स्कूल चल रहे हैं और साथ ही इसी तर्ज पर शिशु विद्यालय और पूर्व प्राथमिक विद्यालय भी चल रहे हैं। कोठारी आयोग (1964-66) ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की सिफारिश की है वह 3 से 6 आयुवर्ग के शिशुओं की शिक्षा है। आज हमारे देश में सामान्यतः 3 से 6 आयुवर्ग के बच्चों की उस शिक्षा को जिसके द्वारा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, उनकी इन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है, उनमें अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है, उन्हें

आत्मनिर्भर बनाया जाता है और प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार किया जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है।

पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व बाल्यकालीन स्तर हेतु कार्यक्रम के अन्तर्गत समाकलित बाल-विकास योजना (आँगनवाड़ी केन्द्र, दिवसीय देखभाल केन्द्र, बालवाड़ी, राज्य पूर्व प्राथमिक विद्यालय, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, स्वैच्छिक संगठन और व्यक्तिगत अभिकरण द्वारा संचालित योजनायें) सम्बद्ध प्रणाली को स्वीकृत किया गया। पूर्व प्राथमिक अथवा पूर्व विद्यालयी शिक्षा में बाल्यकालीन अथवा बाल सुलभ पालन पोषण के शैक्षिक कार्यक्रमों पर बल दिया गया है तथा बाल विकास के समेकित उद्देश्यों को महत्त्व प्रदान किया गया है। अतः इस स्तर की अध्यापक शिक्षा अत्यधिक उपादेय है। यह आयु समूह शिक्षा हेतु अति कठिन, निर्णायक किन्तु प्रज्ञान के चरम विकास का समय होता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा इस प्रकार की होनी चाहिये कि विकास के समस्त अन्तर्सम्बन्धित आयामों, शारीरिक एवं गतिप्रेरक, प्रज्ञानात्मक एवं भाषात्मक, सामाजिक एवं नैतिक तथा भावात्मक एवं सौन्दर्यपरक की प्रतिपूर्ति समान रूप से हों। वस्तुतः इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य जैसा कि माण्टेसरी पद्धति (बालक और शिशुओं का पालन पोषण इस प्रकार किया जाना चाहिये जैसे कि बगीचे का बहुमूल्य पौधा हों) द्वारा बताया गया है उसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना है। इसके अतिरिक्त पूर्व प्राथमिक शिक्षा द्वारा उन अभावों को दूर करना है, विकृतियों को सही करना है, जो प्रारम्भिक जीवन में सामाजिक प्रतिकूलताओं और वंचनाओं के कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के ये प्रतिपूर्ति तथा विकास सम्बन्धी कार्य हैं, जो छात्रों को पर्याप्त क्षमताओं, अभिवृत्तियों तथा समाधानों सहित तैयार करने के अतिरिक्त आगे आने वाली औपचारिक शिक्षा के लाभ भी सुनिश्चित करते हैं।

11.3.1 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Pre-Primary Teacher Education)

वर्तमान में हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम पर अनेक प्रकार के पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालय और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में मुख्य है-पूर्व प्राथमिक बेसिक विद्यालय, सरस्वती शिशु मन्दिर, नूतन बाल शिक्षा मन्दिर, नर्सरी स्कूल और किण्डरगार्टन स्कूल और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या केन्द्र। इनमें मुख्य है-आँगनवाड़ी और बालवाड़ी केन्द्र। इन सबमें जिस प्रकार की शिक्षिकाओं की आवश्यकता होती है, उसके लिये विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विडम्बना यह है कि हमारे देश में अभी तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप ही निश्चित नहीं हुआ है। परिणाम यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा केन्द्रों पर कार्य करने वाली कार्यकर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बड़ी भिन्नता है और आश्चर्य है कि इनमें प्रवेश पाने के लिये निम्नतम योग्यता भी भिन्न-भिन्न है, इनकी पाठ्यचर्या भी भिन्न-भिन्न है और इनकी प्रशिक्षण अवधि भी भिन्न-भिन्न है, जो एक सप्ताह से लेकर दो वर्ष तक की है। अब आवश्यकता इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप को

निश्चित करने और इसकी विस्तार करने की हैं। इनके अलावा पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिन-जिन समस्याओं का सामना कर रही है वो निम्नलिखित है-

1. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा बजटों का कम होना।
2. पूर्व प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित न होना।
3. पूर्व प्राथमिक शिक्षा के मानक निश्चित न होना।
4. विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों एवं केन्द्रों का होना।
5. निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे अधिकतर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों का उद्देश्य जनसेवा न होकर आर्थिक लाभ कमाना होना।
6. देश में भिन्न-भिन्न प्रणालियों के भारतीय एवं यूरोपीय पद्धति के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का चलना।
7. अंग्रेजी भाषा एवं खर्चीली शिशु शिक्षा के प्रति अभिभावकों का बढ़ता आकर्षण।
8. दिन प्रति दिन शिक्षा का महत्व बढ़ना।
9. देश में अधिकतर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों के पास आवश्यक भवन सुविधा न होना।
10. पूर्व बाल्यकालीन प्राथमिक शिक्षा के लिये जो आँगनबाडी एवं बालबाडियाँ आदि केन्द्र चलाये जा रहे हैं उनका साधन विहीन होना।
11. पूर्व बाल्यकाल प्राथमिक शिक्षा के केन्द्रों पर कार्य करने वाली महिलाओं को शिक्षिकाओं का दर्जा न देना, उन्हें केवल कार्यकर्त्री कहना और उनके लिये किसी लम्बी अवधि के प्रशिक्षण की व्यवस्था न करना।

11.3.2 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Pre-Primary Teacher Education)

भावी अध्यापकों के विकास कार्यक्रमों को निर्धारित करते समय निम्नलिखित मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहियें-

1. बाल-विकास के सैद्धान्तिक अधिगम तथा सिद्धान्तों के समस्त आयाम तथा इसका सम्पूर्ण स्वरूप।

2. विकासोन्मुख कार्यविधियों को संयोजित एवं संगठित करने में प्रवीणता-विशेषतः प्रज्ञान, भाषा वैयक्तिक एवं सामाजिक विकासमय शिष्टाचार, आदतें, अभिवृत्तियाँ, सामाजिक सम्बन्ध-कौशल, स्वप्रबन्धन कौशल तथा सौन्दर्यपरक-प्रवणता आदि।
3. भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में सम्प्रेषण कौशल का विकास करना।
4. सर्वशिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार समुदाय के साथ पारस्परिक सहयोगात्मक सम्पर्क स्थापन करने में भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को कुशल बनाना।
5. अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध में शोधकार्य की उपादेयता को समझने और क्रियात्मक अनुसन्धान संचालित करने एवं नवाचारिक अभ्यासों को व्यवस्थित करने की क्षमता का विकास करना।
6. स्वास्थ्य-शिक्षा, बाल-पालन अभ्यास तथा बालकों के प्रति मातृ-सुलभ स्नेह एवं अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने हेतु अभिवृत्तियाँ, मानव सम्बन्धों एवं सम्प्रेषण के कौशलों का विकास करना।
7. अधिगम की कठिनाइयों, निर्योग्यताओं तथा विकासात्मक अभावों के निदान की दक्षता का विकास करना।
8. प्रारम्भिक बाल्यावस्था की समेकित प्रकृति, देखभाल तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों का अवबोध करना।
9. पर्यावरणीय घटकों की समझ जो विकास, व्यवहार, विभिन्न आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों को समायोजित करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, का विकास करना।
10. उमंग, स्नेह, चिन्ता, देखभाल, सहायता-सेवा-तत्परता, धैर्य, छात्रों की रुचि, उनके तौर-तरीकों से सानिध्य करते हुये बालकों के प्रति उपयुक्त एवं आदर्शात्मक रुचि उत्पन्न करना।

संसार के भिन्न-भिन्न देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के भिन्न-भिन्न उद्देश्य निश्चित किये गये हैं। उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त में कोठारी आयोग 1964-64 ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निश्चित किये थे-

1. बच्चों का उचित पोषण और शारीरिक विकास करना।
2. बच्चों का स्वतन्त्र वातावरण में मानसिक विकास करना।
3. बच्चों की भाषा का विकास करना, उनका उच्चारण शुद्ध करना।

4. बच्चों का संवेगात्मक विकास करना और उनमें सौन्दर्य बोध उत्पन्न करना।
5. बच्चों का सामाजिक विकास करना, उन्हें अपने पर्यावरण को समझने और उसमें अनुकूलन करने में सहायता करना।
6. बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण करना और उन्हें अपने दैनिक कार्यों के सम्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
7. बच्चों की सृजनात्मक शक्तियों को जागृत करना।

वर्तमान में हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के यही उद्देश्य हैं, यह बात दूसरी है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में इनमें से भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति पर भिन्न-भिन्न बल दिया जाता है।

11.3.3 पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus of Pre-Primary Teacher Education)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया है, उसने पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई पाठ्यचर्या निश्चित नहीं की, बस उसके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किये हैं-

1. बच्चों को खेलने के स्वतन्त्र अवसर दिये जाये, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाये, उनके शरीर के अंगों को पुष्ट किया जाये और उनकी इन्द्रियों को प्रशिक्षित किया जाये।
2. बच्चों को सुनने और बोलने के स्वतन्त्र अवसर दिये जाये, उनकी घरेलू भाषा में सुधार किया जाये और उन्हें मातृभाषा के प्रयोग की ओर उन्मुख किया जाये।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये इस स्तर के लिये दिये गये सुझावात्मक पाठ्यक्रम के सैद्धान्तिक पक्ष में-

- उभरते हुये भारतीय समाज में शिक्षक,
- पूर्व-बाल्यकालीन शिक्षा-विस्तार क्षेत्र, प्रकृति, प्रस्थिति, समस्याएँ तथा चुनौतियाँ,
- बाल-मनोविज्ञान तथा अधिगम,
- पूर्व-बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्रम का नियोजन, प्रबन्धन, प्रशासन ज्ञान,
- बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सौन्दर्यानुभूतिपरक, भाषागत, सामाजिक, नैतिक प्रशिक्षण,

- तन्त्रिका-पेशीय समन्वयन,
- आत्म-अभिव्यक्ति,
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,
- आदत निर्माण,
- क्रिया अनुभूति प्रशिक्षण की विधियों से परिचित कराना।

प्रायोगिक पाठ्यक्रम

- चित्रांकन एवं पेन्टिंग,
- संगीत,
- सर्जनात्मक क्रियाकलाप,
- कहानी कथन,
- नृत्य-नाटक,
- खेल-शारीरिक क्रियाकलाप,
- भ्रमण,
- ब्लाक तैयार करने से सम्बन्धित खेल,
- विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के लिये क्रियाकलाप आदि को सम्मिलित करने के लिये प्रस्ताव।

उपरोक्त पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुये इसके विकास हेतु भावी पूर्व प्राथमिक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं में निम्नलिखित आवश्यक ज्ञान, कुशलता और योग्यता की अपेक्षा की जाती है-

1. शिशु शिक्षा का सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक ज्ञान,
2. वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण छात्र सम्बन्धी ज्ञान,
3. भारतीय आधार पर शिशु शिक्षा के ज्ञान को प्रसारित करने की दक्षता,
4. विद्यालय एवं अध्यापक परिवर्तित होने पर समाज को समझने की दक्षता,
5. विद्यालय और घर के मध्य मधुर सम्बन्धों को विकसित करने की दक्षता,
6. व्यर्थ समान से साधारण दृश्य-श्रव्य सामग्री को विकसित करने की दक्षता,
7. विभिन्न प्रकार के शैक्षिक अनुभवों को संगीत गतिविधियों, नाटक सम्बन्धी गतिविधियों, रचनात्मक क्रीडा कला, क्रीडा तथा कार्यानुभवों द्वारा विकसित करने की दक्षता,

8. औचित्यपूर्ण संचार व्यवस्था जैसे कहानियाँ सुनाना और उपाख्यान वर्णन करने की दक्षता,
9. भौतिक और भावनात्मक स्वास्थ्य रक्षा सम्बन्धी शिक्षा शिशुओं को प्रदान कर स्वस्थ वातावरण बनाने की दक्षता,
10. शिशुओं की मानसिक वृद्धि तथा सम्पूर्ण विकास की प्रवृत्ति एवं दक्षता प्रदान करना आदि।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किस आयुवर्ग के बालक आते हैं?

(अ) 6 से 14 वर्ष (ब) 3 से 6 वर्ष (स) 0 से 3 वर्ष (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 2 कोठारी आयोग (1964-66) ने जिस पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था की सिफारिश की है उसमें किस आयुवर्ग के बालक आते हैं?

प्र. 3 फ्रोबेल द्वारा स्थापित विद्यालय का क्या नाम है?

प्र. 4 रा0 शै0 अ0 प्र0 प0 ने पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में किन विषयों के समावेश की पुष्टि की है?

(अ) उभरते हुये भारतीय समाज में शिक्षक (ब) बाल मनोविज्ञान (स) पूर्व-बाल्यावस्था देखभाल (द) ये सभी।

11.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Primary/Upper Primary (Elementary) Education)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इस स्तर की शिक्षा को प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक शिक्षा (कक्षा 6 से 8 तक) के रूप में संरचित किया गया और इन दोनों ही स्तरों के लिये प्रस्तावित विशिष्ट उद्देश्य, पाठ्यचर्या आदि को प्रारम्भिक स्तर के लिये उपयोगी माना गया। 14-15 वर्ष तक के आयुवर्ग के बच्चों को इस स्तर में रखा गया।

11.4.1 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की व्यावहारिक क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में कतिपय समस्याएँ उत्तरदायी हैं। इन समस्याओं का समाधान किये बिना इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। अग्रलिखित पंक्तियों में प्राथमिक अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है-

1. प्राथमिक अध्यापक शिक्षा का दोषपूर्ण पाठ्यक्रम।
2. साधारणतः प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा संस्थाएँ विश्वविद्यालयों के शैक्षिक जीवन की धारा से अलग रही हैं।
3. साधारणतः प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की शिक्षा संस्थाएँ विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से अलग रही हैं।
4. थोड़े से अपवादों को छोड़ दिया जाये तो सामान्यतः शिक्षा संस्थाएँ मध्यम या घटिया कोटि की ही होती हैं।
5. दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन।
6. शिक्षण अभ्यास के लिये नीरस तकनीकें।

11.4.2 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

1. प्राथमिक स्तरोपयोगी मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भावी अध्यापकों के मध्य अवबोध का विकास करना।
2. अध्यापकों में बच्चों के लिये अधिगम अनुभव को संगठित करने हेतु उपयुक्त संसाधनों से उन्हें परिचित कराना।
3. बच्चों में जिज्ञासा, कल्पना तथा सृजनात्मकता को विकसित करने के लिये उन्हें उपयुक्त एवं आवश्यक कौशलों की सम्प्राप्ति हेतु सक्षम बनाना।
4. सामाजिक और संवेगात्मक समस्याओं के विश्लेषण तथा अवबोध हेतु क्षमता को विकसित करना।

5. अध्यापकों में विभिन्न प्रकार के खेलकूद, शारीरिक क्रियाकलाप एवं अन्य पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के संगठन हेतु क्षमता का विकास करना।
6. शिक्षा सम्बन्धी वांछनीय तथा विशिष्ट अधिगम समस्याओं तथा दुर्समायोजन प्रकरणों को खोजना, उनके निदान तथा उपयुक्त उपचार हेतु व्यवस्था करना।
7. बहुखण्डी कक्षा-शिक्षण, वृहद् कक्षाओं तथा पंचमेल कक्षाओं को निबटने में दक्षता उत्पन्न करना।
8. नामांकन, अवरोध में सम्बर्धन हेतु आवश्यक अभिवृत्तियाँ, क्षमतायें एवं विद्यालय अलगाव द्वारा उत्पन्न अपव्यय को रोकना।
9. अन्य शिक्षा सेवाओं की व्यवस्था करना जैसे- प्रौढ़ शिक्षा, जनजाति शिक्षा तथा कन्या शिक्षा में योगदान हेतु अभिवृत्तियाँ उत्पन्न करना।
10. बाल-व्यक्तित्व की रचना में गृह-विद्यालय सम्बन्ध के विकास का अवबोध उत्पन्न करना।

11.4.3 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus for Primary/Upper Primary (Elementary) Teacher Education)

जैसा कि हम जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा दो चरणों में कक्षा 1 से 5 तक तथा कक्षा 6 से 8 तक में प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम में आवश्यक रूप से एक भाषा समाहित की जाती है। उदाहरण के लिये, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, गणित पर्यावरण शिक्षा जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन पर आधारित हो, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यानुभव पर आधारित हो इत्यादि। एक ही अध्यापक जो कि प्राथमिक शिक्षा हेतु नियुक्त है, सभी शैक्षिक विषय जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा आदि का शिक्षण छात्रों को प्रदान करता है। सम्पूर्ण शिक्षणविधि और प्रयास, मजबूत विकास अभिविन्यास से परिलक्षित होकर छात्र केन्द्रित शिक्षा पर जोर देते हैं।

प्रत्येक अध्यापक से आशा की जाती है कि वह एक या दो शिक्षा विषयों जैसे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव सहित कला शिक्षा। इस प्रकार समस्त अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे अपना ध्यान आवश्यक रूप से एकीकृत शिक्षा के अध्ययन पर केन्द्रित करें, जिससे इस श्रेणी के विकलांग छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों का सहयोग कम से कम एक क्षेत्र में जैसे- प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं जनसंख्या शिक्षा देकर अपना योगदान दे। इसके अतिरिक्त अध्यापकों का योगदान जनजातीय शिक्षा, स्त्री शिक्षा और पुस्तकालय शिक्षा पर होना चाहिये।

पाठ्यक्रम प्रारूप:

सैद्धान्तिक क्षेत्र

- भारतीय विकासशील (उभरते) समाज में शिक्षक,
- भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रस्थिति, समस्याएँ एवं चुनौतियाँ,
- बच्चों के लिये शिक्षण और अधिगम का मनोविज्ञान,
- आकलन, मूल्यांकन और सुधारात्मक शिक्षण,
- स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा,
- विद्यालय प्रबन्धन,
- विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा,
- मार्गदर्शन और परामर्श,
- प्राथमिक विद्यालयों के लिये विषयगत क्षेत्र,
- क्रियात्मक अनुसंधान।

शिक्षण अभ्यास

- प्राथमिक विद्यालयीय विषयों का व्यावहारिक विश्लेषण,
- विद्यालयों में शिक्षण अभ्यास,
- प्रतिमान पाठों का निरीक्षण।

प्रायोगिक कार्य

- विद्यालयीय अनुभव जिसमें इण्टर्नशिप भी शामिल हो,
- कार्य-शिक्षा,
- विद्यालय समुदाय अन्तर्क्रिया,
- क्रियात्मक शोध अध्ययन (नियोजन और क्रियान्वयन),
- सम्बन्धित शैक्षिक क्रियाओं का संगठन।

पाठ्यक्रम के स्थानान्तरण या प्रस्तुतिकरण हेतु अन्तर्क्रियात्मक, सहभागितामूलक और क्रियाप्रधान उपागम को महत्व देने पर बल दिया गया है। सैद्धान्तिक भाग के लिये व्याख्यान सहआलोचना, स्वाध्याय उपागम, संगोष्ठि, मीडिया-सहायित शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण और प्रायोगिक कार्यों को जरूरी माना गया। शिक्षणशास्त्रीय विश्लेषण या पैडागॉजिकल एनालिसिस को शिक्षण अभ्यास आदि के लिये उपयोगी माना गया जबकि प्रायोगिक कार्य के लिये निरन्तर

मूल्यांकन-विश्लेषण-नियन्त्रण (मॉनीटरिंग)-मूल्यांकन शृंखला का उपयोग करना सम्पूर्ण पाठ्यक्रमावधि के लिये अधिक उपयोगी माना गया।

इस प्रकार यह विशेष प्रशिक्षण छात्रों को जे0बी0टी0/डी0एड0 के नाम से डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करता है। फलतः अध्यापक शिक्षा इस शैक्षिक स्तर पर निम्नलिखित दक्षतायें और योग्यतायें प्राथमिक स्तर के अध्यापकों में विकसित करती है-

1. मातृभाषा, प्रथम भाषा के रूप में और हिन्दी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अथवा अन्य कोई क्षेत्रीय भाषा यदि हिन्दी मातृभाषा हो तो उसके शिक्षण में दक्षता प्रदान करना।
2. गणित और पर्यावरण अध्ययन (जिसमें भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान सम्मिलित हो) के शिक्षण में दक्षता प्रदान करना।
3. उपर्युक्त विषयों के शिक्षण के लिये शैक्षिक अनुभवों की द्वारा संचालन की दक्षता।
4. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त जो छात्रों के विकास एवं वृद्धि से ओत-प्रोत हों और 6 से 14 वर्ष आयुवर्ग के छात्रों के विकास को विकसित करने का ज्ञान।
5. क्रियात्मक अनुसंधान का दायित्व सम्भालने की दक्षता प्रदान करना।
6. अध्यापक एवं विद्यालय में मनोवांछित परिवर्तन लाने की दिशा में भूमिका का ज्ञान।
7. सैद्धान्तिक और व्यावहारिक ज्ञान, स्वास्थ्य, शरीर विज्ञान, मनोरंजन क्रियाओं, कला कार्यानुभवों और संगीत से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करना।
8. सीखने के प्रमुख सिद्धान्त, जोकि शैक्षिक वातावरण, मस्तिष्क संचालन एवं प्रवृत्ति सन्तुलन को उन्नत करने का ज्ञान प्राप्त करते हों।

इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा देने हेतु अध्यापकों की तैयारी एक या दो विशेष क्षेत्रों में अध्यापकों का सहयोग वांछित होता है, साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य निर्माण हेतु अध्यापकों को शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण देना आवश्यक है।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 5 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा में किस आयुवर्ग के बालक आते हैं?

(अ) 6 से 14 वर्ष (ब) 3 से 6 वर्ष (स) 0 से 3 वर्ष (द) इनमें से कोई नहीं।

प्र. 6 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) अध्यापक शिक्षा का कोई एक लक्ष्य बताइयें।

प्र. 7 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा के प्रायोगिक पाठ्यक्रम में किन-किन क्रियाओं को स्थान दिया गया है?

प्र. 8 रा0 शै0 अ0 प्र0 प0 ने प्राथमिक शिक्षा को कितने भागों में सरंचित किया है?

11.5 माध्यमिक शिक्षा के लिये अध्यापक शिक्षा (Teacher Education for Secondary Education)

माध्यमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है, “मध्य की शिक्षा”। यदि प्राथमिक शिक्षा को शिक्षा का प्रथम सोपान माना जाये और विश्वविद्यालय शिक्षा को शिक्षा का तीसरा अथवा अन्तिम सोपान माना जायें तो माध्यमिक शिक्षा को दूसरा सोपान अथवा इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा के प्रायः चार रूप देखने को मिलते हैं- (1) कक्षा 8 से 10 जिसे हाई स्कूल भी कहते हैं, (2) सेकेण्डरी शिक्षा, 9 से 11, (3) सीनियर सेकेण्डरी शिक्षा कक्षा 11 तथा 12 एवं (4) कक्षा 9 से 12। हमारे देश में प्राचीन और मध्यकाल में शिक्षा केवल दो स्तरों में विभाजित रही-प्राथमिक और उच्च। इस देश में माध्यमिक शिक्षा का श्रीगणेश आधुनिक युग में ईसाई मिशनरियों ने किया। सर्वप्रथम तो उन्होंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले, उसके बाद उन्होंने प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चों के लिये अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। दूसरी तरफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। परन्तु यह माध्यमिक शिक्षा आज की माध्यमिक शिक्षा से भिन्न थी। भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका वुड के घोषणा पत्र, 1954 की रही।

प्रायः इस स्तर की अध्यापक शिक्षा के लिये बी0एड0 अथवा एल0टी0 की उपाधि दी जाती है चाहे वह प्रारम्भिक वर्ग के लिये हो या सामान्य माध्यमिक वर्ग हेतु या विशिष्ट शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा माध्यम से ही क्यों न प्रदान किया जाता हो।

11.5.1 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Secondary Teacher Education)

भारत में माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में सुधार का कार्य ब्रिटिश शासन काल में ही शुरू हो गया था। स्वतन्त्र होने के बाद 1952 में हमारी केन्द्रीय सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर कमीशन कहा जाता है, का गठन किया। अध्यापकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुये माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा, “हमें विश्वास हो गया है कि यदि अध्यापकों की वर्तमान मनोस्थिति तथा निराशा को दूर करना है तथा शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का वास्तविक साधन बनाना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है

कि उनकी स्थिति तथा सेवा-शर्तों में सुधार किया जाये'। इस आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक अध्यापक शिक्षा का गहराई से अध्ययन किया और उसमें निम्नलिखित दोष पाये-

1. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की उद्देश्यहीनता।
2. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा की अनुपयुक्त पाठ्यचर्या।
3. माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के स्तर में एकरूपता का अभाव।
4. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का अनुपयुक्त प्रशिक्षण।
5. माध्यमिक स्तर पर दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली।

11.5.2 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लक्ष्य (Goals of Secondary Teacher Education)

1. भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं में माध्यमिक शिक्षा की प्रकृति, सामान्य सिद्धान्तों, उद्देश्यों और दर्शन को समझने की क्षमता का विकास करना।
2. छात्र-मनोविज्ञान अवबोध का उनमें विकास करना।
3. माध्यमिक स्तरीय शिक्षा अध्ययन के अनुकूल पाठ्य विषयों, मौलिक प्रकृति, स्वरूप तथा शिक्षण पद्धतियों का अवबोध।
4. विषय के शिक्षाशास्त्रीय विश्लेषण में प्रवीणता एवं शिक्षण अधिगम इकाईयों का संयोजन।
5. मार्गदर्शन और परामर्श देने के कौशल को उनमें विकसित करना।
6. अधिगमकर्ता केन्द्रित कार्यकलाप पर आधारित अन्तःक्रिया, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के मीडिया संसाधन प्रयोग करने में प्रवीणता उत्पन्न करना।
7. ज्ञान की पुनर्संरचना हेतु छात्रों के मध्य सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित करने में उन्हें सक्षम बनाना।
8. कुछ पाठ्यक्रमीय कार्यकलापों को संगठित करना तथा उनको निर्देशित करने में प्रवीणता उत्पन्न करना।
9. शैक्षिक प्रणाली तथा कक्षाकक्ष परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले कारक और शक्तियों से उन्हें परिचित कराना।

10. सामुदायिक संसाधनों का शैक्षिक अदा के रूप में उपयोग करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना।

11. शैक्षिक, व्यावसायिक स्वचयन तथा सर्वसामान्य व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति निर्देशन एवं परामर्श हेतु अभिवृत्ति एवं ज्ञान कौशल उत्पन्न करना।

11.5.3 माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम (Syllabus for Secondary Teacher Education)

माध्यमिक अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वह एक या दो आवश्यक विषयों में दक्षता विशेष रूप से प्राप्त करें, जिससे उन्हें इस स्तर पर विषय शिक्षण की विधियों पर आधिपत्य प्राप्त हो सके। ऐसे अध्यापकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं, विभिन्न प्रकार के छात्रों की अपवादात्मक विशेष आवश्यकताओं, शैक्षिक एवं व्यावसायिक परामर्श एवं निर्देशन कार्य एवं जनजातीय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय सेवा, विद्यालय प्रबन्ध और सामुदायिक सेवाओं इत्यादि पर प्रशिक्षण प्राप्त कर उचित प्रबन्ध करने की क्षमता प्राप्त करना आवश्यक है। इस कार्य की पूर्णता के लिये राज्य शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबन्ध तंत्र को प्रशिक्षित स्नातकों की आवश्यकता होगी, उनका प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद हेतु चयन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, एक समान योग्यता रखने वाले प्रशिक्षित स्नातकों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद हेतु चयन किया जा सके। माध्यमिक स्तर हेतु अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जायेगा।

स्नातक शिक्षा के उपरान्त एक वर्षीय पाठ्यक्रम घटक

1.आधारिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विषय

- उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा (दार्शनिक और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर)
- शिक्षा मनोविज्ञान (छात्र विकास स्तर-शिक्षा एवं समायोजन)
- विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञता वाले विषय
- माध्यमिक शिक्षा एवं अध्यापक कार्य
- विशेष योग्यता दक्षता शिक्षण विधि
- अन्य सेकेण्डरी विषयों में शिक्षण दक्षता, जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर प्रभावी हो।

2.अतिरिक्त विशेष योग्यता दक्षता

प्रौढ़ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, पुस्तकालय शिक्षा, जनजातीय शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आदि

3. प्रायोगिक कार्य

- आन्तरिक प्रशिक्षण (क्षेत्र कार्य)
- सामुदायिक एवं समाज सेवा कार्य

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि उनमें विशेष दक्षता और योग्यतायें होनी चाहियें ताकि वे स्वयं अध्यापक दक्षता का विकास करके माध्यमिक स्तर का शिक्षण दे सकें। इस कार्य की सम्पन्नता हेतु माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में निम्नलिखित कुशलतायें एवं योग्यतायें होना अत्यन्त आवश्यक है-

1. छात्राध्यापकों को कम से कम दो विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त कराकर, इन विषयों के शिक्षण की क्षमता प्रदान करना।
2. विशेषज्ञता प्राप्त दक्ष एवं योग्य अध्यापक की देख-रेख में छात्रों के सर्वांगीण विकास की गति में वृद्धि करना।
3. स्वास्थ्य एवं शारीरिक विज्ञान, मनोरंजन क्रियाओं और कार्यानुभव के लिये सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की वृद्धि करना।
4. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों जिनके द्वारा 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की वृद्धि और विकास हेतु ज्ञान अर्जन करना।
5. प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षा के सिद्धान्तों द्वारा संज्ञानात्मक मस्तिष्क संचालन और मनोवृत्ति के आधार पर दृष्टिकोण बनाने का ज्ञान।
6. छात्रों में निर्देशन, परामर्श की दक्षता उत्पन्न करके उनकी अति व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करना।
7. क्रियात्मक अनुसंधान और अन्वेषण प्रायोजना के प्रबन्ध की योग्यता उत्पन्न करना।
8. अध्यापक एवं विद्यालय की भूमिका का ज्ञान प्राप्त करना, जिससे इच्छित सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न कर सकें और
9. घर एवं समुदाय की भूमिका का ज्ञान कराना, जिससे उन्हें छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण कर अहम् सम्बन्धों की ओर अग्रसर करना।

इस प्रकार अध्यापकों से यह आशा की जाती है कि वे स्वयं में उपर्युक्त योग्यतायें एवं दक्षतायें पैदा कर सकें और माध्यमिक स्तर के छात्रों के अध्यापन को सम्पन्न कर सकें।

अपनी उन्नति जानियें (Check Your Progress)

प्र. 9 माध्यमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है?

प्र. 10 हाई स्कूल के अन्तर्गत निम्न में से कौन सी कक्षाएँ आती है?

(अ) कक्षा 8 से 10 तक (ब) कक्षा 9 से 11 तक (स) कक्षा 9 से 12 तक (द) कक्षा 11 से 12 तक।

प्र. 11 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में कौन-कौन सी कुशलताएँ एवं योग्यताएँ होना अत्यन्त आवश्यक है?

प्र. 12 “किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान की अवस्था है” किसने कहा है?

11.6 सारांश (Summary)

संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि शिक्षा के तीनों स्तरों यथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के लिये भावी अध्यापकों की बात करते समय यह ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ एक ओर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिये अध्यापकों की बात आती है वहाँ हमारे देश भारत में इनके प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है इस स्तर की शिक्षा का दायित्व अप्रशिक्षित आँगनबाडियों एवं बालबाडियों को सौंप कर सरकार ने अपने दायित्व की पूर्ति कर दी है। इसके दो मुख्य कारण हैं-पहला सरकार के पास संसाधनों की कमी और दूसरा देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। इसका एक ही हल दिखायी पड़ता है कि सरकार को वर्तमान में केवल प्राथमिक विद्यालयों के साथ दो वर्षीय शिशु शिक्षा पाठ्यक्रम को जोड़ देना चाहिये, यह यूरोपीय प्रणाली के नर्सरी, एल0के0जी, और यू0के0जी0 और भारतीय प्रणाली के शिशु 'अ' और शिशु 'ब' के समान होना चाहिये। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिये भावी अध्यापकों को नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जिस प्रशिक्षण संस्थान से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी सभी सुविधायें प्राप्त हुई है या नहीं।

11.7 शब्दावली (Glossary)

प्राथमिक शिक्षा- संविधान द्वारा संविधिक नियमित शिक्षा का प्रथम सोपान।

कोठारी कमीशन- सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के हर क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिये 1964 में गठित किया गया कमीशन।

आंगनबाड़ी केन्द्र- सरकार द्वारा सहायता प्राप्त ऐसे केन्द्र जहाँ प्राथमिक कक्षाओं से पहले बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ-साथ अल्पाहार भी कराया जाता है।

11.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

उत्तर (1) 3 से 6 वर्ष

(2) 3 से 6 वर्ष

(3) किण्डर गार्टन

(4) उपरोक्त सभी

उत्तर (5) 6 से 14 वर्ष

(6) प्राथमिक स्तरोपयोगी मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्रीय शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में भावी अध्यापकों के मध्य अवबोध का विकास करना।

(7) विद्यालयीय अनुभव जिसमें इण्टर्नशिप भी शामिल हो।

(8) रा0 शै0 अ0 प्र0 प0 ने इस स्तर की शिक्षा को प्राथमिक (कक्षा 1 से 5 तक) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8 तक) के रूप में संरचित किया गया।

उत्तर (9) मध्य की शिक्षा

(10) कक्षा 8 से 10 तक

(11) मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों जिनके द्वारा 11 से 17 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की वृद्धि और विकास हेतु ज्ञान अर्जन करना।

(12) जी0 एस0 हाल

11.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

अग्रवाल जे0सी0 (2007) भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन: विकासमार्ग शकरपुर दिल्ली

शुक्ला (डा0) सी0एस0 (2011) भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

शर्मा (डा०) आर०ए०, चतुर्वेदी (डा०) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा०) जी०सी० (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

जैन (श्रीमती) स्वाति, तायल वर्षा, डालचन्द (2008) भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाष बाजार: मेरठ

सक्सेना एन०आर०, मिश्रा बी०के०, मोहन्ती आर०के० (2008) अध्यापक शिक्षा, आर० लाल बुक डिपो: मेरठ

लाल (प्र०) रमन बिहारी, कान्त (डा०) कृष्ण (2013) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ, आर० लाल बुक डिपो: मेरठ

11.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

शर्मा (डा०) आर०ए०, चतुर्वेदी (डा०) शिखा (2009) अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस: मेरठ

भट्टाचार्य (डा०) जी०सी० (2012) अध्यापक शिक्षा, श्री विनोद पुस्तक मन्दिर: आगरा

सक्सेना एन०आर०, मिश्रा बी०के०, मोहन्ती आर०के० (2008) अध्यापक शिक्षा, आर० लाल बुक डिपो: मेरठ

11.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

प्र. 1 सेवापूर्व कालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हुये उनकी उपयुक्तता के बारे में स्पष्टीकरण दीजिये।

प्र. 2 भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का विस्तार से वर्णन करो।

प्र. 3 भारत में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक) कक्षाओं के लिये रा० शै० अ० प्र० प० द्वारा बतलाया गया अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है?

प्र.4 माध्यमिक स्तर के लिये अध्यापकीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं?

इकाई 12 उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (ओरिएंटेशन एवं रिक्रेशर कोर्स) *Orientation and Refresher Course*

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का अर्थ
- 12.4 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का इतिहास (भारत के विशेष संदर्भ में)
- 12.5 उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता
- 12.6 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य
- 12.7 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकार
- 12.8 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम
- 12.9 पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ
- 12.10 पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास
- 12.11 पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्य
- 12.12 पुनश्चर्या कार्यक्रम का पाठ्यक्रम
- 12.13 उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर
- 12.14 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज
- 12.15 सारांश
- 12.16 शब्दावली
- 12.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.18 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री
- 12.19 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

एक शिक्षा प्रणाली की सफलता उसके शिक्षकों पर निर्भर करती है। शिक्षक, शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग होता है इसलिए उसकी व्यावसायिक उन्नति आवश्यक है ताकि उन्हें आधुनिक शिक्षण विधियों एवं तकनीकों से, शिक्षण सिद्धांतों में परिवर्तनों से, सतत् सांस्कृतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों, जो कि विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यता में परिवर्तन में सहायक होते हैं, से सुसज्जित रखा जा सके। अब चूँकि प्रभावी शिक्षण उपर्युक्त कारकों से प्रभावित होता है, अतः यह आवश्यक है कि इस व्यवसाय में लगे नए व्यक्तियों को, शिक्षण के तरीकों को पहचान कर स्वयं के लिए प्रभावी

शिक्षण का तरीका विकसित करने के लिए उन्मुखीकरण प्रदान किया जाए। अतः सेवारत शिक्षकों को वैज्ञानिक ढंग से उन्मुखीकरण प्रदान करने के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रस्तुत इकाई उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम के संप्रत्यय तथा उसके विविध आयाम से संबंधित है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात अध्येता इस योग्य हो जाएंगे कि :

उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ बता सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के इतिहास की भारतीय संदर्भ में व्याख्या कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकारों का उल्लेख कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का वर्णन कर सकेंगे;

पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्य की व्याख्या कर सकेंगे;

उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे; तथा

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

12.3 उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम का अर्थ

उन्मुखीकरण या उन्मुखता की सर्वमान्य परिभाषा है- “ कार्य परिस्थिति या सम्पूर्ण कार्य प्रणाली से परिचित होना एवं इससे अनुकूलन स्थापित करना”। इस आधार पर यदि उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम को परिभाषित किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यह, कार्य परिस्थिति या सम्पूर्ण कार्य परिस्थिति से परिचित कराने एवं इससे अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करनेवाला पाठ्यक्रम है।

यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप कार्य संस्कृति या कार्य की दशाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन उनमें नवीनता लाती है और व्यक्ति इन नवीन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में अपने-आप को अक्षम पाता है या तनाव महसूस करता है। ऐसी स्थिति में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के द्वारा उसे नवीन कार्य परिस्थिति को समझने एवं अपने तनाव को कम कर उसके समायोजन करने में सहायता मिलती है। अतः उन्मुखीकरण कार्यक्रम को अधिगमरत समाज में व्यक्ति को नवीन परिस्थिति में सहयोग देनेवाले सदस्य के रूप में तैयार करनेवाले कार्यक्रम के रूप में भी जाना जा सकता है।

12.4 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का इतिहास (भारत के विशेष संदर्भ में)

सन् 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने देश की शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के विचार की औपचारिक रूप से घोषणा की। आयोग ने यह तर्क दिए कि शिक्षण प्रक्रिया की सफलता शिक्षक की योग्यता एवं चरित्र पर निर्भर करती है और विश्वविद्यालय सुधार कि किसी भी योजना का केन्द्रबिन्दु, शिक्षक को निम्नलिखित बातों के लिए तैयार करना होता है:

- (1) युवा पीढ़ी को, बौद्धिक एवं उनकी प्रजातीय विरासत को हस्तांतरित करने के लिए
- (2) ज्ञान की सीमा का विस्तार कर इन विरासतों को सम्मृद्ध करने के लिए
- (3) व्यक्तित्व का विकास करने के लिए

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ये भी कहा कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है, जिसको अपने लक्ष्य की जानकारी होती है। यह लक्ष्य विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन मूल्यों को समझने में सक्षम बनाना होता है। एक शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसने शिक्षा में प्रत्यक्ष रूप से कितना योगदान दिया या कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए बल्कि यह समाज के उन पुरुषों और महिलाओं के चरित्र एवं की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिनको उसने पढ़ाया है। इन दक्षताओं के लिए एक शिक्षक को नियमित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के द्वारा तैयार करना पड़ता है।

हाँलाकि सन् 1949 में औपचारिक उदघोषणा कर दी गई थी लेकिन इस प्रक्रिया को बल शिक्षा आयोग(1964-66) की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ही मिला। रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। कुछ प्रयास रिपोर्ट के प्रकाशन के पूर्व भी किए गए थे। इन प्रयासों में से कुछ प्रमुख प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है:

सन् 1958 में सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज, हैदराबाद के एकेडमिक काउंसिल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

सन् 1972 में, बम्बई विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत की गई जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार का प्रशिक्षण शामिल था।

सन् 1976 में बड़ोदा के एम0 एस0 विश्वविद्यालय ने नव नियुक्त शिक्षकों के लिए एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की।

वर्ष 1976 में ही कालीकट विश्वविद्यालय ने भी एक, 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए की।

उपर्युक्त सारे प्रयास महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम की संस्था द्वारा भी इस क्षेत्र में प्रयास किए गए थे। उन प्रयासों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष 1970-71 में नए एवं कनिष्ठ व्याख्याताओं के लिए शिक्षण विधियों में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के आयोजन की योजना शुरू की गई।

वर्ष 1971 में महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय के शिक्षण में सुधार के लिए कॉलेज साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई।

वर्ष 1974-75 में कॉलेज ह्यूमैनिटेज एण्ड सोशल साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई।

1974 में शिक्षक विकास कार्यक्रम के रूप में शिक्षकों को पी0 एच0 डी0 प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के पीछे यह तर्क दिया गया कि पी0 एच0 डी0 डिग्री धारी शिक्षक अधिक कुशल होंगे।

इस प्रकार सन् 1986 तक ऐसे ही छिट-पुट कार्यक्रम चलते रहे। वर्ष 1986, भारतीय शिक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष था। इस समय शिक्षा पद्धति में अनेक सुधार जन्म ले रहे थे। इन्हीं सुधारों में से शिक्षकों की व्यावसायिक उन्मुखता भी एक सुधार था जिसका उत्तरदायित्व भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में क्रमबद्ध प्रयास किए। इन प्रयासों में सबसे पहला प्रयास, प्रत्येक राज्य में एक-एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज खोलना था। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम का वर्तमान स्वरूप हमारे समक्ष है।

अभ्यास प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए गए जगह में अपने उत्तर लिखें।

(ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए।

1. स्तंभ 'क' को स्तंभ 'ख' से मिलाइए।

स्तंभ 'क'

स्तंभ 'ख'

(अ) 1958

(1) बम्बई विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए,

उच्च शिक्षा में डिप्लोमा की शुरुआत

(ब) 1976 (2) कालीकट विश्वविद्यालय में एक वर्षीय पाठ्यक्रम की

शुरुआत,

(स) 1971 (3) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंग्लिश एण्ड फॉरेन लैंग्वेज,

हैदराबाद के एकेडमिक काउंसिल द्वारा विश्वविद्यालय

शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

(द) 1974-75 (4) कॉलेज साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत

(य) 1972 (5) कॉलेज ह्यूमैनिटिज्स एण्ड सोशल साइंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की

शुरुआत

12.5 उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता

उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता का प्रत्यक्ष संबंध शिक्षकों की योग्यता एवं उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता से होता है। समाज परिवर्तनशील है। ऐसे में ज्ञान भी निरंतर परिवर्तन होते रहता है। इस परिस्थिति में वही शिक्षक अस्तित्व में रह पाएँगे जो ग्रहणशील, अधिगमशील व कुशल होंगे। अर्थात् शिक्षक को निरंतर सीखने वाला होना चाहिए। निरंतर सीखना, नए ज्ञान एवं विचारधारा से परिचित होना तथा उसे अपनाना और इस प्रकार अपनाना कि वो उनके कार्य प्रणाली का हिस्सा बन जाए, और वो उनसे कुप्रभावित भी न हो। इस सोच को फलीभूत करने के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की आवश्यकता है। उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता को निम्नलिखित बिन्दुओं से और स्पष्ट किया जा सकता है:

(1) ज्ञान का अद्यतनीकरण करने के लिए- वर्तमान परिवेश सूचना क्रांति का है। यहाँ हर पल नवीन ज्ञान का सृजन हो रहा है। अब चूँकि शिक्षण कार्य का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना होता है और शिक्षक इस कार्य का अभिकर्ता होता है। अतः, शिक्षकों के ज्ञान का अद्यतनीकरण होना आवश्यक है और इसके लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है।

(2) व्यावसायिक दक्षता में गुणात्मक वृद्धि के लिए- सेवाकालिक शिक्षक-प्रशिक्षण के प्रारूप के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शिक्षकों को उनके व्यवसाय से संबंधित अनेक कार्यकुशलताओं से परिचित होने और उनमें सुधार करने का अवसर प्राप्त हो सके। कार्यकुशलता में सुधार से शिक्षक को सम्पूर्णता प्राप्त होती है और उसकी व्यावसायिक प्रगति होती है। अतः, शिक्षकों की व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि के लिए सेवाकालिक शिक्षक-प्रशिक्षण आवश्यक है।

(3) नई परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए- इस परिवर्तनशील समाज में जहाँ नित नवीन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह इन परिवर्तित परिस्थितियों में भी खुद को समायोजित रखे। शिक्षक के लिए तो यह और भी आवश्यक है क्योंकि शिक्षक की भूमिका में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। अब वे मात्र ज्ञान एवं सूचना प्रदान करनेवाले अनुदेशक नहीं रहे हैं बल्कि वे छात्रों के पथ-प्रदर्शक हैं। अब उन्हें विद्यार्थियों को सीखाने के बजाए उन्हें स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करना है। वैश्वीकरण, निजीकरण, एवं उदारीकरण के इस दौर में जहाँ उन्हें प्रतिपल उभरती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है वहीं उन्हें अपनी नैतिकता एवं मूल्यों से भी जुड़े रहना पड़ता है ताकि वो विद्यार्थियों के आदर्श बन सके। इन परिवर्तित एवं महती भूमिकाओं को सुसमायोजित ढंग से निभाने के लिए उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है।

(4) परिवर्तित पाठ्यक्रम से अनुकूलन के लिए- यह बात सर्वविदित है कि शिक्षण पद्धति समाज में हो रहे परिवर्तन के अनुकूल बदलती रहती है और परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम भी। नए पाठ्यक्रम को आत्मसात कर उसे विद्यार्थियों तक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रेषित करने के लिए भी उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम की आवश्यकता होती है।

(5) **स्वमूल्यांकन हेतु-** मूल्यांकन किसी भी प्रक्रिया या प्रकार्यात्मक इकाई को गति प्रदान करता है।

शिक्षक, शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अतः, इसका भी मूल्यांकन आवश्यक है। उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रमों शिक्षक को स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है ताकि वह अपनी योग्यताओं को जान सके, कमियों को पहचान सके, उसे दूर करे एवं अपनी दक्षता को बढ़ा सके।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ओरिएंटेशन कोर्स, वास्तव

अभ्यासप्रश्न

(क) नीचे दिए गए जगह में अपने उत्तर लिखें।

(ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए।

2. उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता का उल्लेख करें।

12.6 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्य

उन्मुखीकरण कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

शिक्षकों के व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना;

शिक्षकों में ज्ञान की वृद्धि कर उनके आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि करना;

शिक्षकों में स्वमूल्यांकन करने की क्षमता का विकास करना;

शिक्षकों को परिवर्तित हो रहे परिवेश में अपनी भूमिका को समझ कर उसके साथ समायोजित होने में सक्षम बनाना;

विश्वविद्यालय शिक्षकों को शोध संबंधी क्रियाओं की ओर उन्मुख करना जो कि उनकी शिक्षण प्रविधियों को भी समृद्ध बनाता है; तथा

शिक्षकों की सहायता, शैक्षिक प्रबंधन व संगठन को समझने, इस व्यवस्था में उनकी भूमिका विशेष को समझने तथा उस भूमिका के निर्वाहन करने में, करना है।

12.7 उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकार

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज द्वारा तीन प्रकार के उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तीन प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम

– जब उन्मुखीकरण कार्यक्रम को, नए शिक्षकों को, भारतीय एवं वैश्विक संदर्भ में शिक्षा के महत्व को समझाने, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा के मध्य अंतर्संबंधों को समझाने, इन परिस्थितियों में उनकी स्वयं की भूमिका को समझाने तथा उसका निर्वहन करने के लिए उन्हें जागरूक बनाने के उद्देश्य के साथ, आयोजित किया जाता है तब यह, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है।

2. वरिष्ठ प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों तथा प्रशासकों के लिए अंशकालिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम - प्रधानाचार्यों, वरिष्ठ प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों में कार्य की दशाओं को उन्नत बनाने का दृष्टिकोण विकसित करने के साथ ही उन्हें नई नीतियों, विचारों व दृष्टिकोण से भी परिचित कराने के उद्देश्य के साथ आयोजित किया जाने वाला उन्मुखीकरण कार्यक्रम अंशकालिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम कहलाता है।

3. सूचना और संप्रेषण के क्षेत्र में विशिष्ट उन्मुखीकरण कार्यक्रम – संचार क्रांति के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से, शिक्षकों को परिचित कराने एवं शिक्षा एवं शिक्षण प्रक्रिया में, उनके द्वारा इनके उपयोग को प्रश्रय देने के लिए, उन्हें जागरूक बनाने हेतु आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम सूचना और संप्रेषण के क्षेत्र में विशिष्ट उन्मुखीकरण कार्यक्रम कहलाता है।

12.8 उन्मुखीकरण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम

यू0 जी0 सी0 द्वारा उन्मुखता कार्यक्रम के लिए जो पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है उसे तालिका संख्या 1 में दिखाया गया है। यू0 जी0 सी0 द्वारा प्रस्तावित यह पाठ्यक्रम अपने मूल स्वरूप में एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों के लिए बाध्यकारी नहीं है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के पास इस बात की

स्वतंत्रता होती है कि वो अपने उपलब्ध संसाधनों एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम के उद्देश्यों के अनुसार प्रकरणों का चयन करें।

तालिका संख्या 1: उन्मुखीकरण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम

क्र० सं०	घटक	घटक के विषय
1.	‘अ’	समाज के पर्यावरण विकास व शिक्षा के मध्य अंतर्संबंधों के प्रति जागरूकता
2.	‘ब’	शिक्षा दर्शन, भारतीय शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा शास्त्र
3.	‘स’	संसाधनों के प्रति जागरूकता तथा ज्ञान का सृजन
4.	‘द’	व्यक्तित्व विकास का प्रबंधन

12.9 पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ-

पुनश्चर्या का शाब्दिक अर्थ होता है नवीनता के साथ अनुकूलन करने अर्थात् उसे ग्रहण करने के लिए किया जाने वाला आचरण। परिवर्तन इस संसार का अंतिम सत्य है। फलस्वरूप सामाजिक जीवन में निरंतर परिवर्तन होना अनिवार्य है। ऐसे में शिक्षा इससे अछूती नहीं रह सकती है। वह भी निरंतर परिवर्तित होते रहती है। शिक्षा में हुए इस परिवर्तन के साथ शिक्षक समुदाय का अनुकूलन कराने के लिए जब किसी विषय विशेष एवं उससे संबंधित प्रौद्योगिकि में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखकर अल्पकालिक शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तब इसे पुनश्चर्या कार्यक्रम कहते हैं। पुनश्चर्या कार्यक्रम किसी विषय विशेष से संबंधित होता है और महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए अपने सहकर्मियों (पीयर ग्रुप) के साथ मिलकर परस्पर अंतर्क्रिया के साथ सीखने का अवसर प्रदान करता है।

12.10 पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास

पुनश्चर्या कार्यक्रम का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत सन् 1986 के नई शिक्षा नीति की उदघोषणा के बाद से मानी जाती है।

12.11 पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्य

पुनश्चर्या कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

सेवारत शिक्षकों को अपने साथियों के साथ अनुभवों का आदान-प्रदान करने एवं एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करना

सेवारत शिक्षकों को, स्वयं को, विभिन्न विषयों में हो रहे ज्ञान के अद्यतनीकरण से, अद्यतन रखने के लिए, एक मंच प्रदान करना

शिक्षकों के मध्य सीखने एवं स्व-उन्नति की संस्कृति का विकास करना

भविष्य में अपने ज्ञान को और व्यापक बनाने के लिए तथा शोध कार्यों में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना

13.12 पुनश्चर्या कार्यक्रम का पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुनश्चर्या कार्यक्रम के लिए कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं दिया है।

इसलिए पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करने वाले विभाग को इस बात की आज़ादी रहती है कि वो

अपने विषय/अनुशासन में पुनश्चर्या कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम का स्वयं निर्माण करें। अतः, पुनश्चर्या कार्यक्रम का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है।

12.13 उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर

इन दोनों तरह के कार्यक्रमों में निम्नलिखित अंतर है:

1. उन्मुखीकरण कार्यक्रम एक व्यापक संप्रत्यय है जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम इसकी तुलना में संकीर्ण है।

2. उन्मुखीकरण समाज में हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों से शिक्षक समुदाय को अवगत कराने के लिए होता है जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम में किसी विषय विशेष को केन्द्र में रखा जाता है और उस विषय से संबंधित ज्ञान के अद्यतनीकरण में शिक्षक समुदाय की सहायता करता है।

3. उन्मुखीकरण नवनियुक्त शिक्षकों के साथ-साथ वरिष्ठ शिक्षकों, प्रशासकों आदि के लिए भी होता है जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नहीं होता है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

4. उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपने पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हो लेकिन पुनश्चर्या कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए यह आवश्यक है कि आपने उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया हो।

5. उन्मुखीकरण कार्यक्रम की अवधि 4 सप्ताह की होती है जिसमें 24 कार्य दिवस होते हैं तथा 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से 144 घंटे होते हैं जबकि पुनश्चर्या कार्यक्रम की अवधि 3 सप्ताह की होती है जिसमें 18 कार्य दिवस होते हैं तथा 6 घंटे प्रति दिन के हिसाब से 108 घंटे होते हैं।

12.14 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज

एकेडमिक स्टाफ कॉलेज उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अधिकृत संस्था है। इस प्रकार की संस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम शिक्षा आयोग (1964-66) द्वारा दिया गया लेकिन इस विचार को बल नहीं मिला और लगभग दो दशकों तक अर्थात् सन् 1986 तक इस विचार को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। वर्ष 1986 में पहली बार केन्द्रीय सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' को लागू किया गया। परिणामस्वरूप शिक्षा व्यवस्था में अमूल-चूल परिवर्तन हुए थे। शिक्षा-संबंधी नीति-निर्माताओं को उच्च शिक्षा का महत्व समझ में आया और उसमें गुणात्मक सुधार के प्रयास प्रारंभ हुए। इन प्रयासों में शिक्षकों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण को

आवश्यक माना गया। इसके साथ ही पुनः उन्मुखीकरण एवं पुनश्चर्या की अवधारणा को भी बल मिला। इसी समय मेहरोत्रा समिति का गठन हुआ और उसने उन्मुखीकरण को आवश्यक कर दिया तथा उच्च शिक्षा की शीर्षस्थ संस्था 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' को उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम चलाने का कार्य भार सौंपा गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नव नियुक्त शिक्षकों के व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि के लिए एक योजना चलाई जिसे 'एकेडमिक स्टाफ ओरिएंटेशन स्कीम' (ए0 एस0 ओ0 एस0) के नाम से जाना जाता है। इस योजना के कुशल एवं प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई। पहले प्रत्येक राज्य में एक-एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई बाद में आवश्यकता के अनुसार इसकी संख्या बढ़ायी जाती रही। वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में कुल 66 एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं। इनमें से अधिक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज किसी न किसी विश्वविद्यालय में स्थित है लेकिन ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्यरत हैं एवं पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समर्थित हैं। पहला एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगस्त 1987 में स्थापित किया गया था और इसने अपना पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम 1 फरवरी, 1988 को आयोजित किया था। इस प्रकार, पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम भी यही था।

अभ्यास प्रश्न

टिप्पणी (क) नीचे दिए गए जगह में अपने उत्तर लिखें।

(ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए।

4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिक से अधिक एक वाक्य में दें।

(अ) पहला एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था?

(ब) पहला एकेडमिक स्टाफ कॉलेज कब स्थापित हुआ था?

(स) पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम किस एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में हुआ था?

(द) पहला उन्मुखीकरण कार्यक्रम कब हुआ था?

(य) पहले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी?

(र) एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को किस संस्था द्वारा समर्थन प्राप्त होता है?

(ल) वर्तमान में देश में कुल कितने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हैं?

12.15 सारांश

प्रस्तुत इकाई शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि के लिए चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम विशेष रूप से उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम से संबंधित है। इस इकाई में उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य एवं आवश्यकता की अति सुन्दर व्याख्या की गई है। इसके साथ ही उन्मुखीकरण कार्यक्रम के इतिहास को भी, भारत के विशेष संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत अतीत में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों की चर्चा की गई है। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना एवं इसके पीछे छुपी विचारधारा को स्पष्ट करते हुए उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के उन्मुखीकरण कार्यक्रमों जैसे कि- महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उन्मुखता कार्यक्रम, वरिष्ठ प्राध्यापकों, विभागाध्यक्षों, प्रधानाचार्यों तथा प्रशासकों के लिए अंशकालिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम तथा सूचना और सम्प्रेषण के क्षेत्र में विशिष्ट उन्मुखीकरण कार्यक्रम की विशद् व्याख्या की गई है। साथ ही साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित, उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम पर भी प्रकाश डाला गया है और उसके चार मुख्य अवयव बताए गए हैं। पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ बताते हुए उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर को बड़े

हीं सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार यह इकाई शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षण व्यवसाय में शामिल व्यक्तियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है।

12.16 शब्दावली

उन्मुखीकरण – ओरिएंटेशन

पुनश्चर्या- रिफ्रेशर

कार्यक्रम- कोर्स

व्यावसायिक - प्रोफेशनल

सेवारत- इन सर्विस

कार्य परिस्थिति - वर्क कल्चर

अद्यतनीकरण - अपडेशन

12. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर 177

1. अ - 3

ब - 2

स - 4

द - 5

य - 1

4. (अ) इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(ब) अगस्त, 1987

(स) एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(द) 1 फरवरी, 1988

(य) सातवीं पंचवर्षीय योजना

(र) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ल) 66

12.18 सहायक/उपयोगी ग्रंथ

Academic Staff Orientation Scheme, New Delhi, UGC 1987

NPE 1986, Ministry of Human Resource Development, Dept. of Education, Govt. of India, 1986

NPE 1992 (modified) Ministry of Human Resource Development, Dept. of Education, 1992

Mangala, S. (2001) .*Teacher Education: Trends and Strategies*, Radha Publications, New Delhi.

12.19 निबंधात्मक प्रश्न

1. उन्मुखीकरण कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करें।
2. पुनश्चर्या कार्यक्रम का अर्थ स्पष्ट करें।
3. उन्मुखीकरण कार्यक्रम के भारतीय इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें।
4. उन्मुखीकरण कार्यक्रम की आवश्यकता स्पष्ट करें।
5. उन्मुखीकरण कार्यक्रम के प्रकारों की चर्चा करें।
6. उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम संक्षिप्त टिप्पणी करें।
7. उन्मुखीकरण कार्यक्रम एवं पुनश्चर्या कार्यक्रम में अंतर स्पष्ट करें।
8. एकेडमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना पर प्रकाश डालें।
9. पुनश्चर्या कार्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करें।

इकाई-13 केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के अभिकरण
(एन०सी०टी०ई०, एन०सी०ई०आर०टी०, एस०सी०ई०आर०टी०, नीपा०,
यू०जी०सी०, आर०सी०आई०) *National and State Level Agencies of
Teacher Education (NCTE, NCERT, SCERT, NEUPA, UGC, RCI,)*

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

13.2 उद्देश्य (Objectives)

भाग-1

13.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-
U.G.C)

13.3.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन (Organization of U.G.C.)

13.3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य (Functions of U.G.C.)

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

भाग- 2

13.4 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of
Educational Research and Training-N.C.E.R.T.)

13.4.1 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का संगठन (Organization of
N.C.E.R.T.)

13.4.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of
N.C.E.R.T.)

13.4.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संलग्न इकाईयाँ
(Constituent Units of N.C.E.R.T.)

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

भाग- 3

13.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council of Teacher
Education-N.C.T.E.)

13.5.1 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संगठन (Organization of N.C.T.E.)

13.5.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य (Functions of N.C.T.E.)

13.5.3 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning & Administration- N.U.E.P.A.)

13.5.4 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कार्य (Functions of NEUPA)

13.5.5 भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India-R.C.I.)

13.5.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research & Training-S.C.E.R.T.)

13.5.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of S.C.E.R.T.)

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

13.6 सारांश (Summary)

13.7 शब्दावली (Glossary)

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

13.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

13.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

13.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question.)

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिये, शिक्षकों को आवश्यक सेवागत सुविधाओं को प्रदान करने के लिये तथा गुणवत्ता सम्बन्धी मानदण्डों को प्रस्तुत करते हुये उचित नियन्त्रण व्यवस्था को बनाये रखने के लिये उच्च स्तरीय अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जिनके अभाव में उनमें उचित दायित्वबोध का विकास और सेवा संतुष्टि की उपलब्धि असम्भव है। वर्तमान समय में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अभिकरण कार्य कर रहे हैं, जिनका वर्णन आगे किया जा रहा है।

13.2 उद्देश्य (Objectives)

- i. विश्वविद्यालय शिक्षा के सम्बर्द्धन एवं समन्वय हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये कार्यों से अवगत कराना।

- ii. विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की भूमिका का अध्ययन कराना।
- iii. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के योगदान का अध्ययन कराना।
- iv. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के प्रचार्यों का अध्ययन कराना।
- v. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की उपयोगिता का अध्ययन कराना।
- vi. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रशिक्षित नीतियों एवं कार्यक्रमों के संचालन का अध्ययन कराना।

भाग एक

13.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission-U.G.C)

भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिये सन् 1945 में एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया था। यह समिति भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों - बनारस, दिल्ली एवं अलीगढ़ को अनुदान अनुमोदित करने से सम्बन्ध रखती थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु गठित प्रथम विश्वविद्यालय आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान अनुमोदित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ¼University Grants Commission½) गठित करने की सिफारिश की थी। फलस्वरूप भारत सरकार ने 28 दिसम्बर सन् 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया, जिसे सन् 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिये छः क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं, जिनके क्षेत्राधिकार इस प्रकार से हैं-

1. उत्तरी क्षेत्र, गाजियाबाद - जम्मू एण्ड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश।
2. केन्द्रीय क्षेत्र, भोपाल - मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान।
3. पश्चिमी क्षेत्र, पुणे - महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा।
4. दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद - केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक।
5. पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता - पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा एवं सिक्किम।

6. उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र, गुवाहाटी - असम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम।

13.3.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संगठन (Organization of U.G.C.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुल 12 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दो केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि, चार विश्वविद्यालय शिक्षकों के प्रतिनिधि तथा शेष चार की नियुक्ति कुलपतियों, शिक्षा व्यवसाय के सदस्यों एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों में से की जाती है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति क्रमशः 5 वर्ष एवं 3 वर्ष के लिये की जाती है। आयोग का कार्यकारी प्रमुख सचिव होता है।

13.3.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य (Functions of U.G.C.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने और उनके स्तर के मानक तय करने हेतु किया गया था। यह संस्था केन्द्र तथा राज्य सरकारों एवं उच्च शिक्षा की संस्थाओं को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं-

1. आयोग उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण एवं समन्वय से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य करता है-

- i. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना करना।
- ii. विश्वविद्यालय के चयनित विभागों में विशेष सहायता के कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- iii. अनुसंधान कार्यों के प्रोत्साहन हेतु सहायता देना।
- iv. परीक्षा पद्धति में सुधार हेतु सुझाव देना।
- v. शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक नियम, कानून बनाना तथा उनके शिक्षण की शर्तें एवं न्यूनतम योग्यता इत्यादि का निर्धारण करना।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा के लिये कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, पर्यावरण शिक्षा, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिये अनुदान देता है।

3. आयोग उच्च शिक्षा देने वाले महाविद्यालयों के विकास एवं सम्बर्द्धन के लिये निम्नलिखित कार्य करता है-

- i. विशेष सहायता।
- ii. स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन के विकास के लिये सहायता।
- iii. स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के विकास हेतु सहायता।

4. आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को उनके शैक्षिक विकास के लिये संगोष्ठी, परिचर्या, कार्यशाला आदि आयोजित करने के लिये अपने निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आर्थिक सहायता देता है।

5. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिये आयोग अनेक कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों को शोध छात्रवृत्तियाँ एवं फैलोशिप्स प्रदान करता है तथा विकलांग छात्रों को विशेष सहायता प्रदान करता है।

6. आयोग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न देशों के मध्य परस्पर सहयोग एवं द्विपक्षी विनिमय कार्यक्रमों के लिये संयुक्त संगोष्ठियाँ, यात्रायें, फैलोशिप्स आदि के लिये अनुदान देकर सहायता करता है।

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

प्र01. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यकारी प्रमुख होता है?

(अ) अध्यक्ष (ब) उपाध्यक्ष (स) सचिव (द) कोई नहीं।

प्र02. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्ण स्वायत्तशासी संस्था बना?

(अ) 1953 में (ब) 1955 में (स) 1956 में (द) 1958 में।

प्र03. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

प्र04. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है?

भाग - दो

13.4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) N.C.E.R.T.

विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर सन् 1961 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गयी थी। यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अकादमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। परिषद का वित्तपोषण पूर्णतया भारत सरकार करती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, शिमला, तिरुवनन्तपुरम्, इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, शिलांग और श्रीनगर/ जम्मू में सत्रह क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किये हैं। क्षेत्रीय कार्यालय परिषद को राज्यों में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं तथा राज्यों को परिषद द्वारा किये गये कार्य का उपयोग करने में सहायता देते हैं।

13.4.1. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का संगठन (Organization of N.C.E.R.T.)

1. सामान्य निकाय (General Body)

अध्यक्ष (President) - केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

सदस्य (Members)-

- i. सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्री।
- ii. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव।
- iii. विश्वविद्यालयों के चार कुलपति (प्रत्येक क्षेत्र से एक)।
- iv. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष।
- v. केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के निदेशक।
- vi. प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय के निदेशक (प्रशिक्षण), शिक्षा विभाग और योजना आयोग के प्रतिनिधि।
- vii. परिषद की कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्य, जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं।
- viii. छः ऐसे अन्य व्यक्ति, जिनमें कम से कम चार सदस्य विद्यालय शिक्षक होते हैं और भारत सरकार द्वारा नामित किये जाते हैं।

संयोजक (President) -राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सचिव।

2. कार्यकारिणी समिति (Executive Committee)

अध्यक्ष (पदेन) President (Ex-offices)-केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

उपाध्यक्ष (पदेन) Vice President (Ex-offices)- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री।

सदस्य (Members)-

- i. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव।
- ii. परिषद के निदेशक।
- iii. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष।
- iv. विद्यालयी शिक्षा में रुचि रखने वाले दो शिक्षाविद् एवं दो विद्यालय शिक्षक।
- v. परिषद के संयुक्त निदेशक।
- vi. परिषद के तीन संकाय सदस्य।
- vii. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
- viii. वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (वित्त सलाहकार)।

संयोजक (Coordinator) -परिषद का सचिव

13.4.2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of N.C.E.R.T)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शैक्षिक विंग (Academic wing) के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय (Social Welfare Ministry) को विद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित नीतियों और वृहद कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन में सहायता करता है। साथ ही विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उसकी नीति-निर्धारण तथा प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में उसको सहायता प्रदान करता है।

विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिये यह परिषद देश में फैले अपने संघटकों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करती है-

1. विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक शिक्षा की सभी शाखाओं में अनुसंधान सम्बन्धी कार्य करना, उसमें सहायता पहुँचाना एवं उसे सम्वर्द्धित और समन्वित करना।
2. शिक्षकों के लिये सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च स्तर पर आयोजित करना।
3. परिष्कृत शैक्षिक तकनीकों, पद्धतियों एवं नूतन प्रक्रियाओं का विकास एवं प्रयोग सम्बन्धी कार्य करना।
4. विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र की सरकार को और राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र स्तर की संस्थाओं, संगठनों एवं अभिकरणों को कार्यक्रम तैयार करने तथा उनके क्रियान्वयन में सहायता देना।

5. यूनेस्को (UNESCO), यूनीसेफ (UNICEF), यूएनडीपी (UNDP) एवं यूएनएफपी (UNFPA) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों की राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना।

6. अन्य देशों के शैक्षिक कर्मिकों (Personnel) को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधायें प्रदान करना।

7. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (1/4NCTE) तथा एशिया एवं प्रशान्त के शैक्षिक नवाचारों के विकास कार्यक्रम (Asia and the pacific programme of Educational Innovation for Development) के राष्ट्रीय विकास समूह के अकादमिक सचिवालय के रूप में कार्य करना।

13.4.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संलग्न इकाईयाँ (Constituent Units of NCERT)

1. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली (National Institute of Education, New Delhi)

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अन्तर्गत निम्नलिखित विभाग हैं -

- i. पूर्व-विद्यालय एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
- ii. अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा विभाग।
- iii. महिला अध्ययन विभाग।
- iv. सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी शिक्षा विभाग।
- v. विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग।
- vi. शिक्षक शिक्षा एवं विशिष्ट शिक्षा विभाग।
- vii. शिक्षा मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्श विभाग।
- viii. मापन, मूल्यांकन, सर्वेक्षण तथा दत्त विश्लेषण का विभाग।
- ix. पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विभाग।
- x. कर्मशाला विभाग।
- xi. क्षेत्र तथा प्रसार सेवाओं का विभाग (Field & Extension Services)।
- xii. प्रकाशन विभाग।
- xiii. योजना, प्रोग्रामिंग, अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रभाग।
- xiv. अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध।

2. केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली (Central Institute of Educational Technology, NIE compus New Delhi)

3.पं. सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल (Pt. S.L. Sharma Central Institute of Vocational Education, Bhopal)

4.शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, नई दिल्ली (Educational Research and Innovation Committee, NIE Campus, New Delhi)

5.क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institute of Education)

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना जुलाई सन् 1963 में मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुदेशीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिये किया गया। बहुदेशीय विद्यालय कृषि, वाणिज्य, गृह विज्ञान, ललित-कला इत्यादि विषयों की शिक्षा के लिये स्थापित किये गये थे। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को प्रारम्भ में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (Regional College of Education-R.C.E.). के नाम से जाना जाता था। प्रारम्भ में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या चार थी, जो अजमेर, भोपाल, मैसूर एवं भुवनेश्वर में स्थित हैं। पाँचवें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना शिलांग में की गयी है, जो प्रारम्भ होने पर पूर्वोत्तर राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इन संस्थानों की प्रादेशिक सीमायें इस प्रकार हैं-

- (i) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल (Regional College of Education, Bhopal) इससे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य जुड़े हैं।
- (ii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर (Regional College of Education Ajmer) इससे दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य जुड़े हैं।
- (iii) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर (Regional College of Education Mysore) इससे आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्य जुड़े हुये हैं।
- (iv) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर (Regional College of Education Bhubneshwar) इससे बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आदि राज्य जुड़े हैं।
- (v) क्षेत्रीय कार्यालय (Field Offices)

अपनी उन्नति जानिये Check your Progress

प्र01. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई?

(अ) 1 दिसम्बर 1961 (ब) 1 सितम्बर 1961

(स) 10 दिसम्बर 1961 (द) 1 नवम्बर 1961

प्र02. NCERT से सम्बन्धित इकाई नहीं है?

(अ) NIE (ब) CIET (स) NCTE (द) RIE

प्र03. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय अवस्थित है?

(अ) शिमला में (ब) इलाहाबाद में (स) पटना में (द) उपर्युक्त सभी

प्र04. NCERT का पदेन अध्यक्ष होता है?

(अ) प्रधानमंत्री (ब) राष्ट्रपति (स) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (द) वित्तमंत्री

भाग -तीन

13.5 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (National Council of Teacher Education- N.C.T.E.)

शिक्षा आयोग (1964-66) के सुझावों के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना मई सन् 1973 में की गयी। सन् 1973 से सन् 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिये सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी, क्योंकि यह संस्था असंवैधानिक थी। सन् 1993 में ससंद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध एवं समन्वित विकास तथा शिक्षक शिक्षा के मानकों एवं स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना है। इस परिषद ने 1 जुलाई सन् 1995 से विधिवत अपना कार्य प्रारम्भ किया।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में सहयोग के लिये चार क्षेत्रीय समितियां (प्रत्येक क्षेत्र में एक) भी स्थापित की गयी, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं-

1. उत्तर क्षेत्रीय समिति (North Regional Committee) जयपुर

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और चण्डीगढ़।

2. दक्षिण क्षेत्रीय समिति (South Regional Committee) बंगलौर

आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्ष्यदीप एवं पाण्डिचेरी।

3. पूर्वी क्षेत्रीय समिति (Eastern Regional Committee), भुवनेश्वर

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह।

4. पश्चिम क्षेत्रीय समिति (Western Regional Committee), भोपाल

गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव।

13.5.1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संगठन (Organization of N.C.T.E.)

सन् 1993 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे-

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 01
2. उपाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 01
3. सदस्य सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 01
4. सचिव, शिक्षा विभाग, भारत सरकार -पदेन 01
5. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-पदेन 01
6. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-पदेन 01
7. निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NEUPA) पदेन 01
8. सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग -पदेन 01
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद-पदेन 01
10. वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग, भारत सरकार -पदेन 01
11. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद -पदेन 01
12. सभी क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष -पदेन 04
13. शिक्षा अथवा शिक्षण के क्षेत्र में योग्यता एवं अनुभव रखने वाले निम्नलिखित में से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा- 13

- (i) विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रोफेसर और शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता 04
- (ii) माध्यमिक शिक्षक-शिक्षा का विशेषज्ञ 01
- (iii) पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ 03
- (iv) अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ 02
- (v) शिक्षा तकनीकी एवं विशिष्ट शिक्षा, कार्यानुभव, व्यावसायिक शिक्षा, भाषाविद्, सामाजिक विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में विशेषज्ञ (चक्रीय क्रम में) 03
14. राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को प्रतिनिधित्व देने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य 09
15. संसद सदस्य- (राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित -01, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित-02) 03
16. मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षकों एवं प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों में से केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य 03

13.5.2 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्य (Functions of N.C.T.E.)

1. अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना।
2. अध्यापक शिक्षा के लिये उपयुक्त योजनायें तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिशें करना।
3. देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परीक्षण करना।
4. विद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम अर्हताओं के सम्बन्ध में मार्ग-निर्देश तैयार करना।
5. अध्यापक शिक्षा के लिये विशिष्ट प्रकार के पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण हेतु मानक निर्धारित करना। इसमें प्रवेश हेतु पात्रता मानक, उम्मीदवारों की चयन पद्धति, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम, विषयवस्तु तथा पाठ्यचर्या प्रकार भी सम्मिलित है।
6. विश्वविद्यालय अथवा मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु भौतिक एवं आधार-संरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने, संकाय सदस्यों की संख्या तथा उनकी योग्यता आदि का निर्धारण करना।

7. मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों से सम्बन्धित मार्ग-निर्देश तैयार करना।

8. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नव प्रवर्तन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसके परिणामों का प्रसार करना।

9. परिषद द्वारा निर्धारित मानकों, मार्ग-निर्देशों तथा स्तरों की समय-समय पर जांच एवं समीक्षा करना तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त सलाह देना।

10. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिये योजनायें तैयार करना तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं का पता लगाना तथा अध्यापक शिक्षा के विकास कार्यक्रमों के लिये नयी संस्थाये स्थापित करना।

11. अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही करना।

12. अन्य वे सभी कार्य करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त हों।

13.5.3 राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (National University of Educational Planning and Administration – N.U.E.P.A)

राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (N.U.E.P.A.) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित है, जो भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा के नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधानरत्न है।

प्रारम्भ में यह विश्वविद्यालय शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिये एशियन क्षेत्रीय केन्द्र (Asian Regional Centre) के रूप में यूनेस्को (UNESCO) के साथ दस वर्षीय संविदा के अन्तर्गत सन् 1962 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ, जो सन् 1965 में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन का एशियन संस्थान, नई दिल्ली (Asian Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi) के नाम से हो गया। संविदा की समाप्ति पर शिक्षा आयोग की संस्तुति के अनुरूप भारत सरकार ने इस संस्थान का अधिग्रहण कर ‘शैक्षिक नियोजकों एवं प्रशासकों के लिये राष्ट्रीय स्टाफ कालेज’ (National Staff College for Educational Planners and Administration) नाम रख दिया। तत्पश्चात् मई सन् 1979 में इसका नाम बदलकर ‘राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान’ (National Institute of Educational Planning and Administration) कर दिया गया। अगस्त सन् 2006 में भारत सरकार ने NIEPA को शक्तिशाली बनाते हुये इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय

(National University of Educational Planning and Administration-NUEPA) रखा और डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी प्रदान की।

13.5.4. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के कार्य (Function of N.E.U.P.A.)

1. शिक्षा नियोजकों एवं प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनकी क्षमताओं का विकास एवं सुधार किया जा सके।
2. शिक्षा योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान कराना।
3. नवाचारों के प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य करना।
4. विभिन्न राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिये परामर्श सेवायें प्रदान करना।
5. विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, योजना आयोग, भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थान, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय इत्यादि से सहयोग एवं सम्बन्ध रखना।
6. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों-यूनेस्को, रीजनल आफिस बैंकाक, इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पेरिस (Institute of Educational Planning, Paris), कामनवेल्थ सचिवालय इत्यादि से सम्बन्ध रखना।
7. शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन से सम्बन्धित प्रकाशन करना

13.5.5. भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India-R.C.I.)

सन् 1981 में भारत सरकार का ध्यान विकलांगों के पुनर्वास की तरफ केन्द्रित हुआ। अतः सभी प्रकार के विकलांगों की शिक्षा, उनका निर्देशन तथा उनका पुनर्वास करने के लिये भारत सरकार ने सन् 1986 में भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की। सन् 1992 के एक्ट 34 द्वारा एक कानूनी परिषद की मान्यता इसे प्राप्त हुई तथा जुलाई सन् 1993 से इस परिषद ने कार्य करना प्रारम्भ किया। इसका संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकार प्रदत्त करने वाले मंत्रालय के अन्तर्गत होता है। भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

इस परिषद के मुख्य रूप से चार उत्तरदायित्व हैं-

1. विकलांगों के कल्याण के लिये नीतियों तथा कार्यक्रमों की रूप-रेखा बनाना।

2. विकलांग छात्रों को प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों के द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रम तथा तकनीकियों को मानकीकृत रूप प्रदान करना।
3. विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा तथा पुनर्वास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने वाली संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
4. पुनर्वास कार्यों में लगे व्यक्तियों को पुनर्वास के केन्द्रीय पंजीकरण रजिस्टर में अंकित करना तथा उनकी गतिविधियों को मूल्यांकित करना। इसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त पुनर्वास योग्यता प्राप्त करनी होगी, तभी वह भारत के किसी भी क्षेत्र में विकलांगों के संदर्भ में कार्य कर सकते हैं।

13.5.6 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training-S.C.E.R.T)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समान राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कार्य किया जाता है। कई राज्यों में इसे राज्य शिक्षा संस्थान (State Institute of Education- SIE) के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना विभिन्न राज्यों में सन् 1960 के मध्य की गयी थी।

विद्यालयी व्यवस्था को अकादमिक सहायता प्रदान करने हेतु गठित राज्य शिक्षा संस्थान की संख्या जब काफी बढ़ गयी, तो सन् 1970 में इसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के रूप में स्थापित किया गया। प्रारम्भ में यह मुख्यतः विद्यालयी शिक्षा के सार्वजनीकरण से सम्बन्धित थी, फिर भी विद्यालय शिक्षा के अन्य पक्षों की ओर भी इस संस्था द्वारा अपेक्षित ध्यान दिया गया।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश देती है। इसका मुख्य अधिकारी इसका निदेशक एवं संयुक्त निदेशक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जिन लक्ष्यों एवं अनुसंधान कार्यों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निश्चित किया जाता है, उन्हें प्रत्येक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति, आवश्यकता तथा प्राप्त संसाधनों के अनुसार अपनाता है।

13.5.7 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य (Functions of S.C.E.R.T.)

1. राज्य के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या का निर्माण करना।

2. प्रत्येक विषय हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं अध्यापकों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
3. विशिष्ट समूह जैसे जनजातियों की अधिकता वाले क्षेत्र में अलग से इकाईयों को खोलकर उनके विशेषज्ञों की नियुक्ति करना एवं उनकी शिक्षा व्यवस्था करना।
4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं अन्य केन्द्रीय संगठनों से शैक्षिक सम्बन्ध स्थापित करना।
5. विभिन्न नवाचारों, शिक्षण एवं मूल्यांकन की आधुनिक प्रविधियों, तथा शिक्षण सहायक सामग्री के विकास का ज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा प्रदान करना।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बच्चों एवं अल्पसंख्यकों हेतु छात्रवृत्तियाँ, भत्ते इत्यादि की परियोजनाएँ बनाना।
7. सेवारत विद्यालय निरीक्षकों का उन्मुखीकरण करना।
8. विद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोध कार्य करना।
9. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग, विशेषकर शिक्षक प्रशिक्षण मण्डल के कार्यक्रमों की संकल्पना और क्रियान्वयन करना।
10. अध्यापकों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
11. शिक्षा विभाग द्वारा सौंपे गये कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।
12. पाठ्यक्रमों/पाठ्य पुस्तकों के पुनर्निरीक्षण एवं सुधार हेतु सुझाव देना।
13. प्रतिभावान छात्रों की छात्रवृत्ति अथवा आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विभिन्न प्रकार की चयन परीक्षाओं का आयोजन करना अथवा इस प्रकार की परीक्षाओं हेतु शिक्षा विभाग को सहयोग देना।
14. आदर्श विद्यालयों के विकास में सहायता देना।
15. विद्यालयी स्तर पर विज्ञान शिक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों में मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के रूप में सहयोग करना।
16. पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण एवं प्रकाशन करना।

17. इन कार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा जो कार्य सौंपे जायें, उसे पूरा करना।

अपनी उन्नति जानिये (Check Your Progress)

प्र01. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी?

(अ) 1963 में (ब) 1973 में (स) 1993 में (द) 1983 में

प्र02. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विकास के लिये कार्य करती है?

(अ) प्राथमिक शिक्षा (ब) माध्यमिक शिक्षा (स) उच्च शिक्षा (द) अध्यापक शिक्षा

प्र03. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई?

(अ) 1993 में (ब) 1973 में (स) 1983 में (द) 1995 में

प्र04. उत्तर क्षेत्रीय समिति स्थित है?

(अ) जयपुर में (ब) भोपाल में (स) बंगलौर में (द) शिमला में

प्र05. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान नाम अस्तित्व में आया?

(अ) मार्च 1976 में (ब) मई 1979 में (स) मई 1976 में (द) मार्च 1979 में

प्र06. NEUPA का सम्बन्ध है?

(अ) नियोजन से (ब) प्रशासन से (स) अनुशासन से (द) नियोजन एवं प्रशासन से

प्र07. राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय स्थित है?

(अ) हैदराबाद में (ब) नई दिल्ली में (स) चण्डीगढ़ में (द) जयपुर में

प्र08. अगस्त 2006 में अस्तित्व में आया?

(अ) NIEPA (ब) NUEPA (स) UNESCO (द) NCTE

प्र09. भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली की स्थापना हुई?

(अ) 1985 में (ब) 1986 में (स) 1987 में (द) 1988 में

प्र10. भारतीय पुनर्वास परिषद ने कार्य प्रारम्भ किया?

(अ) जुलाई 1993 (ब) अगस्त 1993 (स) मई 1993 (द) मार्च 1993

प्र11. भारतीय पुनर्वास परिषद किस हेतु कार्य करता है?

(अ) सामान्य छात्रों के पुनर्वास हेतु।

(ब) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के पुनर्वास हेतु।

(स) विकलांग छात्रों के पुनर्वास हेतु।

(द) उपर्युक्त सभी।

प्र12. भारतीय पुनर्वास परिषद का संचालन होता है-

(अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा।

(ब) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा।

(स) वित्तमंत्रालय द्वारा।

(द) रक्षा मंत्रालय द्वारा।

प्र13. राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई?

(अ) 1950 में (ब) 1960 में (स) 1970 में (द) 1965 में

प्र14. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है?

(अ) NCERT (ब) SCERT (स) NCTE (द) SBTE

प्र15. SCERT है?

(अ) राष्ट्रीय अभिकरण (ब) अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण

(स) राज्य अभिकरण (द) कोई नहीं

प्र16. SCERT का पूर्ववर्ती नाम है?

(अ) NCERT (ब) NCTE (स) SIE (द) NCET

13.6 सारांश (Summary)

वैश्वीकरण के युग में गुणवत्ता का महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति आज सफलता के शिखर पर तभी पहुंच सकता है, जब उसके अन्दर गुणवत्ता होगी। अतः एक शिक्षक को सफल शिक्षक बनने के लिये उसके अन्दर गुणवत्ता का होना आवश्यक है। इस हेतु वर्तमान समय में अनेक अभिकरण केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्यरत हैं। समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा में सुधार के लिये ये अभिकरण प्रयास कर रहे हैं।

28 दिसम्बर सन् 1953 को गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के स्तरों के अनुरक्षण एवं समन्वय से सम्बन्धित कार्य कर रहा है। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर सन् 1961 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी। वर्तमान समय में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की छः संलग्न इकाईयाँ (Constituent Units) कार्यरत हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (Regional Institute of Education) उनमें से एक हैं, जिसकी स्थापना मुदालियर आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुदेशीय विद्यालयों के शिक्षकों को व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक विषयों में प्रशिक्षण देने के लिये किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के समान राज्य स्तर पर विद्यालयी शिक्षा को उन्नत बनाने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु अच्छे शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है। इस हेतु अध्यापक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, जो अपना कार्य प्रभावी तरीके से संचालित कर रहा है। भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिये विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रहा है।

अन्त में हम कह सकते हैं शिक्षा को सर्वसुलभ एवं उपयोगी बनाने के लिये समय-समय पर केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

13.7 शब्दावली (Glossary)

अभिकरण- ऐसी संस्थाएँ जो किसी विशेष कार्य हेतु गठित की जाती हैं, अभिकरण कहलाती हैं।

अध्यापक शिक्षा- शिक्षक को सेवापूर्व एवं सेवाकालीन प्राप्त प्रशिक्षण अध्यापक शिक्षा कहलाता है।

13.8. अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Exercise Question)

भाग- एक

उत्तर (1) स

(2) स

(3) 5 वर्ष

(4) छः

भाग-दो

उत्तर (1) अ

(2) स

(3) द

(4) स

भाग-तीन

उत्तर (1) ब

(2) द

(3) अ

(4) अ

(5) ब

(6) द

(7) ब

(8) ब

(9) ब

(10) अ

(11) स

(12) ब

(13) ब

(14) ब

(15) स

(16) स

13.9 संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

- शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ, पृष्ठ 648-649
- अग्रवाल, जे.सी., 21वीं शताब्दी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर दृष्टिकोण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 340-341
- सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा, पृष्ठ 345-361
- भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 326-347
- मंगल (डा.) के.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 83-84
- पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 336-337
- सक्सेना, एन.आर., मिश्रा, बी.के. व मोहन्ती, आर. के., अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो: मेरठ
- मदान, पूनम, भारत में शिक्षा-व्यवस्था का विकास तथा समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा

13.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

1. शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ।
2. सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा।

3. भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा।

13.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

प्र01. केन्द्रीय स्तर पर अध्यापक शिक्षा के प्रमुख अभिकरण कौन-कौन से हैं ? किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिये।

प्र02. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए?

प्र03. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अध्यापक शिक्षा में योगदान का वर्णन कीजिये?

प्र04. अध्यापक शिक्षा के विकास में राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिये।

इकाई 14 अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य (Nature and Aims of Research)

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

14.2 उद्देश्य (Objectives)

14.3 अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य (Nature and Aims of Research)

14.3.1 अनुसन्धान का अर्थ (Meaning of Research)

14.3.2 अनुसन्धान: ज्ञान की साधना (Quest for Knowledge: Research)

14.3.3 अनुसन्धान का स्वरूप (Nature of research)

14.4 अनुसन्धान की प्रकृति (Nature of Research)

14.5 अनुसन्धान के प्रमुख लक्ष्य (Aims of Research)

14.6 सारांश (Summary)

14.7 शब्दावली (Glossary)

14.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)

14.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference Books)

14.10 सहायक उपयोगी पाठ्यसामग्री (Useful Books)

14.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

14.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा में अनुसन्धान से सम्बन्धित यह पन्द्रहवीं इकाई है। इससे पहले की इकाइयों के अध्ययन के बाद आप बता सकते हैं कि अनुसन्धान क्या है? विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों ने अनुसन्धान का स्वरूप प्रस्तुत किया है। मानव जीवन में अनुसन्धान का क्या स्थान है? सम्पूर्ण अनुसन्धान (Research) शब्द की एक निश्चित परिभाषा निकालने के लिए विद्वानों ने महत्वपूर्ण परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। अनुसन्धान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण अन्य प्रमुख तत्व है। अनुसन्धान की प्रकृति के सम्बन्ध में इस अध्याय के शुरू में किये गए विश्लेषण एवं अन्य विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसन्धान एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों व उसका विकास अथवा किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि की जाती है। प्रस्तुत इकाई में विस्तार से अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्यों का विश्लेषण प्रस्तुत है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप अनुसन्धान के अर्थ, प्रकृति एवं लक्ष्य को समझ सकेंगे तथा अनुसन्धान के सम्बन्ध में विश्लेषण कर सकेंगे।

14.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप निम्न उद्देश्यों को भली भांति समझ सकेंगे।

1. अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्यों का वर्णन।
2. अनुसन्धान: ज्ञान की साधना के रूप में।
3. अनुसन्धान की सामान्य प्रकृति की विवेचना।
4. अनुसन्धान के प्रमुख लक्ष्यों का वर्णन।

14.3 अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य (Nature and Aims of Research)

हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह तथ्यों के आधार पर प्राप्त हुआ है सत्य (Truth) तथ्यों में निहित है। तथ्यों का अवलोकन (Observation of facts), तथ्यान्वेषण तथा तथ्यों की मीमांसा आदि सब ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। ज्ञान की साधना वस्तुतः तथ्यों के साथ जुड़ना है। ज्ञान के समान संसार में पवित्र कुछ भी नहीं है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अनुसन्धान कार्य करने का तात्पर्य तथ्यों को प्रकाश में लाना है। तथ्य प्रकाश में आते हैं तो ज्ञान की ज्योति जगजगमाती है। ज्ञान का अर्जन

और विस्तार कोई स्वचालित व शाश्वत प्रक्रिया नहीं है। बल्कि इसके लिए विद्वान व उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा नियोजित सतत प्रयासों की आवश्यकता है। विद्यमान ज्ञान का स्तर मनुष्य द्वारा सदियों से अपनाई गई अनेक विधियों से प्राप्त उपलब्धियों का परिणाम है।

अनुसन्धान (Research) कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर गम्भीर और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान अनुसन्धान की वस्तु है। समस्त ज्ञान विश्लेष्य है। अज्ञात को ज्ञात बनाना तथा ज्ञात को पुनर्विवेचन द्वारा स्पष्ट तथा व्यवस्थित करना अनुसन्धान कार्य है। ज्ञान-विज्ञान की समस्त सूक्ष्मताएं अनुसन्धान योग्य हैं प्राकृतिक जगत में अव्यवस्थित रूप से बिखरे तथ्यों को व्यवस्थित तथा नियमित करना तथा संगृहीत तथ्यों को विश्लेषित करके उनमें निहित सत्य को स्पष्ट करना अनुसन्धान कहलाता है।

अनुसन्धान के अंग्रेजी में रिसर्च (Research) कहा जाता है। रिसर्च में 'रि' शब्दांश आवृत्ति और गहनता का द्योतक है, जबकि 'सर्च' (Search) शब्दांश खोज का समानार्थी है। इस प्रकार 'रिसर्च' का अर्थ हुआ प्रदत्तों की/अवृत्यात्मक और गहन खोज/दूसरे शब्दों में, प्रदत्तों की तह में बैठकर कुछ निष्कर्ष निकालना, नये सिद्धान्तों की खोज करना और उन प्रदत्तों का स्पष्टीकरण करना 'रिसर्च' की प्रक्रिया के अन्तर्गत है।

सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान-कोष के अनुसार (*According to Encyclopedia of social sciences*) - “अनुसन्धान वस्तुओं प्रत्ययों तथा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में।”

डॉ० एन० वर्मा के अनुसार, (*According to Dr. N. Verma*)- “अनुसन्धान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नये ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रान्त धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान-कोष में वृद्धि करती है”

पी. एम. कुक के अनुसार, (*According to P.M. Cook*)- “किसी समस्या के सन्दर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसन्धान है।”

सी.सी. क्रॉफोर्ड के अनुसार, (*According to C.C Craford*) – “अनुसन्धान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिन्तन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है।”

डब्ल्यू. एस. मुनरो के अनुसार, (*According to S. Munro*)- “अनुसन्धान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है।

अनुसन्धान के लिए तथ्य, लोगों के कथन, ऐतिहासिक, तथ्य लेख अथवा अभिलेख परखों से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोग से प्राप्त सामग्री हो सकती है। अनुसन्धान और शोधन उस प्रक्रिया या कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि से उनका अवलोकन विश्लेषण करके नये तथ्यों या सिद्धान्तों का उद्घाटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में पहले अज्ञात अवस्तुओं तथ्यों या सिद्धान्तों के आविष्कार की बोधकपूर्वक क्रिया ही अनुसन्धान है। खोज के लिए आधार रूप में प्रयुक्त सिद्धान्त कार्य की प्रणालियां और दृष्टियां भिन्न-भिन्न हो सकती है। पर सब में एक अनिवार्य लक्ष्य होता है कि ज्ञान क्षेत्र को अधिक विस्तार देने वाले किसी नये लक्ष्य या सत्य का उद्घाटन हो।”

ड्रेवर (1952) के अनुसार (According to Drever)- “अनुसन्धान का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किये गये व्यवस्थित अनुसन्धान से है।”

करलिंगर (1964,1983) के अनुसार (According to Karlinger)- “वैज्ञानिक अनुसन्धान एक ऐसा व्यवस्थित नियंत्रित अनुभवजन्य तथा सूक्ष्म अन्वेषण है जिससे प्राकृतिक घटनाओं में विद्यमान अनुमानित सम्बन्धों का अध्ययन परिकल्पना तर्क वाक्यों के द्वारा किया जाता है।”

पी. वी. यंग (1966) के अनुसार (According to P.V. Yung)- “अनुसन्धान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा उन अनुक्रमों पारस्परिक सम्बन्धों करणात्मक, व्याख्यानों तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जोकि नियंत्रित करते है।”

एडवार्ड (1969) के अनुसार (According to Edward)- “अनुसन्धान किसी प्रश्न अथवा समस्या अथवा प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजने हेतु किया जाता है।”

जहोदा एवं अन्य (1959) के अनुसार (According to Jahoda and others)- “अनुसन्धान उत्तर खोजने के लिए उन्मुख है यह उत्तर प्राप्त भी कर सकता है और नहीं भी।”

सम्पूर्ण अनुसन्धान के अंग (Parts of whole research):

किसी सम्पूर्ण अनुसन्धान या शोध के मुख्यतः चार अंग होते हैं।

1. ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा।
2. प्रासंगिक तथ्यों का संकलन
3. विवेकपूर्ण विश्लेषण और अध्ययन
4. परिणामस्वरूप निर्णय

मानव जीवन में अनुसन्धान का स्थान (Place of Research in Human Life)

मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं को हम अनुभव करते हैं उन सबका आधार अनुसन्धान है। प्रत्येक अनुसन्धान से मानव की उन्नति होती है। शोध की क्रिया विविधियों में अधिक औपचारिकता, अनुशासन और आयोजन होते हैं। प्रकृति के नैसर्गिक नियमों से तथा अन्य जीव जन्तुओं के जीवन से भिन्न स्वनिर्मित और स्वसंचालित जो जीवन मनुष्य को प्राप्त हुआ वह उसके अनुसन्धान का ही परिणाम है।

वेस्ट जॉन डब्ल्यू (1959) के अनुसार, (According to West John, W) 'हमारी सांस्कृतिक उन्नति का रहस्य अनुसन्धान में निहित है। अनुसन्धान नये सत्यों के अन्वेषण द्वारा अज्ञान के क्षेत्रों नये सत्यों के अन्वेषण द्वारा अज्ञान के क्षेत्रों की लुप्त कर देता है, और वे सत्य हमें कार्य करने की उत्कृष्ट विधियाँ और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। आज के जीवन के आन्तरिक और बाहरी पक्ष अनुसन्धान के द्वारा ही विकसित हो रहे हैं।

अनुसन्धान का उपयोग (Uses of Research)

भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के अनुसन्धान के उपयोग रूप और भाषा में भिन्न होते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप में लक्षित और प्रमाणित हैं तो अनेक परोक्ष और अदृश्य भी होते हैं। किसी भौतिक वस्तु के निर्माण में परिणत होने वाले वैज्ञानिक शोध का उपयोग स्पष्ट और सहज मान्य है। पर किसी प्राचीन कलात्मक कृति के काल निर्णय के लिए या भाषा के प्रचलित कुछ शब्दों के पूर्वरूपों के निर्णय के लिए या कुछ पुरातत्व वस्तुएं खोद निकालकर किसी ऐतिहासिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए जो शोध किये जाते हैं, उनका उपयोग इतना प्रत्यक्ष और तुरन्त अनुभव गम्य नहीं है, फिर भी ऐसे शोधों का महत्व कम नहीं होता। अनुसन्धान कार्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर, गम्भीर और महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है जिल्दबंदी के बाद शोध प्रबन्ध मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ परीक्षकों के पास भेजे जाते हैं। स्वीकृत हो जाने पर शोधार्थी के कार्य पर न केवल उसे उच्च उपाधि से सम्मानित किया जाता है, बल्कि उसके प्रबन्ध को पुस्तकालय में सार्वजनिक ज्ञान के उच्चतम वर्ग के अन्तर्गत रखा जाता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए यह प्रबन्ध सही या गलत मार्गदर्शन की सम्भावना और क्षमता से सम्पन्न माना जाता है।

अनुसन्धान का मूल आधार मस्तिष्क की वह प्रक्रिया है, जिसे चिन्तन कहते हैं। अनुसन्धान के आरम्भ से लेकर अन्त तक जितने क्रियाकलाप होते हैं, उनकी दिशा और रूप निर्दिष्ट करने वाली प्रवृत्ति चिन्तन ही है। अनुसन्धान अपने मौलिक रूप में मानव प्रकृति का अंश है, जिसका विकास एवं परिष्कार करने से एक संस्कार सा बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सामान्य मनुष्य में जो अन्वेषण वृत्ति और समस्याओं को हल करने की आकांक्षा से उत्पन्न मानसिक सक्रियता होती है,

वह निरन्तर शिक्षण और अभ्यास के द्वारा प्रकृति और मानव जीवन के निगूढ़ रहस्यों तथा गम्भीर रहस्यों और गम्भीर सत्यों की खोज के तीव्र प्रयत्न में परिणत होती है।

14.3.1 अनुसन्धान का अर्थ (Meaning of Research)

अनुसन्धान शब्द का प्रयोग अब ज्ञान की प्रत्येक शाखा के गहन अध्ययन के निमित्त होने लगा है। अनुसन्धान की प्रकृति के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले दो अन्य शब्दों को भी देख लेना उचित होगा। वे शब्द हैं 'शोध' और 'गवेषणा'। 'शोध' 'Sodh' शब्द एक प्रकार की शुद्धि संस्कार या संशोधन का अर्थ देता है। शोध संस्कार अनेक बौद्धिक और मानसिक गुणों का समुच्चय है, जो शोध के प्रेरक होते हैं। आगमनात्मक शोध के अग्रगामी फ्रांसिस बेकन (Francis Bacon) ने अपने भविष्य निर्माण के चिन्तन के प्रसंग में जो आत्मनिरीक्षा की बात कही है, उससे शोध संस्कार के मुख्य तत्वों का सामान्य ज्ञान होगा। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि प्रदत्तों के विश्लेषण सारणीयन और कुछ-कुछ स्पष्टीकरण के लिए 'शोध' शब्द का प्रयोग कर तो सकते हैं किन्तु इससे व्यापक निष्कर्षों तक पहुंचने की प्रक्रिया का आभास नहीं मिलता है। 'गवेषणा' शब्द भी विचारणीय है। प्रारम्भ में भारत में संस्कृति बनो और पर्वतों की उपत्यकाओं में फलफूल रही थी। पशु-पालन आर्यों का एक मुख्य व्यवसाय था। गोचारना बालकों और प्रौढ़ों की एक प्रमुख क्रिया थी। वन में गाये बहुत दूर-दूर तक चरने चली जाती थी और संध्या समय उन गायों को घर लाने के लिए उनकी व्यापक खोज होती थी। इस क्रिया को प्राचीय साहित्य में 'गवेषणा' नाम से पुकारा गया। वर्तमान सन्दर्भ में, हम 'गवेषणा' शब्द का प्रयोग किसी वस्तु पदार्थ या किसी नितान्त नवीन तथ्य की खोज के लिए कर तो सकते हैं किन्तु विचारों के क्षेत्र में नयी उदभावनाएं नयी कल्पनाएं एवं सामान्यीकरण की नयी प्रक्रियाएं गवेषणा शब्द से ठीक से प्रकट नहीं हो पाती। समस्याओं के निराकरण में वैज्ञानिक विधि के अपनाने का नाम अनुसन्धान है।

अनुसन्धान (Research) शब्द का प्रयोग किसी संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जा सकता है। यह उस क्रिया तथा सक्रिया का द्योतक है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण और अनेक आधारों पर व्यापक निष्कर्ष निकालना सम्मिलित है, घटनाओं सम्बन्धी उद्देश्यपरक प्रश्नों के वैज्ञानिक रीति द्वारा विधिवत हल ढूंढने के प्रयासों को अनुसन्धान कहा जाता है। अनुसन्धान प्रक्रिया में गवेषणा और शोध की उप प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं। इस शब्द की प्रकृति के अनुसार पूछताछ जांच गहन निरीक्षण, व्यापक परीक्षण योजनाबद्ध अध्ययन, सोदृश्य एवं तत्परता युक्त सामान्य निर्धारण आदि की प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं।

14.3.2 अनुसन्धान: ज्ञान की साधना (Quest for Knowledge: Research)

ज्ञान की कोई भी शाखा हो उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार के तथ्यों से है। वैसे तो ज्ञान अखण्ड है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, फिर भी आज ज्ञान की अपने शाखाएं ही नहीं प्रशाखाएं तथा उप-शाखाएं भी हो गई हैं। अतः तथ्यावलोकन, तथ्यान्वेषण या तथ्यांे की मीमांसा

ज्ञान के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग स्वरूप के होंगे। अनुसन्धान में अनुसन्धान कार्य पर विचार करते समय तथ्यों की पहचान तथ्यों की जांच तथा तथ्यों की मीमांसा का अध्ययन आवश्यक है। अनुसन्धान कार्य वस्तुतः तथ्यों से बाहर नहीं है।

क) तथ्यों की पहचान (Identification of facts)

भौतिक तथ्यों की पहचान सरल है इस सरल अर्थ में कि तथ्यों की पहचान ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर हो जाती है। इस तुलना में सामाजिक तथ्यों की पहचान मुश्किल है। साहित्य का अध्ययन करते समय साहित्य में तथ्यों की पहचान करना और भी कठिन है। ज्ञान की मानवीय शाखाओं में तथ्यावलोकन (Facts observation) के लिए यह आवश्यक है कि जो कुछ घटित होता है उसका प्रेक्षण किया जाए। सामाजिक तथ्यों पर उसी तरह विचार किया जाना चाहिए जिस प्रकार वस्तुओं पर विचार किया जाता है।

ख) तथ्यों की जांच (Inquiry of facts)

जो है, वह तथ्य है। जो नहीं है, वह तथ्य नहीं है। जो है, उसकी सार्थकता पर विचार करना, तथ्यों की जांच करना है। तथ्यों की सार्थकता पर विचार करने के लिए उपलब्ध ज्ञान सहायक होता है। ज्ञान की सीमा का विस्तार होता है, तो वह नये तथ्यों के कारण होता है। नये का अर्थ, जो उपलब्ध ज्ञान की सीमा से बाहर है वे तथ्य/अनुसन्धानकर्ता तथ्यों की जांच करता है। वह तथ्यों को स्वीकार करता है, उसे क्रम देता है, उसका स्वरूप पहचानता है, उसमें उसे कोई नई बात दिखलाई देती है, तो उसे पूर्वानुभव ज्ञान के आधार पर उसे नवीनता के अलग पहचानने का प्रयास करता है। तथ्यों की जांच में सापेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार करना चाहिए।

ग) तथ्यों की मीमांसा (Investigation of facts)

किसी भी अनुसन्धान कार्य का महत्वपूर्ण भाग तथ्यों की मीमांसा है। मीमांसा वस्तुतः तथ्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तथ्यों की मीमांसा में बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि वस्तुतः ज्ञान न होकर, ज्ञान का उपयोग है। सत्य तथ्य से बाहर नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञान का उपयोग करना जानते हैं। शोध की मौलिकता तथ्यों की मीमांसा के आधार पर पहचानी जा सकती है।

घ) ज्ञान की साधना (Quest for Knowledge)

ज्ञान की सबसे उच्च शाखा दर्शन है। ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं वे सभी उच्च धरातल पर दर्शन से सम्बन्ध रखती हैं। सत्य की उपलब्धि ज्ञान की साधना का प्रयोजन है। वैज्ञानिक ज्ञान (Scientific Knowledge) तथ्यों पर आधारित होता है और यहां अनुभवात्मक ज्ञान है।

अनुसन्धान में व्यापारीकरण, नियमों या सिद्धान्तों (Generalization, Laws or Principles) के विकास पर बल होता है जिससे भविष्य में आने वाले घटनाओं की प्रागुक्ति हो सके। वह किसी विशेष वस्तु समूह या स्थिति को परख से आगे जाकर, प्रेक्षित प्रतिदर्श के आधार पर लक्षित समष्टि की विशिष्टियां प्रस्तुत करता है। अनुसन्धान केवल सूचनाओं की पुनः प्राप्ति या संग्रहण नहीं होता। यद्यपि बहुत से विभागों या विद्यालयों में वह ऐसी सूचनाओं व आंकड़ों का संकलन मात्र है जिनसे कुछ निर्णय लेने में सुविधा हो पर उसे वास्तविक अनुसन्धान की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

14.3.3 अनुसन्धान का स्वरूप (Nature of research)

अनुसन्धान का स्वरूप निम्नलिखित अवधारणों से अनुशासित रहता है

1. अनुसन्धान की प्रकृति
2. अनुसन्धान का क्षेत्र
3. अनुसन्धान के तत्व

1) अनुसन्धान की प्रकृति (Nature of research)

अनुसन्धान की प्रकृति का अर्थ है अनुसन्धान विज्ञान है अथवा कला। उपर अनुसन्धान शैली के विवेचन में हमने शोध की तथ्यों का परिशोधन माना है। वास्तव में कलात्मक, अभिव्यक्ति का परिशोधन माना है। वास्तव में कलात्मक अभिव्यक्ति तथा वैज्ञानिक विवेचन दोनों भिन्न-भिन्न हैं। अनुसन्धान की विशेषता है कि इसमें धैर्यपूर्वक बिना जल्दबाजी कार्य किया जाए। इसमें चमत्कारिक परिणाम तो बिरले ही मिलते हैं। अनुसन्धान को अपने प्रश्नों के हल ढूँढने में निराशा और निराशा के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुसन्धान एक उद्देश्य सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया (Intellectual Process) है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है।

शोध का आकार (Size of Research) : शोध के आकार नियमन विषय निर्वाचन की प्रकृति तथा प्रकार्यता पर निर्भर है। शोध की प्रक्रिया-शोध प्रक्रिया शोध के स्वरूप को निर्धारित करती है। जिसमें अन्वेषक, निर्देशक, तथ्य एवं परीक्षक सम्मिलित हैं।

2) अनुसन्धान का क्षेत्र (Scope of research)

अनुसन्धान का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है जितना ज्ञान का क्षेत्र ज्ञान की सभी रूप शोध क्षेत्र में आते हैं प्राकृतिक विज्ञान तथा समस्त मानव विज्ञान अनुसन्धान क्षेत्र के विषय हैं। ज्ञान-विज्ञान की समस्त सूक्ष्मताएं शोध योग्य हैं। अनुसन्धान व क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा वर्तमान

ज्ञान का परिमार्जन उसका विकास अथवा किसी नये तथ्य की खोज द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि की जाती है। शोध क्षेत्र से प्रभावित होने वाले निम्नलिखित रूप हैं। क) शोधार्थी (Researcher), ख) शोध-निर्देशक (Supervisor), ग) शोध-संस्थान (Research Centre), घ) शोध-सामग्री (Research Material), ङ) विषय निर्वाचन

3) अनुसन्धान के तत्व (Elements of Research)

अनुसन्धान क्या है? (What is Research?) अनुसन्धान के कौन-कौन से तत्व हैं अथवा क्या विशेषताएं हैं? यह अनुसन्धान का महत्वपूर्ण विवेच्य है। प्राकृतिक जगत में अव्यवस्थित रूप से बिखरे हुए तथ्यों को व्यवस्थित तथा नियमित करना तथा संगहित तथ्यों को विश्लेषित (Analysis of facts) करके उनमें निहित सत्य को स्पष्ट करना, अनुसन्धान कहलाता है।

15.4 अनुसन्धान की प्रकृति (Nature of Research)

अनुसन्धान एक उद्देश्य सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अनुसन्धान के द्वारा या तो किसी नये तथ्य, सिद्धान्त, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथ्य सिद्धान्त, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आंकड़ों पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं। तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं। अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आंकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है, क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसन्धान कार्य के लिए वैज्ञानिक अभिकल्पों (Scientific Designs) का प्रयोग किया जाता है। अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत (Primary and Secondary Sources) से प्राप्त आंकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अनुसन्धान एक अनौखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश एवं प्रसार के लिए सुव्यवस्थित प्रयास होता है। अनुसन्धान में जटिल घटनाक्रम को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। सभी अनुसन्धानों में अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाता है।

अनुसन्धान की प्रकृति : विश्लेषण (Nature of Research : Analysis)

(1) सामाजिक अनुसन्धान (Social Research) सामाजिक सम्बन्धों और घटनाओं की व्याख्या करता है-सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत मानव-व्यवहार का अध्ययन समाज के सदस्य के रूप में किया जाता है। एक समाज में रहते हुए व्यक्ति का व्यवहार किन परिस्थितियों में कैसा और क्यों होता

है? उसकी अनुभूतियाँ, प्रतिक्रियाएँ तथा अभिवृत्तियाँ विभिन्न परिस्थितियों के प्रति कब, कैसी और क्यों होती है? इनका वैज्ञानिक अध्ययन सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत होता है।

(2) सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक सम्बन्धों (Social Relations) के बारे में नये तथ्यों की खोज करता है- वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली (Scientific Research -system) का लक्ष्य ही किसी घटना के सम्बन्ध से नये तथ्य, नये सम्बन्ध और नये नियमों की खोज करना होता है। सामाजिक अनुसन्धान सामाजिक व्यवस्था, संगठन तथा सम्बन्धों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नये नियमों की खोज कर उनके नये स्पष्टीकरण देने का प्रयास करता है।

(3) सामाजिक अनुसन्धान प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है- नये सिद्धान्तों एवं नियमों की खोज के साथ सामाजिक अनुसन्धान के अन्तर्गत प्राचीन नियमों का सत्यापन भी होता रहा है। सम्भव है कि जिन परिस्थितियों में निश्चित नियम स्थिर किये गये थे, समय के परिवर्तन एवं विकास के कारण उनमें परिवर्तन आ गया हो अथवा आविष्कार की नयी विधियों के कारण उनका अधिक अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता हो, इस उद्देश्य के साथ सत्यापन की क्रिया भी चलती रहती है।

(4) सामाजिक अनुसन्धान कार्य-कारण सम्बन्धों की खोज करता है- विभिन्न सामाजिक घटनाएँ असम्बद्ध रूप से नहीं होती अपितु उनमें निकटस्थ अथवा दूरगामी कार्य-कारण सम्बन्ध होता है। ऊपर के देखने से चाहे वे घटनाएँ परस्पर असम्बद्ध दिखायी पड़ती हो, किन्तु गहराई से विप्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कार्य-कारण सम्बन्धों की कड़ी से जुड़ी होती है। सामाजिक अनुसन्धान इन कार्य-कारण सम्बन्धों की व्याख्या कर मानव-सम्बन्धों के विकास हेतु मार्ग-दर्शन करता है।

(5) सामाजिक अनुसन्धान वैज्ञानिक अनुसन्धान-प्रणाली का उपयोग करता है- सामाजिक अनुसन्धान की प्रणाली नित्य-प्रति विकसित होती जा रही है। इसमें विष्वसनीय और वस्तुनिष्ठ उपकरणों का उपयोग कर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालने, उनके सत्यापन करने और उनके आधार पर मानव-सम्बन्धों के बारे में भविष्य-कथन करने का प्रयास होता है। इस प्रकार यह एक वैज्ञानिक प्रणाली है।

(6) सामाजिक अनुसन्धान में सांख्यिकीय विप्लेषण होता है- सामाजिक अनुसन्धान में आँकड़ों के सारणीय एवं विप्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों को प्रयोग किया जाता है, जिससे अनुसन्धानकर्ता अधिक विश्वास के साथ अपनी बात कहने में समर्थ होता है।

सामाजिक अनुसन्धान के उद्देश्य (Aims of social research)

श्रीमती यंग के अनुसार, सामाजिक अनुसन्धान के दो मूल उद्देश्य हैं:

(1) सामाजिक सम्बन्धों एवं घटनाओं के सम्बन्ध में नवीन तथ्यों की खोज करना।

(2) इस क्षेत्र में प्राप्त पुराने तथ्यों का सत्यापन करना।

इन उद्देश्यों के दो अन्य प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं-

(1) सैद्धान्तिक एवं (2) व्यावहारिक

सैद्धान्तिक दृष्टि से सामाजिक अनुसन्धान का उद्देश्य ज्ञान-क्षेत्र में वृद्धि करना है। ज्ञान-वृद्धि के सम्बन्ध में मानव-जिज्ञासा की सन्तुष्टि ही समस्त अनुसन्धान का आधार है। अतः सामाजिक अनुसन्धान का प्रथम उद्देश्य मानव-समाज और उसका समस्याओं तथा कार्यप्रणाली के बारे में निश्चित सिद्धान्तों की खोज करना है।

सामाजिक अनुसन्धान (Social Research) का दूसरा लक्ष्य उसके व्यावहारिक पक्ष का स्पष्ट करता है। वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य किसी घटना के कारणों का अध्ययन करना तथा उस पर सम्भावित नियन्त्रण करना है। मानव-समाज हत्या, आत्महत्या, चोरी, राहजनी, पारस्परिक घृणा-द्वेष आदि अनेक बुराइयों में लिप्त है। इन बुराइयों की जड़ों में अनेक सामाजिक कारण हैं। इन कारणों की परख, उनके प्रति लोगों में जानकारी पैदा करना और उनके नियन्त्रण के सम्बन्ध में सुझाव देना सामाजिक अनुसन्धान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

अनुसन्धान की सामान्य प्रकृति (*General Nature of Research*)

1. अनुसन्धान एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धान्तिक अथवा व्यावहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है।

2. अनुसन्धान के द्वारा या तो किसी नये तथ्य सिद्धान्त, विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथ्य, सिद्धान्त विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है।

3. अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया (Objective Process) है। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वास्तविक आँकड़ों पर आधारित एवं तर्कपूर्ण होते हैं तथा व्यक्तिगत पक्षपात से मुक्त होते हैं।

4. अनुसन्धान चिन्तन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है। जिसके अन्तर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है।

5. अनुसन्धान की प्रक्रिया में प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्रोत से प्राप्त आँकड़ों से नये ज्ञान को प्राप्त किया जाता है।

6. इसके अन्तर्गत जटिल घटनाक्रम का समझने के लिए विश्लेषण-विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है।

7. जहाँ तक सम्भव हो, अनुसन्धान की प्रक्रिया में आँकड़ों के विप्लेषण से परिणामक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि जहाँ तक सम्भव हो, आँकड़ों के विप्लेषण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है।

8. अनुसन्धान द्वारा प्राप्त ज्ञान सत्यापित किया जा सकता है क्योंकि इसके अन्तर्गत किया गया निरीक्षण नियन्त्रित एवं वस्तुनिष्ठ होता है।

9. अनुसन्धान एक अनौखी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के प्रकाश एवं प्रसार के लिए सुव्यवस्थित होता है।

10. अनुसन्धान की प्रक्रिया गहन एवं वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें तथ्यों का अध्ययन सूझ के साथ किया जाता है।

11. अनुसन्धान प्रक्रिया परावर्तित चिन्तन पर निर्भर होती है। अनुसन्धान के निष्कर्षों की आन्तरिक तथा बाह्य वैधता होती है।

12. शोध निष्कर्षों की पुष्टि की जा सकती है।

13. अनुसन्धान के निष्कर्षों से नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है।

14. शोध निष्कर्षों से नये सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रतिपादन होता है।

15. अनुसन्धान कार्य के लिए वैधानिक अभिकल्पों का प्रयोग किया जाता है।

16. आँकड़ों को प्राप्त करने के लिए विष्वसनीय एवं वैध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है।

17. सभी अनुसन्धानों में अभिलेखन एवं प्रतिवेदन सावधानी से किया जाता है।

अनुसन्धान के पद (Steps of research)

अनुसन्धान एक क्रमिक प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुसन्धान को कुछ विषिष्ट पदों में अथवा क्रमानुसार किया जाता है। समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया कई क्रियाओं का मिश्रण है। ये क्रियाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। परन्तु इन क्रियाओं का क्रम कभी-कभी बिगड़ भी जाता है। अनुसन्धान-प्रक्रिया में निहित इन क्रियाओं का निम्नलिखित पदों के रूप में पाया जाता है।

1. समस्या के रूप में अनुसन्धानकर्ता द्वारा अध्ययन में उद्देश्य का वर्णन।
2. अनुसन्धान के अध्ययन-प्राकल्पना का वर्णन।
3. प्रदत्त-संकलन की विधि का वर्णन।

4. अनुसन्धान के परिणामों का प्रस्तुत करना
5. इन परिणामों का सार्थक करना एवं उचित निष्कर्ष निकालना

डेविड जे. फॉक्स (Devid J. Fox) ने अनुसन्धान की योजना के निम्नलिखित सत्रह पद दिये हैं जो अधिक विस्तृत तर्कसंगत हैं-

भाग 1. अनुसन्धान की योजना (Plan of research)

- पद 1. प्रारम्भिक विचार अथवा आवश्यकता एवं समस्या का क्षेत्र
- पद 2. साहित्य का प्रारम्भिक सर्वेक्षण।
- पद 3. विषिष्ट अनुसन्धान की समस्या का निष्चय।
- पद 4. अनुसन्धान-कार्य की सफलता का पूर्वानुमान।
- पद 5. सम्बन्धित साहित्य का द्वितीय सर्वेक्षण।
- पद 6. अनुसन्धान की प्रक्रिया का चयन।
- पद 7. अनुसन्धान की परिकल्पना का निर्माण।
- पद 8. आँकड़े प्राप्त करने की विधियों का निष्चय।
- पद 9. आँकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरणों का चुनाव अथवा निर्माण।
- पद 10. आँकड़ों के विप्लेषण की योजना तैयार करना।
- पद 11. आँकड़ों को एकत्रित करने की योजना बनाना।
- पद 12. जनसंख्या तथा न्यादर्श करना।
- पद 13. एक छोटे समूह पर पूर्व-अध्ययन एवं कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना।

भाग 2: अनुसन्धान-योजना का क्रियान्वयन

- पद 14. आँकड़ों का संग्रह करना।
- पद 15. आँकड़ों का विप्लेषण करना।
- पद 16. अनुसन्धान का प्रतिवेदन तैयार करना।

भाग 3: प्राप्त निष्कर्ष का उपयोग

पद 17. प्राप्त निष्कर्षों का प्रचार तथा क्रियान्वित करने पर बल देना।

वस्तुतः सभी अनुसन्धानों में इन पदों का पालन होता है एवं समस्त अनुसन्धान प्रक्रिया इन पदों द्वारा पूरी हो जाती है।

अनुसन्धान के प्रकार (Types of research)

किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो मुख्य कारण होते हैं। (1) बौद्धिक तथा (2) व्यावहारिक।

बौद्धिक कारण का सम्बन्ध मनुष्य की जिज्ञासा प्रवृत्ति तथा ज्ञानार्जन से प्राप्त सन्तुष्टि की भावना से है।

व्यावहारिक कारण का सम्बन्ध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अन्य कार्यों का अधिक कुशलतापूर्वक कर सके।

उपर्युक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुसन्धानों को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है: (1) मूलभूत अनुसन्धान तथा (2) व्यवहृत अनुसन्धान।

15.5 अनुसन्धान के लक्ष्य (Aims of Research)

अनुसन्धान में किसी समस्या का वैज्ञानिक अन्वेषण सम्मिलित है। अन्वेषण की क्रिया इस बात की द्योतक है कि समस्या को अति निकट से देखा जाए। उसकी जाँच-पड़ताल की जाय और उसका ज्ञान प्राप्त किया जाये। अनुसन्धान की प्रक्रिया में वैज्ञानिक निरीक्षण (*Scientific Observation*) अन्य प्रमुख तत्व है। सामान्य रूप से निरीक्षण अनुसन्धान की परिधि से बाहर है। वैज्ञानिक निरीक्षण सदा क्रमबद्ध, सोद्देश्य एवं सुनियोजित होता है। अनुसन्धान की परिधि में ऐसा ही निरीक्षण आता है। केवल निरीक्षण तक ही अनुसन्धान सीमित नहीं है। इसमें अगला प्रमुख तत्व है समस्या का समाधान खोजना। यह समाधान अनुमादित न होकर अन्वेषण का परिणाम होता है। अनुसन्धान की समूची प्रक्रिया एक तार्किक प्रक्रिया है। तार्किक प्रक्रिया होने के नाते अनुसन्धान की प्रक्रिया में विषिष्टता और गहनता है। किन्तु यह तार्किक प्रक्रिया कोरे शिब्दक तर्कों पर आधारित न होकर प्रदत्तों की ठोस भूमि पर आधारित है।

अनुसन्धान के क्षेत्र में अग्रणी विश्वविद्यालयों एवं विषिष्ट संस्थानों के अनुसन्धान सम्बन्धी नियमों से अनुसन्धान की सीमा का एक प्रकार से अनुसन्धान में सफल व्यक्ति वह कहा जा सकता है जिसने-

- (1) किसी नये सत्य की खोज की हो,
- (2) पुराने सत्यों को नये ढंग से प्रस्तुत किया हो, अथवा
- (3) प्रदत्तों में व्याप्त नये सम्बन्धों का स्पष्टीकरण किया, हो।

इस दृष्टि से अनुसन्धान के क्षेत्र के अन्तर्गत केवल नये सत्यों एवं सिद्धांतों की खोज ही नहीं है, वरन् पुराने सत्यों एवं पुराने सिद्धांतों का नया कलेवर देना, पुराने नियमों को युगानुरूप नवीनता प्रदान करना, प्रदत्तों एवं तथ्यों का नये सिरे से स्पष्टीकरण करते हुए उनमें व्याप्त अन्तर्सम्बन्धों का विश्लेषण करना भी सम्मिलित है।

टर्नी तथा रोब के अनुसार (According to Turni and Rob) अनुसन्धान के लक्ष्य

- (1) भूत तथा वर्तमान की घटनाओं स्थिति ज्ञात करना
- (2) चुनी गई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रिया की विशेषताओं को ज्ञात करना।
- (3) कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना।
- (4) कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य-कारण सम्बन्ध को ज्ञात करना।

इस प्रकार 'अनुसन्धान' (Research) शब्द की एक निश्चित परिभाषा निकालने के लिये कुछ अन्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर विचार कर लेना चाहिए।

1. ज्ञान के विकास में सहायक:- अनुसंधान ज्ञान के किसी एक सूक्ष्म अंग का विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा ज्ञान कोष में वृद्धि एवं विकास होता है।

2. अनुसंधान उद्देश्य प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम-साधन प्रदान करता है - यह एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसकी समूची क्रिया उसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहती है। इसके अन्तर्गत अनर्गल बातों के लिए स्थान नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि हमें धर्म-निरपेक्ष नागरिक उत्पन्न करना है तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को भी धर्म-निरपेक्ष बनाना होगा। इसके लिए सुव्यवस्थित कार्यक्रम का निर्माण करना होगा। इसी प्रकार, अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मार्गदर्शन करना होगा।

3. मानव-समाज के मन्द गति परिवर्तन में नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करने वाला - मानव समाज परम्पराओं तथा रूढ़ियों की लीक सदियों तक पीटता रहता है। उसके प्रवाह की गति को मोड़ना सरल नहीं है। रेल के आविष्कार के बाद समाज में एक बड़ा परिवर्तन दिखायी पड़ा। इसी प्रकार, अनुसन्धान मानव-जीवन को गति देने एवं दिशा परिवर्तन में अत्यन्त सहायक होता है।

4.राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीय की भावना के विकास में सहायक - राष्ट्रीयता की भावना के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किन्तु शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल यही तक सीमित नहीं है कि हमारा देश अन्य सभी देशों से श्रेष्ठ है अपितु उनके 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भाव भी विकसित करना है। इसकी पूर्ति जागरूक प्रयास पर ही निर्भर है। अनुसंधान के अन्तर्गत लोक हितकारी भावनाओं का समन्वय होता है, इसी कारण अनुसंधान से राष्ट्रीयता की भावना को भी आघात नहीं पहुंचता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की कोमल पुष्पलतिका भी पुष्पित होती रहती है। इसी प्रकार विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी किया जा सकता है।

5.अनुसंधान जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के सरल उपाय देता है- उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरल साधनों को प्राप्त करना मानव स्वभाव है। इस मार्ग में अनुसन्धान मनोविज्ञान तथा शिक्षा एवं समाज विज्ञान सभी क्षेत्रों में सहायक होता है।

6.अनुसंधान सुधार में सहायक होता है-अनुसंधान रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसका पथ वैज्ञानिक होता है जिसमें इस प्रकार की भ्रान्तियों एवं अपुष्ट धारणाओं के लिए स्थान नहीं होता।

7.सत्य-ज्ञान (Truth Knowledge) के खोज की पिपासा शान्त करता है - अनुसन्धानकर्ता सदैव सत्य ज्ञान की खोज में व्यस्त रहता है। अतः अनुसंधान उसकी उत्सुकता को शांत एवं सत्य की खोज की पिपासा को सन्तुष्ट करता है।

8.प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करना है - अनुसंधान अनेक प्रशासनिक गुत्थियों को सुलझकर स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है।

9.अध्यापक के लिए प्राण -अध्यापक के लिए तो यह प्राण ही है: अनुसंधान उनकी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि अनुसन्धान शिक्षकों, छात्रों, अभिवावकों तथा प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों को स्वयं के ज्ञान, परस्पर एक-दूसरे के ज्ञान एवं मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक समस्याओं का सुनियोजित समाधान प्रस्तुत करने के कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

बोध प्रश्न टिप्पणी

क) अपने उत्तर को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए।

ख) अपने उत्तर को इकाई के अन्त में दिए उत्तर के साथ मिलाइये।

1. अनुसन्धान की प्रकृति क्या है?

2. अनुसन्धान के लक्ष्य क्या है?

बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Questions)

3. अनुसन्धान में चिन्तन प्रक्रिया होती है।

क) वैज्ञानिक चिन्तन ख) विकेन्द्रीय चिन्तन

ग) परावर्तित चिन्तन घ) उपरोक्त सभी

4. अनुसन्धान का कार्य है।

क) समस्या का समाधान ख) मौखिक प्रश्नों का उत्तर देना करना

ग) उपरोक्त दोनों ही घ) उपरोक्त कोई नहीं।

5. शिक्षा अनुसन्धान का उद्देश्य है

क) नए तथ्यों की खोज करना ख) सत्यों का प्रतिपादन करना

ग) सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना घ) उपरोक्त सभी

रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न (Fill in blanks Questions)

6. अनुसन्धान की प्रक्रिया से ----- वृद्धि की जाती है।

7. अनुसन्धान की प्रक्रिया से ----- की पुष्टि की जाती है।

8. शोध की प्रक्रिया को ---- चिन्तन ने दिया है।

9. अनुसन्धान की प्रक्रिया से समस्या समाधान तथा ज्ञान वृद्धि की जाती है।

सत्य/असत्य (True / False)

10. अनुसन्धान कार्यों के द्वारा चरों का सह-सम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता है।

सत्य/असत्य

14.6 सारांश (Conclusion)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके हैं कि अनुसन्धान एक प्रक्रिया है, जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो, ज्ञान वृद्धि की जाये, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे समाज के लिये सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। अनुसन्धान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी, एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है जिससे तथ्यों सिद्धान्तों तथा अर्थों की जानकारी की जाती है। अनुसन्धान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्राभाविक तथा पुष्टि योग्य होते हैं जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुसन्धान की प्रकृति एवं लक्ष्य नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अनुसन्धान एक ईमानदारी से की गई प्रक्रिया है। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है। अनुसन्धान के निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं।

14.7 शब्दावली Glossary

अनुसन्धान(Research): किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिसवत गवेषण करना होता है।

14.8 अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर Answer of Practice Question

1. अनुसन्धान एक तर्कपूर्ण तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। यह चिन्तन की एक सुव्यवस्थित एवं परिष्कृत विधि है जिसके अन्तर्गत किसी समस्या के समाधान के लिए विषिष्ट उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। अनुसन्धान द्वारा ज्ञान सथापित किया जा सकता है।

2. अनुसन्धान का प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा विषिष्ट प्रश्नों का उत्तर अथवा विषिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है।

3. (घ)

4. (ग)

5. (घ)

6. ज्ञान

7. परिकल्पनाओं

8. परावर्तित

9. सत्य

10. सत्य

14.9 सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची Reference Books

1. कौल, लोकेश (2008), शैक्षिक अनुसन्धान की कार्यप्रणाली, विकास प्रकाशन हाउस प्रा. लि. सेक्टर-4, नोएडा (यू.पी.) 201-301
2. राय, पारसनाथ, राय. सी. पी. (2012) शिक्षा अनुसन्धान परिचय, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा- 282002
3. डॉ. शर्मा, आर. ए. (2012) शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्व एवं शोध प्रक्रिया आर. लाल बुक डिपो, मेरठ - 250001
4. सिंहल, बैजनाथ (2008) शोध स्वरूप एवं मानक व्यावहारिक कार्य विधि वाणी प्रकाशन, दरियागंज नई-दिल्ली-110002
5. श्रीवस्तम राम जी, वानी आनन्द मनोविज्ञान शिक्षा तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में अनुसन्धान विधियाँ।
6. डॉ. शर्मा, आर. ए. (2011), अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, आर. लाल बुक डिपो, मेरठ-25000
7. गणेशन एस. एन. अनुसन्धान प्रविधि सिद्धान्त और प्रक्रिया राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लि.
8. पाण्डेय. के. पी. (1998) शैक्षिक अनुसन्धान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

14.10 सहायक उपयोगी सामग्री Useful Books

1. सिंहल बैजनाथ (2000) शोध स्वरूप एवं मानक व्यावहारिक कार्यविधि, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
2. निर्मला, सुरेशचन्द्रा, विश्वदेव (1978) अनुसन्धान प्रविधि, साराना प्रकाशन मन्दिर।
3. शर्मा, रामनाथ, शर्मा के. राजेन्द्र (2004) सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसन्धान की विधियाँ और प्रविधियाँ एटलांटिक प्रकाशन।
4. सिन्हा सावित्री (1954) अनुसन्धान का स्वरूप हिन्दी अनुसन्धान परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय, आत्मरामा द्वारा प्रकाशित।
5. विसारिया पुनीत (2007) शोध कैसे करो। एटलांटिक प्रकाशन।

6. हिन्दी अनुसन्धान का स्वरूप (1978) नैशनल प्रकाशन हाऊस

7. प्रसाद, श्यामानन्द (1981) अनुसन्धान और स्थापनाएँ आषुतोष प्रकाशन संस्थान।

14.11 निबंधात्मक प्रश्न Essay Types Question

1. अनुसन्धान की प्रकृति एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
 2. अनुसन्धान की प्रकृति बताइए तथा शोध का लक्ष्य बताइए।
 3. अनुसन्धान से क्या अभिप्राय है? अनुसन्धान के स्वरूप की विस्तृत में व्याख्या कीजिए।
 4. संक्षिप्त में नोट लिखिए।
- क) अनुसन्धान की प्रकृति
- ख) अनुसन्धान के लक्ष्य

इकाई 15 शैक्षिक अनुसंधान में प्राथमिकताएं (Priorities of Educational Research)

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

15.2 उद्देश्य (Objectives)

15.3 शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों और कैसे (Fixing Priorities of Educational Research: Why and How?)

15.3.1 शैक्षिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र एवं मुख्य प्राथमिकताएं (Scope and Priorities of Educational Research)

15.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के अवसर एवं संभावनाएं (Scope and Priorities of Educational Research)

15.4 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति (General Nature of Research Works undertaken in Teacher Education)

15.4.1 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताएं (Priorities of Research in Teacher Education):

15.5 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान में आने वाली मुख्य समस्याएं (Major Problems in Undertaking Research in Teacher Education)

15.6 सारांश (Summary)

15.7 शब्दावली (Glossary)

15.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question)

15.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference Books)

15.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful Books)

15.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Types Question)

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के दौरान आप शैक्षिक अनुसंधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह किसी भी राष्ट्र में शिक्षा के विकास एवं अंततः उस राष्ट्र के बहुआयामी विकास को सही दिशा प्रदान करता है। अतः यह और भी आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए। इसके अतिरिक्त आप इस तथ्य से भली-भांति परिचित हैं कि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापक शिक्षा या शिक्षकप्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अतः अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्यों का अत्यधिक महत्व है। इस इकाई के अध्ययन के दौरान आप शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं से अवगत होंगे। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की क्या संभावनाएं या अवसर हैं

तथा वर्तमान में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों का किस प्रकार का चलन विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आप अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं से परिचित होंगे।

इस ईकाई को पढ़ने के उपरांत आपसे यह आशा की जाती है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं को गहनता से समझ चुके होंगे और आप अपने कार्यक्षेत्र में अनुसंधान आधारित महत्वपूर्ण समस्याओं का चयन करने में सक्षम होंगे ताकि आप अपनी व्यवसायिक कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि कर सकें।

15.2 उद्देश्य (Objectives)

इस ईकाई के अध्ययन के उपरान्त आप निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे:-

1. शैक्षिक अनुसंधान में प्राथमिकताओं के निर्धारण की आवश्यकता का वर्णन करेंगे।
2. शैक्षिक अनुसंधान की मुख्य प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करेंगे।
3. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की संभावनाओं का उल्लेख करेंगे।
4. वर्तमान संदर्भ में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति की व्याख्या करेंगे।
5. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की मुख्य प्राथमिकताओं को व्याख्या सहित सूचीबद्ध करेंगे।
6. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं की पहचान करेंगे।

15.3 शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण: क्यों और कैसे? (Fixing Priorities of Educational Research: Why and How?)

अगर हम इतिहास के ऊपर एक नज़र दौड़ाएं, तो आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी सिद्धांतों, प्रत्ययों, विधियों, प्रतिमानों इत्यादि का प्रतिपादन हुआ है, उनकी अनुसंधान के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों या अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना आवश्यक है ताकि हमारे पास उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र की विभिन्न तकनीकी, सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में रखा जाए।

शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि वर्तमान में अनुसंधान अध्ययनों की अंधाधुंध स्तर पर पुनरावृत्ति हो रही है जिसके कारण अनुसंधान कार्यों की वैधता, विश्वसनीयता तथा वस्तुनिष्ठता पर लगातार प्रश्नचिह्न उठते रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि अनुसंधान कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से एकीकरण किया जाए ताकि अनुसंधान गतिविधियां एक उचित ढंग से नियोजित की जा सकें। इसके लिए शैक्षिक अनुसंधान कार्यों में प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना, वर्तमान समय की मांग बन चुका है।

लगातार सशक्त हो रहे लोकतन्त्र में यह ओर भी आवश्यक हो जाता है कि जनसाधारण की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को वरीयता के आधार पर हल किया जाए ताकि राष्ट्रीय विकास के विभिन्न घटकों में विकास को गति प्रदान की जा सके। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है।

शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्रों की विभिन्न प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय हमें निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए।

1. हमारे साधन और स्रोत सीमित हैं तथा समस्याएं बहुत अधिक हैं। अतः आवश्यकता के आधार पर अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए।
2. शिक्षा के क्षेत्र में व्यय को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि तत्कालीन महत्व एवं उपयोगिता वाली समस्याओं को अनुसंधान हेतु प्राथमिकता दी जाए।
3. अनुसंधान के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय हमें हमारे प्रजातांत्रिक राष्ट्र की आवश्यकताओं और समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए।
4. आधुनिक समय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।
5. एक राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत स्तर से नियोजन किया जाए जिसमें शैक्षिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अतः शैक्षिक नियोजन के लिए अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है।

15.3.1 शैक्षिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र एवं मुख्य प्राथमिकताएं (Scope and Priorities of Educational Research)

हम शैक्षिक अनुसंधान को अग्रवर्णित मुख्य कार्यक्षेत्रों में आसानी से समझ सकते हैं।

1. शिक्षा मनोविज्ञान (Educational Psychology)

एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक के लिए छात्रों की मानसिक विशेषताओं, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है ताकि वह अपनी शिक्षण विधियों या प्रविधियों में सकारात्मक बदलाव ला सके।

2. शिक्षा दर्शनशास्त्र (Educational Philosophy)

शिक्षा के सिद्धांतों, प्रतिमानों का विकास करना, शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। यह विषय क्षेत्र भी अनुसंधान कार्यों के लिए बहुत अधिक अवसर प्रदान करता है। अनुशासनहीनता, छात्रों में असंतोष, हड़ताल, अवज्ञा इत्यादि शैक्षिक समस्याओं का दार्शनिक आधार पर विश्लेषण करना आवश्यक है।

3. शिक्षा समाजशास्त्र (Educational Sociology)

शिक्षा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में भूमिका पर अपेक्षाकृत कम अनुसंधान हुए हैं। अतः इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के नियोजन या कार्यान्वयन की बहुत आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय एवं अध्यापक की सामाजिक परिवर्तन में भूमिका, छात्रों का निष्पत्ति या उपलब्धि स्तर, परिवार नियोजन, एड्स जैसी महामारी रोकने में शिक्षा की भूमिका इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसंधान के लिए अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं।

4. पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां (Curriculum and Teaching Methods)

शिक्षा के क्षेत्र में ये दो उपक्षेत्र ऐसे हैं जहां अनुसंधान कार्यों की संख्या नगण्य है। विद्यालयी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यक्रम के परिवर्तन में अवरोध, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक शिक्षण प्रविधियां तथा अनुदेशन प्रक्रियाएं, सुधारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक अनुदेशन, शिक्षण आव्यूहों का विकास इत्यादि ऐसे पक्ष हैं जिन से संबंधी अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं।

5. शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन (Educational Measurement and Evaluation)

शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के उपलब्धि स्तर का मापन करने के लिए तथा छात्रों की विभिन्न मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का मूल्यांकन एवं आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षणों, मापनियों इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों, मापनियों का निर्माण करना तथा उनका मानकीकरण करना शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की परिधि में शामिल हैं जिन पर वर्तमान में अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

6. तुलनात्मक शिक्षा (Comparative Education)

राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों का विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक आधार पर विश्लेषण करना अनुसंधान के लिए उपयोगी क्षेत्र है।

7. शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन: (Educational Management and Administration)

यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्तमान जटिल परिस्थितियों में बहुत गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता है। शैक्षिक नियोजन, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, शैक्षिक नियम, विद्यालय प्रबंधन, संस्थागत मूल्यांकन, शैक्षिक निरीक्षण, अध्यापकों की जवाबदेही इत्यादि पक्षों पर अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं।

शैक्षिक अनुसंधान के उपरोक्त कार्यक्षेत्रों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें संस्थागत आधार पर अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता है।

1. शैक्षिक तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, प्रणाली विश्लेषण
2. कम्प्यूटर आधारित शिक्षा
3. जनसंख्या एवं प्रौढ़ शिक्षा
4. समावेश शिक्षा
5. अध्यापक शिक्षा एवं इसके विभिन्न आयाम
6. पर्यावरण शिक्षा
7. दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा
8. व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा
9. शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण
10. वर्तमान परीक्षा प्रणाली

शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ मुख्य प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है जो एक अनुसंधानकर्ता के लिए शोध समस्या का चयन करते समय एक दिशा या मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

1. अनुसूचित जाति, जनजाति, ग्रामीण लड़कियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं समस्याओं के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

2. प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की नामांकन दर, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति के कारण, उपलब्धि स्तर, शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन, मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन एवं प्रभाव इत्यादि से सम्बन्धित समस्याओं के वैज्ञानिक विप्लेषण पर बल दिया जाना चाहिए।
3. वर्तमान समय में साक्षरता वृद्धि एवं राष्ट्र के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने में अनौपचारिक शिक्षा माध्यमों की भूमिका के अध्ययन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
4. शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, ग्रामीण शिक्षा समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों इत्यादि की भूमिका एवं योगदान के अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5. सामाजिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अनुसंधान कार्यों को करने की आवश्यकता है जिनमें प्रतिभावान छात्रों की खोज एवं उनके प्रोत्साहन का गहराई से अध्ययन किया गया हो।
6. आज शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को बहुत बढ़ावा मिला है जिसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। इन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान कार्य करने की आवश्यकता है।
7. शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योग्यताओं वाले छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा उनके लिए अवसर प्रदान करने से संबंधित अनुसंधान कार्यों को महत्व देने की आवश्यकता है।
8. बढ़ती हुई जनसंख्या तथा बेरोजगारी के संदर्भ में विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण संस्थानों, शैक्षिक योजनाओं इत्यादि के मूल्यांकन की आवश्यकता है।
9. वर्तमान समय की मुख्य समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, आतंकवाद, विभिन्न राष्ट्रों में हथियारों की होड़, आपसी सद्भाव की कमी, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के ह्रास इत्यादि का समाधान करने में शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों की भूमिका पर विप्लेषणात्मक अध्ययनों को महत्व दिया जाना चाहिए।
10. वर्तमान में मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों तथा आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का शैक्षिक कार्यों तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उपयोग की संभावनाओं की अनुसंधान कार्यों द्वारा खोज की जा सकती है।

15.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के अवसर एवं संभावनाएं (Opportunities for Research in Teacher Education)

प्रस्तुत खंड में हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए विद्यमान अवसरों एवं संभावनाओं का आकलन करेंगे एवं उन्हें वृहद रूप में समझने का प्रयास करेंगे।

अध्यापक शिक्षा के मौलिक उद्देश्यों एवं धारणाओं को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं तथा विधियों का मूल्यांकन, वर्तमान परिस्थितियों में अनुसंधान के लिए बहुत अधिक संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

विद्यालय की व्यवस्था का सुधार एवं विकास, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ही किया जाता है क्योंकि इसमें समस्या का रूप संकुचित होता है जो कक्षा, विषय या विद्यालय तक ही सीमित होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय से सम्बन्धित विभिन्न पहलू अनुसंधान के लिए अपार अवसर प्रदान करते हैं।

अध्यापक शिक्षकों की विशेषताएं या गुण, छात्र-अध्यापकों की विशेषताएं, बुनियादी ढांचा गत सुविधाएं इत्यादि ऐसे घटक हैं जहां अनुसंधान कार्य किए जा सकते हैं। इसी प्रकार, अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में कक्षा-कक्ष अंतर्क्रियाएं, अनुसंधान के लिए बहुत संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं।

उपरोक्त सभी विषयों या समस्याओं का वैज्ञानिक विश्लेषण एवं अध्ययन करने के लिए जिन अनुसंधान विधियों या प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, उनमें मुख्यतः वर्णनात्मक सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, तथा सह-संबंधात्मक अध्ययन सम्मिलित हैं।

अतः इस आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा का क्षेत्र, अनुसंधान के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंधानकर्ता को अध्यापक शिक्षा तथा इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत ज्ञान हो ताकि अनुसंधान के लिए उपयुक्त समस्या का चयन किया जा सके तथा अनुसंधान के परिणामों के आधार पर अध्यापक शिक्षा में आवश्यक सुधार या बदलाव लाए जा सकें।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखें (सत्य/असत्य, चार खंडों/हा/नहीं)

1. वर्तमान समय में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करना आवश्यक नहीं है।

सही / गलत

2. प्रजातांत्रिक राष्ट्र की समस्याओं का अनुसंधान से कोई संबंध नहीं है। सही / गलत

16.4 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति *(General Nature of Research Works undertaken in Teacher Education)*

यदि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के इतिहास का अवलोकन करें तो यह ज्ञात होता है कि अध्यापक शिक्षा में प्रथम शोध अध्ययन, 1956 में रिपोर्ट किया गया था। इसके उपरांत, शिक्षा अनुसंधान के प्रथम सर्वे में 1973 तक अध्यापक शिक्षा से संबंधित 45 शोध अध्ययनों का संकलन था। द्वितीय सर्वे में अगले पांच वर्षों में, 1978 तक 65 शोध अध्ययनों, तृतीय सर्वे (1978-83) में 116 अध्ययनों, चतुर्थ सर्वे (1983-88) में 156, पांचवें सर्वे (1988-92) में 211, तथा छठे सर्वे (1992-97) में 235 शोध अध्ययनों को रिपोर्ट किया गया जो कि मुख्यतः अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थे।

पूर्व में, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्य हरबर्ट मॉडल, फ्लैंडर अंतर्क्रिया मॉडल, सूक्ष्म शिक्षण के प्रभाव इत्यादि के अध्ययन पर केंद्रित होते थे। लेकिन, धीरे-धीरे समय के बीतने के साथ-साथ, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्यों की अलग सामान्य प्रवृत्ति सामने आई है जो शिक्षण के अन्य आधुनिक मॉडलों पर आधारित है।

- i. यदि हम अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों का अवलोकन करें तो सामान्यतः उनमें निम्नलिखित प्रवृत्ति देखी जा सकती है।
- ii. अध्यापक शिक्षा में मुख्यतः अध्यापकों की धारणाओं, ज्ञान तथा उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं तथा विधियों पर अनुसंधान कार्य हुए हैं।
- iii. अध्यापक शिक्षकों की भूमिका एवं कार्यप्रणाली तथा अध्यापकों के व्यवसायिक विकास से संबंधित समस्याओं पर वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं।
- iv. विभिन्न विद्यालयी विषयों के शिक्षण के लिए अपनाई जा रही विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता का प्रयोगात्मक अनुसंधान द्वारा मूल्यांकन किया गया है।
- v. सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण एवं सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं उनसे संबंधित विभिन्न आयामों के मूल्यांकन पर आधारित अनुसंधान कार्यों को महत्व दिया जाता रहा है।
- vi. अध्यापकों के व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न विशेषताओं पर काफी अधिक मात्रा में अनुसंधान कार्य हुए हैं।
- vii. अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों, विभिन्न प्रशिक्षण प्रविधियों की प्रभावशीलता, शिक्षण कौशलों के विकास इत्यादि पर अनुसंधान कार्य, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाए? इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण इस आधार पर किया जाना चाहिए जिससे केवल अध्यापक शिक्षा को ही लाभ न हो अपितु इससे विद्यालयी शिक्षा तंत्र को भी फायदा हो। इसी के साथ, अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय वर्तमान सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों तथा तकनीकी एवं शैक्षिक परिदृश्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि अनुसंधान कार्यों की सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि हो सके। आइए इन्हीं मुख्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकताओं या मुख्य आवश्यकताओं को पहचानकर, विप्लेषण एवं व्याख्या करने का प्रयास करें।

15.4.1 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताएं (Priorities of Research in Teacher Education):

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए निम्नलिखित विषयों को प्राथमिक आधार पर चयनित किया जा सकता है।

1. अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता का मापन करने के लिए वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय एवं वैध मापदंडों की पहचान करना, अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र हो सकता है।
2. अध्यापकों का व्यक्तित्व, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की सफलता या असफलता में प्रमुख कारक गिना जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक अच्छे एवं प्रभावी अध्यापक के व्यक्तित्व की विभिन्न विशेषताओं को अनुसंधान कार्यों द्वारा परिभाषित किया जाए ताकि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों की पाठ्यचर्चा में वांछनीय बदलाव लाए जा सकें।
3. वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं पैदा हुई हैं। इस कारण से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, एक लोकतांत्रिक प्रणाली का आवश्यक अंग है। इसके लिए अनेक शैक्षिक योजनाएं तथा कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं जिनमें से सर्व शिक्षा अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार (2009) को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है। परंतु लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए विद्यालयों तथा अतिरिक्त शिक्षकों की अत्यधिक आवश्यकता है। इस संदर्भ में अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि किस प्रकार से ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
4. जैसा कि आप जानते हैं कि अध्यापक के गुणों तथा उनके द्वारा अपनाई जा रही गतिविधियों तथा प्रक्रियाओं का छात्रों के व्यक्तित्व तथा उपलब्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे उन प्रक्रियाओं या गतिविधियों की पहचान

एवं व्याख्या हो सके जो अध्यापक की शैक्षिक प्रभावशीलता पर सकारात्मक ढंग से असर डालती हैं।

5. वैष्वीकरण के वर्तमान समय में सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनाए जा रहे पाठ्यक्रम की उपयोगिता का मूल्यांकन करने से संबंधित अनुसंधान कार्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए ताकि अच्छे एवं प्रभावशाली भावी अध्यापकों का निर्माण किया जा सके।

6. वर्तमान समय में, भारतीय परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि अध्यापक शिक्षा के दो महत्वपूर्ण घटकों सेवापूर्व प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अतः अनुसंधान कार्यों में इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य तालमेल, सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी समस्याओं को अनुसंधान कार्यों के लिए चयनित किया जाना चाहिए जिससे अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के लिए, उनकी भूमिका का आकलन किया जा सकता है।

7. लगातार बढ़ती जनसंख्या एवं कम हो रहे संसाधनों के समय में पूर्व- प्राथमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा की पहुंच को सभी बच्चों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका समाधान अनुसंधान कार्यों द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूर्व-प्राथमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों एवं कानूनों का वर्तमान समय में मूल्यांकन किया जा सकता है।

8. ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जिनसे शिक्षा के निजीकरण के दुष्प्रभावों का आकलन किया जा सके और उनके समाधान के लिए संस्तुतियां की जा सकें। इसी के साथ वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों तथा शैक्षिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, गतिविधियों तथा संस्थाओं के वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन, अनुसंधान कार्यों द्वारा किया जा सकता है।

9. ऐसे अनुसंधान कार्यों को करने की जरूरत है जिनसे आधुनिक तकनीकों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में एकीकृत करने के तरीकों एवं विधियों का पता लगाया जा सके।

10. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्रमुखता दी जानी चाहिए जिनसे हम सेवारत अध्यापकों तथा भावी अध्यापकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान कर सकें।

11. अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि अध्यापकों की प्रशिक्षण योग्यताओं तथा कौशलों को विकसित किया जा सके। इसी के साथ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में

सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि उस पाठ्यक्रम की कमियों के बारे में पता लगाया जा सके।

12. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिनके द्वारा अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों के मध्य सहयोग और सहभागिता को बढ़ाया जा सके।

13. वर्तमान परिदृश्य में ऐसे अनुसंधान कार्यों को प्रमुखता से किया जाना चाहिए जिनसे शैक्षिक संस्थाओं एवं उनमें होने वाली विभिन्न गतिविधियों को समाज एवं सामुदायिक विकास से जोड़ा जा सके।

14. ऐसे अनुसंधान कार्यों को वर्तमान समय में प्रमुखता से किए जाने की आवश्यकता है जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायीकरण को बढ़ाया जा सके। ऐसे अनुसंधान कार्यों द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर ऐसी निराकरण नीतियों को विकसित किया जा सकता है जिनसे शिक्षा को रोजगार के पर्यायों के साथ जोड़ा जा सकता है जोकि वर्तमान समय की मांग है।

15. अध्यापक शिक्षा के विभिन्न प्रतिमानों, आयामों तथा सिद्धांतों की वैश्वीकरण के दौर में उपयोगिता का मूल्यांकन, अनुसंधान कार्यों के लिए सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

16. दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की सार्थकता, व्यवहारिकता एवं प्रभावशीलता का अध्ययन, अनुसंधान द्वारा किया जा सकता है। इसी के साथ यह अध्ययन भी किया जाना आवश्यक है कि दूरवर्ती माध्यम तथा औपचारिक या नियमित शिक्षा माध्यम में से कौन सा माध्यम अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने में ज्यादा सशक्त है।

15.5 अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान में आने वाली मुख्य समस्याएं (Major Problems in Undertaking Research in Teacher Education)

आइए अब अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पेश आने वाली अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं को पहचानने एवं समझने का प्रयास करें। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी मुख्य समस्याओं का विवरण यहां दिया जा रहा है।

- i. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी समस्याओं की प्रकृति आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की है। इस क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता को आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- ii. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापरक अनुसंधान कार्य करने के लिए, अनुसंधानकर्ताओं में आधारभूत योग्यताओं, कौशलों का अभाव पाया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात

- की है कि अनुसंधानकर्ताओं में मौलिक शैक्षिक योग्यताओं के अतिरिक्त, अध्यापक शिक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान, वैज्ञानिक जांच का कौशल, आंकड़ों का विप्लेख एवं अर्थ ज्ञात करने की क्षमता होना आवश्यक है।
- iii. वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि अनुसंधान अध्यापक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में एक सामान्य गतिविधि बनकर रह गया है। शोधकर्ताओं के लिए अनुसंधान कार्यों को करने के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं प्रदान किए जाते हैं। जिनसे अनुसंधान कार्यों में वांछनीय विकास नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ, अनुसंधान कार्यों को एक सही दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता में कमी है। इन संसाधनों में अनुसंधान के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा या प्रणाली तथा अनुसंधान संबंधी विभिन्न गतिविधियों के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता की कमी प्रमुख है।
- iv. अनुसंधान कार्यों के संदर्भ में अगर गहराई से अवलोकन किया जाए तो यह साबित होता है कि अनुसंधान कार्यों में कोई आपसी तालमेल या अर्थपूर्ण संबंध नहीं है। अधिकतर पुराने शोध अध्ययनों को दोहराया जाता है जिससे ज्ञान के क्षेत्र में कोई खास वृद्धि नहीं होती है। इस कारण से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को एक सही दिशा नहीं मिल पा रही है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर तथा इंटरनेट ने इस समस्या को और गहरा दिया है। इंटरनेट से अध्ययन सामग्री की चोरी तथा कम्प्यूटर की सहायता से “नकल करो और चिपकाओ” के सिद्धांत ने अनुसंधान की गुणवत्ता को बहुत निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। अतः आवश्यकता यह है कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण किया जाए जिसके लिए दीर्घावधि योजना का होना बहुत जरूरी है। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक, संतुलित तथा एकरूपता वाले अनुसंधान की कमी है क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार एक समय में कुछ विशेष प्रकार के अनुसंधान कार्यों को नजरअंदाज किया जाता है। इस के कारण अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में अनुसंधानकर्ताओं तथा विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं में आम सहमति की कमी है जिसके कारण अनुसंधान के एक संरचनात्मक प्रारूप का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा , विद्यालयी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाएं एक मंच पर आएँ और ऐसे नीतिगत निर्णय लिए जाएँ जिससे अनुसंधान कार्यों को करने के लिए आवश्यक वातावरण एवं संस्कृति का निर्माण किया जा सके।

अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress

प्रश्न (4) 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, एक लोकतांत्रिक प्रणाली का आवश्यक अंग है।
सही / गलत

प्रश्न (5) अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा का अधिकार (2009) को मौलिक अधिकारों में स्थान दिया गया है।
सही / गलत

प्रश्न (6) वर्तमान में अनुसंधान कार्यों को करने के लिए उच्च शिक्षा से संबंधित अधिकतर शिक्षा संस्थाओं में उचित संस्कृति का अभाव है।
सही / गलत

15.6 सारांश (Summary)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप यह जान गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यूँ आवश्यक है और इन प्राथमिकताओं का निर्धारण करते समय कौन-कौन से मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। अपने यह भी समझा कि शैक्षिक अनुसंधान की प्राथमिकताएं तथा कार्यक्षेत्र का विस्तार कौन-कौन से विषय क्षेत्रों में है। शैक्षिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, मापन एवं मूल्यांकन, तुलनात्मक शिक्षा, शिक्षा तकनीकी, दूरवर्ती शिक्षा इत्यादि तक फैला हुआ है।

तदोपरान्त आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को करने के लिए उपलब्ध अवसर एवं संभावनाओं तथा अनुसंधान कार्यों की सामान्य प्रवृत्ति के संबंध में समझने का प्रयास किया। इसी के साथ अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उन्हें विस्तृत रूप में समझने का प्रयास किया। हमने यह जाना कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे पहलू एवं समस्याएं हैं जिनका समाधान, अनुसंधान कार्यों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खोजा जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उन समस्याओं की तार्किक आधार पर पहचान की जाए तथा विप्लेषणात्मक अध्ययनों द्वारा समाधान किया जाए। इकाई के अंत में आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान में आने वाली मुख्य समस्याओं के बारे में समझा।

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि अगर अध्यापक शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना है तो बहुआयामी एवं क्रियात्मक अनुसंधान कार्यों, एकल अध्ययनों तथा आवश्यकता आधारित एवं सामाजिक उपयोगिता वाले अनुसंधान कार्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नियामक संस्थाओं, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, विष्वविद्यालयों इत्यादि के मध्य परस्पर घनिष्ठता एवं सहयोग को बढ़ाना होगा ताकि अनुसंधान के

लिए आवश्यक वातावरण एवं शोध संस्कृति का विकास हो सके। इसी के परिणामस्वरूप हम अध्यापक शिक्षा की उपयोगिता एवं गुणवत्ता को विकसित कर पाने में सफल हो पाएंगे।

15.7 शब्दावली (Glossary)

1. शैक्षिक अनुसंधान: शैक्षिक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययनों से है जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। ताकि भविष्य में कुछ हद तक ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके एवं उनका आकलन किया जा सके। अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य उन सभी लघु अवधि एवं दीर्घावधि सेवापूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से है जो सेवारत या भावी अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण-अधिगम विधियों में सुधार लाने या उनके विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक कौशलों को विकसित करने के लिए अलग-अलग माध्यमों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

2. प्राथमिकताएं:- प्राथमिकताओं से अभिप्राय उन सभी मुख्य विषय क्षेत्रों या मुद्दों से हैं जिनको वर्तमान समय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रमुखता या वरीयता प्रदान की जानी चाहिए।

15.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. गलत
 2. गलत
 3. सही
 4. सही
 5. सही
-

15.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ, पृष्ठ 648-649
 - अग्रवाल, जे.सी., 21वीं शताब्दी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर दृष्टिकोण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 340-341
 - सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा, पृष्ठ 345-361
 - भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 326-347
-

- मंगल (डा.) के.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 83-84
- पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 336-337
- सक्सेना, एन.आर., मिश्रा, बी.के. व मोहन्ती, आर. के., अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो: मेरठ
- मदान, पूनम, भारत में शिक्षा-व्यवस्था का विकास तथा समस्याएँ, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा

15.10 सहायक/उपयोगी पाठ्यक्रम (Reference Book)

1. शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिखा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ।
2. सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा।
3. भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा।

15.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. जनसंख्या विस्फोट के कारण, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएँ पैदा हुई हैं। इस संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र की मुख्य अनुसंधान समस्याओं का विप्लेषण कीजिए।
2. शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का निर्धारण क्यों और कैसे किया जाना चाहिए?
3. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्राथमिकताओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए।
4. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों में आने वाली मुख्य समस्याओं का विवरण दीजिए तथा इन समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव भी दीजिए।
5. दूरवर्ती एवं मुक्त शिक्षा द्वारा चलाए जा रहे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित अनुसंधान प्राथमिकताओं का वर्णन कीजिए।

इकाई 16 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का महत्व (*Importance of Research in Teacher Education*)

- 16.1 प्रस्तावना(Introduction)
- 16.2 उद्देश्य(Objectives)
- 16.3 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की प्रकृति(Nature of Research in Teacher Education)
 - 16.3.1 शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Educational Research)
 - 16.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता(Need of Research in Teacher Education)
- 16.4 शिक्षा अनुसंधान के उद्देश(Objctives of Educational Research)
 - 16.4.1 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य(Major Objectives of Research in Teacher Education)
 - 16.4.2 शिक्षा अनुसंधान के कार्य(Functions of Educational Research)
- 16.5 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका/महत्व(Role or Significance of Research in Teacher Education)
 - 16.5.1 अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व (Significance of Action Research in Teacher Education)
- अपनी उन्नति जानिय Check Your Progress
- 16.6 सारांश (Summar)
- 16.7 शब्दावली (Glossary)
- 16.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर (Answer of Practice Question0)

16.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (reference Books)

16.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Useful Books)

16.11 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Types Question)

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित ईकाईयों में आप अध्यापक शिक्षा के अर्थ, प्रकृति एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप अनुसंधान के अर्थ एवं प्रकारों के बारे में भी समझ गए हैं। प्रस्तुत ईकाई में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान क्यों आवश्यक है एवं अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान की क्या भूमिका हो सकती है? प्रस्तुत ईकाई में इन्हीं मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से विश्लेषण एवं चर्चा की जाएगी। आपसे यह आशा की जाती है कि इस ईकाई के अध्ययन के उपरान्त आप अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता एवं उद्देश्यों को समझा सकेंगे एवं अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका एवं महत्व का विश्लेषण कर सकेंगे।

16.2 उद्देश्य (Objectives)

प्रस्तुत ईकाई के अध्ययन के बाद आप -

- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की प्रकृति को उद्धृत कर सकेंगे।
- शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता की व्याख्या कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता एवं उनके अंतर्संबंध को समझा सकेंगे।
- शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्यों को वर्गीकृत कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों को सूचिबद्ध कर व्याख्या कर सकेंगे।
- अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका एवं महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकेंगे।

16.3 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की प्रकृति (Nature of Research in Teacher Education)

यह एक ऐसा सत्य है जिसे कभी, कोई भी नहीं झुठला सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी परिस्थिति में अनुसंधान कार्य में सम्मिलित रहता है। हम अपने दैनिक जीवन से संबंधित हर गतिविधि में अनुसंधान करते रहते हैं हालांकि ऐसे अनुसंधान में प्रयुक्त विधियां एवं कार्यप्रणाली, तुलनात्मक आधार पर, अधिक लचीली एवं साधारण होती हैं। हम अपनी जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए यह प्रयास करते हैं कि हम उन समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान ढूँढ़ सकें। इस कारण से हमें जीवन में अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है। इसी प्रकार, एक अध्यापक को भी, उसके व्यवसाय से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने एवं उन्हें समझने के लिए अनुसंधान एवं उसकी कार्यप्रणाली से अवगत होना अति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो शैक्षिक परिस्थितियों में अनुसंधान करना, प्रत्येक अध्यापक के व्यवसायिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को निम्नलिखित तीन संदर्भों में समझा जा सकता है।

- क. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान
- ख. अनुसंधान- अध्यापक शिक्षा के रूप में
- ग. अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान

सामान्य भाषा में, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान से तात्पर्य उन खोजकार्यों या अन्वेषणों से है जो अध्यापक शिक्षा के आधारभूत ढांचे के भीतर किए जाएं या ऐसे अनुसंधान जिनके परिणामों का उपयोग अध्यापक शिक्षा में सुधार लाने के लिए किया जा सके।

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस प्रकार के विभिन्न तरह के अनुसंधान, अध्यापक शिक्षा के लिए सशक्त अधिगम वातावरण को निर्मित करने के लिए आधार का कार्य करते हैं। इस तरह के अनुसंधान, छात्रों एवं अध्यापक के मध्य होने वाली अंतर्क्रियाओं पर केंद्रित नहीं होते हैं। ऐसे अनुसंधान कार्य, अध्यापक शिक्षा में विभिन्न कोर्स एवं कार्यक्रमों के प्रारूपों को निर्मित करने के लिए निर्णय लेने में सहायक होते हैं।

जब अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य, एक अध्यापक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न व्यवसायिक कार्यों में सुधार लाने का हो, तो ऐसा अनुसंधान स्वतः ही अध्यापक शिक्षा का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए, क्रियात्मक अनुसंधान जो कि ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें एक अध्यापक, स्वयं द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का स्वयं ही योजनानुसार एवं आलोचनात्मक तरीके से

विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है ताकि उनमें सुधार ला सके। इससे उसकी व्यवसायिक कुशलता का विकास होता है। यह स्वतः ही एक प्रकार की अध्यापक शिक्षा का प्रारूप बन जाता है। इस संदर्भ में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुसंधान स्वतः ही अध्यापक शिक्षा है जो अध्यापकों की व्यवसायिक गतिविधियों का बोध करने एवं सुधार लाने के मध्य घनिष्ठ संबंध को प्रदर्शित करता है।

तृतीय संदर्भ में, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को, अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान के दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। अध्यापक शिक्षा पर अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से है जिसमें अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कोर्सेज् एवं कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे कार्यक्रम अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल हुए हैं तथा उनके नियोजन एवं कार्यान्वयन में क्या कमियां रह गई हैं। ऐसे अनुसंधान, विशेषतः अध्यापक-शिक्षा पर केन्द्रित होते हैं तथा इसका तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से है जिसमें अध्यापक एवं छात्रों के मध्य होने वाली अंतर्क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों के प्रभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को यदि उपरोक्त तीन संदर्भों से अवलोकन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे सभी अनुसंधान कार्यों को 'अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान' के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है।

16.3.1 शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Educational Research)

जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा अनुसंधान एक ज्ञान वृद्धि तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षा की सभी प्रक्रियाओं तथा कक्षा शिक्षण के सभी पक्षों पर अनुसंधान की आवश्यकता है। शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता को आगे दिए गए विवरण से समझा जा सकता है।

1. शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि मौलिक प्रश्नों के वैज्ञानिक उत्तर प्राप्त किए जा सकें। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर साहित्य में नहीं हैं, उनके उत्तर ज्ञात करने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है।
2. शिक्षणशास्त्र के प्रचलित सिद्धांतों का मूल्यांकन करना तथा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए शिक्षा अनुसंधान आवश्यक है।
3. शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मौलिक समस्याओं तथा स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान की आवश्यकता है।

4. जैसा कि आप शिक्षा मनोविज्ञान तथा शैक्षिक तकनीकी में पढ़ चुके हैं कि कक्षा-शिक्षण के अनेक आयाम तथा पक्ष हैं जिन पर शिक्षा अनुसंधान की विशेष आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि शैक्षिक अध्ययन एवं अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र कक्षा-कक्ष एवं कक्षा शिक्षण ही है।
5. पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने एवं उनमें वांछनीय सुधार लाने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है।
6. शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न माध्यमों की सार्थकता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता है।
7. शैक्षिक संस्थाओं में प्रबन्धन तथा प्रशासन का मूल्यांकन करने के लिए तथा उसमें सुधार हेतु नवीन प्रणालियों का विकास करने के लिए शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है।
8. शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि विभिन्न शिक्षा आयोगों तथा शिक्षा समितियों द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन किया जा सके।

16.3.2 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता (Need of Research in Teacher Education)

भारतीय परिदृश्य में अनवरत एवं तेजी से प्रगति कर रहे विद्यालयी तंत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अध्यापक शिक्षा, एक महत्वपूर्ण एवं जीवंत भूमिका निभा सकती है। विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की तरह ही वर्तमान में अध्यापक शिक्षा में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः इस संदर्भ में यह अति आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान आधारित गतिविधियों एवं अनुसंधान को यथोचित स्थान एवं महत्व प्रदान किया जाए ताकि अध्यापक शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न क्रियाएं या प्रयोग सामान्य अरुचिकर गतिविधियों में परिवर्तित न हो जाएं या दूसरे शब्दों में, अध्यापक शिक्षा से संबंधित गतिविधियां सक्रिय, गतिशील, जीवंत तथा नवाचारी रहे। यह इसलिए भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि अध्यापक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल विद्यालयी तंत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप स्वयं को ही नहीं बदलना है बल्कि उन विद्यालयी बदलावों या सुधारों को एक निर्धारित दिशा एवं गति प्रदान करना भी है।

यदि हम वर्तमान में उपलब्ध शोध साहित्य पर नजर दौड़ाएं तो हम इस तथ्य से अवगत हो जाते हैं कि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की जड़ें उतनी मजबूत नहीं हैं जितनी कि अन्य अध्ययन क्षेत्रों में। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, उनमें से बहुत कम अनुसंधान, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित हैं। जो कुछ अनुसंधान कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में किए भी जाते हैं उनका अध्यापक शिक्षा में प्रयुक्त एवं अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों से कोई स्पष्ट, निश्चित और व्यवहारिक संबंध नहीं देखा जाता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

यह बहुत आवश्यक है कि संस्थागत व्यवस्था तैयार की जाए ताकि अध्यापक शिक्षा के विशेषज्ञों एवं शिक्षकों को इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं एवं समस्याओं को सुलझाने के लिए अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिए जा सकें।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अनुसार अध्यापक शिक्षा में, अनुसंधान के लिए जरूरी माहौल का निर्माण करना इसलिए आवश्यक है ताकि अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाया जा सके।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कोर्सेज या कार्यक्रमों में प्रवेशप्रक्रियाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जा सके। शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में सम्मिलित विभिन्न तत्वों एवं इस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक तथा पारिवारिक कारकों के बारे में सही ढंग से समझने के लिए एक अध्यापक को अनुसंधान का ज्ञान एवं बोध होना अति आवश्यक है। इस संदर्भ में अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को शामिल किया जाना अति आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की आवश्यकता, वर्तमान परिदृश्य में इसलिए भी है ताकि विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में प्रतिदिन हो रहे बदलावों और नवाचारों को शिक्षण-अधिगम एवं अन्यविद्यालयी प्रक्रियाओं में अपनाया जा सके।

उपरोक्त व्याख्या के आधार आप यह समझ गए होंगे कि एक अध्यापक को अपने व्यवसायिक विकास एवं शिक्षण कौशलों में दक्षता को बढ़ाने के लिए, अनुसंधान का क्रियात्मक ज्ञान एवं बोध होना आवश्यक है।

अपनी उन्नति जानिय

1. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को मुख्यतः कितने संदर्भों में समझा जा सकता है?
 - (i) एक
 - (ii) दो
 - (iii) तीन
2. अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय करने के लिए अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है।

सही / गलत

16.4 शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्य (Objectives of Educational Research)

पिछले खंड में हमने शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस खंड में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। इस के साथ अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए चयन की जाने वाली समस्याओं में अधिक विविधता पाई जाती है। इस आधार पर शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्यों को चार प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है जिनका संक्षिप्त विवरण यहां दिया जा रहा है।

1. सैद्धांतिक उद्देश्य: ऐसे अनुसंधान, जिनके द्वारा नये सिद्धांतों तथा नए नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान कार्यों का मुख्य उद्देश्य चरों के मध्य सह-संबंधों की व्याख्या करना होता है। ऐसे कार्यों से प्राथमिक रूप से नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है जिसका उपयोग शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है।
2. तथ्यात्मक उद्देश्य: ऐसे अनुसंधानों से वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है तथा उद्देश्यों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। इनमें तथ्यों की खोज करके घटनाओं का वर्णन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान, शिक्षा प्रक्रिया के विकास तथा सुधार में सहायक होते हैं।
3. सत्यात्मक उद्देश्य: ऐसे अनुसंधान, जिनकी प्रकृति दार्शनिक होती है एवं जिनके द्वारा नवीन सत्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। ऐसे अनुसंधान कार्यों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, सिद्धान्तों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम इत्यादि की रचना की जाती है।
4. उपयोगिता का उद्देश्य: ऐसे अनुसंधान कार्य, जिनमें केवल उपयोगिता को ही महत्व दिया जाता है तथा ज्ञान में वृद्धि करना द्वितीयक उद्देश्य होता है। ऐसे अनुसंधान विकासात्मक प्रकृति के होते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के उद्देश्यों को उपरोक्त चार प्रमुख वर्गों में समझने के बाद, अब हम अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे।

16.4.1 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य (Major Objectives of Research in Teacher Education)

शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों एवं निर्णयों का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना ही, अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं।

1. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान इसलिए किया जाता है ताकि शैक्षिक घटनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान एवं बोध हो सके। इससे हमें विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं और घटनाओं की व्याख्या करने, नियंत्रण करने एवं भविष्य के बारे में आकलन करने में सहायता मिलती है।
2. अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य, वर्तमान में घट रही शैक्षिक घटनाओं तथा प्रक्रियाओं में एक सकारात्मक बदलाव लाना है।
3. अध्यापक शिक्षा के लिए वांछित पाठ्यचर्या का निर्माण तथा अन्य नियम एवं नीतियों का निर्धारण करना अनुसंधान का एक उद्देश्य है।
4. अध्यापकों को उनके द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रशिक्षण एवं शिक्षण-अधिगम विधियों में सशक्त करना तथा उनमें बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है।
5. लगातार बदलते सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी परिदृश्य के अनुसार, अध्यापक शिक्षा के विभिन्न घटकों में बदलाव लाना, अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य है।
6. अध्यापक शिक्षा की प्रक्रिया तथा परिणामों में गुणात्मक सुधार लाना, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है।
7. अध्यापक शिक्षा में विद्यमान ज्ञान, सिद्धान्तों इत्यादि की वर्तमान परिदृश्य में उपयोगिता एवं वैधता की जांच करना तथा अध्यापक शिक्षा से संबंधित नए आयामों की खोज करना, अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य है।
8. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करना भी अनुसंधान का एक उद्देश्य है।

16.4.2 शिक्षा अनुसंधान के कार्य (Functions of Educational Research)

शैक्षिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आइए शिक्षा अनुसंधान के मुख्य कार्यों को जानने का प्रयास करें। शिक्षा अनुसंधान के मुख्य कार्य यहां दिए जा रहे हैं।

1. शिक्षा अनुसंधान का मुख्य कार्य, शिक्षा की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास करना है। यह कार्य ज्ञान के प्रसार से किया जाता है।
2. शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना एवं शिक्षण-अधिगम की प्रभावशाली प्रविधियों का विकास करना, शिक्षा अनुसंधान का एक मुख्य कार्य है।

3. शिक्षा अनुसंधान का मुख्य कार्य, शैक्षिक प्रशासन तथा शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं विकास करना है।

16.5 अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान की भूमिका/महत्व (Role or Significance of Research in Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, मुख्यतः शैक्षिक परिणामों एवं छात्रों के उपलब्धि स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा में लगातार सुधार होते रहें ताकि उनका वृहद एवं दूरगामी प्रभाव बना रहे। अध्यापक शिक्षा में ऐसे सुधारों की कल्पना, अनुसंधान के बिना संभव नहीं है क्योंकि अनुसंधान किसी भी बदलाव या सुधार लाने के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान को एक उचित स्थान मिलने से अध्यापक-शिक्षकों एवं छात्रों में अनुसंधान केंद्रित एवं अनुसंधान आधारित सोच या विचार शक्ति का विकास होता है जिससे अंततः शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सुधार या वांछनीय विकास लाया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसंधान अध्ययनों तथा शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं में अनवरत् अंतर्क्रिया होती रहे। अध्यापक-शिक्षकों द्वारा अनुसंधान द्वारा प्राप्त परिणामों को अपनी दैनिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रक्रिया का अंग बनाना आवश्यक है।

अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान इसलिए एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेता है क्योंकि एक अध्यापक को अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक अनुसंधानकर्ता की भूमिका का भी निर्वहन करना पड़ता है। इस संदर्भ में यह कह सकते हैं कि एक अध्यापक या तो स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर होकर अनुसंधान गतिविधियों को अंजाम देता है या फिर अपने विद्यालय या अन्य संगठनों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्य करता है। दोनों ही संदर्भों में यह कहा जा सकता है कि अध्यापक अपने व्यवसायिक कार्यों या उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु अनुसंधान गतिविधियों में हिस्सा लेता है।

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के महत्व को इस नज़रिए से भी समझा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी व्यवसाय से क्यों न जुड़ा हो, अपने जीवन में अनुसंधान संबंधी कार्यों में शामिल अवश्य रहता है। उन्हीं व्यवसायिक क्षेत्रों में से शिक्षा भी एक क्षेत्र है और शैक्षिक परिस्थितियों में या शैक्षिक परिस्थितियों से संबंधित प्रक्रियाओं में अनुसंधान करना प्रत्येक अध्यापक के व्यवसायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। शैक्षिक परिस्थितियों में अनुसंधान इसलिए किया जाता है ताकि विद्यालयी प्रक्रियाओं में सुधार लाया जा सके तथा साथ ही साथ उन अध्यापकों की दक्षता में भी सुधार लाया जा सके जो अपनी कार्य कुशलता में सुधार लाना चाहते हैं।

एक अध्यापक अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर सकता है यदि वह स्वयं को उसके विषय क्षेत्र या व्यवसाय में हो रहे नवाचारों से अपने आप को लगातार उन्नत न करता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि वह अनुसंधान आधारित गतिविधियों में अपने आप को समर्पित रखे।

अनुसंधान अध्यापकों में शिक्षण, अधिगम एवं शैक्षिक प्रशासन से संबंधित गतिविधियों के बारे में नई सोच या समझ विकसित करने में सहायक होता है जिससे कि शैक्षिक कार्यों एवं गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव महसूस किया जा सकता है।

सामान्यतः यह देखा जाता है कि अनुसंधान एक ऐसा प्रत्यय है जिसे प्रबंधकों, अध्यापकों या नीति निर्धारकों द्वारा वह महत्व नहीं प्रदान किया जाता जितना अनुसंधान द्वारा प्राप्त वैज्ञानिक परिणामों को मिलना चाहिए। अधिकतर, अनुसंधान को एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में ही देखा एवं समझा जाता है और इसे अध्यापन के व्यवसाय के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता है। ऐसी अवधारणाएं, शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुसंधान केंद्रित संस्कृति का निर्माण करने एवं उसके फलने-फूलने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। लेकिन, हमें एक अध्यापक के रूप में यह समझ लेना चाहिए कि अध्यापन एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें अध्यापकों को सदैव सीखते रहना पड़ता है और जो भी ज्ञान, व्यवसायिक कार्यों के दौरान, अध्यापक प्राप्त करते हैं या निर्मित करते हैं, उस ज्ञान का विश्लेषण करना पड़ता है। इसी प्राप्त ज्ञान के विश्लेषण के आधार पर अध्यापकों को अपने व्यवहार (सामान्य एवं शिक्षण व्यवहार) को सुधारना पड़ता है ताकि प्रतिक्षण जन्म ले रही आवश्यकताओं के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। इन सारी गतिविधियों या कार्यों को करने में अनुसंधान या वैज्ञानिक सोच, बहुत जीवंत भूमिका अदा करती है। इसे कुछ शिक्षाविद् अनुसंधान या शोध का नाम देने से कतराते हैं लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस प्रकार के कार्यकलाप, अनुसंधान का ही अंग हैं।

अनुसंधान, एक अध्यापक को आकस्मिक पैदा हुई परिस्थितियों से वैज्ञानिक ढंग से निपटने में सहायता करता है। अनुसंधान केंद्रित सोच, एक अध्यापक को विभिन्न समस्याओं को पहचानने एवं उनका वैज्ञानिक समाधान ढूंढने में सहायक होती है।

अनुसंधान, अध्यापक को उच्च स्तर पर लिए गए विभिन्न नीतिगत निर्णयों का अनुगमन करने एवं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक बिना जाच-परख के किन्हीं भी निर्णयों का आँख मूंद कर पालन करना शुरू कर देता है। अनुसंधान के आधार पर तथा तर्क आधारित सोच से अध्यापक यह आकलन करता है कि कौन से निर्णय उसके छात्रों के कल्याण के लिए या छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयुक्त हैं और उसी के अनुरूप अध्यापक अपने विभिन्न व्यवसायिक कार्यों, नीतिगत निर्णयों तथा छात्रों की आवश्यकताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है।

संसाधनों का सही तरीके से, उचित कार्यों के लिए उपयोग करने में, अनुसंधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि अनुसंधान द्वारा यह गारंटी नहीं दे जा सकती है कि कोई भी नई नीति या शिक्षा का कार्यक्रम सफल होगा परंतु यह अवश्य जाना जा सकता है कि कौन से कार्य, किन परिस्थितियों में ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस कारण से शैक्षिक संसाधनों का अपव्यय नहीं होता है तथा उद्देश्य पूर्ति के लिए संसाधनों का यथोचित उपयोग किया जा सकता है। अनुसंधान की सहायता से पूर्व निर्धारित मान्यताओं, पारंपरिक अवधारणाओं तथा रूढ़ियों के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सकता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अनुसंधान के परिणामों तथा पूर्व निर्धारित मूल्यों में एक द्वन्द्व पैदा होता है, लेकिन यह पूर्णतः असत्य है। अनुसंधान द्वारा पूर्व निर्धारित मूल्यों एवं मान्यताओं को चुनौती दी जाती है तथा उनका स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में यह अनुसंधान द्वारा ही संभव है कि हम विद्यालयों एवं उनमें प्रदान की जा रही शिक्षा का आकलन एवं समीक्षा कर सकते हैं।

शिक्षा, सार्वजनिक कार्य या उपक्रम है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि शिक्षा से संबंधित जो भी नीतियां या नियम बनाए जाएं, वह अनुसंधान आधारित हों। शिक्षा व्यवस्था एवं उसके विभिन्न घटकों और भागीदारों का जवाबदेह और उत्तरदायी होना अति आवश्यक है ताकि सार्वजनिक निवेश एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए अनुसंधान आधारित कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में शैक्षिक अनुसंधान का महत्व अपने आप बढ़ जाता है।

अध्यापक को किसी भी प्रकार के शिक्षा तंत्र के विभिन्न अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और अध्यापकों का कार्य क्षेत्र या जिम्मेवारी केवल पाठ्यचर्या को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होती है। बल्कि अध्यापकों को कक्षा या विद्यालय में लगातार पैदा होने वाली समस्याओं को पहचानने एवं उनका समाधान ढूंढने में भी दक्षता होनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा अध्यापक अपने व्यवसायिक कार्यों के बारे में स्वतः विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है ताकि भविष्य में अपनी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सके। क्रियात्मक अनुसंधान, एक प्रकार की अधिगम की प्रक्रिया है जो अध्यापक की कार्य पद्धति एवं उसके बारे में आत्म-मूल्यांकन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करती है।

क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या विकास, विद्यालय सुधार कार्यक्रम, व्यवसायिक विकास योजनाओं, विद्यालय संगठन, छात्र मूल्यांकन इत्यादि के लिए किया जा सकता है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है और विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को क्रियात्मक अनुसंधान करने के लिए गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि वह अपने स्तर पर अपने शिक्षण कार्यप्रणाली में सुधार ला सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में

वृद्धि हो सके। इस सन्दर्भ में भी अगर हम देखें तो अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है।

16.5.1 अध्यापक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व (Significance of Action Research in Teacher Education)

अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को निम्नलिखित ढंग से वर्णित किया जा सकता है।

1. विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य-कौशल का विकास करना।
2. शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबन्धकों को विद्यालय की कार्यप्रणाली के सुधार तथा परिवर्तन के लिये सुझाव देना।
3. विद्यालयों के परम्परागत रूढ़िवादी तथा यान्त्रिक वातावरण में सुधार करना।
4. विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावशाली बनाना।
5. छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊँचा उठाना।
6. विद्यालय तथा कक्षा-शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना।
7. क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है।
8. कार्यविधि की समस्या के समाधान का व्यावहारिक रूप होता है।
9. शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है।
10. शिक्षक को कार्यकुशलता का अवसर मिलता है तथा वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करता है।
11. शोधकर्ता को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, न विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, उसे केवल सोपानों का बोध होना चाहिए तथा समस्या की सूझ होनी चाहिए।

उपरोक्त वर्णित अनुच्छेदों को पढ़ने एवं समझने के उपरांत आप यह जान गए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के लिए अनुसंधान का बहुत अधिक महत्व है और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार या

सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अध्यापकों का अनुसंधान, अनुसंधान-आधारित क्रियाओं तथा अनुसंधान-केन्द्रित साहित्य के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। अध्यापकों के मध्य अनुसंधान के प्रति एक सही सोच या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए यहां जरूरी हो जाता है कि उन्हें अनुसंधान के बारे में अध्यापक-शिक्षा के कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया जा सके। अध्यापक शिक्षा के सेवापूर्व कार्यक्रमों में अनुसंधान को एक आवश्यक अंग बनाना चाहिए और प्रशिक्षु अध्यापकों को अनुसंधान की कार्यप्रणाली एवं विभिन्न विधियों के बारे में अवगत करवाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसंधान से सम्बन्धित व्यवहारिक अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए।

अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसंधान को अधिक महत्व दिया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, अंततः अध्यापक शिक्षा पर ही निर्भर करती है। यदि अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में अनुसंधान को यथोचित स्थान मिलता है तो यह न केवल विद्यालयी शिक्षा अपितु अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत अधिक लाभकारी साबित हो सकता है।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान कार्य केवल किए ही ना जाएं अपितु ऐसे अनुसंधान कार्यों के निष्कर्षों का वास्तविक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए उपयोग भी किया जाना चाहिए।

अपनी उन्नति जानिये

3. शिक्षा अनुसंधान के उद्देश्यों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है?
(i) एक (ii) दो (iii) तीन (iv) चार
4. क्रियात्मक अनुसंधान में प्रयुक्त विधियां एवं कार्यप्रणाली, तुलनात्मक आधार पर अधिक लचीली एवं साधारण होती हैं।
सही / गलत

16.6 सारांश (Summary)

इस ईकाई को पढ़ने के उपरांत आप यह जान एवं समझ चुके होंगे कि अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान का क्या महत्व है तथा अनुसंधान के द्वारा किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। इस ईकाई के आरंभ में आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान की प्रकृति के बारे में विस्तार से जाना।

इसके उपरांत आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता के बारे में समझा तथा अध्यापक शिक्षा और अनुसंधान के मध्य अंतर्संबंध को जाना। आप यह समझ चुके हैं कि अनुसंधान के बिना अध्यापक शिक्षा की कल्पना भी नहीं जा सकती है। तदोपरांत आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में समझा। इस ईकाई के अंत में आपने अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए अनुसंधान के महत्व एवं भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से समझा। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि न केवल अध्यापक शिक्षा अपितु विद्यालयी शिक्षा में भी वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए, अनुसंधान एकमात्र साधन एवं साध्य है। अनुसंधान द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम अध्यापक शिक्षा के इच्छित लक्ष्यों को सही मायनों में सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। अतः अनुसंधान को अध्यापक शिक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं जीवंत भूमिका प्रदान करने की आवश्यकता है।

16.7 शब्दावली Glossary

1. अध्यापक शिक्षा:- अध्यापक शिक्षा से तात्पर्य उन सभी लघु अवधि और दीर्घावधि सेवापूर्व या सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से है जो सेवारत अध्यापकों या भावी अध्यापकों द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण-अधिगम विधियों में सुधार लाने या उनके विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

2. अनुसंधान:- विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का एकसुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ताकि उन समस्याओं को हल किया जा सके तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सके एवं उनका आकलन किया जा सके, ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया अनुसंधान कहलाती है।

3. क्रियात्मक अनुसंधान:- क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य ऐसे अनुसंधान से है जिसमें एक अध्यापक स्वयं द्वारा अपनाई जा रही शैक्षिक कार्यप्रणाली एवं विधियों का स्वतः ही निरीक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन करता है और उनमें वांछित परिवर्तन लाकर अपने भावी व्यवसायिक व्यवहार एवं शैक्षिक कौशलों को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। ऐसे अनुसंधान का दायरा केवल एक कक्षा में या एक विद्यालय में अध्यापक के सामने पेश आने वाली समस्याओं के समाधान तक ही सीमित होता है।

16.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लिखें

1. तीन
2. गलत

3. चार

4. सही

16.9 संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

- शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ, पृष्ठ 648-649
- अग्रवाल, जे.सी, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा पर दृष्टिकोण, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 340-341
- सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा, पृष्ठ 345-361
- भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 326-347
- मंगल (डा.) के.पी., आधुनिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा, पृष्ठ 83-84
- पाठक, पी.डी., भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा पृष्ठ 336-337
- सक्सेना, एन.आर., मिश्रा, बी.के. व मोहन्ती, आर. के., अध्यापक शिक्षा, आर. लाल बुक डिपो: मेरठ
- मदान, पूनम, भारत में शिक्षा-व्यवस्था का विकास तथा समस्यायें, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा

16.10 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Suggested Useful Reading Material)

1. शर्मा (डा.) आर.ए. व चतुर्वेदी (डा.) शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस: मेरठ।
2. सिंह (डा.) कर्ण, भारतीय शिक्षा का ऐतिहासिक विकास, एच.पी. भार्गव बुक हाउस: आगरा।
3. भट्टाचार्य (डा.) जी.सी., अध्यापक शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स: आगरा।

16.11 निबंधात्मक प्रश्न(Essay Type Questions)

1. वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
2. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए निहित उद्देश्य, क्या आज के शैक्षिक संदर्भ में पर्याप्त हैं? व्याख्या करें।
3. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार या सकारात्मक परिवर्तन लाने में अनुसंधान की भूमिका पर निबंध लिखिए।
4. अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की व्याख्या करें।
5. विभिन्न नीतिगत निर्णयों को वैज्ञानिक आधार पर करने के लिए अध्यापक शिक्षा अनुसंधान की आवश्यकता है। व्याख्या करें।